राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्ठम् विधान सभा के पंचम सत्र का 37वां दिवस [संख्या 28

मंगलवार,

दिनांक 3 अप्रैल, 1979

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : ईश्वर चन्द्र ।

लक्ष्मण मन्दिर, भरतपुर की छत पर आर. एस. एस. की शाखा

799. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मण मन्दिर, भरतपुर में मंदिर की छत पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा लगती है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग ने शाखा रोकने हेतु भरतपुर के जिलाधीश व एस. पी. को लिखा है किन्तु शिखर दवाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

देवस्थान मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सामग्री पूरी एकत्रित नहीं की जा सकी इसलिए इस प्रश्न को स्थगित करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क जयपुर) : सिर्फ सरकार ने कह दिया कि सामग्री एकत्रित नहीं हो सकी तो आपने स्थगित कर दिया। मंत्री महोदय से पूछिए कि सामग्री एकत्रित करने के सम्बन्ध में किसने बाधा डाली ? सामग्री एकत्रित करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए और क्यों निष्फल रहे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इसको शीघ्र ले लूंगा।

श्री बजरंग लाल शर्मा : कब तक लिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : जितना जल्दी हो सकेगा।

श्री बजरंग लाल शर्मा : इसी सत्र में।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं तो मुझे आशा है कि इसी सत्र में इसको लिया जाएगा।

श्री बजरंग लाल शर्मा : इस सम्बन्ध में कोई गाइड लाइन्स तो होनी चाहिए ?

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : यह कोई लम्बा चौड़ा सवाल नहीं है, बात बिल्कुल मामूली सी है।

श्री अध्यक्ष : आपकी भावनाओं का मैं पूरा ध्यान रखूंगा।

श्री बजरंग लाल शर्मा : प्रश्न भावना का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि कौन से कारणों पर सरकार स्थगन मांग सकती है और आसन स्थगन दे सकता है ?

Mere request of the Government to adjourn the question should not be a directive to the Chair; whereas a request for adjournment has been the guiding factor to adjourn a question, यह तय होना चाहिये।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : स्थगन मांगने का मतलब सवाल सही है कि मंदिर की छत पर आर एस.एस. की शाखा लगती है। यह तथ्य है जिसको मंत्री छिपा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़।

ग्राम पंचायत हिंगोरिया के सरपंच द्वारा गबन

800. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोरिया, पंचायत समिति दौसा के विरुद्ध विकास अधिकारी एवं उप जिलाधीश, दौसा द्वारा अनाज के बदले कार्य योजना से सम्बन्धित गबन के मामलों की कोई जांच की गई ? यदि हां, तो क्या एवं क्या जांच में सरपंच को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो क्या मामले का चालान पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार अब इस मामले की उचित जांच करा कर उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

पंचायत मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : जी हां। जांच में सरपंच को दोषी पाये जाने से उसके विरुद्ध दिनांक 1-1-79 को थाना दौसा पर रिपोर्ट पेश कर मुकदमा दर्ज किया गया है, जो पुलिस की तफतीश में है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : 1-1-79 को 409 में मुकदमा दर्ज किया गया था। कलेक्टर के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ। कितना समय निकल गया है ? न तो एवीडेंस ली गई है न माल बरामद किया गया है, न आगे कार्यवाही की जा रही है, न आपने सरपंच को सस्पेंड किया।

श्री दिग्विजय सिंह : पुलिस के अन्दर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ज्यों ही चालान प्रस्तुत कर देंगे उस पर चार्ज लगा देंगे उसके बाद पंचायत एक्ट में कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

मुकदमा दर्ज कराने से ही चार्ज नहीं लगता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कहिए कि मैं सरपंच को सस्पेंड कर रहा हूं। केस साबित हो चुका फिर भी आप उसको सस्पेंड नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सरपंच पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट का चालान तभी रजिस्टर होता है···

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन ।

अन्त्योदयी परिवारों के लिए गृह निर्माण की योजना

801. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) अन्त्योदय योजना में चयनित परिवारों के लिए क्या राज्य सरकार की ओर से गृह निर्माण संबंधी कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां तो उसका स्वरूप क्या है ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या गत सरकार द्वारा ग्रामीण काश्तकारों के मकान बनाने की कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस योजना के अन्तर्गत कितने मकान बने और उस पर कितनी राशि खर्च हुई और कहां-कहां बने ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उद्योग मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी): मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब मानते हैं कि घोटाला हुआ है · · ·

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि घोटाला हुआ है तो देख लेंगे ।

श्री खेतसिंह राठौड : ऐसा नहीं कहा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आश्वासन दे रहे हैं · · ·

श्री मूलचन्द डागा : मेरी प्रार्थना यह है कि पब्लिक सर्वेंट का चालान तभी होता है जब कि पहले उसको निलंबित करते हैं। इसको सस्पेंड नहीं करें उसके पहले चालान नहीं हो सकता ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): चालान कब तक करवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन, आपका प्रश्न स्थगित किया गया ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : कब तक चालान कर देंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : शीघ्रातिशीघ्र ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : एक महीने में या दो महीने में · · ·

श्री खेतसिंह राठोड़ : मंत्री महोदय जवाब नहीं दे रहे हैं । जो सरपंच इस तरह से काम के बदले अनाज योजना में गड़बड़ियां करवाते हैं, उनको पकड़ा नहीं गया · · ·

श्री मूलचंद डागा : तीन सवालों में से दो तो स्थगित किए गए । आखिर हम सवाल रखते हैं तो क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह सवालों के जवाब दें ?

श्री अध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि सरकार सवालों को स्थगित नहीं कराये · · ·

श्री खेतसिह राठौड़ : सरपंच ने 13 बोरियां चोरी कीं । केस रजिस्टर हो गया । जिलाधीश ने तफतीश करके मालूम किया कि गड़बड़ हुई है । 4 महीने हो गए, चालान नहीं कर रहे हैं । मंत्री महोदय जवाब नहीं दे रहे हैं । छिपाने की कोशिश क्यों करते हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस तफतीश कर रही है।

जिस सरपंच के खिलाफ रिपोर्ट हुई है, उस सरपंच को भी मौका मिलेगा, वह भी पुलिस में बयान देगा तफतीश करने के बाद पंचायत एक्ट के तहत एक्शन लिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : 409 का केस है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कह दिया कि तफतीश हो रही है।

श्री मूलचन्द डागा : सरपंच एक पब्लिक सर्वेंट है। धारा 409 का केस जब कलेक्टर भेजे उसके बाद सरपंच को सस्पेंड करना चाहिये। फिर 409 का मुकदमा दर्ज होगा और चालान पेश होगा। पहले सस्पेंड करना चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्राइमाफेसी केस बनने के बाद ही कलेक्टर मुकदमा दर्ज करता है। इसलिए सस्पेंड करना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों के अन्तर्गत जो कुछ भी उचित कार्यवाही होगी, वह होगी।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य, बहुत चिन्तित हैं तो हम पुलिस को लिखेंगे कि एक माह के अन्दर-अन्दर चालान पेश कर दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सस्पेन्ड कब करेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : वह तो बाद में देखेंगे। पहले सस्पेन्ड होना चाहिये।

श्री दिग्विजय सिंह : सस्पेन्ड करने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कितने सरपंचों को भूतपूर्व सरकार ने सस्पेन्ड किया ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कइयों को।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

पलाना थर्मल पावर प्लांट की स्थापना

802. **श्री राम कृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या पलाना थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की योजना राज्य सरकार ने केन्द्र को भेज दी है ? यदि हां, तो क्या केन्द्र ने उसकी स्वीकृति दे दी है ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर में प्रायः वर्ष भर विशेषकर ग्रीष्म काल में विद्युत् वाल्टेज का अभाव रहता है व उद्योगों को व जल प्रदाय प्रणाली की विद्युत् सप्लाई में कटौती की जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष की ग्रीष्म में विद्युत् मंडल के चैयरमैन बीकानेर में विद्युत् वाल्टेज की गम्भीर कमी हो जाने पर व परिणामस्वरूप जल संकट हो जाने पर मौके का अध्ययन करने बीकानेर गए थे ? यदि हां, तो स्थिति के सुधारने हेतु क्या सुझाव दिये गये और क्या उन पर अमल किया गया है ?

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

(4) क्या विद्युत् वाल्टेज की कमी की निरन्तरता को देखते हुए बीकानेर में ही छोटा पावर उत्पादन सेट लगाने की योजना है ?

विद्युत् मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां, पलाना थर्मल प्लान्ट स्थापित करने के लिए परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को प्रेषित कर दिया गया है, जहां यह विचाराधीन है। लिगनाइट की माइनिंग के लिये परियोजना प्रतिवेदन, जिसकी कोयले की उपलब्धता को सिद्ध करने के लिए आवश्यकता है, बनाया जा रहा है जिसे करीब 3–4 माह में भिजवा दिया जावेगा।

(2) कुछ सीमा तक यह सही है कि बीकानेर में दिन में विशेषता 'पीक लोड' की अवधि में पर्याप्त वोल्टेज पाते हैं जिससे कभी-कभी उद्योगों को विद्युत उपलब्धि में कमी की जाती है। जहां तक जल-वितरण व्यवस्था का प्रश्न है उसकी विद्युत् में यद्यपि कटौती नहीं की जाती है तथापि, भाखड़ा सिस्टम में मिलने वाली विद्युत् का वोल्टेज कम रहने के कारण जल वितरण में कुछ अंश तक इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(3) जी हां, यह सही है कि गत वर्ष के ग्रीष्मकाल में विद्युत् मण्डल के अध्यक्ष बीकानेर गये थे और स्थिति का विश्लेषण करने के पश्चात् उसको सुधारने के लिये निम्न आदेश दिये थे :—

(1) वाटर वर्क्स के निम्न कुओं पर तुरन्त निदान हेतु डीजल उत्पादन सेट लगाना:–

(अ) जेलवेल हैड वर्क्स पर 160 अश्वशक्ति का डीजल सेट लगाना।

(ब) बख्तावर सागर पर 160 अश्वशक्ति का डीजल सेट लगाना।

(स) फूल बाई वेल पर 88 अश्वशक्ति का डीजल सेट लगाना।

इन डीजल सेट्स को लगाने का कार्य दिनांक 30-5-78 तक सम्पन्न कर दिया गया था।

(2) यद्यपि स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को पावर फैक्टर में सुधार के लिये अपने कुओं पर एल. टी. कैपिसीटर्स स्वयं को लगाना था, परन्तु वोल्टेज में फौरन सुधार करने की दृष्टि से मण्डल को कैपिसीटर्स लगाने को कहा गया। तदनुसार 720 के. वी. ए. आर. क्षमता के 96 एल. टी. कैपिसीटर्स दिनांक 30-5-78 तक जलदाय विभाग के कुओं पर लगा दिये गये थे।

(3) थर्मल डेयरी बीकानेर से बमनेर रोड स्थित गऊशाला तक 10 कि. मी. की 33 के. वी. लाइन डालकर 8000 के. वी. ए. की कुल क्षमता का 33/11 के. वी. का नया सब स्टेशन लगाना। यह कार्य दिनांक 30-5-78 को सम्पन्न कर दिया गया था।

(4) बीनासर पर एक नया 2500 के. वी. ए. क्षमता का 33/11 के. वी. का सब स्टेशन लगाना। यह कार्य दिनांक 25-5-78 तक पूरा कर दिया गया था।

श्री मूलचन्द डागा : Lengthy answers should be placed on the table of the House. Under the rules, it should be placed on the table of the House. नियम 42 संक्या कहता है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मंत्री महोदय गलत जवाब दें, तो आप इन्ट्रप्शन करें। मंत्री महोदय सही जवाब दें फिर भी आप इन्ट्रप्शन करें, यह क्या है ? Don't poke your nose.

श्री मूलचन्द डागा : It is property of the House. It is not your question only.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (5) हिसार से राजगढ़-रतनगढ़-बीकानेर 132 के. वी. लाइन पर सामान्यतया कोई अतिरिक्त लोड नहीं डाला जात इसकी पूर्ण अनुपालना की जा रही है, सिवाय उन विशेष परिस्थितियों में जब कि सीकर क्षेत्र को जयपुर से बिजली नहीं मिलती है

(6) विद्युत् सप्लाई में कमी होने पर भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड से प्रार्थना की जाय कि राजगढ़ 132 के. वी. फीडर को नहीं काटें। आवश्यकतानुसार भाखड़ा व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड से इस सम्बन्ध में प्रार्थना की जाती रही है।

(7) बीकानेर में विद्युत् भार की स्थिति को देखते हुए छोटे विद्युत् उत्पादन सैट लगाने से कोई खास लाभ नहीं होगा सिवाय, जन स्वास्थ्य अभियन्त्रिकी विभाग के कुओं पर डीजल जैनेरेटिंग सैट प्रतिष्ठापित करने के, जिससे केवल अस्थायी तौर पर सुधार हो सकता है। मण्डल ने खेतड़ी से रतनगढ़ तक एक 220 हजार वोल्ट की लाइन चालू वित्त वर्ष में निर्माण करने का निर्णय लिया है जिससे समस्या का स्थायी तौर पर निदान किया जा सके। वोल्टेज की समस्या में सुधार के लिये बीकानेर शहर की उप-प्रसारण व वितरण प्रणाली में आगमेन्टेशन व वृद्धि के लिये धनराशि का आवंटन भी कर दिया गया है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने विस्तृत और सुन्दर जवाब दिया है परन्तु प्रश्न संख्या (4) के उत्तर में कहा है कि कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से, माननीय अध्यक्ष जी, आवश्यक है। चम्बल और भाखरा से जब बिजली का उत्पादन कम होता है और एक पावर प्लांट भी फेल हो जाता है, तो बीकानेर टेल एन्ड पर होने से, वहाँ पर पानी के कुओं को बिजली का वोल्टेज ठीक नहीं मिलने से पानी नहीं मिलता है। कुछ दिन पूर्व भी हमारे यहां पानी का संकट आ गया था। 2 मेगावाट का पावर स्टेशन वहां पर स्थाई रूप से लगवा दें तो वाटर वर्क्स के कुओं को पानी सप्लाई करने में भी दिक्कत नहीं होगी, और दूसरी भी जो आपकी असेन्शल सर्विसेज हैं, वहां पर भी पानी पहुंच पायेगा और बिजली मिल सकेगी। जब तक आप इसका स्थाई हल नहीं करेंगे, तब तक बीकानेर टेल एन्ड पर होने से वहां पानी का संकट रहेगा। आप इस पर विचार करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी के वितरण की जगहों पर डीजल सेट के निर्माण करने का प्रस्ताव माननीय सदस्य ने किया है और दो मेगावाट का प्लांट वहां लगाने की बात कही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक डीजल सेट लगाने का प्रश्न है, उसकी क्षमता सीमित होती है और प्रति यूनिट उत्पादन की लागत भी ज्यादा होती है, पचास पैसा प्रति यूनिट

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

तक पड़ जाती है। जहां तक छोटा स्टीम सेट लगाने का प्रश्न है, उसकी कीमत भी लगभग 8000 रुपया प्रति किलोवाट के करीब आ जाती है। अगर 3000 किलोवाट का सेट भी लगाया जाये तो उसकी लागत लगभग 2.40 करोड़ रुपये हो जायेगी। इसलिये स्टीम सेट लगाना भी लाभप्रद नहीं है।

इसके अतिरिक्त, इस तरह का सेट लगाने के बारे में सोचा भी जाये, तो भी इस कार्य में लगभग 18 से 20 महीने तो केवल इस प्रकार की यूनिट की डिलीवरी में ही लग जायेंगे तथा उसको इरेक्ट करने में भी समय लगेगा। इस प्रकार ऐसे सेट को प्रतिष्ठापित करने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार का सेट लगाने से पलाना लिगनाइट परियोजना की स्वीकृति पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इन परिस्थितियों में यही विचार किया गया है कि जो खेतड़ी की चालू लाइन है, उसको जल्दी से पूरा कर दिया जाये, दिसम्बर तक ही पूरा कर दिया जाये, ऐसी योजना बना रहे हैं, जिससे पानी की व्यवस्था हो जाये।

श्री बंसीलाल सारस्वत (नागौर): योजना में कितने रुपये खर्च होने की सम्भावना है? इस थर्मल पावर प्लांट से पश्चिमी राजस्थान के कितने क्षेत्र को बिजली दी जायेगी? साथ साथ यह भी बतायें कि थर्मल पावर प्लांट से कितनी बिजली का उत्पादन होगा?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, पलाना के विषय में अनुमानित 65 करोड़ रुपया आंका गया है। चार साल इसमें लगेंगे और दो यूनिट से 60 मेगावाट प्रति यूनिट बिजली प्राप्त हो सकेगी। राज्य सरकार प्रयत्नशील है। हमने पूरा जोर लगाया है। केन्द्र से सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि स्वीकृति आ जाये।

श्री मूलचन्द डागा: आपने सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी को यह प्रोजेक्ट बना कर कब भेजा?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, यह फरवरी, 69 में भेजा है। वैसे आपकी जानकारी के लिये बता दूं इससे पूर्व भी वहां जा चुका है, आब्जेक्शन्स आये हैं। फाइनली फरवरी, 79 में भेजा गया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा: आप इनीशियल डेट बता दें शुरू से, आपने कब भेजा था, फिर कब वापस आया और फिर आपने कब भेजा ताकि आपके लगातार प्रयत्न हमारी समझ में आ जायें।

श्री बंशीलाल सारस्वत: राजस्थान में बिजली की बहुत बड़ी कमी है। क्या इस समस्या का पूर्णतया समाधान हो जायेगा?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान का जहां तक सवाल है, जोधपुर, बीकानेर टेल पर हैं। पीक आवर्स में उनको ठीक तरह से बिजली मिल सके, इसके लिये पूरा सहयोग करेंगे..

श्री अध्यक्ष: श्री हरजी राम बुरडक।

श्री बजरंगलाल शर्मा: माननीय विद्युत मन्त्री जी ने कहा है कि हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। उस पर माननीय डागा जी ने

(8)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

पूछा, कब भेजा ? आपने उत्तर दिया फरवरी, 79 में भेजा गया। यह लगातार प्रयत्न की दास्तान है, मैंने यह पूछा कि आपने पहले पहले कब भेजा, फिर कब भेजा ? आप लगातार प्रयत्न किस तरह से कर रहे हैं, इसकी जानकारी दें। इस पर मंत्री महोदय मौन हैं। स्पैसिफिक बात है, उनके बयान पर आधारित है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अच्छा काम किया है, स्कीम बनाकर दिल्ली भेजी है। पश्चिमी राजस्थान के निवासी सरकार की तारीफ करते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपकी तारीफ के कारण मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब देने के लिये खड़े हुए थे, फिर बैठ गये।

कई माननीय सदस्य : आगे का प्रश्न लिया जाये, उत्तर आ चुका है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : यह सदन जानता है कि पलाना थर्मल प्लांट लगभग 15 वर्षों से भारत सरकार के विचाराधीन है। पिछले तीन वर्षों से मामला पूर्णत: समाप्त हो गया था। दुबारा विचार करना भी भारत सरकार ने छोड़ दिया था। हमने प्रयत्न किये। दुबारा विचार करने के लिये उनको तैयार किया। अब काम चालू करने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजी राम बुरडक।

ग्राम रामधना के व्यक्तियों द्वारा गुण्डागर्दी की शिकायतें

803. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री चन्द्रसिंह ग्राम रामधना तहसील लाडनूं जिला नागौर के खिलाफ गुण्डागर्दी करने की शिकायतें एस. पी., नागौर व राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब-कब क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं ? प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त शिकायतों पर राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) उक्त शिकायतों की जांच किस प्रकार से किस के द्वारा की गई तथा अब आगे किस के द्वारा क्या-क्या जांच करनी है ?

(4) अब तक की जांच में क्या-क्या शिकायतें सही पाई गईं ?

(5) अब इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्रम मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) पुलिस अधीक्षक नागौर को श्री चन्द्रसिंह के विरुद्ध गुण्डागर्दी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 11-1-79 को चन्द्रसिंह के विरुद्ध मकान में अनधिकृत प्रवेश कर ऊंट के चोट पहुंचाने की शिकायत एस.एच.ओ. जसवन्तगढ़ को प्राप्त हुई थी। जिस पर अभियोग नं. 1/79 कायम कर अपराध अनुसंधानाधीन हैं। राज्य सरकार को इस मुकदमे में दो बार प्रार्थना पत्र तफतीश, निष्पक्षता व सही जांच कराने हेतु प्रस्तुत हुए हैं। प्रतियां संलग्न हैं।

(2) इन परिवादों को उचित कानूनी कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक, नागौर को भेज दिया गया है।

(श्री केदारनाथ)

(3) परिवादी की शिकायत पर अभियोग पंजीबद्ध होकर मुकदमे का अनुसंधान किया जा रहा है। गृह मंत्री के समक्ष प्रथम परिवाद पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर आवश्यक निदेश दिये गये व दूसरे परिवाद पर गृह मंत्री के आदेश की अनुपालना में मुकदमे का अनुसंधान क्राइम असिस्टेंट को दिये जाने पर अनुसंधान उनके द्वारा प्रारम्भ किया जा रहा है।

(4) अभी अनुसंधान जारी है। पूर्ण होने पर ही शिकायतों के बारे में सही या असत्य होने का निर्णय हो सकेगा।

(5) अन्वेषण शीघ्र पूरा किया जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

(प्रार्थना-पत्रों के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें),

श्री हरजीराम बुरडक : मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि चन्द्रसिंह के खिलाफ गुण्डागर्दी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। यह गलत है। शिकायत की कॉपी मेरे पास भी आई थी वह होम मिनिस्टर को एड्रेस की हुई थी। आपने कहा नहीं मिली। एक मुकदमें का आपने हवाला दिया वह मुकदमा तो दूसरा है। क्या आप कह सकते हैं कि जो गुण्डागर्दी की शिकायत की गई है उसकी तफतीश के लिये एस. पी. नागौर को लिखेगें ?

श्री केदारनाथ : इस सिलसिले में 11-1-79 को पहली रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच शुरू कर दी गई है। दो शिकायतों का कहा, दोनों शिकायतों में क्राइम इन्वेस्टीगेशन के आदेश दे दिये हैं। लास्ट 6-3 को तफतीश के लिये आर्डर दे दिया है।

श्री हरजीराम बुरडक : यह गलत है। एक शिकायत मैंने भेजी है, जिसकी कापी मेरे पास है। क्या आप विभाग से जानकारी करेंगे कि शिकायत मिली या नहीं मिली ?

श्री केदारनाथ : एस. पी. को अगर डाइरेक्ट भेज दी है, तो जांच करा लेगे।

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंग लाल शर्मा।

राज्य में प्रति व्यक्ति आय

804. **श्री बजरंग लाल शर्मा** (बनी पार्क, जयपुर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान में 22 जून, 1977 के बाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या राजस्थान में उक्त दिनांक के बाद प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ा है ? यदि हां, तो कितना ?

(3) क्या राजस्थान में प्रति व्यक्ति पूंजी नियोजन में उक्त दिनांक के बाद कोई वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(4) क्या उक्त वृद्धियां मूल्य सूचांक में बढ़ोतरी के अनुमान में समृद्धि सूचक हैं और राज्य सरकार को उससे संतोष है ?

आयोजना मंत्री (श्री माणकचन्द सुराणा) : (1) प्रति व्यक्ति आय के अनुमान वार्षिक (प्रायः वित्तीय वर्ष अप्रेल

(श्री माणकचन्द सुराणा)

से मार्च) आधार पर तैयार किये जाते हैं। राजस्थान में वर्ष 1976–77 के अंत में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 887 रुपये थी जो कि वर्ष 77–78 में बढ़कर 925 रुपये हो गई है। इस तरह वर्ष 1977–78 में वर्ष 1976–77 की तुलना में 38 रुपये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है जो कि गत वर्ष से 4.28 प्रतिशत से अधिक है।

(2) प्रति व्यक्ति व्यय के आंकड़े पूर्णतः उपलब्ध नहीं हैं, ना इस प्रकार का संकलन किया जाता है। परन्तु एक्सपेंडीचर पैटर्न का मासिक सर्वेक्षण एन. एस. एस. द्वारा सेम्पल सर्वे के रूप में होता है जो 1977–78 का उपलब्ध है उसके अंतर्गत 76.54 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्चा आता है जबकि आय 77–78 में 925 रुपये प्रति वर्ष यानि 77.08 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक आय है।

(3) राजस्थान में समस्त स्रोतों से प्रति व्यक्ति पूंजी नियोजन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विकास पर राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले (योजना व गैर योजना मद पर) व्यय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय एवं संस्थागत वित्तों के माध्यम से किये गये व्यय के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन समस्त स्रोतों से प्रति व्यक्ति विकास विनियोजन वर्ष 1976-77 में 189.00 रुपये था जो कि वर्ष 1977-78 में लगभग 225 रुपये रहा व वर्ष 1978-79 के अंत में लगभग 247 रुपये हो जावेगा।

(4) राजस्थान में थोक मूल्य सूचांकों में वर्ष 1976 की तुलना में वर्ष 1977 में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि वर्ष 1977-78 में वर्ष 1976-77 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि केवल 4.28 प्रतिशत थी।

(5) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के बारे में विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है क्योंकि विभिन्न समय पर विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं एवं योजना आयोग द्वारा अपनाई गई गरीबी की परिभाषा में भिन्नता रही है। नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च ने राजस्थान के लिये पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया उसमें 1968-69 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह आय का आधार मान कर 56 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माने थे। सातवें वित्त आयोग ने डांडेकर व इसके उपभोग आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि लगभग 43.50 प्रतिशत व्यक्ति राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बहुत सी बातों के बारे में कहा उपलब्ध नहीं हैं। खास तौर से व्यय के बारे में कहा है कि उपलब्ध नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इकोनोमी को कन्ट्रोल करने के लिये और उसको निश्चित दिशा में चलाने के लिये प्रति व्यक्ति व्यय का ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध है? नम्बर दो पांचवां प्रश्न मैंने पूछा है कि राजस्थान में अब कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च ने राजस्थान के लिये

(श्री बजरंग लाल शर्मा)
पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया उसमें 68–69 में 20 रु. प्रति व्यक्ति आय का आधार मानकर 56 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माने थे और रथ व डाण्डेकर के अनुमान से 43.5 प्रतिशत व्यक्ति माने हैं लेकिन आज की स्थिति के बारे में नहीं कहा है, मौजूदा राजस्थान में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं ? 68–69 में 30 रु. प्रति व्यक्ति आय के व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे माने जाते थे। आज क्या माना जाता है ? एक दशक हो गया। उस समय और अब नेशनल सेम्पल सर्वे के अनुसार कितनी आमदनी वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : और राजस्थान में···

श्री माणक चन्द सुराणा : माननीय विश्नोई जी पहले मुझे दो सप्लीमेन्ट्री के जवाब दे लेने दीजिये। नम्बर (2) के बारे में आपने कहा, प्रति व्यक्ति व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैंने कहा है, सम्पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं। नेशनल सैम्पल सर्वे ने वर्ष 77–78 में जो आंकड़े बनाये हैं उसके आधार पर जो व्यय की सीमा बनी है वह भी मैंने निवेदन की। इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा, कुल व्यय प्रति व्यक्ति के आंकड़े सम्पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अन्तर्गत चयनित परिवारों से मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय की सूचना एकत्रित की जाती है। 28वें दौर की सूचना के आधार पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय 56.01 रुपये, और इसका ब्रेक-अप 55–23 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों एवं 62–92 रुपये शहरी क्षेत्रों में है। 32वें दौर की सूचना के आधार पर बनाये गये प्रावधिक अनुमानों के अनुसार यह मासिक व्यय बढ़कर 76–54 रुपये हो गया जिसका ब्रेक-अप 73–59 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में और 81–97 रुपये शहरी क्षेत्र में है। इसी तरह वर्ष 1973–74 से 77–78 तक प्रति व्यक्ति मासिक व्यय में 36.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर के जो आंकड़े उपलब्ध किये हैं वे इस प्रकार हैं। अब 78-79 का वर्ष अभी अभी समाप्त हुआ है और करीब इसके आंकड़े चार महीनें बाद उपलब्ध होंगे। गरीबी की रेखा का जो प्रश्न आपके प्रश्न के पांचवें हिस्से में उठाया गया है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस गरीबी की रेखा को अधिक और कम मानने में अभी कुछ झगड़े हैं और राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि सातवें वित्त आयोग ने रथ और दाण्डेकर की रिपोर्ट मानकर हमारी गरीबी की रेखा नीचे कर दी जिसके पहले हमने 56 प्रतिशत माना है और उसका आधार बताया कि 30 रुपये प्रति व्यक्ति आय है··

श्री बजरंग लाल शर्मा : यह प्रश्न आपको कहीं मीठालाल जी मेहता की सहायता से तो उपलब्ध नहीं हुआ है··]

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : यह मेरा प्रश्न है और जो उसका उत्तर है, इसका सम्बन्ध मीठा लाल जी मेहता से नहीं है। यदि आपको ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिनका सम्बन्ध मीठा लाल जी मेहता से हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। माननीय बजरंग

(श्री माणक चन्द सुराणा)
लाल जी, ये आंकड़े तो आपको ऊपर की ओर ही ले जायेंगे।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिह शेखावत) : ऊपर तो नहीं जाने दूंगा।

श्री माणक चन्द सुराणा : मैं आपको बताना चाहता हूं विभिन्न अर्थशास्त्रियों, अनुसन्धान संस्थाओं एवं योजना आयोग ने गरीबों की परिभाषा अलग-अलग देते हुए गरीबी के विभिन्न अनुमान बनाये हैं जो कि विभिन्न परिभाषाओं के कारण एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। नेशनल कौन्सिल ऑफ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च ने राजस्थान राज्य के लिये एक पर्सपेक्टिव प्लान की रूप रेखा तैयार की है। इसमें उन्होंने बर्धन, मिन्हास, डाण्डेकर एवं रथ वैद्यनाथन एवं आई. जे. भाटी द्वारा गरीबी के बारे में बनाये गये अनुमानों के बारे में चर्चा की है और वर्ष 68-69 की कीमतों पर पांच गरीबी स्तर लेकर रुपये 80, रु. 240, रु. 300 रु. 360 व रु. 420 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्थान राज्य व अन्य राज्यों तथा अखिल भारतीय स्तर से गरीबी की रेखा से नीचे स्तर पर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में अनुमान लगाये हैं। मेरा निवेदन है कि इन पांच केटेगरीज में जो गरीबी की आमदनी है, उसको इस प्रकार बांटा है।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो गोलमाल उत्तर दे रहे हैं, स्पेसिफिक उत्तर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : हमारे डागा जी समझते ही नहीं हैं–रथ क्या होता है और हाथी क्या होता है।

श्री मूलचन्द डागा : साफ उत्तर दीजिये, आप तो गुमराह कर रहे हैं। आंकड़ों का जाल फैला रहे हैं।

श्री माणक चन्द सुराणा : डागा जी, मैं तो आपको पढ़ने-लिखने वाला व्यक्ति समझता था। आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा क्या कसूर है।

श्री मूलचन्द डागा : आज राजस्थान में कौन से व्यक्ति को गरीबी की रेखा के नीचे मानते हैं, कितनी आय वाले को, यह बता दीजिये।

श्री बजरंग लाल शर्मा : आपके देर से समझ में आयेगी अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आ सकती है।

श्री माणक चन्द सुराणा : नेशनल कौन्सिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च ने गरीबों की आय के जितने आंकड़े बताये हैं उसमें 80)रु., 240)रु., 300)रु., 360)रु. व 400)रु. है···

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मंत्री महोदय, आपका मुंह माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ कर लें। यह सदन की परम्परा है। आप सीनियर मैम्बर हैं, पहले भी रह चुके हैं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : आपने तो हाउस की तरफ देखा ही नहीं है। वे तो

(श्री बजरंग लाल शर्मा)
मेरी तरफ तो देख रहे हैं। आप तो केवल एक इन्दिरा के पीछे ही देखते हो...

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : इन अनुमानों पर जो तालिका बनाई गई है वह इस प्रकार है—180)रु. से नीचे 35.66, 240)रु. के नीचे 56.30, 300)रु के नीचे 70.65, 360)रु. के नीचे 81.51 और 420)रु. के नीचे 83.27

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : आप तो बजरंग लाल जी के पास बैठ जाइये।

श्री मूलचन्द डागा : यह सारा प्रश्न सदन का है, एक माननीय सदस्य का नहीं रहा। सदन को उत्तर दिया जा रहा है.. It is an answer to the whole House and not to a particular member. Please don't answer a particular member.

श्री माणक चन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय डागा जी पर निगाह टिका लेता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : यह सदन का प्रश्न है।

श्री माणक चन्द सुराणा : मैंने निवेदन कर दिया 180)रु. के नीचे 35.66 प्रतिशत लोग हैं राजस्थान में और 240) रु. से कम 56.30 प्रतिशत लोग हैं। ये दो आंकड़े मैंने आपके समक्ष रख दिये हैं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक तरीके से प्रश्न पूछा है पर केपिटा इन्कम, जिसको गरीबी की रेखा माना जा रहा है, की आपने केटेगरीज तो बता दी लेकिन यह नहीं बताया कि गरीबी की रेखा कितने रुपये से नीचे मानी जाती है।

श्री माणक चन्द सुराणा : राजस्थान में 30)रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह आमदनी सन् 60-61 की प्राइसेज के आधार पर गरीबी की रेखा के नीचे मानी है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : आपके हिसाब से क्या है ?

श्री माणक चन्द सुराणा : 60-61 की कीमतों पर जो भी कोंस्टेंट कीमत बनेगी, उसी कोंस्टेंट प्राइस पर उसको गरीबी की रेखा से नीचे मानते हैं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : आप हिसाब करके बता दीजिए कि किस अमाउण्ट पर आता है ?

श्री माणक चन्द सुराणा : सन् 72-73 में 20)रु. प्रति माह आमदनी को गरीबी की रेखा से नीचे माना है। यह 18)रु. ग्रामीण क्षेत्रों में और 25) रु. शहरी क्षेत्रों के लिए माना गया है। इसी आधार पर 73-74 के मूल्यों पर गरीबी की रेखा के नीचे 53)रु. ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान के लिए आंका है और शहरी क्षेत्र के लिए 62)रु. आती है।

(व्यवधान)

77-78 में कितनी कोंस्टेंट वेल्यू निकलेगी, क्योंकि 77-78 तक की कैलकूलेट होगी, जिसके लिए एक कमेटी डायरेक्टर ऑफ इकोनोमिक्स की बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट

(१४)

(श्री माणक चन्द सुराणा)
अभी तक नहीं आई है। वह रिपोर्ट करीब दो माह में उपलब्ध होगी।

श्री मूलचन्द डागा : एक प्रश्न मेरा भी है···

श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि राजस्थान में आज भी 8 पर्सेंट कृषि श्रमिक 15) रु. प्रति माह की आमदनी पर जीवित हैं. नम्बर वन।

नम्बर टू. क्या आयोजना मंत्री महोदय को जानकारी है कि गांधी पीस फाउण्डेशन एण्ड नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया था उसके अनुसार 70 हजार बाउण्टेड लेबर अभी भी राजस्थान में हैं जो 10) रु. मासिक की आय पर जीवित हैं।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या आयोजना मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन सी योजना के आधार पर 5 प्रतिशत मौजूदा गरीबी की रेखा से आगे बढ़ सकेंगे ? उस योजना या कार्यक्रमों का नाम बताइये जिससे कि करीब 5 प्रतिशत गरीबों को हम गरीबी की रेखा से आगे बढ़ा सकेंगे।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आयोजना मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो कोंस्टेंट प्राइसेज बढ़ी हैं उसके आधार पर ग्रामीण और शहरी आय में जो खाई बढ़ती जा रही है, गैप बढ़ता जा रहा है, उस बढ़ते हुए गैप को दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि यह डैस्पेरिटी है वह जल्दी से जल्दी कम हो सके।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, मेरा छोटा सा प्रश्न है...

श्री माणक चन्द सुराणा : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों की जो आय है, उसके असंतुलन को दूर करने के लिए राज्य सरकार के बजट और योजनाओं का सारा रुख ग्रामीणोन्मुखी है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि···

श्री श्रवण लाल : अब तो दूसरा प्रश्न लीजिए साहब, हमारे प्रश्न रह जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में आज के रोज कितनी आय वाले को, जो गांवों में रहते हैं, गरीबी में मानते हैं।

(व्यवधान)

किस व्यक्ति, जो गांव में रहता है, को कितनी आय को गरीबी से नीचे मानते हैं···

श्री अध्यक्ष : पहले ही कहा है।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत आयोजना मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बीस रुपये को आधार मान कर जो कंटेंशन था कि 56 पर्सेंट गरीब हैं उसके विपरीत रथ एण्ड दाण्डेकर के कंटेंशन को आगे रख कर भारत सरकार के सेवंथ फाइ-

(श्री किशनसिंह भाटी)
नेंस कमीशन ने हमारे यहां 43.5 पर्सेंट को बिलो पावर्टी लाइन माना है, इसको काउण्टर करने के लिए किस इकोनोमिस्ट या किस इंस्टीट्यूशन या और किस सर्वे के आधार पर, उसको बेस मानकर काउण्टर करने जा रहे हैं। आप काउण्टर करने भी जा रहे हैं या नहीं

(व्यवधान)

किसी इकोनोमिस्ट या किसी इंस्टीट्यूशन या एजेंसी के सर्वे को आधार मान कर, 78–79 के अन्दर राजस्थान की प्रोडक्शन प्राइस, इकोनोमी पर-केपिटा का that is our base and on that basis we are going to counter the argument of Rath and Dandekar.

इसका जवाब दें।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो भारत के अन्य राज्य हैं उनके मुकाबले में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कौन से स्थान पर है? राजस्थान का नम्बर कौन से स्थान पर पड़ता है, यह बताने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : पहले मेरे सवाल का जवाब आने दीजिए· · ·

(व्यवधान)

मै तो इतना ही पूछ रहा था कि रथ और दाण्डेकर की रिपोर्ट से जो नुकसान राजस्थान को हुआ है उसको काउण्टर करने के लिए अपना आर्गूमेंट कैसे दे रहे हैं?

श्री लालचन्द (भादरा) : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय मेक्जीमम और मिनिमम कितनी है?

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरा तो यह प्रश्न है कि इस प्रश्न के भाग 4 में यह पूछा था कि क्या उक्त वृद्धियां मूल्य सूचांक में बढ़ोतरी के अनुपात में समृद्धि सूचक है और राज्य सरकार को उससे संतोष है? इसका पूरा उत्तर नहीं आया है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 55) रु. प्रति व्यक्ति जो खर्चा था गांवों में वह घट कर 52) रु. ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में 81) रु. हो गया तो गांवों में समृद्धि कहां बढ़ी है, शहरों में तो बढ़ी है· · ·

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दिलाया जावे। जो प्लानिंग कमीशन की रथ और दाण्डेकर की रिपोर्ट की वजह से हमें नुकसान हुआ है उसको किस तरह से काउण्टर कर रहे हैं?

श्री बजरंग लाल शर्मा : क्या यह सही है कि 61-62 में जो कांग्रेस का शासन था उस समय गांवों की प्रति व्यक्ति आय औसत आय 53 की जगह 23 रु. थी और उसके बाद 73-74 ही नहीं वल्कि 76 तक कांग्रेस शासन था उसमें केवल 36 प्रतिशत की हुई है। ग्रामीण क्षेत्र का मासिक व्यय बढ़ कर 73.59 और शहरी क्षेत्र में 81.97 रु. हुआ, यानि यह जो 19.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वह वृद्धि सारी, कांग्रेस राज में हुई है और

(श्री बजरंग लाल शर्मा)
गांवों की बदतर हालत उसी शासन में हुई है। कृपया मन्त्री महोदय इनको बताने की कृपा करें ताकि रामनारायण जी की आंखें खुल जाएं कि गांवों की यह दशा किसने की है।

श्री माणक चन्द सुराणा : वनोपार्क से आने वाले महानुभाव ने जो आंकड़े दिये वे सही हैं। जैसलमेर से आने वाले महानुभाव ने जो प्रश्न पूछा है.....

श्री रामनारायण चौधरी : महानुभाव नहीं, माननीय सदस्य।

श्री माणक चन्द सुराणा : जैसलमेर के माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, मैं निवेदन करूंगा कि रथ और दाण्डेकर की रिपोर्ट इतनी विवादास्पद नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की बैठक में बन गई थी कि प्लानिंग कमीशन ने स्वयं ने एक कमेटी, हाई पावर कमेटी अर्थ-शास्त्रियों की बनाई है। गरीबी की रेखा क्या है इसके लिए एक ही मापदण्ड सारे देश के लिए अडाप्ट किया जावे इस सम्बन्ध में भी एक कमेटी प्लानिंग कमीशन ने स्वयं ने गठित की है माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभी रिपोर्ट आई नहीं है। एक महीने पहले ही यह गठित हुई है। उसकी रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार विचार करेगी। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है यहां नेशनल कौंसिल आफ अप्लाइड रिसर्च की एक बीस साला योजना पहले से चल रही थी। उसकी रिपोर्ट जल्दी मंगवाने की कोशिश की हैं और वह रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट में जो कुछ कण्टेंट्स हैं मैंने आज के इस सवाल के जवाब में जो फिक्स्ड फिगर्स दिये हैं, उसी के आधार पर दिये हैं। जो लेटेस्ट रिपोर्ट बीस साला योजना की राज्य सरकार को प्राप्त हुई है उसी के आधार पर मैंने ये सारे आंकड़े दिये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : रथ और दाण्डेकर की लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट है जिसको सेवंथ फाइनेन्स कमीशन ने माना है और नेशनल डवलपमेंट कौंसिल ने माना है, प्रधान मन्त्री ने माना है। उसी को आधार मान कर सारी धनराशि का राष्ट्रीय स्तर पर बंटवारा हुआ है। रथ और दाण्डेकर की रिपोर्ट में जो आंकड़े दिये हैं उनके संदर्भ में कृपा करके जवाब दीजिये कि क्या पोजीशन है?

श्री किशनसिंह भाटी : मुख्य मन्त्री नहीं बोल रहे हैं इसलिए आयोजना मन्त्री जी से ही पूछता हूं कि रथ और दाण्डेकर की रिपोर्ट के कितने वाल्यूम हैं, यह बता दीजिये। मुख्य मन्त्री जी और आयोजना मन्त्री जी को मालूम है कि उसके कितने वाल्यूम हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : आप जो यह बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के तीस साल के शासन में कुछ नहीं हुआ और यह जिस प्रकार का चित्रण कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप अभी वह चित्रण मत कीजिए क्योंकि यह राजस्थान के हित में नहीं होगा, देश के हित में नहीं होगा। आप पोलीटिकली मोटीवेटेड होकर इस प्रकार की तस्वीर चित्रित करने जा रहे हैं.....

श्री रामकिशोर मीणा : पहले उत्तर आने दीजिए साहब।

श्री रामनारायण चौधरी : उसके आधार पर राजस्थान की क्या पोजीशन है, कृपा करके वह बताइये।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि राजस्थान का अन्य राज्यों के मुकाबले कौन सा स्थान है? मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है। क्या मंत्री महोदय, इसका उत्तर देने का कष्ट करेंगे?

श्री माणक चन्द सुराणा : जहां तक रथ और डांडेकर की रिपोर्ट का प्रश्न है, उसकी आपको जानकारी है। उसमें गरीबी की रेखा 43.50 पर्सेन्ट की मानी गई है। उसके पहले 56 पर्सेन्ट की मानते थे। जो अधिक गरीब हैं, प्लानिंग कमीशन ने उनको अधिक गरीब मान कर अपने वित्त का ज्यादा भाग उनको दिया है। गरीबी को कम मानने से राजस्थान को नुकसान हुआ है। राजस्थान सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। हमने रथ और डांडेकर की रिपोर्ट को एन. डी. सी. मीटिंग में चेलेन्ज किया है। हमने यह कहा है कि हमारे राज्य की स्वयं की रिपोर्ट है उसमें गरीबी की रेखा 56 पर्सेन्ट मानी गई है तो यह कोई आधार नहीं है। रथ और डांडेकर की रिपोर्ट को आधार नहीं माना जाना चाहिए। परन्तु सातवें वित्त आयोग ने इसी रिपोर्ट के आधार पर वित्त का बंटवारा किया है। प्लानिंग कमीशन भी रथ और डांडेकर की रिपोर्ट को नहीं मान रहा है इसलिए उसने स्वयं एक कमेटी गठित की है, जिसमें अर्थ शास्त्री हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट निकट भविष्य में ही प्रकाशित हो जाएगी।

श्री अयूब खां (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो ग्रामीण निवासी एग्रीकलचरिस्ट हैं उनको उनके प्रोडक्शन की सही कीमत नहीं मिलती है और जो शहरी निवासी हैं, उद्योग के मालिक हैं, उनके प्रोडक्शन की कीमत ऊंची होती है। इसका मूल कारण क्या है, मंत्री महोदय इसका जवाब दें? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए सरकार के नियम, कानून और उसकी नीति जिम्मेदार नहीं है?

श्री माणिक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, पहले भी निवेदन किया है कि प्रत्येक वर्ष जो आयोजना गांव में रही है, उसका दिन प्रतिदिन विस्तार किया जा रहा है। बिजली, कृषि विकास, कमान्ड एरिया, सिंचाई के साधन, नये बीज, नये खाद इनका अधिकाधिक लाभ काश्तकारों को मिल रहा है। इस सम्बन्ध में हमारी योजनाओं में प्रावधान है कि शहर और गांव में जो असन्तुलन है उसको दूर किया जाए, समाप्त किया जाए। इसी प्रकार से गांवों में छोटे किसान और बड़े किसान में जो अन्तर है उसको भी दूर करने के लिये राज्य सरकार ने स्माल फार्मर, मार्जिनल फार्मर प्रोग्राम्स चालू किये हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा राज्य सरकार इस अन्तर को रिमूव करने का प्रयत्न कर रही है।

श्री लाल चन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने यह बताया है कि राज्य सरकार गांवों में छोटे किसान और बड़े किसान के भेद को रिमूव करने के लिए प्रयत्न कर रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति के लिए कम से कम कितना खर्चा जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा प्रति व्यक्ति कितना खर्चा होता है? प्रति व्यक्ति कम से कम खर्च और ज्यादा से ज्यादा कितना है? इसका मंत्री महोदय उत्तर देने का कष्ट करें।

(18)

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई नेशनल सर्वे नहीं किया गया है और न यह किसी रिपोर्ट में है कि अधिक से अधिक खर्चा प्रति व्यक्ति क्या है और कम से कम क्या है। इस तरह के आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित नहीं किये गये हैं।

श्री लालचन्द : छोटे और बड़े किसान के खर्च में अन्तर कितना है? सबसे बड़े आदमी और छोटे आदमी का फर्क आपको मालूम नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय लोहियावादी हैं। उनको यह मालूम होना चाहिए, स्वर्गीय लोहिया जी ने यह आंकड़ा निकाला था कि कम से कम कितना खर्चा एक व्यक्ति का होना जरूरी है। कम से कम व्यय कितना होता है और अधिक से अधिक व्यय प्रति व्यक्ति कितना हो रहा है, यह उन्होंने बताया था। कृपया मंत्री महोदय स्मरण करने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न लेना चाहूंगा।

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि जब से जनता शासन आया है, जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इस गरीबी की रेखा में क्या कोई अन्तर आया है?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, मैं भी आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। आप इस प्रश्न पर विचार करेंगे। पावर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं वह पहले 56 पर्सेंट और कुछ पांइट, थे। अब रथ और डांडेकर की जो रिपोर्ट है उसमें यह आंकड़ा 43.5 पर्सेंट आया है। याने दोनों में साढ़े बारह पर्सेन्ट का अन्तर है। इस बारे में राजस्थान सरकार का क्या चिन्तन है? क्या डांडेकर और रथ की रिपोर्ट को राज्य सरकार वेलकम करती है या नेशनल कौंसिल के रिसर्च को वेलकम करती है? इसके उपरान्त सरकार ने क्या इस बारे में चिन्तन किया है? इन दोनों के विश्लेषण के सम्बन्ध में सरकार का कोई चिन्तन है? जो इकोनोमिस्ट की कमेटी का गठन हुआ है उसको आपने अपने व्यूज कन्वे किये हैं या नहीं किये हैं? क्या आप मेरे प्रश्न को समझ गये हैं या एक दफा और रिपीट करूं मेरे प्रश्न को?

श्री माणक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, रथ और डांडेकर की जो रिपोर्ट है, उसका राज्य सरकार ने स्वागत नहीं किया है। उसमें जो वर्णित आंकड़े हैं, मुख्य मंत्री जी ने उनका राष्ट्रीय विकास परिषद् में विरोध किया है।

श्री अध्यक्ष : अपने लिए हितकर नहीं हैं।

श्री माणक चन्द सुराणा : जी हां, ये आंकड़े अपने लिए हितकर नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने बड़े जोर से, स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद् में कहा है और हमारे जो आंकड़े हैं, 56 पर्सेन्ट हैं, उसका उद्धरण भी दिया है। यह विवाद उत्पन्न होने के कारण योजना आयोग ने रथ और डांडेकर की रिपोर्ट का रिव्यू करने के लिए इकोनोमिस्ट की एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। यह सही है कि जितने भी पिछड़े राज्य हैं जैसे राजस्थान, उड़ीसा, यू. पी., उत्तरी बिहार, इन सब ने इस रिपोर्ट का वहां पर विरोध किया है। It must be opposed.

श्री अध्यक्ष : It must be opposed.

स्थगित प्रश्न । श्री हरजीराम बुरडक ।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न किया था । उसका जवाब मंत्री महोदय की ओर से नहीं आया है । मैं एक बार फिर अपने प्रश्न को दोहराता हूं । मंत्री जी योजना विभाग का भट्टा बिठा रहे हैं । क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि राजस्थान का भारत में कौनसा स्थान है, आमदनी के हिसाब से ? मंत्री महोदय इस प्रश्न को टालने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । श्री हरजी राम बुरड़क ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-3-1979)

राज्य हाथ कर्घा मण्डल में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां

379. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राज्य हाथ कर्घा मण्डल के मौजूदा अध्यक्ष ने कब कार्यभार संभाला ?

(2) अध्यक्ष के कार्यभार संभालने से लेकर अब तक किस-किस पद पर किस-किस व्यक्ति को किस-किस कार्य के लिए कितने-कितने समय के लिए नियुक्त किया ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) बोर्ड में कुल कितने-कितने पद किस श्रेणी के हैं तथा उनमें कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त थे ?

(4) वर्ष 1978–79 के लिए पारित बजट में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के लिए का प्रावधान है ?

(5) नये पद सृजित करने की क्या प्रक्रिया है तथा मण्डल के विधान व नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): (1) राजस्थान हाथकर्घा परियोजना मण्डल के वर्तमान अध्यक्ष ने दिनांक 28-10-78 को कार्य भार संभाला है ।

(2) सूची परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) सूची परिशिष्ट 'ब' (एक) एवं (दो) सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) मण्डल एक परियोजना के अन्तर्गत स्वायत्त शासी संस्था होने के नाते इसके पद राज्य के बजट में प्रावधानित नहीं होकर योजनान्तर्गत निश्चित पद ही है । आवश्यकतानुसार मण्डल के संविधान में पद के सृजन तथा नियुक्ति के अधिकार मण्डल को हैं । योजनान्तर्गत वर्ष 1978–79 के लिए प्रावधानित पद परिशिष्ट 'ब' (1) के अनुसार ही हैं ।

(5) योजनान्तर्गत प्रावधानित पदों के अतिरिक्त काल व परिस्थितियों के अनुसार मण्डल के संविधान की धारा 11 की उपधारा 11 के अन्तर्गत नये पद सृजित करने का अधिकार मण्डल को है । इस अधिकार का उपयोग करते हुए मण्डल की बैठक दिनांक 18-6-76 में उक्त धारा के सभी

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

अधिकार कार्यकारिणी समिति को तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार मण्डल के सचिव में निहित किये गये हैं। मण्डल के विधान एवं नियमों की प्रति परिशिष्ट 'स' सदन के पटल पर रख दी गई है।

विधान की धारा 11 (11) के अन्तर्गत मण्डल अपने कार्यों के कुशलतापूर्वक संचालन व निष्पादन हेतु ऐसे पदाधिकारियों व कर्मचारियों की नियमान्तर्गत जो राज्य सरकार या मण्डल द्वारा निर्धारित किये जावें, नियुक्त अथवा प्रतिनियुक्ति कर सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनका नाम क्या है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : राम शरण ....

श्री हरचन्द सिंह : जब बजट प्रावधान नहीं है तो नई नियुक्तियां कैसे की गई ?

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, क्या सदन में पार्टियों के झण्डे या बिल्ले लेकर आया जा सकता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के सी.पी.एम. के लाये हैं इसको उतरवाया जाय या व्यवस्था दी जाय।

श्री अध्यक्ष : उनके बक्स में बन्द हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी : खुला है साहब, बेज है।

श्री मदनसिंह दांता : यह पीलू मोदी का अनुभव हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : मैंने बैंज भी नहीं देखा, झण्डा भी नहीं देखा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह बैज है। कोई भी सदस्य बैज लगा कर आ सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : श्री रतनलाल जी डण्डा लेकर विधान सभा में आते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, डण्डा बाहर पड़ा है तब भी माननीय सदस्य को खतरा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम। झण्डे अब बैज हो गये।

स्थगित प्रश्न। दिनांक 23-3-79।

श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर) : अध्यक्ष महोदय, अभी पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : उद्योग मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछे उसके संबंध में निवेदन है कि पूर्व से स्वीकृत पद रिक्त चले आ रहे थे उनके अगेन्स्ट में ही स्थाई नियुक्ति की गई है। जहां तक अस्थाई नियुक्ति का प्रश्न है इसमें 2 प्रतिशत की है। विनियोजन के आधार पर, रेकरिंग एक्सपेंडिचर के आधार पर की जा सकती है। जो नियुक्तियां की गई हैं, 1 माह के लिये की गई हैं, 1 माह के लिये की गई उनकी लिस्ट दे दी। इसके अलावा जो नियुक्तियां की हैं वे मण्डल ने अपने अधिकारों से की हैं।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) : अध्यक्ष और चेयरमैन किस को मनोनीत करते हैं ? क्या उसका कोई आधार है या राजनैतिक आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं ?

श्री ईश्वरचन्द्र : जो नियुक्तियां की गई उनमें क्या 55 प्रतिशत लोग पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जी हां।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक महीने में सैकड़ों नियुक्तियां कर दीं यह आपने सरासर गलत कार्य किया है। बोर्ड का पैसा बरबाद किया है। एक महीने में 100 अस्थाई नियुक्तियां किसलिये कीं ? न उनका कोई काम था न उनसे कोई काम लिया गया।

श्री हजारीमल सारण : क्या कारण आ गया था एक माह में सौ नियुक्तियां करने का ?

श्री बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिये क्या क्वालिफिकेशन तय की हुई है ? किस आधार पर नियुक्ति की जाती है यह बताने की कृपा करें ?

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : क्या अपाइन्टमेंट देने के पहले एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से कोई सूची मांगी गई थी, और नहीं मांगी गई तो क्यों ?

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या यह भी शिकायत मिली है कि बोर्ड का काम अफसरों की कमी, क्लर्कों की कमी के कारण रुक रहा है....

(व्यवधान)

श्री हजारीमल सारण : अध्यक्ष महोदय, श्री हरजीराम बुरडक के मूल प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं। एक माह में इतनी नियुक्तियां देने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर आये कैसे, प्रश्नों की झड़ी लग गई है। उत्तर आयेगा कैसे ?

श्री हजारीमल सारण : उत्तर दोषपूर्ण है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब अगर उत्तर न आये तो मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री हजारीमल सारण : उत्तर देना नहीं चाहते। बोर्ड में धन का दुरुपयोग किया गया है इसलिये इस मामले में सदन की कमेटी से जांच कराने का निवेदन है। हजारों रुपयों का घोटाला किया गया है।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, सदन को इसका उत्तर दिलावें।

श्री अध्यक्ष : मैं उत्तर नहीं दिलवा सकता।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं जवाब दे रहा हूं। मैं अर्ज करता हूं। मेरी बात सुन लीजिये। कोई सैकड़ों नियुक्तियां नहीं की गई हैं। 24 पद दो साल से खाली चले आ रहे थे और जिस स्थिति में उन्होंने कार्यभार संभाला उस समय 16 लाख बकाया थे, 7 लाख का सूद बकाया था। जगह जगह कर का भार, माल गोदामों का भार बढ़ा हुआ था, वह खराब हो रहा था....

(२२)

एक माननीय सदस्य : कितनी वसूली की गई ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपरोक्त नियुक्तियां करना इसलिये आवश्यक था अब वर्तमान अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के दिन 16 लाख बकाया पड़ा था, कपड़ा खराब हो रहा था कार्यभार अव्यवस्था के कारण निष्क्रिय पड़ा था। इस अव्यवस्था को समाप्त करना जरूरी था। उक्त अल्पकालीन नियुक्तियों के कारण प्रशासन में चुस्ती आई और बाकी 16 लाख में से 13॥ लाख उसी साल वसूल किया गया। जहां पूर्व में केवल 400–500 करघे कार्य करते थे वहां इन नियुक्तियों के बाद इनकी संख्या बढ़कर 1573 हो गई। 5 लाख रुपया बकाया बुनकरों और अन्य व्यक्तियों में था, उसको वसूल करने का प्रयास करने की व्यवस्था की गई तथा हजारों रुपये सूत के अभी तक वसूल किये गये। कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली और जयपुर नगरों में प्रदर्शनियों में भाग लिया और कलकत्ता में एक दिन में 32 हजार की बिक्री का कीर्तिमान स्थापित किया गया है।

श्री हजारीमल सारण : अध्यक्ष महोदय, यह घोटालों को छिपाने के लिए नकली उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, असली उत्तर कैसे आयेगा· · ·

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : यह तो सिद्धान्त की बात है कि राजस्थान सरकार · · ·

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री है।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : मेरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है······

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो बार प्रश्न नाथूराम जी का पुकारा गया है अतएव अब 503 पर ही चर्चा होगी।

अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों का सरकारी नौकरी में आरक्षण

503. **श्री नाथूराम (बागीदोरा) :** क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए नौकरियों में जो 28 प्रतिशत का आरक्षण है उसकी पालना नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? राज्य सरकार रिक्त आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो विगत 5 वर्षों में डूंगरपुर-बांसवाड़ा जिले में किस-किस विभाग में किस-किस वर्ग में कितने-कितने पदों का सृजन हुआ, कितने पदों की पूर्ति हुई, कितने स्थान 28–2–79 को रिक्त रहे ? आरक्षण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) डूंगरपुर–बांसवाड़ा जिले में 70 से 90 प्रतिशत तक जनजाति की आबादी है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यून है। जनजाति के बेरोजगारों का नियोजन अन्य

(श्री नाथूराम)
जातियों की तुलना में कम है। क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए जनजाति के बेरोजगार युवकों को रोटी रोजी की व्यवस्था हेतु समेकित आरक्षण 28 प्रतिशत बनाने तथा 50 प्रतिशत तक करने का कोई विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक यह व्यवस्था हो जावेगी?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (1) जी नहीं, आरक्षित पदों की पूर्ति · · ·

श्री नाथूराम: अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं देता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर: कान साफ नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल: (1) जी नहीं,

एक माननीय सदस्य: ऐसे।

श्री कैलाश मेघवाल: (1) जी नहीं, आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने समय-समय पर परिपत्र, आदेश, आदि प्रचलित किये हुए हैं और उनकी पालना हेतु समुचित कदम समय-समय पर उठाये जाते हैं। जितनी भी सूचना उपलब्ध हो सकी है संलग्न है।

(2) जी नहीं, क्योंकि अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों को आरक्षण का प्रतिशत राज्य की जन संख्या में उनकी संख्या के आधार पर निर्धारित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नाथूराम: खण्ड (1) में मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह बिलकुल ही असन्तोषजनक है। सब विभागों में जो पदों के आरक्षण की बात है उसका पिछली सरकार ने भी पालन नहीं किया और वर्तमान सरकार भी पालन नहीं कर रही है। यह ट्रेण्ड ठीक नहीं है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने कलेक्टर के दफतर में कितनी नई पोस्ट सृजित की और कितनी आरक्षण से भरी गई? शिक्षा विभाग में, माही के विभाग में और कलेक्टर का विभाग है उसमें कितनी सृजित हुई? आपने शिक्षा विभाग में बताया कि 530 सृजित हुई हैं, उसमें अनुसूचित जाति के जो आंकड़े बताये गये हैं 235 वह बिलकुल गलत है। वह अनुसूचित जनजाति के आंकड़े हैं तो सरकार ने जो जवाब दिया वह बिलकुल गलत है। अनुसूचित जाति के पद गलत क्यों बताये गये? शिक्षा विभाग और कलेक्टर के दफ्तर में और माही प्रोजेक्ट में जो पद बताये हैं वह कितने पद सृजित किये गये हैं और कितने अनुसूचित जनजाति से भरे गये हैं?

श्री कैलाश मेघवाल: माननीय अध्यक्ष, जिलाधीश कार्यालय, राजस्व, बांसवाड़ा में 7 पद सृजित हुए थे जिनमें से 3 नये सृजित पदों की एस. टी. एस. सी. के लोगों से पूर्ति की गई, जो कि 43 प्रतिशत होता है। अभी वहां पर 3 पद रिक्त हैं और तीनों ही आरक्षण के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं।

माही प्रोजेक्ट का जहां तक सवाल है और जिला शिक्षाधिकारी, बांसवाड़ा का भी आपने पूछा है · · ·

श्री मूलचन्द सामरिया: माही का बतायें।

श्री नाथूराम : तीनों का पूछा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तैयारी करके आना चाहिए।

श्री कैलाश मेघवाल : तैयारी है। शिक्षा विभाग में 503 पद सृजित हुए थे जिनमें से 235 अनुसूचित जाति के व 59 पद अनुसूचित जनजाति से भरे गये हैं, जो कि 56 प्रतिशत होता है। माही योजना का जो है तो माही परियोजना में 322 अभियन्ता के पद सृजित हुए हैं और 30 निरीक्षक के, कुल संख्या 352 हुई जिनमें से 61 अनुसूचित जाति के और 67 अनुसूचित जनजाति के लिये गये जो कुल 121 व्यक्ति होते हैं, जो कि 35 पर्सेन्ट होता है। अभी जो खाली हैं उनमें से 56 अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं और 10 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं, जो भरने हैं। इस तरह से जो नयी नियुक्तियां की गई हैं...

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, यह 5 साल के आंकड़े बता रहे हैं। आपने इरिगेशन में बताये हैं 233 अनुसूचित जाति के वह बिलकुल गलत हैं। चतुर्थ श्रेणी में 67 अनुसूचित जाति के व 9 अनुसूचित जनजाति के हैं। स्पष्ट बतायें कि कौनसा आंकड़ा सही है। माही का आपने बताया वह चतुर्थ श्रेणी में लगाये जाते हैं। बाकी जो बड़े-बड़े पद हैं और जो आदिवासी और हरिजनों के लड़के बी. ए., एम. ए. बेरोजगार हैं उनको स्टाईपेंड भी मन्जूर नहीं हुआ है। आपके द्वारा मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने यह जो पद बताये हैं उनकी 5 साल में पूर्ति क्यों नहीं हुई ?

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहता हूं, उन्होंने उत्तर में कुछ कहा है कि आदिवासियों को आबादी के अनुपात में आरक्षण हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आदिवासियों का राजस्थान की आबादी में प्रतिशत क्या है, और उसका आरक्षण कितने प्रतिशत है ? आपने जो यह सूची दी है उसमें जिलाधीश कार्यालय, बांसवाड़ा के अन्दर, भू-अभिलेख के अन्दर 61 पद हैं जो 5 साल में सृजित हुए हैं उनमें से एक भी आदिवासियों को नहीं दिया गया है तो किस प्रतिशत के हिसाब से इन पदों के भरने की योजना है ? माही के अन्दर 322 पदों में से कुल 60 आदिवासी काम कर रहे हैं और आपने बताया कि 35 प्रतिशत हैं तो क्या बांसवाड़ा की आबादी के अनुपात में जो कि 95 प्रतिशत आदिवासियों की आबादी है, क्या यह न्यायसंगत है ?

दूसरे शिक्षा के अन्दर 530 पद में से 355 भरे गये हैं और यह प्रतिशत बनता है 55 पर्सेन्ट, तो मैं पूछना चाहता हूं, कि आबादी के अनुपात से बांसवाड़ा–डूंगरपुर के परिपेक्ष्य में इन पदों का कितना प्रतिशत आदिवासियों का होना चाहिए ?

श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो रिक्त स्थान बताये हैं वह अब तक क्यों रिक्त रखे गये हैं ? क्या उनको भरने के लिए उपयुक्त आदमी नहीं मिला ? अगर वह अब भी रिक्त हैं तो उनकी पूर्ति कब तक की जायगी ? बिना किसी रिकमण्डेशन के शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की नियुक्ति कब तक कर दी जायगी ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बागीदोरा से आने वाले माननीय विधायक ने जो आंकड़े गलत और सही होने का विवाद उठाया है उस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूची मेरे पास है वह सत्य है। जो अनुसूचित जाति के अनुसूचित जन जाति में लिख दिये हैं और अनुसूचित जन जाति के अनुसूचित जाति में लिख दिये हैं तो इस मामले में जानकारी कर के सही स्थिति से अवगत करा दूंगा।

भीलवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने जो मुद्दा उठाया है तो राजस्थान में 31–36 लाख शिड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों की आबादी है। इसके आधार पर यह अनुपात 12–12 प्रतिशत बनता है। इसी आधार पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में 12 प्रतिशत स्थान आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं और नौकरियों में भी 12 प्रतिशत स्थान आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। दूसरा पूरक प्रश्न उन्होंने उठाया है, जिले को इकाई मान कर कहीं पर प्रतिशत के आधार पर आरक्षण नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष, वर्तमान नियमों में जो व्यवस्था है वह व्यवस्था सारे राजस्थान को इकाई मान कर और राजस्थान की जनसंख्या के आधार पर 12 प्रतिशत है। इसलिए जिस जिले में कोई अगर स्थान खाली होते हैं, यह सत्य है बांसवाड़ा-डूंगरपुर में आदिवासियों का बाहुल्य है, वहां पर स्थान खाली होते हैं तो आरक्षण का अनुपात राजस्थान को एक इकाई के रूप में लेकर 12 और 16 पर्सेन्ट ही रख दिया है। यह स्थिति है।

इसी प्रकार से माननीय पंचेरवाल ने एक सवाल पूछा है। इसके बारे में जानकारी कर के उनको जानकारी दे दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण का पालन नहीं हुआ है।

श्री मूलचन्द सामरिया : डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कितने प्रतिशत आई. ए. एस., आई. पी. एस. और आर. ए. एस. हैं।

श्री अध्यक्ष : शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट पर बहस के समय यह प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : मन्त्री महोदय जवाब दें।

एक माननीय सदस्य : यह तो नहीं दे सकते हैं।

श्री नाथूराम : इसकी जांच कराई जाये। आरक्षण का पालन नहीं हुआ है। उसका पालन कराया जाये।

श्री कैलाश मेघवाल : किसी विशेष केस में आप कहते हैं तो आप मिल लें। वह देख लिया जाएगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील किशनगंज के ग्रामों का विद्युतीकरण

991. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील किशनगंज में इस वर्ष कितने ग्रामों में विद्युत पहुंच जायेगी ? इस

(श्रीमती नारंगी देवी)
तहसील में विद्युतीकरण हेतु कितनी धनराशि इस वर्ष व्यय की जायेगी ?

(2) आगामी तीन वर्षों में इस तहसील के कितने ग्राम विद्युतीकरण से लाभान्वित हो सकेंगे ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1978–79 में तहसील किशनगंज का केवल एक गांव जलवाड़ा विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत था जिसका विद्युतीकरण कर दिया गया है। इसके लिये 1.72 लाख रुपये की धनराशि के व्यय का अनुमान था।

(2) अब तीन वर्ष के काल में आर. ई. सी. के समक्ष विचाराधीन योजना के अन्तर्गत इस तहसील के 130 गांव विद्युतीकरण के लिये प्रस्तावित हैं।

मात्रि कुंडिया मेजा फीडर बांध

992. श्री मांगीलाल (जायल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मात्रि कुण्डिया मेजा फीडर बांध से नहर मेजा फीडर भीलवाड़ा को जा रही है उसके रास्ते में जो तालाब पड़ते हैं उन्हें इस नहर से पानी दिया जायेगा या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक ?

(2) मेजा फीडर से गंगरार क्षेत्र की पिलाई को पानी दिया जायेगा या नहीं ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं जन-जाति क्षेत्र में वर्णित है ?

उत्तर

(1) मेजा फीडर से उसके रास्ते में जो तालाब पड़ते हैं, उनको पानी देने का प्रावधान नहीं है। स्वीकृत स्कीम के अनुसार मात्रि कुण्डिया डेम में पानी का स्टोरेज सीमित ही था जिससे मेजा फीडर को केवल वर्षा ऋतु में चलाकर मेजा बांध में पानी की कमी को पूरा करना ही सम्भव है।

(2) मेजा फीडर से गंगरार क्षेत्र को भी पिलाई का पानी देने का कोई प्रावधान नहीं है। गंगरार गांव बनास नदी के दायीं ओर है, जबकि मेजा फीडर नदी के बाईं ओर है। गंगरार क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र में वर्णित है या नहीं, इसका विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना

993. श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान विद्युत् मंडल ने राज्य के प्रत्येक ग्राम का विद्युतीकरण करने का निर्णय लिया है अथवा इस सम्बन्ध में विद्युत् मंडल अथवा राज्य सरकार निर्णय लेने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार कितने वर्षों के अन्दर-अन्दर राज्य के प्रत्येक ग्राम का विद्युतीकरण करवा देगी ?

(2) इस वर्ष कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां शत प्रतिशत ग्रामों को विद्युतीकरण करने की स्वीकृति हो चुकी है ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राजस्थान एक विशाल

(विद्युत् मंत्री)

प्रदेश है जिसके प्रत्येक गांव के विद्युतीकरण के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। अतः अभी यह कहना संभव नहीं है कि राज्य के प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण कब तक हो जावेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 1978-79 में निम्न आठ पंचायत समिति क्षेत्रों के शत-प्रतिशत ग्रामों के विद्युतीकरण करने की योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं :—

1. पंचायत समिति, बारां (जिला कोटा)

2. पंचायत समिति, नैनवां (जिला बून्दी)

3. पंचायत समिति, माण्डल (जिला भीलवाड़ा)

4. पंचायत समिति सूरजगढ़ (जिला झुन्झुनू)

5. पंचायत समिति नीमका थाना (जिला सीकर)

6. पंचायत समिति लूणकरणसर (जिला बीकानेर)

7. पंचायत समिति बोंली (जिला सवाई माधोपुर)

8. पंचायत समिति किशनगढ़ (जिला अलवर)

डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम के तहत सिंचाई योजना

994. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अकाल संभावित क्षेत्र के लिए डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत प्रोग्राम तय किया जाता है तथा सिंचाई योजनाओं को भी इसी प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वीकृति दी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इन योजनाओं को स्वीकृत करते समय बी. सी. रेशो को ध्यान में रखा जाता है ? यदि हां, तो अन्य सामान्य क्षेत्र के लिए क्या रखा है तथा डी. पी.ए.पी. जिलों के लिए क्या रखा गया है ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसी बहुत सी सिंचाई की स्कीमें हैं जिसका बी. पी. रेशो निकालना कठिन है, क्योंकि उनसे डाइरेक्ट बेनिफिट न निकल कर इनडाइरेक्ट होता है? यदि हां, तो इस तरह की कौन कौन सा स्कीमें हैं ?

(4) क्या सरकार डी.डी.ए. को ऐसी गाइड लाइन्स भेजने का विचार रखती है ताकि इस वर्ष अकालग्रस्त क्षेत्र एवं संभावित क्षेत्रों में कार्य किए जा सकें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। डी.पी.ए.पी. पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले कार्यों का बी. सी. रेशो 1:1 तक होना आवश्यक है तथा सामान्य क्षेत्रों के लिए 1.5:1 होना आवश्यक है।

(3) जी हां। केवल एनीकट्स की स्कीमें ही होती हैं कि जिनका बी. सी. रेशो निकालना सम्भव नहीं है, क्योंकि इनसे इनडाइरेक्ट बेनिफिट होता है।

(सिंचाई मंत्री)

(4) अकालग्रस्त क्षेत्र एवं सम्भावित क्षेत्रों में कार्यों के लिए गाइड लाइन्स पहले से ही तय की हुई हैं। गाइड लाइन्स में से होकर भारत सरकार की अनुमति से ही किया जा सकता है।

इलेक्ट्रिकल इन्सपैक्टर का कार्य

995. श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इलेक्ट्रीकल इन्सपेक्टर का क्या कार्य होता है और राजस्थान सरकार इस इस कार्यालय से क्या काम लेती है ?

(2) सन् 1978 से 1979 तक की इस कार्यालय की प्रगति की पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और वर्षवार यह बतायें कि कितने उपभोक्ताओं को इस कार्यालय द्वारा शुल्क जमा कराने हेतु नोटिस दिये गये तथा कितने उपभोक्ताओं की बिजली फिटिंग का निरीक्षण किया गया ? साथ ही, जिलास्तर पर इस कार्यालय की स्टाफिंग पेटर्न क्या है और प्रत्येक जिले पर इस कार्यालय के लिए कितना कितना खर्चा किया जाता है ?

उत्तर

(1) प्रत्येक राज्य के विद्युत् निरीक्षक को भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 व उसके अधीन बने भारतीय विद्युत् नियम, 1956 के अन्तर्गत मुख्यतया विद्युत् संस्थापनों का वैधानिक निरीक्षण, विद्युत् उपभोक्ताओं एवं सप्लायर के बीच एक्ट के तहत विवाद, विद्युत् से घातक-अघातक दुर्घटनाओं की जांच, क्वासी ज्युडिशियल, (Quasi Judicial) कार्य, इत्यादि तथा उपरोक्त एक्ट तथा रूल्स की निम्न धाराओं के तहत कार्य करना होता है:—

भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910

धारा :—21/4/24/21, 26/8/26/6, 26/7/, 30,33/2/36,36 (2) 50, 55 शिड्युल के क्लाज vi (1), vi (3), xiii, xv, xvi /5/, xviii

भारतीय विद्युत् नियम, 1956

नियम:—5 (1) 6/4/7/2,8,9,10,34,35,44/2,45,46/2/ब/47/1/, 49/1/,49/2/ब/51/3/,52,53/2/, 59 (3)59/4/, 63, 64,65,67,71/एम/72,73,81,82,87,91,93,134,137,141

अन्य कार्य

1. राजस्थान सिनेमाओं के वार्षिक निरीक्षण राजस्थान सिनेमा नियम, 1959 के अन्तर्गत।
2. सिनेमा ओपरेटरों की परीक्षा लेकर उपरोक्त नियमों में परमिट जारी करना।

(विद्युत मंत्री)

3. विद्युत् व माइन्स सुपरवाइजर व वायरमेनों की वार्षिक परीक्षा लेना तथा सर्टिफिकेट व परमिट, पास व्यक्तियों के जारी करना।
4. विद्युत् ठेकेदारों को लाइसेन्स स्वीकृत करना।
5. विद्युत् ठेकेदारों, सुपरवाइजरों व वायरमेनों के लाइसेन्स, सर्टिफिकेट व परमिट नवीनीकरण करना।
6. तकनीकी समिति जिसके माध्यम से लाइसेन्स इत्यादि का कार्य होता है, के अध्यक्ष का कार्य।

(2) वर्ष 1970 से 1978 तक विद्युत् संस्थापनों के निरीक्षण किये गये जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:--

वर्ष 1	नोटिस जारी किये गये 2	निरीक्षण किये 3
1970	60742	33847
1971	105432	35650
1972	119048	41419
1973	139569	43150
1974	143632	45467
1975	175360	58013
1976	193940	105340
1977	214122	125225
1978	235078	148140

जिला स्तर पर इस विभाग द्वारा कुछ जिलों में सहायक विद्युत् निरीक्षक के कार्यालय खोले हुए हैं। जिसका स्टाफ पेटर्न निम्न प्रकार है:--

अधीनस्थ कार्यालय निम्न हैं:--

उप-विद्युत निरीक्षक, कोटा, सहायक विद्युत् निरीक्षक, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर, सांगानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, भीलवाड़ा।

स्टाफ पेटर्न

सहायक विद्युत् निरीक्षक	एक
निरीक्षण सहायक	2 से 6 तक निरीक्षण कार्य देखते हुए।
वरिष्ठ लिपिक	एक
कनिष्ठ लिपिक	3 से 4
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/हैल्पर	3 से 4

वर्षवार खर्चा का विवरण

सहायक विद्युत निरीक्षक	71–72 रुपये	7?–73 रुपये	73–74 रुपये	74–75 रुपये	75–76 रुपये	76–77 रुपये	77–78 रुपये
उदयपुर	52648	55467	55467	67100	87876	101981	104903
कोटा	47355	47443	54954	66190	77290	130904	133249
जोधपुर	42445	46040	50016	69930	77145	113665	126456
जयपुर	67205	47602	71665	89900	139182	89865	91359
बीकानेर	69950	65022	73050	89955	96790	109916	115815
भरतपुर	29449	49532	49733	51047	82116	100556	129963
अजमेर	56706	56370	60947	68345	89210	85663	79487
भीलवाड़ा	–	–	–	–	–	48414	82671
सांगानेर	–	–	–	–	–	69630	105900
सीकर	–	–	–	–	–	57745	81458
उप–विद्युत् निरीक्षक, कोटा	–	–	–	–	–	–	27303
	365748	367476	415832	502467	649609	916339	1078564

राज्य के प्रत्येक ग्राम में बिजली पहुंचाने पर होने वाला खर्च

996. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क जयपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने के लिये कितनी लम्बी विद्युत लाइन और लगानी होगी और उसके लिये कितनी धन राशि की आवश्यकता होगी और कितनी अधिक विद्युत उत्पादन की आवश्यकता होगी ?

(2) राजस्थान के प्रत्येक गांव तक बिजली कब तक पहुंचाई जा सकेगी ?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार राजस्थान के शत प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण के लिये लगभग 10,584 सर्किट किलोमीटर उच्च प्रसारण तथा 1,12,316 सर्किट किलोमीटर 11 के. वी. की लाइनें खेंचनी पड़ेंगी तथा 2905 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की आवश्यकता होगी। इस सब के लिये अनुमानतः 2665 करोड़ रुपये की लागत आंकी गई थी।

(2) वित्तीय साधनों की अनिश्चितता के कारण इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

विराटनगर मेट की निलम्बन काल की अवधि की बकाया राशि

997. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या दिनांक 26-2-74 को एक झूठी शिकायत के आधार पर श्री सुरेश बिहारी मेट, विराटनगर, जिला जयपुर को निलम्बित किया गया था ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या एक मेट जो वर्क चार्ज होता है, उसको नियमानुसार निलम्बित नहीं किया जा सकता ? अगर हां, तो श्री सुरेश बिहारी, मेट को निलम्बित कानून के विरुद्ध क्यों किया गया एवं उसको निलम्बित कितने समय तक रखा गया ?

(3) क्या उक्त मेट को अब बहाल कर पुनः कार्य पर ले लिया गया है ? अगर हां, तो उसको कब बहाल कर काम पर लिया गया ?

(4) क्या उक्त मेट के अलावा अन्य आफिसर्स भी उक्त शिकायत के अनुसार दोषी थे ? अगर हां, तो कौन-कौन एवं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर उनको दण्ड क्यों नहीं दिया गया एवं सिर्फ एक गरीब मेट के विरुद्ध ही ऐसी सख्त कार्यवाही क्यों की गई जो बाद में झूठी पाई गई ? उक्त मामले में क्या सरकार अन्य दोषी आफिसर्स के खिलाफ अब कानूनी कार्यवाही कर दण्ड देना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त मेट के निलम्बन काल की अवधि की मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कितना भुगतान कब किया गया ?

(6) शेष मजदूरी, निलम्बन काल की अवधि का भुगतान अब सरकार कब तक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
करवा देगी ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

(7) उक्त मेट का गलत निलम्बन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कब तक क्या कार्यवाही करना उचित समझेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि श्री सुरेश बिहारी मेट को दि. 26-2-74 को भामोद कौंसिल बांध (जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत किया गया था) में भारी अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर निलम्बित किया गया था, चूंकि अभी इस प्रकरण में पूर्ण जांच नहीं हुई है। अतः यह कहना कि इन्हें झूंठी शिकायत के आधार पर निलम्बित किया गया था उचित नहीं है।

(2) वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमानुसार निलम्बित किया जा सकता है और इस प्रकार श्री सुरेश बिहारी मेट को दि. 26-2-74 से 12-5-76 तक निलम्बित रखा गया।

(3) श्री सुरेश बिहारी मेट को दि. 12-5-76 को बहाल कर वापस कार्य पर ले लिया गया है।

(4) अभी इस प्रकरण में पूर्ण जांच बाकी है जो कार्मिक विभाग द्वारा की जानी है। जांच के परिणामस्वरूप जो भी अधिकारी दोषी पाया जावेगा उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। इस सम्बन्ध में यह भी लेख है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जांच कर यह राय दी है कि रिकार्ड आदि के आधार पर ऐसे प्रमाणित तथ्य नहीं है कि जिस पर अपराधी घोषित कर कर्मचारियों का चालान किया जा सके। अतः उन्होंने मामला विभागीय जांच के लिये प्रेषित किया है। विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से रिकार्ड प्राप्त न होने के कारण जांच अवरुद्ध है। चूंकि उक्त विभाग के अनुसार जांच कार्मिक विभाग द्वारा की जानी है।

(5) जी हां।

यह सही है कि निलम्बित काल की अवधि का भुगतान नहीं किया गया है। जिसका कारण प्रकरण में जांच कार्य पूर्ण नहीं होना है।

(6) निलम्बन काल का भुगतान कार्मिक विभाग एवं भ्रष्टाचार विभाग की राय प्राप्त कर उसके अनुसार तत्काल कर दिया जावेगा।

(7) यदि इस प्रकरण की जांच में यह पाया गया कि श्री सुरेश बिहारी को अनुचित एवं अवैधानिक रूप से निलम्बन किया गया था तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

चूरू जिले में सिंचाई साधनों का विकास

998. श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने गत दो वर्षों में चूरू जिले में सिंचाई साधनों के विकास के लिए किसी प्रकार के प्रयत्न किए हैं ? यदि हां, तो उन प्रयत्नों का क्या परिणाम आया और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री हजारीमल सारण)

(2) जून, 77 में जिले की सिंचित भूमि की प्रतिशत क्या थी तथा दिसम्बर, 78 में वह प्रतिशत बढ़कर कितनी हो गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जिले में सिंचाई साधनों के विस्तार एवं नए साधन जुटाने की राज्य सरकार की भावी योजना क्या है और वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

चूरू जिले में सिंचाई हेतु दो योजनायें प्रस्तावित हैं–सिद्ध मुख सिंचाई परियोजना एवं चूरू झुन्झुनू लिफ्ट सिंचाई परियोजना। सिद्ध मुख परियोजना का आकलन केन्द्रीय सरकार के योजना आयोग व जल आयोग को वर्ष 1979 में उनकी स्वीकृति हेतु भेजा हुआ है। इस योजना की अनुमानित लागत 2305 लाख है व 47,530 हैक्टेर में सिंचाई प्रस्तावित है। चूरू व झुन्झुनू लिफ्ट योजना हेतु हरियाणा में यमुना नदी पर स्थित ताजेवाला बैराज से पानी लेने का प्रस्ताव है। यह परियोजना तब ही क्रियान्वित हो सकेगी जब केन्द्रीय सरकार यमुना नदी के पानी को हरियाणा, उत्तरप्रदेश व राजस्थान में विभाजन के बारे में निर्णय ले लें।

(2) चूरू जिले में कोई नदी न होने के कारण सतही पानी (Surface Water) से कोई सिंचाई नहीं होती।

(3) इसका उत्तर भाग एक के उत्तर में वर्णित है।

जोधपुर व पाली के सिंचाई बांध

999. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोधपुर व पाली जिले में सिंचाई के कितने बांध कहां-कहां पर स्थित हैं तथा प्रत्येक से पिछले पांच वर्षों में कितनी-कितनी भूमि सिंचित की गई तथा प्रत्येक बांध के नीचे नहरों की लम्बाई अलग-अलग साइज की पक्की एवं कच्ची कितनी-कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक बांध की नहरों को (1) पक्का करने (2), मरम्मत करने, (3) सफाई एवं रख-रखाव पर कितना-कितना खर्च हुआ तथा कार्य विभाग द्वारा किया गया अथवा ठेकेदारों द्वारा ? यदि ठेकेदारों से करवाया गया तो उनके नाम, पता, ठेके की राशि तथा कार्यकाल की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त ठेके का टेण्डर कब मांगा गया तथा किस तारीख को फाइनल किया गया ? किस तारीख से काम शुरू हुआ, किन-किन अधिकारियों द्वारा किस-किस तारीख को कार्य सम्पन्न का सर्टिफिकेट दिया तथा किस-किस बांध में किस-किस तारीख से पिलाई के लिये पानी छोड़ा गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में 21 बांध हैं व पाली जिले में 58 बांध हैं। सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(सिचाई मंत्री)

(3) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

एल. फार्म के अनुसार विद्युत् फिटिंग न होने पर की गई कार्यवाही

1000. **श्री राम किशोर मीणा** (सिकराय): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एल. फार्म के अनुसार फिटिंग न पाये जाने पर विद्युत् मण्डल द्वारा की गई कितनी शिकायतें विद्युत् निरीक्षक कार्यालय को प्राप्त हुई? 1 अप्रेल, 1975 से 31 दिसम्बर, 1978 तक की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन शिकायतों पर संबंधित कितने विद्युत् ठेकेदारों पर विद्युत् निरीक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत् मण्डल द्वारा की गई शिकायतों पर विद्युत् निरीक्षक ने फरवरी, 1978 में ग्राम मूंडेता तहसील आमेर में कुओं की पूरी फिटिंग न होने पर सम्बन्धित विद्युत् ठेकेदारों के लाइसेन्स निरस्त कर दिए है?

(4) क्या ऐसा प्रकरण पहले भी अन्य किसी विद्युत् ठेकेदार पर किया गया? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो इन्हीं ठेकेदारों के लाइसेन्स निरस्त क्यों किए?

(5) क्या यह सही है कि विद्युत् फिटिंग पूरी न होने पर तथा विद्युत् मण्डल से शिकायत आने पर विद्युत् ठेकेदारों को लाइसेन्स तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? यदि हां, तो क्या पहले भी ऐसा होता आया है? ऐसे कितने लाइसेन्सों के बाबत तकनीकी समिति ने अपना मत लाइसेन्स निरस्त करने के लिए सहमति दी है? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि तकनीकी समिति द्वारा लिए गये प्रत्येक निर्णय का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो क्या ग्राम मूंडेता तहसील आमेर में फरवरी, 1978 में कार्यरत विद्युत् ठेकेदारों के लाइसेन्स निरस्त संबंधित निर्णय को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित करवा लिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अप्रेल, 1975 से दिसम्बर, 1978 तक 54 शिकायतें प्राप्त हुई। सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त शिकायतें प्राप्त होने पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 3273, दिनांक 25-11-71 के अनुसार कार्यवाही करने को लिखा गया।

(3) जी हां, इस मामले में तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर विद्युत् ठेकेदार के लाइसेन्स निरस्त किये गये।

(4) यही एक मामला उप सचिव (सतर्कता) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल व अधीक्षण अभियन्ता, जे. पी. डी. सी.,

(विद्युत मंत्री)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के स्तर से गोपनीय शिकायत प्राप्त होने पर तकनीकी समिति के समक्ष रखा।

(5) जी नहीं, गम्भीर शिकायतें तकनीकी समिति के समक्ष पेश की जाती हैं और अन्य शिकायतें प्राप्त होने पर यूनिट अधिकारियों को इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 3273, दिनांक 25-11-71 के अनुसार कार्यवाही करने को लिखा जाता है। गम्भीर शिकायतों पर तकनीकी समिति द्वारा विद्युत ठेकेदारों के लाइसेन्स निरस्त किये गये, इनकी सूची संलग्न है।

(6) जी नहीं, नियमों के अनुसार तकनीकी समिति सक्षम है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

ग्राम पामेरा को कमाण्ड क्षेत्र से मुक्त करना

1001. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) – क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सिरोही जिले में रेवदर तहसील के गांव पामेरा में कुल कितनी जमीन टोकरा बांध से सिंचित होती है ?

(2) क्या पुश्तैनी गांव पामेरा का एक हिस्सा कमांड एरिया में घोषित किया है और इस कारण कोलोनाइजेशन की धारा 22 के तहत पुश्तैनी मकान भी हटाये जा रहे हैं ?

(3) इस जमीन पर जो सिंचित जमीन से एक सौ फीट ऊपर पहाड़ पर है और कभी भी सिंचित नहीं हो सकती है, तो इसे कमाण्ड में कैसे लिया गया है ? यदि यह कमांड क्षेत्र में नहीं है, तो क्या राज्य सरकार इसे कमाण्ड क्षेत्र से मुक्त करने की आज्ञा प्रसारित करेगी ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में रेवदर तहसील के गांव पामेरा में 2757 बीघा 14 बिस्वा भूमि टोकरा बांध से सिंचित होती है।

(2) जी नहीं। इस तहसील में पुश्तैनी नाम का कोई गांव या मकान नहीं है।

(3) पामेरा क्षेत्र का पूरा गांव ही उपनिवेशन क्षेत्र घोषित किया गया है। असिंचित क्षेत्र के लिये प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमीनुसार विचार किया जा सकता है।

चूरू तहसील के ग्रामों का बन्दोबस्त

1006. श्री मेघराज पंवार (चूरू)– क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या चूरू तहसील में बालरासर तंवरान और बालरासर-आथुना नाम के अलग अलग दो गांव हैं ? यदि हां, तो इन दो गांव में कितने किलोमीटर की दूरी है ?

(2) पुराने बन्दोबस्त में बने असेसमेंट सर्किल में ये गांव एक ही सर्किल में थे अथवा अलग-अलग सर्किल्स में थे ? अगर अलग-अलग सर्किल्स में थे तो किन-किन सर्किल्स में थे और इन गांवों में क्या-क्या लगान दर प्रति बीघा स्वीकृत होकर आगामी तरमीम बन्दोबस्त सम्वत् 2025 तक प्रचलित थी ?

(3) सम्वत् 2025 के तरमीम बन्दोबस्त में इन दोनों गांवों को किस-किस

(श्री मेघराज पंवार)

ग्रुप में रखा गया है और इन गांवों के लगान की दरों में किस कदर कमी अथवा वृद्धि की गई ? अलग-अलग से बतलाई जावे और कमी व वृद्धि के क्या कारण हैं ?

(4) सम्वत् 2025 के तरमीम बन्दोबस्त के समय सम्वत् 2002 के बन्दोबस्त में बने चूरू तहसील के पुराने तीन असेसमेंट सर्किल्स को तोड़ कर उनके एवज में ग्यारह ग्रुप ऑफ विलेजेज के बनाने में क्या कारण है और ग्रुप बनाते समय गांवों की संलग्नता तथा एकरूपता का ध्यान न रख कर 30 किलोमीटर तक की दूरी के गांवों को ए ग्रुप ऑफ विलेजेज में शामिल करना नियमों के तहत कहां तक सही और उचित है ?

(5) क्या यह सही है कि चूरू तहसील के गांवों में लगान निर्धारण करने में भूमि के उपजाऊपन साधनों की सुलभता तथा राजकीय नियमों में बताये गये अन्य मुद्दों को बलाये ताक में रख कर केवल गांव के काश्तकारों के पूर्व में खालसा और गैर खालसा के काश्तकार रहे होने को आधार बनाकर लगान निर्धारण सम्वत् 2025 के तरमीम बन्दोबस्त में किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां, इनकी आपस में दूरी करीब 26-27 किलोमीटर है।

(2) यह दोनों गांव अलग-अलग असेसमेंट सर्किल में थे। एक असेसमेंट सर्किल 1 में था एवं दूसरा असेसमेंट सर्किल 3 में था। दोनों सर्किलों के भूमि कर निम्न प्रकार थे:—

नाम असेसमेंट सर्किल	भूमि वर्गीकरणवार प्रति बीघा		भूमि दर
	पाला/मिल पाला/संजठ		
प्रथम सर्किल	0.50	0.47	0.16
तृतीय सर्किल	0.31	0.28	0.10

(3) सं. 2025 के तरमीम बन्दोबस्त में ग्राम बालरासर को ग्रुप सं. 3 में तथा बालरासर आथुना को ग्रुप सं. 9 में रखा गया है। ग्राम बालरासर अथुना के लगान में करीब 10 पैसे प्रति बीघा की कमी हुई है, ग्राम आथुना के लगान में करीब 50 पैसे प्रति बीघा की वृद्धि हुई है। यह कमी अथवा वृद्धि सेटिलमेंट के फलस्वरूप हुई है। इन दोनों ग्रामों की दरों में संशोधन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) सं. 2002 के बन्दोबस्त में असेसमेंट सर्किल में भी राज्य सरकार द्वारा एक ही सर्किल में पले हुये भिन्न गांवों के भिन्न-भिन्न विलेज को स्वीकृत की जाने के कारण सं. 2025 के बन्दोबस्त में करीब करीब एक सी विलेज रेट वाले गांवों में एक ग्रुप रखा गया और इस प्रकार 11 ग्रुप बने और इसी कारण एक ग्रुप में जो ग्राम रखा गया था संभावना के कारण न होकर एवं दरों की एक रूपता के अनुसार दूर होते हुए भी एक ही ग्रुप में रखा गया।

(5) जी नहीं।

राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961

1007. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने दिनांक 23-4-77 राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 की अनुसूची को संशोधित किया ? यदि हां, तो उक्त संशोधन में कौनसी जिन्स उक्त अनुसूची में नई सम्मिलित की गयी ? कृपया सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। अगर अनुसूची में नई जिन्स सम्मिलित नहीं की गई, तो कौन-कौन सी जिन्स अनुसूची में से हटाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रश्न के भाग (1) में हटाई गई जिन्स या जोड़ी गई जिन्स का प्रस्ताव विभाग ने किस आधार पर तैयार किया ?

(3) क्या यह सही है कि अनुसूची को संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को है ? यदि हां, तो प्रश्न के भाग 1 में हटाई गई या जोड़ी गई जिन्स का हर एक का औचित्य बताया जावे ?

(4) क्या सरकार उक्त अनुसूची को पुनः संशोधित कर उन सभी जिन्सों को सभी कृषि उपज मण्डियों के लिये लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि 23-4-77 को अनुसूची में संशोधन किये गये और नई जिन्सें सम्मिलित नहीं की गईं अपितु कुछ जिन्सें अनुसूची में से हटाई गईं। सूची संलग्न है।

(2) जिन्सों को हटाने का निर्णय भूतपूर्व सरकार द्वारा व्यापारी वर्ग के आग्रह के कारण किया गया।

(3) जी हां। हटाई गई जिन्सों का औचित्य इस प्रकार था :—

1. तेल व दालें :—चूंकि तिलहन तथा दालों वाली जिन्सों को सम्मिलित किया गया था अस्तु उनसे उत्पादित तेल व दालों को हटा दिया गया जिससे शुल्क एक बार ही देय रहे।

2. पशुपालन उत्पादन :—इनका नियमन व्यवहारिक नहीं पाया गया ?

3. मसाले :— – –

4. वन उपज :— – –

5. मेवा – –

6. विविध – –

(4) जी नहीं। अभी राज्य सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जिला कृषि अधिकारी, जोधपुर

1008. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में नियुक्त सहायक कृषि अधिकारियों की सूची निम्न तालिका बनाकर पेश करें :—

क्र.सं.	सहायक कृषि अधिकारी का नाम	जोधपुर में नियुक्त (पोस्टिंग की तारीख)
1	2	3

कृषि विभाग में नियुक्ति की तारीख	कृषि विभाग में सेवाकाल के दौरान जोधपुर कितने वर्षों तक रहे
4	5

(2) क्या यह सही है कि एक सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय समय में जोधपुर शहर के खाद, बीज व कीटनाशकों के विक्रेताओं की दुकानों पर बैठे रहते हैं तथा विक्रेताओं को रसायनिक खाद व कीटनाशक निर्धारित दर से अधिक दर पर बेचने के लिये दबाव डालते हैं ? यदि हां, तो उक्त सहायक कृषि अधिकारी का कार्यालय समय में दुकानों पर बैठे रहने का औचित्य क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि कई सहायक कृषि अधिकारी एक लम्बे अर्से से जोधपुर में नियुक्त हैं ? यदि हां, तो इनके स्थानान्तरण की क्या पालिसी है ?

उत्तर

(1) जिला कृषि अधिकारी, जोधपुर के कार्यालय में कार्यरत सहायक कृषि अधिकारियों की सूची वांछित, प्रपत्र में सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां, दुकानों पर नियन्त्रण हेतु वितरण के समय निगरानी रखने के आदेश हैं । खाद व दवाई अधिक दाम पर बेचने हेतु दबाव डालने का प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जिन सहायक कृषि अधिकारियों का कार्य सन्तोषजनक है तथा उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है उनका स्थानान्तरण करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

खेतड़ी पंचायत समिति में वन विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा रास्ता

1009. श्री मालाराम (खेतड़ी)—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

खेतड़ी पंचायत समिति में वन विभाग द्वारा कौन-कौन सा रास्ता तैयार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

खेतड़ी पंचायत समिति में वन विभाग द्वारा कोई रास्ता तैयार नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में अभी ऐसे रास्तों की आवश्यकता नहीं है।

मातर माता (सिरोही) वन बिहार

1010. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सिरोही में "मातर माता" वन बिहार के नाम से वन विभाग के अधीन वन भाग है ?

(श्री रघुनन्दन व्यास)

(2) क्या उसमें चन्दन, बिल्वपत्र, बांस, नारियल, आम, प्लास आदि के कुदरती पेड़ हैं जिसमें से कुछ काट लिये गये हैं ?

(3) क्या वहां एक पुरानी नर्सरी भी है जिस पर अब गैर कानूनी दूसरों का कब्जा है ? यदि हां, तो इस वन भू-खण्ड को पुनर्विकसित करने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इसकी जानकारी विभाग को नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक बंगला, पाली

1011. श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डाक बंगला पाली में कुल कितने कमरे हैं और उन कमरों में दिनांक 2-4-78, 5-4-78, 16-4-78 को किस-किस कमरे में कौन-कौन कितने-कितने समय के लिये ठहरे?

(2) डाक बंगला पाली से उक्त तिथियों को किस-किस ने कहां-कहां फोन किये और उसका चार्ज इन 3 दिनों का कुल कितना हुआ और उसका भुगतान कब-कब किसने दिया?

(3) श्री गोपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, पाली डाक बंगले के इन्चार्ज कब से हैं और इनके द्वारा पाली डाक बंगले में कितनी राशि का क्या-क्या सामान खरीदा जा चुका है ?

(4) दिनांक 2-4-78, दिनांक 5-4-78 16-4-78 को रु. 42.00 का फोन बिल श्री रतन लाल वर्मा, विधायक, भिनाय जिला अजमेर के नाम से राजस्थान विधान सभा में वसूली के लिए भेजने का क्या आधार है जब कि श्री रतनलाल, विधायक, पाली ही नहीं गये ? इन उपरोक्त तारीखों की रजिस्टर एन्ट्रीज की प्रमाणित प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या श्री गोपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ झूठा बिल भेजने के बारे में उन्हें निलम्बित करा कानूनी कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) डाक बंगला पाली में कुल 6 कमरे हैं। इन कमरों में 2-4-78, 5-4-78 व 16-4-78 को ठहरने वालों की सूची 'अ' संलग्न है।

(2) इस डाक बंगले में 2-4-78, 5-4-78 व 16-4-78 को किये गये ट्रंककालों की सूची संलग्न है। इन तीन दिनों में किये गये ट्रंक कालों का चार्ज रु. 50.00 है व इनका नकद भुगतान सहायक अभियन्ता, उप-खण्ड पाली द्वारा 16-4-78 को बिल सं. पी. डब्लू. आर. 6406, दिनांक 11-5-78 के तहत किया गया।

(3) श्री गोपाल सिंह अधिशासी अभियन्ता 15-4-78 से तैनात हैं। जो सामान डाक बंगले में खरीदा गया उसकी सूची 'ब' संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) फोन बिल 42.00 का श्री आर. एस. गोठवाल, अजमेर के नाम से है जिन्होंने 2-4-78 के आठ बजे रात्रि में निजी साधारण फोन नं. 20957 अजमेर श्रीमती भगवती देवी भूतपूर्व विधायिका के नाम से ट्रंककाल बुक करना रजिस्टर में दर्ज किया है। डाक बंगला फोन का बिल एटू. पी. डब्लू. आर./6406 दिनांक 11-5-78/ दिनांक 26-3-78 से 25-4-78 रु. 98-50प्राप्त होने पर प्रभारी डाक बंगला ने एम. एल. ए. आर. एस. गोठवाल के नाम 6+34+2=42-00 रु. वर्गीकृत कर रखे हैं तदनुसार भुगतान के उपरान्त यह रकम श्री आर. एस. गोठवाल के नाम बाकी डाली गई। नियमानुसार उपलब्ध जानकारी अनुसार वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की गई। विधान सभा सचिवालय द्वारा सूचित किया गया कि आर. एस. गोठवाल अजमेर से एम. एल. ए. न होकर श्री रतनलाल जी वर्मा एम. एल. ए. हैं अतः बिल उनके नाम का भेज दिया गया है। रजिस्टरों की प्रतिलिपियां सूची 'ख' में संलग्न हैं।

(5) जी नहीं। श्री गोपाल सिंह अधिशासी अभियन्ता, ने राज्य सरकार के रिकार्ड में इन्द्राज के आधार पर बिल बनाकर प्रेषित किया है। जिसमें भूल सुधार संभव है। चूंकी ट्रंककाल करने वाले व्यक्ति आर. एस. गोठवाल ने अजमेर एम. एल. ए. हेतु फोन टेलिफोन रजिस्टर में अंकित किया पूछताछ के आधार पर बिल भेजकर भुगतान की मांग की गई। जब विधान सभा सचिवालय ने विधायक का नाम श्री रतन लाल वर्मा बतलाया तो उनको नाम का बिल प्रस्तावित किया गया, वास्तव में श्री आर. एस. गोठवाल कोई एम. एल. ए. है ही नहीं और श्री रतन लाल वर्मा ने टेलिफोन का उपयोग नहीं किया है। भुगतान मांग पत्र निरस्त कर दिया गया है चूंकि डाक बंगले के चौकीदार से यह भूल हुई है उसके लिये उससे ट्रंककाल के भुगतान की वसूली की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

ग्राम अलावास (सोजत) का पंचायत मुख्यालय

1013. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत):- क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि तहसील सोजत जिला पाली के ग्राम-अलावास, रेदड़ी, बासती मूथा, बासती तिलवाडियान का पंचायत मुख्यालय अलावास था? यदि हां, तो कब से कब तक? क्या अलावास इन गांवों के मध्य भी पड़ता है?

(2) क्या यह सही है कि इन गांवों में सबसे बड़ा गांव भी अलावास ही है? क्या यह भी सही है कि इसी कारण पटवारी का मुख्यालय भी अलावास है?

(3) क्या यह सही है कि कुछ अधिकारियों से मिलकर भूतपूर्व सरपंच ने बिना ग्राम सभा का आयोजन किये ही, आपातकाल के दौरान मुख्यालय को रेन्दडी लिखवाना शुरू कर दिया? क्या यह कदम गैर कानूनी नहीं था तथा क्या सरकार नई चुनिन्दा पंचायत की राय लेकर मुख्यालय तय करना उचित समझती है ताकि जनता में व्याप्त असन्तोष को खत्म किया जा सके?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 15-12-60 को ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था तब पाली जिले की पंचायत समिति सोजत क्षेत्र के चार ग्रामों क्रमशः अलावास, रेदड़ी, बासनी तलवाड़ियान एवं बासनी मूथा को मिलाकर एक ग्राम पंचायत अलावास स्थापित की गई थी। जो पुनर्सीमा निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 13-2-70 तक पंचायत का मुख्यालय अलावास में रखा गया। दि. 13-2-70 को पुनर्सीमा निर्धारण समिति की बैठक में जिलाधीश का प्रस्ताव ग्राम पंचायत अलावास का मुख्यालय रेदड़ी में रखने पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ग्राम रेदड़ी अन्य गांवों की अपेक्षा अलावास से अधिक नजदीक पड़ता है। अतः मुख्यालय परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में पंचायत का मुख्यालय ग्राम रेदडी में है।

(2) जी नहीं। अलावास ग्राम की जनसंख्या 715 है जब कि रेदडी ग्राम की जन संख्या 942 है। लेकिन पटवारी का मुख्यालय राजस्व विभाग द्वारा अलावास में रखा हुआ है।

(3) पुनर्सीमा निर्धारण समिति के निर्णयानुसार मुख्यालय रेदड़ी में परिवर्तित किया गया था। यह गैर कानूनी नहीं है। जहां तक पुनः मुख्यालय परिवर्तन का प्रश्न है इस संबंध में यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो पुनर्सीमा निर्धारण समिति द्वारा उस पर विचार किया जावेगा।

ग्राम पंचायत, सांचौर के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध चल रही जांच

1014. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सांचौर के भूतपूर्व सरपंच धर्माराम के विरुद्ध अनियमितताओं एवं अन्य गंभीर आरोपों के बारे में काफी अर्से से जांच पड़ताल चल रही है ? अगर हां, तो कब से एवं किन आरोपों के बारे में जांच चल रही है ? अब तक जांच पूरी क्यों नहीं की गई है ? तथा जांच कब तक पूरी कर ली जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत रानीवाड़ा कलां के भूतपूर्व सरपंच श्री लालचन्द के विरुद्ध भी कई गंभीर आरोपों के बारे में काफी अर्से से जांच चल रही है ? अगर हां, तो वह जांच कब तक पूरी कर ली जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि पहले भी विधान सभा में राज्य सरकार द्वारा उक्त भूतपूर्व सरपंचों के विरुद्ध आरोपों के बारे में शीघ्र जांच कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के राज्य सरकार ने आश्वासन दिये थे ? अगर हां, तो कब ? उक्त आश्वासनों के अनुसार अभी तक जांच पूरी क्यों नहीं की है ? अब सारी कार्यवाही कब तक पूरी की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) श्री धर्माराम भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत सांचौर के विरुद्ध श्री धेवरचन्द, चुन्नीलाल, कालूराम आदि ने भूमि विक्रय

(पंचायत मंत्री),

तथा अन्य अनियमितताओं की शिकायतें की थीं। जिसकी जांच जिलाधीश द्वारा पंचायत सहायक से करवा रिपोर्ट विभाग में दिनांक 28-4-67 द्वारा प्रेषित की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायतें तथ्यहीन होने से मामला राज्यादेश दिनांक 3-6-67 द्वारा समाप्त किया जा चुका है।

जिलाधीश ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में और शिकायतें उनके कार्यालय में प्राप्त होने पर वे इस मामले में जांच करवा आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार कर रहे हैं।

(2) ग्राम पंचायत रानीवाड़ा कलां के सरपंच श्री मूलसिंह व उप सरपंच श्री लालचन्द के विरुद्ध अनियमितताओं के विभिन्न आरोपों की जांच कराने पर उनके विरुद्ध आरोप साबित नहीं होने से मामला राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28-7-78 द्वारा समाप्त किया जा चुका है।

श्री लालचन्द भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रानीवाड़ा कलां के विरुद्ध अनुदान राशि से हैण्ड पम्प खरीद में अनियमितताओं के आरोपों की विस्तृत जांच उप जिला विकास अधिकारी से करवाई जा रही है। जांच शीघ्र ही पूर्ण करली जावेगी ऐसी सूचना जांच अधिकारी द्वारा दी गई है।

(3) जी हां। दिनांक 3-3-78 को आश्वासन दिया था। जांच शीघ्र ही पूर्ण करने हेतु जांच अधिकारी को लिखा जा चुका है तथा जांच अधिकारी ने बताया है कि जांच शीघ्र ही पूर्ण करली जावेगी।

ग्राम पंचायत खेराबाद में बाल उद्यान घोटाला

1016. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पंचायत समिति चेचट के ग्राम पंचायत खेराबाद में बालोद्यान का घोटाला पकड़ा गया था? यदि हां, तो कब और अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गई? क्या दोषी सरपंच के विरुद्ध अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों नहीं?

(2) पंचायत समिति लाड़पुरा की ग्राम पंचायत मादल्या के तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध अनियमितताएं, गबन के आरोप सिद्ध पाये गये थे और उसे निलम्बित भी कर दिया गया था? यदि हां, तो उसके बाद क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। मामला अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 6-1-79 को राज्य सरकार के ध्यान में आया तथा इस मामले में श्री मदन सिंह पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत खेराबाद के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है तथा पूर्व सरपंच को नोटिस दिया जाकर दिनांक 20-4-79 तक आरोपों का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(2) जी हां। पंचायतों के नव निर्वाचन हो जाने के पश्चात् पूर्व निलम्बित आदेश प्रभावहीन हो चुके हैं। अब इस सम्बन्ध में कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

राज्य की काम के बदले अनाज योजना

1017. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में काम के बदले अनाज की योजना कब से प्रारम्भ की गयी और इसके अन्तर्गत कितने कार्य शुरू किये गये व 31 जनवरी, 79 तक कितने कार्य सम्पूर्ण किये गये तथा इन कार्यों में जन-सहयोग कितना प्राप्त हुआ ?

(2) कार्य प्रारम्भ होने से 31 जनवरी, 79 तक इस योजना के अन्तर्गत कितना कार्य हुआ व कितना अनाज वितरण किया गया तथा 31–1–79 तक कितना अनाज का भुगतान करना शेष रह गया था ?

(3) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत चलने वाले कामों में लोगों को काम हो जाने के बावजूद भी पंचायतों को अनाज प्राप्त नहीं हुआ जिससे हजारों रुपये का भुगतान अनाज के रूप में नहीं हो सका है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के निर्देशन पर जिलाधीशों ने अग्रिम आदेशों तक इस योजना के अन्तर्गत कार्य शुरू नहीं करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) राजस्थान में इस योजना के अन्तर्गत कितने मजदूर कार्य पर लगे हुए हैं और आगे आने वाले दिनों में और कितने मजदूरों को लगाने का प्रोग्राम है और इन लोगों को जून, 1979 तक कार्य पर लगे रहने पर राज्य सरकार को कितना अनाज और देना पड़ेगा ? क्या राज्य सरकार इन कार्यों को, और पंचायतों की मांग के अनुसार कार्य को सम्पूर्ण कराने के लिये अनाज देने की क्षमता है ? अगर नहीं, तो क्यों ? केन्द्र सरकार की इन सम्पूर्ण कार्यों को पूरा करने से और कितना सहयोग प्रदान करने की योजना है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में यह योजना जनवरी, 1978 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा अनुमानतः 55149 कार्य हाथ में लिये गये हैं। जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31-1-79 तक लगभग 11252 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इन कार्यों में कितना धन सहयोग प्राप्त हुआ इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है।

(2) 31 जनवरी, 79 तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 11252 कार्य पंचायतों द्वारा पूर्ण किये गये तथा 72241 मै. टन गेहूं का वितरण किया गया था। शेष भुगतान की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) पंचायतों द्वारा बड़े पैमाने पर कार्य प्रारम्भ किये गये जिससे गेहूं की मांग बढ़ गई। जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में गेहूं की कोई कमी नहीं है।

(4) जी हां।

भारत सरकार से प्राप्त होने वाले खाद्यान की मात्रा सुनिश्चित न होने के कारण ऐसे आदेश दिये गये हैं, किन्तु ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों जिनकी प्रावधिक/अन्तरिम मंजूरी दे दी गई है को आरम्भ किया जा सकता है। चालू कार्य को पूर्ण करने को

(५५)

(पंचायत मंत्री)

प्राथमिकता देने के लिये भी आदेश दिये गये हैं।

(5) वर्ष 1978–79 की अवधि में अब तक अनुमानतः 446.97 लाख रोजगार दिवस उपलब्ध करवाये गये हैं।

काम के बदले अनाज योजना एक केन्द्रीय योजना है। वर्ष 1979–80 हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाले गेहूं की मात्रा सुनिश्चित होने पर ही आगामी वर्ष की योजना बनाई जावेगी। किन्तु माह जून, 79 तक कार्यरत मजदूरों को काम पर बनाये रखने के लिये पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध होगी ऐसी हमारी मान्यता है।

तहसील हिण्डौन की सड़कें

1018. श्री उमरावसिंह गूजर (महुवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) हिण्डौन-खरेटा रोड को निर्माण किये जाने के वास्ते प्लान में कितना पैसा रखा गया था, यह रोड अधूरी क्यों पड़ी है ? क्या यह सही है कि यह रोड बीच में 5 किलोमीटर बन पाई है और हिंण्डौन से दो किलोमीटर तथा खरेटा की ओर भी दो किलोमीटर काम नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त रोड के लिये धनराशि कहां से मिली थी ? क्या पैसा समाप्त हो चुका है ? क्या ग्रामीणों की कठिनाइयों को देखते हुए इसे शीघ्र पूरा करायेंगे ?

(3) हिण्डौन से करौली तक सड़क को क्या सरकार राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने जा रही है या केवल चौड़ी ही किये जाने का विचार है ? यह वाइडनिंग का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? इसके वास्ते कितने धन का प्रावधान रखा गया है ?

उत्तर

(1) हिण्डौन-खरेटा सड़क का निर्माण करने के वास्ते खनिज के मद से प्लान में 5.57 लाख रु. स्वीकृत किये गये थे, धनाभाव के कारण सड़क अधूरी पड़ी है। यह सही है कि यह रोड बीच में 5.5 कि.मी. मेटल्ड हो बन पाई है तथा सरफेस पेन्टिग का कार्य प्रगति पर है। हिण्डौन से 2.5 कि.मी. तथा खरेटा से दो कि.मी. काम धनाभाव के कारण नहीं हुआ है।

(2) उक्त रोड के लिये धनराशि 528 खनन एवं चालू कार्मिक उद्योगों पर पूंजी की लागत (ख) झामर कोटरा राक फास्फेट स्कीम (11) उपागमन सड़क (आयोजना व्यय) के मद से मिली थी। 5.5 कि.मी. सड़क निर्माणाधीन है एवं उपलब्ध राशि 5.57 लाख रुपये चालू वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जायेगी। यह सड़क खानों को एप्रोच के अन्तर्गत बनाई जा रही है। अतः प्राथमिकता खनिज विभाग द्वारा दिया जाता है।

(3) जी नहीं, हिण्डौन से करौली सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने का कोई विचार नहीं है। इस सड़क को चौड़ी किये जाने हेतु प्रस्ताव वर्तमान पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-3-79)

तिजारा सब-डिवीजन के एस. डी. एम., ए. सी. एम., और डी. वाई. एस. पी. के मुख्यालय

158. श्री अयूब खां (तिजारा): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तिजारा सब-डिवीजन का एस. डी. एम., ए. सी. एम. और डी. वाई. एस. पी. का मुख्यालय व आवास किशनगढ़ बास में है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त अधिकारियों के मुख्यालय तिजारा स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उप-खण्ड में दो तहसीलें और तीन उप तहसीलें क्रमशः तिजारा, किशनगढ़ बास, मुण्डावर, टपूकड़ा एवं कोटकासम है, और भौगोलिक दृष्टि से किशनगढ़ बास इन सबके मध्य केन्द्र में स्थित है जिससे जनता एवं प्रशासन दोनों को सुविधा रहती है।

(2) फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-3-79)

ग्रुप सचिव के पदों पर पुराने सचिवों की नियुक्ति

175. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत में पुराने सचिवों को एक वर्ष पहले ग्रुप सचिवों के पद पर नियुक्त किया था? यदि हां, तो उनकी योग्यता क्या है? उनको मासिक वेतन कितना दिया जाता है?

(2) एक ग्रुप सचिव को कितनी-कितनी पंचायतें देखनी पड़ती हैं तथा पंचायत समिति रोहट में कुल कितने ग्रुप सचिव हैं, तथा कौन-कौन सी पंचायतों के लिये कब-कब से कितनी-कितनी तनख्वाहों पर नियुक्त किये गये? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्रुप सचिव पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिडिल-उत्तीर्ण निर्धारित है। उनके लिए निम्न प्रकार वेतन निर्धारित किया हुआ है :—

मैट्रिक किन्तु अप्रशिक्षित ग्रुप सचिव 74/- रुपये फिक्स + महंगाई भत्ता।

नान-मैट्रिक अप्रशिक्षित ग्रुप सचिव 50/- रु. फिक्स + महंगाई भत्ता।

(2) एक ग्रुप सचिव को तीन पंचायतों का कार्य सौंप रखा है। ग्रुप सचिवों की कमी के कारण कहीं-कहीं अधिक पंचायतों का कार्य भी सौंप रखा है। पंचायत समिति रोहट में ग्रुप सचिवों के 5 पद स्वीकृत हैं। इनमें 3 ग्रुप सचिव कार्यरत हैं तथा 2 पद रिक्त हैं। कार्यरत ग्रुप सचिवों का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-3-79)

पाली जिले के सोजत नगर में लागू राजस्थान प्रेमीसेज एविक्शन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ रेंट आर्डिनेन्स, 1950

179. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रेमीसेज एविक्शन एण्ड कंट्रोल आफ रेंट आर्डिनेन्स, 1950 पाली जिले के सोजत नगर में लागू किया जा चुका था ? यदि हां, तो इस नोटीफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जारी की गई विज्ञप्ति रद्द कर दी गई है ? यदि हां, तो कब व क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों को सोजत नगर में लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सोजत नगर में इस अधिनियम के प्रावधान दिनांक 2-2-79 से लागू कर दिये गये हैं। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) भाग (1) में उत्तर दे दिया गया है।

(अधिसूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16-3-79)

राज्य की पंचायत समितियों के निलम्बित कर्मचारी

253. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में किस-किस पंचायत समिति में कौन-कौन सा कर्मचारी किस-किस आरोप में कब-कब से निलम्बित है तथा इस संबंध में राज्य सरकार के क्या आदेश हैं ? कर्मचारियों के नाम, पद व पते सहित जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नियमानुसार कर्मचारी कितने समय तक निलम्बित रह सकता है ? अधिक लम्बे समय तक निलम्बित रखने के कारण क्या हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस आशय के आदेश प्रसारित किये गये हैं कि जहां तक सम्भव हो किसी कर्मचारी को 6 माह से अधिक समय तक निलम्बित न रखा जावे। यदि किसी कर्मचारी को 6 माह से अधिक समय तक निलम्बित रखा जाना आवश्यक हो तो विभागाध्यक्ष/सचिव इस बाबत आवश्यक प्रमाण-पत्र देंगे कि उन्होंने मामले का गहराई से अध्ययन कर लिया है और कर्मचारी को निलम्बित रखा जाना आवश्यक है। प्रत्येक कर्मचारी को अधिक समय तक

(पंचायत मंत्री)

निलम्बित रखे जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूचना में अंकित कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-79)

जैतारण निर्वाचन क्षेत्र मे राजस्व अभियान

507. श्री शंकर लाल (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले के जैतारण निर्वाचन क्षेत्र के किन-किन गांवों में राजस्व अभियान के दौरान किन किन अन्त्योदय परिवारों को व किन-किन गैर अन्त्योदय व्यक्तियों को भूमि का आवंटन कितने-कितने बीघा व किस खसरा नं. की किन-किन तारीखों में किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किन व्यक्तियों को अभी तक आवंटित की गई भूमि का कब्जा नहीं मिल पाया है और कब्जा नहीं मिल पाने के क्या कारण रहे हैं? अब कब्जा कब तक दिला दिया जायगा?

(3) क्या इस बात की जांच की गई है कि जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई उन्होंने ही वास्तव में काश्त की है? यदि हां; तो जांच का क्या नतीजा रहा?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सभी आवंटियों को उन्हें आवंटित की गई भूमि का कब्जा दिलाया जा चुका है।

(3) प्रथम व द्वितीय अन्त्योदय चरण में कुल 124 व्यक्तियों को कृषि भूमि का आवंटन किया गया है, जिनमें से 86 परिवारों द्वारा खरीफ 1978 में उन्हें आवंटित भूमि में काश्त की गई है, शेष 38 परिवारों द्वारा अभी तक काश्त नहीं की गई है क्योंकि उनको भूमि माह दिसम्बर, 78 में आवंटित की गई थी। जिसके बाद खरीफ फसल बोने का समय ही नहीं आया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-79)

पिड़ावा तहसील में विचाराधीन मामले

513. श्री ईश्वर चन्द (पिड़ावा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पिड़ावा तहसील में धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कितने मामले विचाराधीन हैं? सम्पूर्ण तहसील का रकबा व ट्रेसपासर्स के नाम मय वल्दियत सहित ग्रामवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

पिड़ावा तहसील में धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत दि. 1-1-79 को 443 मामले विचाराधीन थे, इनमें से अब तक 403 मामलों का निपटारा किया जा

(48)

(राजस्व मंत्री)

चुका है। वर्तमान में केवल 40 मामले ही विचाराधीन हैं, जो तारीख पेशी में चल रहे हैं। विचाराधीन 40 मामलों में अतिक्रमित कुल क्षेत्रफल 297 बीघा 11 विस्वा है। अतिक्रमियों के नाम मय वल्दियत सहित ग्रामवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-79)

सोजत से बिलाड़ा सड़क

545. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सोजत से बिलाड़ा के बीच सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सड़क का निर्माण किया जा चुका है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क का प्लान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के पूर्व भूमि अवाप्ति के प्रयोजनार्थ बनाया था ? यदि हां, तो कहां-कहां पर उक्त प्लान के अलावा सड़क का निर्माण किया और क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि विभागीय लेतलाली से उक्त सड़क सीमा में जगह-जगह लाइम स्टोन माइन वेस्ट के डम्प लगा दिये गये हैं ? यदि हां, तो यह किसने व कहां-कहां किया व विभाग ने चुप्पी क्यों रखी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क सीमा के दोनों ओर खनन कार्य भी चालू है ? यदि हां, तो विभाग ने इसे रोकने का क्या प्रयास किया और नहीं किया, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या जन सुरक्षा कि दृष्टि से उक्त सीमा में डाले गये डम्प को दोषी व्यक्तियों से हटवायेगी व सड़क सीमा क्षेत्र में खोदी व खोदी जा रही खानों के खड्डों को समतल कर व खानों को बन्द कर एक्सीडेंट के खतरे को रोकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सड़क अकाल राहत के अन्तर्गत शुरू हुई थी एवं तत्कालीन नियमों के अनुसार राहत कार्यों में सड़कों के लिये भूमि मुआवजा का प्रावधान नहीं होने से इस सड़क का भूमि मुआवजा नहीं बनाया गया।

(3) जी नहीं। सड़क चूने की खानों व भट्टों के बीच से गुजरती है खदान मल्वे के ढेर सड़क मध्य से 6 से 7 मीटर दूरी पर नेशनल लाइम कं. ने 7, 8, 9 कि.मी. में तथा हनुमान लाइम कं. ने 12, 13 कि.मी. में डाले हैं अन्यत्र छुटपुट ढेर हैं जो सभी पुराने हैं। विभाग ने प्रयास कर कुछ हटवाए भी हैं तथा स्थिति के प्रति जागरुक हैं।

(4) जी हां। सिर्फ कि.मी. 2 व 3 में सड़क मध्य से 3 से 9 मी. के मिट्टी खुदाई के खडे हैं। खदान क्षेत्र में खुदाई व ब्लास्टिंग होता रहता है निर्माण विभाग इसमें सावधानी बरतने के लिए अनुरोध करता रहता है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(5) जी हां। इसके लिए खदान मालिकों को सड़क अतिक्रमण के नियमों के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जा रहे हैं। पुराने खदान क्षेत्र के खड्डों के समीप ट्राफिक की सावधानी निर्देश हेतु काशन बोर्ड लगाये गये हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्वश्री समरथलाल, सदस्य विधान सभा, की ओर से रामगढ़ जिला अलवर में गुण्डागर्दी की घटनाओं व पुलिस की ज्यादतियों के विषय में।

(2) श्री रामकरण सिंह, सदस्य विधान सभा, की ओर से कोटपूतली, जिला जयपुर के सन् 1947 से पूर्व काश्त करते आ रहे किसानों को खातेदारी हक न दिये जाने और मुआवजे की वसूली के नोटिस के विषय में।

(3) सर्वश्री श्योपतसिंह मकासर, रामकृष्णदास व नूरा सदस्य, विधान सभा, की ओर से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से श्रमिकों तथा झुग्गी-झोंपड़ी के लोगों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किये जा रहे प्रदर्शन के विषय में।

(4) सर्वश्री माधवसिंह दीवान, रामनारायण डूडी, सूरजपाल सिंह, रामसिंह बिश्नोई, माधोसिंह, रणजीतसिंह और रतनाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा, की ओर से राज्य में बिजली की फ्लेट रेट की दर देने के बाद भी विभागीय अधिकारियों द्वारा किसानों को इसका लाभ न दिये जाने के विषय में।

(5) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा, की ओर से जयपुर नगर परिषद् के क्षेत्र में स्थित दो हजार खानों के पट्टेदारों से रेन्ट की रकम बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, बावरी जाति के लोग हैं, उनके साथ में बहुत अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप मुझ से मिल लें।

श्री मदनसिंह दांता : इस जाति के सम्बन्ध में क्या बोल ही नहीं सकता हूँ? मैं समझता हूं कि वे सबसे ज्यादा गरीब हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : ऑन ए पाइण्ट आफ इनफार्मेशन।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक साथ बोलेंगे तो विवश होकर मुझे कहना पड़ेगा कि अंकित न हो।

श्री रामनारायण चौधरी : ऑन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मूलचन्द डागा ने एक स्थगन प्रस्ताव के जरिये से रियासतों के झण्डे फहराने के बारे में सूचना दी थी । मान्यवर उस समय सरकार ने उत्तर दिया था कि मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न पर सोच विचार कर उत्तर देंगे । आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच दिन हो गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी का स्टेटमेन्ट कब आ रहा है ताकि हम भी उपस्थित रहें । ऐसा नहीं हो कि मुख्य मंत्री जी का स्टेटमेण्ट आ जाये और हम यहां पर नहीं हों । उसकी तारीख और समय आ जाये । अगर समय नहीं तो तारीख मालूम हो जाये । अब कोई पता ही नहीं चलता है । पहले समय निश्चित किया जाता था । अब माननीय मन्त्री महोदय सरकार की ओर से कहते हैं, मैं वक्तव्य दूंगा । न कोई वक्तव्य आता है, न कोई तारीख आती है, न कोई दिन बताया जाता है । इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, आप एक मर्यादा व्यवस्था दें ताकि निश्चित दिन और तारीख बताई जाये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं इस सम्बन्ध में तारीख की सूचना दे दूंगा । माननीय सदस्य जानते हैं कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार से भी जानकारी चाहिए । कानूनी स्थिति क्या है ? सब का अध्ययन कर लूं । माननीय सदस्य को यह सूचना मिल जाएगी कि वक्तव्य कब दिया जाएगा ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पार्लियामेण्ट में डिप्टी होम मिनिस्टर ने साफ-साफ वक्तव्य दिया है, जो अखबारों में छप चुका है । इसके बावजूद त्रिपोलिया पर झण्डा लगा हुआ है । इसलिए ही यह सवाल पैदा हुआ था । भारत सरकार के सामने जो स्थिति है, वह साफ रख दी गई है । राज्य सरकार की स्थिति क्या है ? स्टेटमेण्ट उस पर नहीं है । वह साफ हो चुका है । पार्लियामेन्ट में वह साफ हो चुका है । वह आपका आदेश नहीं मानें तो आप क्या कदम उठायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सारी स्थिति पर विचार कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : भूतपूर्व शासक बिना नम्बर प्लेट की गाड़ियों में घूमते हुए देखे गये । आज कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो उसको यह प्रिविलेज नहीं है कि वह बिना नम्बर की गाड़ी में घूमे । बिना नम्बर की गाड़ी पर घूमते हैं । जानकारी करने पर मालूम हुआ कि एक पुरानी रियासत के राजा हैं । आज के युग में सभी शासक हैं, सभी प्रजा है ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय नेता महोदय चुप बैठे हुए हैं । उनको बोलने में भी डर लगता है ।

श्री मदनसिंह दांता : यह आज का प्रजातन्त्र है । आज असेम्बली में गरीब बावरियों की कोई बात नहीं कह सकता है । आप राजाओं की गाड़ियां लिये फिरते हैं । मैंने गरीब बावरियों के बारे में सवाल रखा है । आप झण्डा लिये फिरते हैं । अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है । मैं वाक आउट करूंगा । असेम्बली से चला जाऊंगा । गरीब

(श्री मदनसिंह दांता)

की झोपड़ियां खत्म की जाती हैं। कोई उनके बारे में बोल नहीं सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कौशल किशोरजी का पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन क्या है पहले उसको सुन तो लूं।

श्री मदनसिंह दांता : यहां तो राजा महाराजाओं के झण्डे की बात करते हैं। गरीब बावरियों और अल्पसंख्यकों की कोई बात नहीं करता, उसके लिए इजाजत नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उत्तर दे दिया है, माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह दांता : कोई उत्तर नहीं दिया है। बावरियों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से बात कर लूंगा और जो भी उचित कार्यवाही वे बतलायेंगे वह करवा दूंगा।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, 2 अप्रेल, 1979 को, यानि कल के दिन, इसी सदन के जमुवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामेश्वर प्रसाद जी, प्रातःकाल सात बजे अपने विधान सभा क्षेत्र से···

श्री अध्यक्ष : यह, माननीय सदस्य, मैं कल ले रहा हूं, विशेषाधिकार का प्रश्न··

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया था।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : मुझे एक मिनट की इजाजत दे दीजिये, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय सदस्य रामेश्वर प्रसादजी अपने विधान सभा क्षेत्र से आ रहे थे तो नरसिंहपुरा ग्राम के सरपंच····

श्री अध्यक्ष : उनका घेर लिया और दो किलोमीटर पैदल चलकर आए।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सरपंच कांग्रेस के सरपंच थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

× × × ×

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य··

(व्यवधान)

अंकित न हो। माननीय सदस्य मेरे चेम्बर में मिल लें।

× × × ×

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर के

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अब्दुल अजीज)

बयान पर मेरा स्थगन प्रस्ताव है, इस पर आपकी व्यवस्था मैंने चाही है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव आर.एस.एस. के सम्बन्ध में है माननीय सदस्य, यह तो पार्टी का आन्तरिक विषय है, इसलिए मैंने इसको स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था में नहीं लिया है। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। मैं इसको स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि आर.एस.एस. के सदस्य रहें, इससे बड़ी विषम स्थिति बन गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपके स्थगन प्रस्ताव को व्यवस्था में लिया नहीं है। माननीय सदस्य अब्दुल अजीज बोलें तो अंकित न हो।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : X X X

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अखबारों की खबरों पर सदन का समय खराब करते हैं जीरो आवर यों ही खराब हो जाता है। सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ने देते हैं, न कोई जनता के हित की बात करते हैं। यह तो आन्तरिक बात है, यह विवाद तो वर्षों से चलता आया है। लोकतन्त्र में ऐसा होता ही है।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : X X X

श्री रतनलाल वर्मा : यह तो अटूट है, स्थायी है और अस्तित्व कायम रहेगा।

श्री अब्दुल अजीज : X X X

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : राजस्थान सरकार स्थायी है, यह गरीबों और ग्रामों के लिए बनी है, यह सही है।

श्री अब्दुल अजीज : X X X

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर में आकर बात कर लें इस सम्बन्ध में।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले दो स्थगन प्रस्ताव आए थे उनके विषय में मैं ब्यान देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपको मौका दूंगा बाद में। माननीय श्री समरथलाल।

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये माननीय गृह मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, पिछले 5-6 महीने से··

श्री अध्यक्ष : माननीय समरथलाल जी, पहले माननीय मंत्री महोदय को वक्तव्य देने दें, आप बाद में बोल लेना।

XXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

शासकीय वक्तव्य

ग्राम सिसाला पंचायत काशीपुरा के सर्वश्री केसरा, श्योनारायण पिसरान बज्ज बैरवा (हरिजन) को आवंटित भूमि का कब्जा

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रणमल सिंह व श्री रामनारायण चौधरी सदस्य, राजस्थान विधान सभा, ने ग्राम सिसाला पंचायत काशीपुरा के सर्वश्री केसरा, श्योनारायण पिसरान बज्ज बैरवा (हरिजन) को आवंटित भूमि का कब्जा देने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव के जरिये मेरा ध्यान आकर्षित किया था।

अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री केसरा, श्योनारायण पिसरान, बज्ज बैरवा निवासी सिसाला, तहसील टौंक जो अन्त्योदय योजना के प्रथम चरण 1977 में चयनित व्यक्ति हैं, उन्हें लाभान्वित करने के लिए दिनांक 18-9-78 को तहसील मुख्यावास पर क्रमशः खसरा नम्बर 103 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 105 में 4 बीघा जमीन आवंटित की गई थी। दिनांक 3-10-78 को मुताबिक आदेश तहसीलदार, टौंक पटवारी हल्का सिसाला ग्रामवासियों तथा पंचों के साथ आवंटियों को लेकर मौके पर भूमि नाप कर कब्जा देने हेतु पहुंचे। आवंटियों को भूमि नाप कर संभलाई गई तथा सुपुर्दगी नामा पर हस्ताक्षर करने को कहा गया तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

भू-आवंटन नियमन अभियान, 1978 के दौरान उक्त आवंटियों ने जिलाधीश, टौंक को एक प्रार्थना-पत्र बाबत आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा दिलाने को पेश किया। अभियान के दौरान सहायक जिलाधीश द्वितीय को तहसील टौंक में भू-आवंटन तथा अभियान का अन्य कार्य सम्पादित करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इन्हें, निर्देश दिए गए कि मौके पर पहुंचकर आवंटियों को आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा देवें। दिनांक 20-11-78 को सहायक जिलाधीश द्वितीय टौंक, टौंक विधान सभा क्षेत्र के विधायक श्री अजीतसिंह, तहसीलदार, टौंक, पटवारी हल्का मय आवंटियों के मौके पर जमीन को देखकर केसरा को जो खसरा नम्बर 103 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा आवंटन की गई को संभलाना चाहा तो आवंटी ने भूमि लेने से अपनी सहमति दे दी। परन्तु कब्जा नहीं लिया। श्योनारायण को खसरा नंबर 105 जो कुल रकबा 14 बीघा है, में से अच्छी जमीन लेने को तैयार हो गया, परंतु कब्जा नहीं लिया। दिनांक 21-11-78 को जब सहायक जिलाधीश, द्वितीय ग्राम पीपलू में भू-आवंटन के लिए गए उस समय गिरदावर व पटवारी हल्का तथा सरपंच एवं ग्रामवासियों को साथ लेकर उक्त दोनों आवंटियों को भूमि नाप कर देना चाहा तो केसरा ने जाहिर किया कि वह जमीन बिलकुल भी नहीं लेना चाहता है तथा श्योनारायण का कथन था कि केसरा को भी खसरा नंबर 105 में से ही जमीन दी जावे तथा वह जमीन ही केवल मात्र दी जावे जिस पर सिसाला ग्राम के पांच्या वगैरह 5 मीणा जाति के व्यक्तियों का अतिक्रमण था तथा जिस पर उन्होंने वे अपने खेतों के समीप होने से अतिक्रमण कर ज्वार ग्वार तथा तिल की फसल बो रखी थी तथा उस जमीन के मध्य अन्य ग्रामवासियों का कुओं पर जाने का रास्ता है। श्योनारायण को

(54)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
जो जमीन दी गई है वह बिलकुल पड़त तथा समतल कृषि योग्य भूमि है तथा साथ ही केसरा को दी जाने वाली खसरा नम्बर 103 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा पड़त है, किसी भी ग्रामवासी का उस पर अतिक्रमण नहीं है। खसरा नम्बर 105 की 10 बीघा जमीन पर पांच्या वगैरह का जो अतिक्रमण था उन्हें दिनांक 5–11–78 को तहसील द्वारा बेदखल कर दिया गया था। धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत तहसीलदार, टोंक, ने अपील भी की थी जो अभी जेरेकार है।

मौके की स्थिति से जाहिर होता है कि श्योनारायण तथा केसरा बेरवा को जो जमीन आवंटन हुई है वह कृषि योग्य तथा समतल है। फिर भी उसे न लेकर वह ऐसी भूमि प्राप्त करने के इच्छुक है जो यद्यपि सिवाय चक है लेकिन अन्य व्यक्तियों के अतिक्रमण में है तथा उनके खातेदारी के खेतों के जुड़वां हैं। यदि वह जमीन उक्त अन्त्योदय चयनित व्यक्तियों को दी भी जाती है तो जो जमीन इनको पूर्व में दी गई है उससे अच्छी जमीन नहीं है तथा अनावश्यक रूप से ये व्यक्ति विवाद में पड़ जावेंगे।

श्री केसरा तथा श्योनारायण का यह कथन है कि इनको भूमि पर कब्जा नहीं दिया तथा सुनवाई भी नहीं हुई है, निराधार है, क्योंकि उक्त दोनों व्यक्तियों के आवंटन के संबंध में उप जिलाधीश, टोंक ने जांच कर जिलाधीश को दिनांक 18-11-78 को रिपोर्ट पेश की। एक बार तहसीलदार तथा गिरदावर पटवारी तथा दो बार सहायक जिलाधीश ने मौके पर पहुंच कर आवंटियों को कब्जा देने का प्रयास किया। लेकिन दोनों अन्त्योदय में चयनित व्यक्ति इस जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें वही जमीन दी जावे जिस पर अन्य व्यक्तियों ने, जो अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति हैं, अतिक्रमण कर रखा है। यदि केसरा व श्योनारायण चाहें तो जो भूमि इनको आवंटित की गई है वह आज भी मौके पर पड़त पड़ी हुई है तथा काबिल काश्त है, उसका कब्जा ले सकते हैं। इसमें कोई अड़चन नहीं है।

एक बयान और है। श्री रणमल का था।

श्री अध्यक्ष : वह सदन में नहीं हैं, उनको भेज दीजिये।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : एक और है। श्री रणमल का।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं हैं। उनको भेज दीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : उसमें मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : पढ़ दीजिये।

श्रीमती नारायणी देवी बेवा भूरा, जाति चमार, निवासी ग्राम धूणी, तहसील लालसोट की भूमि का नामान्तरण

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय रणमलजी, श्री माननीय दूलाराम व माननीय रामनारायण चौधरी ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था उस बारे में निवेदन है कि तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है :

श्रीमती नारायणी बेवा भूरा जाति चमार वर्तमान में तहसील लालसोट के ग्राम

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

धूणी, चिराजपुरा में रहती हैं। वैसे इसकी जमीन संवाता ग्राम में है और राजस्व रिकार्ड के अनुसार यह संवाता ग्राम की रहने वाली है। ग्राम संवाता में ख.नं. 462 रकबा 3 बिस्वा गैरमुमकिन चाही, ख.नं. 463 रकबा 3 बिस्वा गै.मु. आबादी, ख.नं. 464 रकबा 7 बिस्वा गै.मु. चाही, ख.नं. 465 रकबा 9 बीघा एक बिस्वा चाही दोयम, 8 बीघा ग्यारह बिस्वा आराजी अव्वल 5 बिस्वा बंजर, डोल 9 बिस्वा गैरमुमकिन कुल 18 बीघा 6 बिस्वा है। इस समस्त भूमि पर श्रीमती नारायणी बेवा भूरा जाति चमार के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

श्री भूरा पुत्र नारायण, जाति चमार नाऔलाद फोत होने की वजह से उसकी एक मात्र वारिस श्रीमती नारायणी बेवा के नाम दिनांक 20–9–78 को उपरोक्त भूमि का नाम नायब तहसीलदार द्वारा नियमानुसार तसदीक किया गया। पटवारी द्वारा नामांतरकरण पचेती पंचायत के आदेश से नारायणी के नाम खोला गया था। नारायणी बेवा भूरा के नाम नामान्तरण अवश्य तस्दीक हो गया लेकिन इसका कब्जा उपरोक्त भूमि पर समस्त भूमि पर नहीं है। समस्त भूमि पर रामफूल पुत्र धन्ना मीणा नि. धूणी चिराजपुरा 10-15 वर्ष से काबिज है। सम्वत् 2030 से 2033 की खसरा गिरदावरी देखने से भी इस बात की पुष्टि होती है। गिरदावरी शिकमी के नाम दर्ज करने के मामले में नियमों में संशोधन हो जाने से सं. 2034 से 2035 तक की गिरदावरी का मामला तहसील में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी नारायणी बेवा भूरा के नाम नामांतरकरण अवश्य तस्दीक हो गया जबकि कब्जा आज तक मौजूद नहीं है, समस्त भूमि पर कब्जा दूसरों का है। नामांतरकरण इसलिए खोलकर तस्दीक हो गया कि विरासत के नामान्तरकरण में कब्जा मौके पर होने की शर्त नहीं होती है।

श्री रामफूल पुत्र धन्ना मीणा मौजूदा सरपंच श्री शिवराम मीणा का सगा भाई है और शामिल परिवार में ही रहते हैं। ख.नं. 465 में पुख्ता कुआ इसी वर्ष नया तैयार हुआ है और यह कुआ रामफूल पुत्र धन्ना मीणा ने बनाया है। ख. नं. 463 में कच्चे छप्पर रामफूल पुत्र धन्ना वगैरह ने बना रखे हैं। ख. नं. 462 एवं 464 में कच्चे कुवे बने हुए हैं जो पुराने व पहले से ही और मौजूदा समय में चालू हैं।

किसी भी कुवे पर अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं मिला है और ख. नं. 465 में जो पुख्ता कुआ इसी वर्ष बनाया है उस पर कोई बैंक लोन नहीं लिया गया है। उक्त भूमि के संबंध में रामफूल व धन्ना वगैरह व नारायणी बेवा के बीच एक दावा बेदखली का ए. सी. एम. बांदीकुई की अदालत में विचाराधीन है। भूरा जो कि नारायणी का पति था वह सम्वत् 2020–21 के पहले से ही फौत हो चुका था। तब से यह नामान्तरकरण नारायणी के नाम नहीं हुआ। गत वर्ष राजस्व अभियान के दौरान ही यह तथ्य सामने आया कि नारायणी भूरा की पत्नी है। अतः इससे स्पष्ट होगा कि राजस्व अधिकारियों के अभियान के दौरान, ज्योंही यह तथ्य सामने आया तभी नारायणी के हक में कार्यवाही की गई। जहां तक नारायणी को उसकी भूमि का कब्जा दिलाने का प्रश्न है इस संबंध में रामफूल व नारायणी बेवा के बीच

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
बेदखली का दावा सैशन न्यायालय में विचाराधीन है। वहां से निर्णय होने पर ही कोई कार्यवाही होगी। वैसे, जिलाधीश को आदेश दिये जा रहे हैं कि वे यह देख लें कि प्रार्थिनी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की नई धारा 183-बी के तहत समरी प्रक्रिया से सुनवाई की व्यवस्था का लाभ मिले।

श्री रामनारायण चौधरी : यह शीघ्र करवा लें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : आदेश दे दिए गए हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री समरथलाल (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजगढ़ शहर के अन्दर पिछले पांच छः महीने से ओम प्रकाश व कमल नामक दो गुण्डों ने सारे राजगढ़ नगर को भयभीत कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, इन दो लड़कों, जिनकी उम्र 26 और 32 वर्ष के बीच में है, ने आज से 6–7 वर्ष पहले राजगढ़ के एक होटल में घुसकर होटल वाले की छुरे से हत्या कर दी। इसके लिए उन पर 307 का केस चला और उनको 2 साल और 2.। की सजा हुई। उस सजा को पूरा करके यह दुबारा राजगढ़ के अन्दर पिछले दो वर्ष से आ गये हैं। पिछले 6 महीनों से इन्ही दोनों लड़कों ने 15–20 महिलाओं एवं लड़कियों के साथ शील भंग करने का प्रयास किया। जो महिलायें या लड़कियां वहां के मन्दिरों में या दर्शनीय स्थानों पर जाती हैं उन मंदिरों के अन्दर वह पड़े रहते हैं. मन्दिर की जो परिक्रमा है उसमें शराब पीकर पड़े रहते हैं और जब उनकी रिपोर्ट पुजारी के द्वारा की जाती है तो पुलिस कोई ध्यान नहीं देती है उस रिपोर्ट के ऊपर।

इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ शहर के अन्दर जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों में दिन में सुबह और शाम जाकर जो भी चीज वह चाहते हैं वह आराम से उठा लेते हैं और उनको खा पी जाते हैं। गांवों से शहर में बहुत से लोग आते हैं। उस कस्बे में भी लोग, घी और दूध लेकर आते हैं। जब घी का कुलड़ा गांव का आदमी शहर के अन्दर लेकर आता है तो उसके सिर पर से वह आराम से उठाकर ले जाते हैं। इसी प्रकार से पिछले 5–6 महीने में वारदातें राजगढ़ शहर में हो रही हैं। समय समय पर बीस पच्चीस शहर में चोरियां भी हुई। इन चोरियों की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। इसी प्रकार की जो घटनायें हुई उनके बारे में भी वहां के जो पुलिस के अधिकारी हैं उन अधिकारियों से समय समय पर लोगों ने सम्पर्क किया और सारी बातों की शिकायतें कीं। शिकायतें करने के बाद इन सारी बातों का निराकरण जब वहां के डी. एस. पी. और एस. एच. ओ. नहीं कर पाये तो अलवर की पुलिस में रिपोर्ट की गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी होली के एक दिन पहले वहां इन गुण्डों के द्वारा बिलकुल ऐलान कर दिया गया था कि होली के दिन हम जो चाहेंगे वह करेंगे। मारपीट भी करेंगे पता नहीं, दूसरी प्रकार का भी अनाउन्समेंट उन्होंने किया। मैं होली के दिन वहीं था। मैंने वहां के पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट से टेलीफोन पर सम्पर्क किया और निवेदन किया कि इस

(श्री समरथ लाल)

प्रकार की घटना होली के दिन हो सकती है। पुलिस सुप्रिन्टेण्डेण्ट ने दोनों को अलवर बुलाया और दो तीन रोज तक उनको वहां रखा। उनके साथ क्या किया, क्या नहीं किया यह मुझे जानकारी नहीं मिली लेकिन वहां से आने के बाद भी उन गुण्डों की उसी प्रकार से हरकतें उस शहर में लगातार चालू हैं।

जब इस प्रकार की हरकतें चल रही थीं तो 30-3-79 को यह दोनों गुण्डे रात्रि के करीब 9 बजे एक घर में गये और किवाड़ खटखटाये। किवाड़ खटखटाने पर उस घर का मालिक बाहर आया उसने किवाड़ खोले। गुण्डों ने उसको छुरा दिखाया और मकान के अन्दर आराम से चले गए। अन्दर जाकर उस व्यक्ति की जो महिला थी उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की। वह व्यक्ति ऊपर से चिल्लाया। उस शहर का जो सार्जेन्ट था वह भी वहां गश्त लगा रहा था, उसने हल्ला सुना तो वह भी घर में चला गया। उस घर के अन्दर जाकर घर का जो अन्दर का दरवाजा था उसको बन्द कर लिया। उसके बाद उस महिला के साथ उन गुण्डों ने और पुलिस के सार्जेन्ट ने मिलकर अभद्र व्यवहार किया। इस प्रकार के व्यवहार के बारे में पुलिस के अन्दर दूसरे रोज रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो पुलिस का डी. एस. पी. या दूसरा कोई भी अधिकारी तफतीश के लिए आज तक नहीं आया। उसके रोष में 2-4-76 को राजगढ़ के अन्दर हड़ताल रखी गयी और पूरा राजगढ़ शहर बन्द रहा। हड़ताली जब पुलिस के खिलाफ और उन गुण्डों के खिलाफ नारे लगा रहे थे तो पुलिस के 5-6 आदमी आये और जो उस रात सार्जेन्ट था उसने आकर हड़तालियों का विरोध किया और इस बात का विरोध किया कि शहर के अन्दर जो दुकानें हैं उनको बंद मत करो। लेकिन शहर के दुकानदार स्वयं इस बात को जानते थे कि यह वास्तव में गुण्डे हैं, इनके विरोध स्वरूप दुकानें बन्द कर रहे हैं और कोई दूसरा बन्द नहीं करवा रहा है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह गुण्डे जो पनप रहे हैं यह पुलिस की शह से पनप रहे हैं। उन लोगों ने परसों जब हड़ताल की थी तो उनका विरोध किया। पुलिस के लोगों ने और उन लोगों को मारने पीटने और धमकाने के लिए भी तैयार हो गए। जो हड़ताल की अगुवाई कर रहे थे उन लोगों को चेलेन्ज के साथ कहा गया कि तुम राजगढ़ में रहते हो। हम पुलिस के अधिकारी हैं हम तुमको अच्छी तरह से देख लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रकार की बदमाशियां वहां हों और जनता सारे बदमाशों का विरोध करे और उसके परिणामस्वरूप लोगों को यह कहे कि हम तुमको देख लेंगे। इस प्रकार से हड़ताली एक जगह इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन्होंने यह तय किया कि इन गुन्डों को राजगढ़ के अन्दर नहीं घुसने देंगे। गुण्डों को पुलिस वालों ने भगा दिया। पहले तो पुलिस ने उन गुण्डों को बुला लिया और फिर वहां से भगा दिया। उन्होंने कहा कि हम राजगढ़ के अन्दर नहीं घुसने देंगे और कोई राजगढ़ शहर में बदमाशी करेगा तो उन व्यक्तियों का हम स्वयम् मुकाबला करेंगे और उसकी रिपोर्ट पुलिस में जाकर नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस के अन्दर तो 6 महीने से रिपोर्ट कराने के लिए जाते रहे लेकिन पुलिस ने

(श्री समरथलाल)

एक भी रिपोर्ट के अन्दर कोई तफतीश की हो ऐसा नजर नहीं आता। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की परेशानी जब वहां के लोगों को आ रही है तो इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से मांग करूंगा कि उन गुण्डों को उस जिले से बाहर रखा जाये, कुछ समय के लिए अलवर जिले से बाहर रखा जाये और वहां जितना भी पुलिस स्टाफ है, जिन्होंने इन गुण्डों का साथ दिया है, उन सारे पुलिस अधिकारियों को वहां से तब्दील किया जाये क्योंकि वह सब लोग उनसे मिले हुए हैं। जो मार्केट से वह सामान ले जाते थे उस सामान को पूरा का पूरा पुलिस में ले जाते थे और वह उसमें बंटवारा करते थे और जिस दिन उस महिला के साथ सार्जेन्ट और उन गुण्डों ने अभद्र व्यवहार किया उस दिन अलवर के अन्दर शराब बंद हो चुकी थी, उसका अनाउन्समेन्ट होने वाला था उसी दिन, गुण्डो को पकड़ कर पुलिस अन्दर ले गयी और अन्दर दो बोतलें शराब पी। दोनों गुण्डे और पुलिस वालों ने साथ-साथ शराब पी और उसके बाद यह कहा कि यह जो हड़ताल करना चाहते हैं उनको रात को पकड़ कर लाओ जिससे कि पुलिस में उनको ठीक कर देंगे और वह हड़ताल करने के काबिल ही नहीं रहें। तो इस प्रकार की जबरदस्त घटना हो रही है और, अध्यक्ष महोदय, पुलिस वहां लोगों की सुरक्षा नहीं कर रही है, इसलिए मेरा कहना है कि वहां के जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, छोटे से बड़े, सब उसके अन्दर दोषी हो चुके हैं और सब को वहां से हटाया जाना चाहिए और इस बात की इन्क्वायरी होनी चाहिए कि वास्तव में यह बात कहां तक सही है और कहां तक सही नहीं है। यही मेरा निवेदन है।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव करीब दो दफा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देने के बाद में और आपसे चैम्बर में मिलने के बाद में तीसरी दफा आया है...

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है, सरकार की तरफ से इसका उत्तर आना चाहिये।

श्री केदारनाथ : मैंने नोट कर लिया है। जीरो आवर के बाद में इसका उत्तर दे दूंगा।

श्री रामकरण सिंह : आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी को ध्यान दिलाता हूं यह एक बहुत ही अहम मसला है। 1947 के पहले के जो 50, 100 साल से काबिज काश्तकार थे, राजस्थान के किसी कोने में ऐसा नहीं है जिसमें दफा 15 या 15 ए का नोटिस न मिला हो। केवल कोटपूतली के 7 गांव ऐसे दुर्भाग्य में फंसे हुए हैं, जब भी गवर्नमेंट जिस-जिस की बनी, जो भी मुख्य मंत्री बना, जो भी राजस्व मंत्री बना, उनसे निवेदन किया है। टाइमली स्टे था। यह कहा गया कि मुआवजा वसूल नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पूरे राजस्थान में इस तरह के किसानों से किसी भी प्रकार का मुआवजा लेकर मालिकाना हक नहीं दिया गया। सरकार ने मुआवजा दिया है। कोटपूतली के गांव में उन पर काबिज लोग 1947 के पूर्व के थे उनसे मुआवजा लिये जाने के नोटिस दिये गये और कुर्कियां हो रही हैं। उनसे मुआवजा लिया जा रहा।

(श्री रामकरण सिंह)

है । और मुआवजा नहीं देने पर बेदखल किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों ने बियाबान जंगल को ठीक करके, नालों को तोड़कर जमीन को सैकड़ों वर्षों से काबिज रहते हुए ठीक किया है । युग बीत गया है, उनको यह मालूम नहीं था कि एक जमाना ऐसा आयेगा कि राजस्थान में और लोग, जो हमारे जैसे हैं, काबिज ही आयेंगे उनको खातेदारी के राइट्स मिल जायेंगे और हम महरूम रह जायेंगे । इसलिये, मैं आपके माध्यम से, राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का जो सौतेला व्यवहार कोटपूतली के इन 7 गांवों के साथ किया गया है, जो वक्फ प्रापर्टी के रूप में माने जाते हैं । वक्फ प्रापर्टी की मनाही 47 के बाद हो सकती है लेकिन जो पहले से काबिज हैं उनके साथ व्यवहार दूसरों की तरह होना चाहिये क्योंकि उन गांवों के मालिक जागीरदार और माफीदार थे । जो कानून टिनेन्सी एक्ट दूसरे लोगों पर लागू है, दूसरे किसानों के ऊपर लागू है, वही कानून उनके ऊपर लागू होना चाहिये । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में तत्काल ही व्यवस्था की जाये कि उन लोगों से .

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

न लिया जाये । अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास था कि राजस्व मंत्री जी जो यहां मौजूद थे, ज्योंही बोलने लिए खड़ा हुआ, यहां से खिसक गये । मेरा दुर्भाग्य है, सदन का दुर्भाग्य है और शायद उन गांवां का भी दुर्भाग्य है । आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, मैंने ध्यान आकर्षण किया, सचिवालय ने जान-बूझ कर परेशान करने की नियत से नहीं रखा । तीसरी दफा निवेदन करने पर यह आया है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों के लिये कम से कम किसी प्रकार की बात तो बता दी जाये ताकि जमीन के लिये अपने बच्चों के, परिवारजनों के जो कपड़े लत्ते हैं उनको बेचकर या तो मुआवजा दें या जमीन को खाली कर जायें, कम से कम लटके हुए तो नहीं रहें । इसकी आप व्यवस्था करें, राजस्व मंत्री जी नहीं हैं तो दूसरे कोई मंत्री से, क्योंकि जोइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है, उत्तर दिलवायें ।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : यह जो मजदूरों का मामला है . . .

श्री अध्यक्ष : आपको मैं समय दूंगा ।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़): वह अधिकार तो विरोधी पक्ष का है जिसने स्थगन प्रस्ताव रखा, उसको समय मिला है । राजस्थान में पहली दफा जनता पार्टी के दो साल के शासन के बाद राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से मजदूर हजारों की तादाद में आये हैं, विधान सभा के सामने इतना बड़ा प्रदर्शन पहली दफा हो रहा है । शहरों के झुग्गी-झोंपड़ी के हजारों लोग प्रदेश के तमाम हिस्सों से हजारों की तादाद में आये हैं । दोनों की जोइंट समस्या है । मैं नहीं समझता कि क्या दिक्कत आ रही है जनता सरकार के सामने ? दौराने चुनाव यह वायदा किया था कि हम उन गरीब लोगों की, उन मजदूरों की जिनकी मजदूरी कम है मजदूरी बढ़ायेंगे । जिनको रोजगार नहीं मिलता, उनको रोजगार देंगे । जिनके पास झोंपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, उनको

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

मकान की जगह देंगे। यह सारे सवाल मजदूरों के सामने आज हैं। मजदूरों की जरूरतें पूरी करना तो अलग, आपका आन्दोलन के बारे में, मजदूरों के बारे में, किसी भी राजनैतिक कार्यकर्ता के बारे में समस्याओं को तय करने का दृष्टिकोण बिल्कुल जुल्माना दृष्टिकोण है। इन तमाम मांगों के लिये हजारों मजदूर एकत्रित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो हजारों मजदूरों का मांग-पत्र है, वह मांग-पत्र, 17 मार्च को राज्य सरकार को दिया गया था। पहले भी राज्य सरकार के सामने उन्होंने वक्तन फवक्तन अपनी मांगें रखीं। मगर राज्य सरकार ने अभी भी उन समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अभी जो केन्द्र और राज्य सरकार ने टैक्सेज लगाये इन टैक्सेज से महंगाई आदि बढ़ गई, जिससे परेशानियों को और बढ़ा दिया। वे अपनी परेशानियों की गठड़ी लेकर राज्य सरकार के सामने शिकायत लेकर आये हैं। वे एक पार्टी के लोग नहीं हैं। एक दल के लोग नहीं हैं। सीटू, हिन्दू मजदूर पंचायत, एटक, इंटक आदि सब संगठन के बिना किसी भेदभाव के पहली दफा एक झण्डे के नीचे राजस्थान के मेहनतकश लोग यहां आये हैं। राजस्थान के प्रतिनिधि का फर्ज होना चाहिए, मैं खासतौर से हमारे माननीय, श्रम मंत्री जी से कहूंगा कि उनका फर्ज है कि उनके बारे में एलान करें। यह मांग-पत्र आज से 15-20 रोज पहले राज्य सरकार तक पहुंचा दिया गया था और यह भी कहा गया था कि 3 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। सदन में इस बात की घोषणा करें कि उन मजदूरों की मांगों के बारे में आपने क्या फैसला किया है? अभी जाकर उनका मांग-पत्र लायें और उनकी बात सुनें। जो आप मांगें मान सकते हैं, कहें कि हमने यह बातें मानी हैं। जो परेशानियां हैं, नहीं मान सकते हैं, उसके लिये वक्त दीजिये। देश में प्रोडक्शन बढ़ाने में सबसे बड़ा हिस्सा मजदूर का है अगर मजदूर नाराज हो गया, मजदूरों के साथ जुल्म होगा तो देश की तरक्की, प्रदेश की तरक्की अवरूद्ध हो जायेगी। भाषण से तरक्की नहीं होगी, मेहनत से तरक्की होगी अगर आप मेहनत कश इन्सान की इज्जत नहीं करेंगे, उनकी मांगों को मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उनकी समस्याओं का हल नहीं करोगे तो निश्चित रूप से प्रदेश की तरक्की तो होगी नहीं अव्यवस्था फैलेगी। जनता पार्टी की सरकार का विश्वास पुलिस के जरिये समस्या को हल करवाने में ज्यादा है और बैठकर समस्या को हल करने का कम है। मैंने अभी सवाल उठाया था आज से 5-7 रोज पहले कोटा में पोलीटैक्निक कालेज के छात्रों के होस्टल को किस तरह तहस-नहस कर दिया। 1500 लोगों ने हमला बोला....

श्री हरीश शर्मा : 1500 नहीं ढाई हजार थे, यह वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वक्तव्य है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ढाई हजार लोग छात्रावास में गये और उनका सारा का सारा सामान तहस-नहस कर दिया। वहां के विद्यार्थी आये उन्होंने बताया है कि इतनी बड़ी ज्यादती की है। उनमें भयंकर रोष व्याप्त है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उस दिन गृह मंत्री जी ने भाषण दिया, बयान दिया वह इतना लचर था, इतना गया गुजरा था, आखिर रेस्पोन्सिबिलिटी किस पर है? किस अधिकारी के खिलाफ

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

कार्यवाही करनी चाहिए लेकिन मैं समझता हूं हमारी सरकार की यह हिम्मत नहीं है। कौनसी ऐसी वजह है कि आज पुलिस के जरिये प्रदेश की समस्याओं को हल करवाना चाहते हैं ? मैं कहता हूं उनसे समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं और यह रास्ता नहीं है। यह रास्ता, दौराने इमर्जेन्सी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने अख्तियार किया था, उसका क्या नतीजा निकला। पुलिस से किसी प्रकार समस्या हल नहीं होगी। मैं चाहता हूं हमारे श्रम मंत्री जी उनसे मिलें, उनकी समस्याओं को समझें। जो मांग-पत्र दिया गया है। उसमें उनकी कौनसी मांगे मानी गईं और कौनसी नहीं मानी गईं यह बात उनके नेताओं से जाकर कहें और बतायें कि इन मांगों को माना है और इन इन मांगों को नहीं माना है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी आज के स्थगन प्रस्ताव के जरिये से मैं इस सरकार का ध्यान उस गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो मजदूर ट्रेड यूनियन से बन्धा हुआ नहीं है, जो आर्गेनाइज्ड लेबर नहीं है, जो अभी अन-आर्गेनाइज्ड है, जिसकी आवाज को थपकी देने के लिए ट्रेड यूनियन की ताकत नहीं है, जो रेल का चक्का जाम नहीं कर सकता है, जो रोडवेज की बसों का चक्का जाम नहीं कर सकती है, जो फैक्टरी की चिमनी से धुंआ निकलना बन्द नहीं कर सकता है, जो यातायात के साधनों को बन्द नहीं कर सकता है उस अन-आर्गेनाइज्ड, असंगठित मजदूर की आवाज कौन बुलन्द करे और इतनी बुलंद करे कि जनता सरकार, जो कम सुनती है और अधिक बोलती है, वायदे अधिक करती है और निभाती कम है, वह इसके लिए बाध्य हो जाय कि वह अन-आर्गेनाइज्ड लेबर हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जो ट्रेड यूनियन से बन्धे हुए हैं उन मजदूरों को 76 से लेकर 78 तक 50) रु. से 100) रु. तक बढ़ोतरी हुई है। दो साल के समय में 50) रु. से लेकर 100) रु. तक की बढ़ोतरी उन्होंने अपने वेतनों में करवा ली है, परन्तु जो अन-आर्गेनाइज्ड हैं, जो ट्रेड यूनियन से बन्धे हुए नहीं हैं उन मजदूरों के वेजेज में कमी हुई है। 1960 में जिस मजदूर का वेतन 60) रु. था आज के समय में उसका भाव केवल 33 रुपया रह गया है। बजाय 60 के 300 होना चाहिए था लेकिन वह तो 60) रुपये से भी नीचे गया। आज 1960 के अंक हम मानें तो उस हिसाब से आज का बाजार भाव 35) रु. रह गया है। एक तरफ तो इतना ह्रास हुआ है दूसरी तरफ आर्गेनाइज्ड लेबर है उसके वेतन में बढ़ोत्तरी हुई है। बढ़ोतरी होना बहुत अच्छी बात है परन्तु जो फायदा हो रहा है उसमें उसको भी अंश मिलना चाहिए, परन्तु आज भी मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत एक मजदूर की वेजेज 5) रु. की हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं जानते हैं कि किस प्रकार चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। केन्द्रीय बजट, राजस्थान का बजट, सैल्स टैक्स में बढ़ोत्तरी, केन्द्रीय सरकार ने जो टैक्सेज इम्पोज किये उससे निश्चित रूप से 10 प्रतिशत भाव बढ़ गये। माननीय अध्यक्ष जी, आज चीनी के भाव कम हो गये, चाय की पत्ती के भाव कम हो गये, परन्तु दुकानदारों ने चाय के प्याले के भाव कम नहीं किये। एक तरफ यह हाल है तो दूसरी तरफ मजदूरों की वेजेज इन्क्रीज

(श्री राम कृष्णदास गुप्ता)

नहीं की। पिछले दो साल से हमारे श्रम मंत्री जी ने लेबर आयोग की मीटिंग काल नहीं की। मिटिंग बुलाकर आश्वासन दें कि निश्चित तौर से मिनिमम वेजेज बढ़ाये जायेंगे। अभी तक वेजेज बढ़ाये नहीं गये हैं। कम से कम चार लाख ऐसी लेबर है राजस्थान में जो किसी ट्रेड यूनियन से बन्धी हुई नहीं है, जो अन-आर्गेनाइज्ड है, चाहे वे खादी के कार्यकर्ता हैं चाहे बीकानेर में पापड़ बनाने वाले हों, चाहे टौंक में बीड़ी बनाने वाले हों, चाहे खेती में काम करने वाले मजदूर हों और चाहे खान में काम करने वाले मजदूर हों। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधान सभा में कल इस प्रश्न को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था कि किसान की भूमि पर सीलिंग लागू नहीं हो और शहरी भूमि पर सीलिंग लागू हो। मैं आज उस किसान की बात कर रहा हूं जो भूमि हीन किसान है, जिसके पास एक इन्च भूमि नहीं है और दूसरे लोगों की भूमि पर खेती करता है, उस मजदूर की मिनिमम वेजेज कौन बढ़ायेगा और कौन एनफोर्स करेगा ?

आज लेबर डिपार्टमेंट के अन्दर मिनिमम वेजेज के इन्सपेक्टर अपाइन्ट किये हुए हैं वे ऊंट के मुंह में जीरा है। पांच लाख मजदूरों की समस्या है। गिनती के जो लेबर इन्सपेक्टर हैं वे किस प्रकार इसे एनफोर्स करेंगे ? अगर वे चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कम स्टाफ है। केवल 92 लाख रुपया आप लेबर डिपार्टमेंट पर खर्च कर रहे हैं. . .

(व्यवधान)

श्री लालूदास : आपने कभी हल चलाया है, आपने कभी मजदूरी की है क्या ? किसी खेत में काम किया है क्या ?

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : पूंजीपतियों की गुलामी कर रहे हैं।

श्री लालू दास : हम खुद किसान हैं, खुद मजदूरी करते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आपको किसान मानते हैं लेकिन खेती दूसरों से करवाते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप किसान हैं और भूमिहीन किसान हैं तो क्यों नहीं खड़े होकर सरकार को कहते हो कि उनके दाम बढ़ायें, उन पर टैक्स नहीं लगायें। भूमिहीन किसानों की मिनिमम वेजेज फिक्स कराइये। आपने जनता सरकार को कायम रखने के लिये मतों का प्रयोग किया है . . .

(व्यवधान)

लेकिन आपके हाथ में है नहीं, आप कुछ कर सकते नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधान सभा में मैं जिस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, अगर समय रहते हुए सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये हजारों मजदूर विधान सभा को घेरेंगे, संसद को घेरेंगे और जो एन्टी मजदूर एम. एल. ए. हैं उन पर उनका विश्वास नहीं रहेगा। अगर आप यह चाहते हैं कि समाज में हिंसा नहीं रहे, तोड़फोड़ नहीं रहे, हड़ताल नहीं हो, उत्पादन की बढ़ोतरी हो तो यह आवश्यक है कि

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता):

जो मजदूरों की लड़ाई है उसको उसका विधायक लड़े, एम.एल.ए. और एम.पी. लड़े, यह सरकार लड़े, ये अपोजीशन वाले लड़ें। हजारों अन-आर्गेनाइज्ड मजदूर, राजस्थान राज्य की 56 प्रतिशत जनता गरीबी लाइन से नीचे जिन्दा है। आपके उत्पादन में कमी नहीं हो और अनाज का अकाल नहीं पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि हम उन लोगों की बात करें जिनकी बात करने वाला कोई नहीं है। माननीय अध्यक्षजी, सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पे-कमीशन अपोइन्ट किया, राज्य कर्मचारियों का डी. ए. इन्क्रीज किया। मैं राज्य कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का समर्थक हूं, परन्तु यह इस बात का प्रतीक है कि सरकार की यह समझती है कि रुपये की जितनी वैल्यू 1949 में थी, रुपये की जो कीमत 1947 में थी उसकी तुलना में आज रुपये की कीमत बीस पैसे रह गई है। यह देश की संसद में भारत सरकार के वित्त मंत्री का स्टेटमेंट है कि रुपये की कीमत बीस पैसे रह गई है। जहां दाम बढ़ गए आठ गुना और रुपये की कीमत कम हो गई वहां राजस्थान का मजदूर भारत का मजदूर कहां जावे? इसलिए मांग की जाती है, श्रम मंत्रीजी, आज ही मिनिमम वेजेज एक्ट में कम से कम साढ़े आठ रुपया, नौ रुपया करने की व्यवस्था की जाएगी, यह घोषणा करें। जब तक यह नहीं होगा, मजदूरों को शांति नहीं होगी।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्षजी, हमारी सरकार अरबन लैंड सीलिंग एक्ट को पूरी आनेस्टी से एक्जीक्यूट नहीं करना चाहती। न कर सकती है। यह जनता पार्टी का जो पोलिटिकल कॉम्पलेक्शन है वह इस बात को जाहिर करता है कि एक प्राइवेट पार्टी को प्रोपर्टी रखने का अधिकार है। जनता पार्टी ने घोषणा की थी, माननीय अध्यक्षजी, भारत के संविधान में मूलभूत अधिकारों को सम्पत्ति के मूलभूत अधिकारों को खतम करेंगे। साधारण कानून से इसकी व्यवस्था की जाएगी। अमेंडमेंट बिल आ गया, परन्तु सम्पत्ति के मूलभूत अधिकार को समाप्त करने के बाद भी बड़े-बड़े शहरों के अन्दर जिन लोगों ने रिहायशी जमीन पर कब्जा कर रखा है वह जमीन उनसे लेने को तैयार नहीं है। मेरे जवाब में मंत्री महोदय ने बताया था कि एक इंच भूमि राजस्थान में इस अरबन सीलिंग एक्ट में एक्वायर नहीं की गई है। तो जो मजदूर झुग्गी झोंपड़ी में, रहता है, जो कच्ची बस्ती में रह रहा है, मैं उन मजदूरों की बात कह रहा हूं जो पचास गज, सौ गज जमीन पर रहते हैं, कच्ची झोंपडियों में रहते हैं, उन लाखों लोगों को आज आप रिहायशी जमीन कम दामों पर देने की क्या कोई स्कीम रखते हैं? कोई स्कीम नहीं है। आज अगर कोई गरीब व्यक्ति बिना पूछे, कानून को अपने हाथ में ले करके अगर जबरदस्ती कब्जा कर ले तो उसको जमीन मिल जाएगी, परन्तु कोई भी यू. आई. टी., कोई भी म्युनिसिपैलिटी, कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड और कोई भी राज्य सरकार. . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कोई भी उसको कम दामों पर जमीन नहीं देता है। तो आज मजदूरों की जो समस्यायें हैं, उसकी मजदूरी

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

की समस्या है, उसके हैल्थ की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, दवाई दारू की समस्या, दारू से मतलब शराब से नहीं है, उन सबके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है ? मैं चाहूंगा श्रम मंत्रीजी आज समय की जो मांग है अगर आप यह चाहते हैं कि खूनी क्रांति नहीं करनी है, अगर आपको सत्ता वोटों से ही बदलनी है और रखनी है, प्रजातंत्र कायम रखना है तो आप मजदूर किसानों के हितों की बातों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का मेहनत करने वाला मजदूर वर्ग, झोंपड़ियों में रहने वाले, सालों से एक मकान की मांग करने वाले, जयपुर के रहने वाले, अन्य जिलों के लोगों के भिन्न-भिन्न संगठनों में होते हुए आज महसूस किया है कि अलग-अलग होते हुए भी हमारी मेन मांगें हैं। इसलिये समस्याओं को हल कराने के लिए एक साथ हजारों मजदूर जुलूस लेकर यहां आये हैं। इस विधान सभा के चलने वाले सत्र के दरमियान में अभी तक इतना बड़ा जुलूस जयपुर में नहीं आया इतने बड़े जुलूस में रात-रात भर चल करके बड़ी चौपड़ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। मुख्य मंत्रीजी, आप पधार गए हैं, आप वहां पर जाकर उन मजदूरों को कहें कि आपकी समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। आप पधार गए हैं इसलिए आपका ध्यान इस ओर दिलाया है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान में कपास के भाव गिर गए और कपास के भाव इतने सस्ते हो गए कि मिल मालिक लोग सस्ती रूई खरीद कर उसका कपड़ा बनाकर उसे ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं और हजारों ही नहीं लाखों रुपये मिल मालिक, इस कपास के भाव बढ़ा करके जमा कर रहे हैं, लेकिन मजदूर को नहीं देना चाहते हैं। रात-रात भर जागकर राजस्थान के हर कोने से आने वाले मजदूर जयपुर की गली-गली में अपनी आवाज सुनाते हुए बड़ी चौपड़ पर आम सभा में अपनी बात कहने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज श्रम कानून, लेबर सम्बन्धी जो नियम हैं, आप कुछ करना चाहें तो भी वह इतने कमजोर कानून हैं जिसके द्वारा, जो इन मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है, सरकार उसको रोक सके मेरा निवेदन है कि श्रम कानून और लेबर सम्बन्धी नियम हैं उसमें संशोधन करके उसको मजबूत बनायें। अगर मालिक लोग मजदूरों की बात न मानें, इन समस्याओं को हल करना नहीं चाहें तो उनके खिलाफ दीवानी या फौजदारी कार्यवाही करने का अधिकार संगठन को होना चाहिए, राज्य सरकार को होना चाहिए, ताकि वह मामले में मजदूरों की बातों पर सही मायने में विचार कर सके। आप 77-78 के आंकड़ों को उठा कर देखें कि राजस्थान में मजदूरों की जितनी कम हड़तालें हुई उतना ही मालिकों ने तालाबन्दी करके मजदूरों को बेकार किया है, मजदूरों को परेशान किया है। मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा परेशान किया है। मिल मालिकों ने तालाबन्दी करके मजदूरों के असंतोष को बढ़ाया है। मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि लेबर सम्बन्धी कानून को संशोधित करके, उनको मजबूत बना कर मजदूरों की समस्याओं को हल किया जाना चाहिए। आज जहां मजदूर हजारों की तादाद में काम करते हैं वहां पर पूंजीपति लोग मकान बनाने के नाम पर, किराये के नाम पर उसकी कमाई का काफी भाग रोक लेते हैं। वह अपने

(श्री नूरा)

बच्चों के लिए पैसा नहीं ले जा सकता है। मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि अगर समय रहते मजदूरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास सरकार ने गंभीरता से नहीं किया, तो जिस प्रकार आज मजदूर अपने मांग-पत्र देने के लिए राजस्थान के कोने-कोने से, जयपुर के बाजार-बाजार में, गली-गली में घूमते हुए बड़ी चोपड़ पर आए हैं, जयपुर की जनता को सुनाने के लिए आए हैं, लेकिन कल बड़ी-बड़ी हड़तालें होंगी। जो संगठन जाग्रत हैं और आज जो सोये हुए मजदूर हैं, जो जाग्रत नहीं हैं उन मजदूरों को भी अपने अधिकार दिलाने के लिए आपको श्रम सम्बन्धी कानूनों को मजबूत बनाना चाहिए और मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। आज मजदूरों का असंतोष जिस रूप में है, कल उसका रूप दूसरा भी हो सकता है। आज मजदूर भूखा रह कर मालिकों की तिजोरियां नहीं भर सकता। आज मजदूर भूखा रह कर, शोषित और दलित रह कर मालिकों की हवेलियां खड़ी नहीं कर सकता, कारखाने नहीं खड़े कर सकता। उसको भी जीने का अधिकार है उसको भी अपने बच्चों को पालने का अधिकार है। आज वह रोटी-कपड़ा-मकान की मांग कर रहा है। अगर समय रहते इस असन्तोष का आपने अन्दाजा नहीं लगाया तो यह भयंकर रूप धारण कर लेगा। मुख्य मंत्रीजी, आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। अगर यह सरकार हमारे हक हकूकों की रक्षा नहीं कर सकती, हमारे अधिकार नहीं दिला सकती तो इस सरकार को हटाने की बात भी कही जा सकती है। इसलिए मैं समय रहते ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने जो मांग-पत्र में समस्यायें उठाई हैं, श्रम मंत्रीजी मांग-पत्र आपके पास आया है, आप वहां पर जाकर उनको विश्वास दिलायें, घोषणा करें कि आपकी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मजदूर सम्बन्धी कानूनों को मजबूत बनायें, जो समस्या आसानी से हल हो सकती है उनको हल करें। जो मांग-पत्र दिया गया है, वह मांग-पत्र तो आप लेंगे ही, लेकिन यह मांग-पत्र मैं विधान सभा की मेज पर रखने जा रहा हूं, क्योंकि यह आपको भी दिया गया है। इस पर आपने क्या विचार किया है जब आप बोलें तब यह बतायें। मैं सरकार का ध्यान दिलाने के लिए यह मांग-पत्र सदन की मेज पर रखता हूं। मैं आशा करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी मजदूरों के अन्दर बढ़ते हुए असंतोष को हल करने के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे।

श्री एच. एन. शर्मा (वेगूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बोलना शुरू करूं और, श्रीमान मैं श्रम मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूं, उसके पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे श्रमिक जगत के मसीहा ने बहुत कम समय लेकर श्रम मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है और अपना समय बचा कर मुझे दिया है। यह समय आप कृपा कर मुझे देने का कष्ट करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के श्रमिक जगत में यह पहली बार हुआ है। हम हमेशा नारा ही सुनते आये हैं, मजदूर एकता जिन्दाबाद, मजदूर एक हों, यह नारा अनेकों बार गुंजित होता रहा है, परन्तु इस नारे को हकीकत रूप में आज कार्यान्वित किया गया

(श्री एच. एन. शर्मा)

है। चार मजदूर संगठनों ने मिल करके मजदूरों का एक 16 सूत्री मांग-पत्र बनाया है। इनमें हिन्द मजदूर कांग्रेस, हिन्द मजदूर पंचायत, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, ए.आई.टी.यू, सी. आई.टी.यू हैं। इन मजदूर संघों ने मिलकर एक मांग-पत्र राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किया है। मैं उन सब मांगों की ओर तो नहीं किन्तु जो उनकी मुख्य मुख्य मांगें हैं, उनके बारे में ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

पहली मांग तो उनकी यह है कि जो मिनिमम वेजेज एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करें। इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम यह मिनिमम वेजेज एक्ट 15 मार्च, 1948 को हिन्दुस्तान में लागू हुआ। इसके अन्दर सबसे पहले अमेन्डमेन्ट 1950 में हुआ, दूसरा अमेन्डमेन्ट 1951 में हुआ और तीसरा अमेन्डमेन्ट 1954 में हुआ। इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम वेजेज एक्ट में अमेन्डमेन्ट होता रहा है। एक खास सिफारिश जो कमेटी ने की थी, उस सिफारिश की ओर, श्रीमन् आपके माध्यम से श्रम मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :

"The 15th Indian Labour Conference (July 1957) adopted the following resolution with regard to minimum wage fixation":—

इसकी जो सिफारिशें थीं वह पांच सिफारिशें थीं। मिनिमम वेजेज एक्ट का लागू करते वक्त बेसिक चीजों, मुद्दों, एक मजदूर की आवश्यकता होती है, उसके बारे में भी सोचना होगा। अध्यक्ष महोदय, उस सिफारिश में पहली बात यह थी :

1. In calculating the minimum wage, the standard working class family should be taken to consist of three consumption units for one earner. The earnings of women, children, adolescents should be disregarded.

2. Minimum requirements should be calculated on the basis of net intake of 2700 calories, as recommended by Dr. Aykrayod for an average Indian adult of moderate aotivity.

अध्यक्ष महोदय, नम्बर दो सिफारिश में यह कहा गया है कि न्यूनतम वेतन निर्धारित करते वक्त एक श्रमिक परिवार को कितने भोजन की आवश्यकता है। यह, अध्यक्ष महोदय, 2700 कैलोरिज बताया गया है। उसको ध्यान में रखना है। नम्बर तीन सिफारिश यह थी कि एक मजदूर को कपड़ा कितना चाहिए :

3. Clothing requirements should be estimated at a per capita consumption of 18 yards per annum, which would give for the average worker's family of four a total of 72 yards.

इस सिफारिश में, अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि कम से कम एक मजदूर परिवार को 18 मीटर कपड़ा एक साल में मिलना चाहिए।

अगली सिफारिश थी :

4. In respect of housing, the norms should be the minimum rent charged by Government in

(श्री एच. एन. शर्मा)

area for houses provided under the subsidised Industrial Housing Scheme for low income group.

The next is :

5. Fuel, lighting and other miscellaneous items of expenditure should constitute 20 per cent of the total minimum wage."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे यहां पर राजस्थान में मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत जो मिनिमम वेजेज निर्धारित किये गये हैं, उसके अंदर शिड्यूल है, उस शिड्यूल में 30 उद्योगों को शामिल किया गया है, लेकिन आज की तारीख में भी अनेक ऐसे उद्योग हैं राज्य सरकार के डिपार्टमेन्ट्स हैं जिनमें मिनिमम वेजेज एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, श्रीमन्, मैं यहां पर बताना चाहूंगा राज्य सरकार का वन विभाग है, रिसर्च इन्स्टीट्यूट को लीजिए, इसके लिए मेरा श्रम मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो उद्योग शिड्यूल से बाहर रह गये हैं, चाहे वे उद्योग सरकार से सम्बन्धित हों, या किसी प्राइवेट कन्सर्न से सम्बन्धित हों, उन उद्योगों को इस सूची में जल्दी से जल्दी शामिल किया जाना चाहिए।

इसके बाद, मान्यवर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन 30 में से केवल 28 उद्योगों में ही 20-1-1975 से न्यूनतम वेतन लागू किया गया है एक उद्योग है बीड़ी उद्योग, दूसरा है कृषि आयोजना विभाग। इन 30 उद्योगों में से 28 उद्योगों में अकुशल श्रमिक, अर्द्ध कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक को पांच रुपया, छः रुपया और 7.25 रुपये प्रति दिन देते हैं और महीने में 130/-रुपये, 156/–रुपये और 188.50 रुपये निर्धारित किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले वाली सरकार ने डा. अशोक मेहता समिति का गठन किया था। इस डा. अशोक मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 20-11-75 को प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट राज्य सरकार को इस कमेटी ने प्रस्तुत कर दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिए। परन्तु, श्रीमन्, तीन साल से अधिक का समय गुजर चुका है, तीन साल के बाद भी इस रिपोर्ट के आधार पर, उसमें दिये गये सुझावों के अनुसार मिनिमम वेजेज एक्ट में कोई तब्दीली करने की कार्यवाही नहीं की गई है दूसरी तरफ, अध्यक्ष महोदय, प्राइस इन्डेक्स बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको दूसरी स्टेट्स से भी कम्पेयर किया है। वे आंकड़े, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए सदन को बताना चाहूंगा। यह चार भागों में बांटा गया है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ व दिल्ली। राजस्थान के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, शाप एण्ड कन्जूमर कामर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट में मिनिमम वेजेज हैं पांच रुपया प्रति दिन और 130 रुपया महीना, पंजाब में यह 166.50 रुपया है हरियाणा में 202.25 रुपया, हिमाचल प्रदेश में 105 और 130 रुपया चण्डीगढ़ में 163 रुपया, दिल्ली में 175 रुपया है। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, कन्स्ट्रक्शन एण्ड मेन्टीनेन्स बोर्ड के लेबर को राजस्थान में 5 रुपया और 130 रुपया महीना मिलता है, जब कि पंजाब में यह दर 5.50, हिमाचल प्रदेश में 5.25 रुपये और 157.50

(श्री एच. एन. शर्मा)

रुपया महीना है। चन्डीगढ़ में 6.25, दिल्ली में 6. 75 रुपया मिलता है। अध्यक्ष महोदय, आप इस तरह से कम्पेरिजन करेंगे तो राजस्थान मिनीमम वेजेज···

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम मसला है, थोड़ा समय और दें।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में मिनिमम वेजेज अन्य स्टेट्स के मुकाबले कम हैं। हमारे यहां राजस्थान में 3 लाख मजदूर हैं। इन 3 लाख मजदूरों में से करीब 30 हजार मजदूर, आज राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों पर, अपनी मांग को लेकर आये हैं···

श्री समरथ लाल : तीन लाख नहीं 5 लाख मजदूर हैं···

श्री एच.एन. शर्मा : बड़ी मेहरबानी है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन 5 लाख मजदूरों के हितों को देखते हुए मिनिमम वेजेज को बढ़ाया जाना चाहिए और एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। यह मिनिमम वेजेज बढ़ा कर कम से कम 250/– रुपया पर मन्थ कर देना चाहिए। 250/- रुपया पर मन्थ बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। यह जो क्षति पूर्ति अधिनियम है, वह भी प्राइस इण्डेक्स के अनुसार बढ़ना चाहिए। "In Punjab and Chandigarh minimum rates of wages in all the above employments are linked to the Consumer Price Index. The rate of neutralisation is 75 paise per point in the case of shops and commercial establishments (where monthly rate of wage has been fixed) & in respect of remaining employments it is 2.5 paise per point (where, daily rate has been fixed)". अध्यक्ष महोदय, हरियाणा को आप देखेंगे, वहां पर कन्जूमेट प्राइस इन्डेक्स के हर एक पाइन्ट पर एक रुपया पर पाइन्ट इनका बढ़ाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो क्षति पूर्ति अधिनियम है, उसमें बढ़ोतरी, मिनिमम वेजेज निर्धारित करते वक्त यह जो प्राइस इन्डेक्स है, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब मजदूरों की नैक्स्ट मांग पर आता हूं। यह आवास की समस्या के बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में आप देखेंगे तो कुल मिला करके 2520 भवन बनाये गये हैं और अब 72 भवन बनाये जा रहे हैं, ये भी कोटा में बनाये जा रहे हैं। इस प्रकार कुल भवन राजस्थान में 8000 हैं और मजदूरों की संख्या 5 लाख है। पर्सेन्टेज कितना हुआ, 6,7 पर्सेन्ट। अध्यक्ष महोदय, इन कर्मचारियों की आवास समस्या का समाधान राज्य सरकार को करना होगा। अगर नहीं करना चाहती है तो जो इन्डस्ट्रीज लगाने वाले हैं, बड़े उद्योगपति हैं उनको मजबूर करें कि वे मजदूरों के लिए साथ ही साथ फ्लेट बनावें। एक बात और कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, बड़ा अहम मसला है। 1979–80 में इस योजना के लिये केवल 3 लाख रुपये रखे गये। कर्मचारी थे 5 लाख और पैसा आवास के लिये केवल 3 लाख रखा गया। इस बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री एच. एन. शर्मा)

जानकारी देना चाहूंगा कि नगर आयोजना विभाग ने सूचित किया है कि 80–81 में इस योजना को बन्द कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि छठी पंचवर्षीय योजना में जो प्रावधान रखा गया है कर्मचारियों के लिये, उसके ऊपर अविलंब कार्यवाही की जानी चाहिये।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा समय लेकर एक पाइंट श्रम कल्याण केन्द्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सारे राजस्थान भर में केवल 10 श्रम कल्याण केन्द्र खुले हुए हैं। यह बड़ा अहम मसला है। श्रम कल्याण केन्द्र तो कम से कम ज्यादा खोलें। मेरा श्रम कल्याण मंत्री जी को निवेदन है कि अधिक से अधिक श्रम कल्याण केन्द्र खोलें, जहां पर फैक्ट्रियों से हारे थके मजदूर आकर मनोरंजन कर सकें, पत्र-पत्रिका पढ़ सकें, ज्ञान अर्जन कर सकें।

आज मजदूरों के सबसे बड़े त्यौहार के बारे में हम जानकारी लें तो उनका सबसे बड़ा त्यौहार है एक मई। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मई दिवस पर उनको छुट्टी नहीं मिलती। एक मई को सार्वजनिक अवकाश बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के, श्रम मंत्री जी द्वारा घोषित किया जाना चाहिये, ताकि मजदूरों को मालूम हो कि सरकार उनके लिये सचेत है और जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनके लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बड़ा लम्बा चौड़ा मसला है मजदूरों का···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, काफी बोल चुके हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : आंकड़े दिये जाते हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन विटवीन लेबरर्स है। इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर दो बजे समाप्त होना चाहिये। मैं संकेत कर देता हूं।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा सुझाव जो श्रम मंत्री जी को दिये गये हैं उनकी पालना होगी और आज ही श्रम मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रमिक जगत को राहत देने के लिये निश्चित घोषणा की जायेगी। आपने समय दिया इसके लिये आपका धन्यवाद करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

तारांकित प्रश्न का स्थगन

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह मौका मैं इसलिये हासिल कर रहा हूं क्यों कि दो बजे के बाद आप श्रीमान् के बाद उपाध्यक्ष महोदय आ जायेंगे। आज एक प्रश्न था प्रश्न सं. 799। उस प्रश्न को मंत्री महोदय ने स्थगित करवा दिया। मैंने जानकारी की तो मालूम हुआ कि स्थगित इस आधार पर करवाया गया कि प्रश्न के संबंध में आवश्यक सूचना इकट्ठी नहीं हो सकी···

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, सदन की यह परंपरा रही है, प्रश्न काल समाप्त हो गया, क्वेश्चन आवर नहीं रहा उसके दो घंटे बाद यह क्वेश्चन उठा रहे हैं। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं · · ·

श्री बजरंग लाल शर्मा : मेरी जानकारी में अब आया है।

श्री रामनारायण चौधरी : जानकारी का सवाल नहीं है। जब प्रश्न काल ही खतम हो गया तो पाइन्ट आफ आर्डर द्वारा जानकारी करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मैं जानकारी मिलने पर ही जानकारी आपके सामने रख सकता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : क्या वापस क्वेश्चन आवर शुरू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न तो, माननीय सदस्य, नहीं है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मैं बोल तो दूं पूरी बात। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन को सुन लिया जाय उसके बाद आप व्यवस्था दें या न दें या कक्ष में आने की अनुमति दें। मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय · · ···

(व्यवधान)

मेरी बात सुनने से पूर्व ही माननीय सदस्य खड़े हो गये।

श्री किशनसिंह भाटी : श्रीमान को सबमीशन करने से कोई कैसे रोक सकते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरी बात सुनने के बाद व्यवस्था दें, पहले मेरी बात तो समाप्त होने दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी बात बिना नियमों के पहले कैसे सुनी जायेगी। लाखों मजदूरों का प्रश्न है, जयपुर में ऐसा प्रथम बार हुआ है। आज तक इतनी बड़ी तादाद में मजदूर नहीं आये। मै पांच मिनट का समय लूंगा · · · ·

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी को अपनी आवाज सुनने का ज्यादा शौक है। पहले मेरी बात पूरी कर लेने दी जाय। उसके बाद आप अपनी बात कहिये। इसको पूछा क्यों नहीं जा सकता ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप अवहेलना कर रहे हैं।

श्री गुल मोहम्मद : व्यवस्था का प्रश्न तो किसी भी समय उठाया जा सकता है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मंत्री महोदय ने कहा कि आवश्यक जानकारी नहीं आई है इसलिए उत्तर नहीं दिया जा सकता। मेरी सूचना यह है कि जब मंत्री महोदय ने कहा उससे पूर्व, लिखित में, प्रश्न का उत्तर विधान सभा सचिवालय में पहुंच चुका था। प्रश्न यह है कि क्या मंत्री इस तरह से हाउस में जवाब दें कि आवश्यक सूचना नहीं आई है इसलिये प्रश्न स्थगित कर दिया जाय ? इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के प्रति क्या व्यवस्था हो ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बजरंगलाल जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने सदन को आश्वासन भी दिया है कि स्थगित प्रश्न को शीघ्रातिशीघ्र में सदन के अन्दर प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। माननीय सदस्य, सदन का समय बहुमूल्य है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस पर व्यवस्था क्या हुई ? मंत्री अगर यह कह कर एडजार्नमेंट लेते हैं कि प्रश्न का उत्तर नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में सदन का क्या कर्तव्य है ?

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य काफी अच्छी तरह जानते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं ? आप उनसे अवगत न हों ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। आप नियमों के अन्तर्गत मोशन लाइये, मैं एग्जामिन करूंगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : निश्चित रूप से व्यवस्था का प्रश्न है। किसी भी बिन्दु पर अध्यक्ष माइण्ड अप्लाई करके निर्णय लें यह व्यवस्था का प्रश्न···

श्री अध्यक्ष : There should be no arguement. आप मोशन लायेंगे, उसको, एग्जामिन करूंगा। मंत्री जी ने सदन को मिस-गाइड किया या नहीं यह तो देखने के पश्चात् ही निर्णय ले सकता हूं। अब आप कृपया सदन का समय नष्ट न करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपका भी ले लूंगा।

श्री गुल मोहम्मद : कच्ची बस्तियों के मामले में है।

श्री अध्यक्ष : कच्ची बस्तियां नहीं हैं आज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री गुल मोहम्मद : कच्ची बस्तियों के बारे में स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : मुझे सूचना नहीं मिली है। माननीय श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर, Just two minutes.

श्री ईश्वरचन्द : रामनारायण जी जो बात कर रहे थे कि चार यूनियनें शामिल हैं··

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे दल से सम्बन्धित जो यूनियन है उसमें मेरे दल के नेता नहीं हैं लेकिन उन्होंने मुझे अनुमति दी है और मुझ से कहा है कि मैं अपने दल की बात रखूं, आपकी अनुमति से, सदन के सामने। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे 5 मिनिट का समय दें तो बड़ी अनुकम्पा करेंगे।

श्री एच. एन. शर्मा : हिन्द मजदूर सभा है उसमें ?

श्री रामनारायण चौधरी : वह नहीं आई है।

श्री एच. एन. शर्मा : जानकारी नहीं है आपको।

श्री रामनारायण चौधरी : वह छोटी यूनियन है, हमारी महत्वपूर्ण यूनियन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(७२)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, अलग अलग मैटर का सवाल नहीं है। आपके प्रस्ताव साथ ही बोल दें। कुछ समय माननीय सदस्य श्री ईश्वरचन्द्र जी बोल लें उसके बाद आपका जो प्रस्ताव है उसके साथ में मजदूरों की समस्याओं के साथ बोल दें। आप दोनों प्रस्तावों पर विचार रखने के लिए आमन्त्रित हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : वह मैं फोरगो कर दूंगा। मेरे दल के...

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता नहीं हैं...

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा दल तो है। नेता नहीं है तो क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : यह ट्रेड यूनियन के बारे में ए. बी. सी. डी. नहीं जानते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह विरोधी दल के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और भूतपूर्व नेता भी हैं इसलिए इनको बोलने का अधिकार है।

श्री मथुरादास माथुर : एक मिनिट।

श्री अध्यक्ष : वह वरिष्ठ नेता हैं यह मुझे माननीय खेतसिंहजी को कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्य को मौका दूंगा दो मिनट के पश्चात्। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमान, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, खास तौर से आज जब मजदूरों के संगठन मिलकर आपके सामने आये हैं आपकी मांगों को लेकर, इसलिये पोलिटिकल बातचीत इन्वाल्व्ड है। जो कहना चाहते हैं उनको दो-दो मिनट का मौका मिलना चाहिए। पहले भी आये हैं और उसके ऊपर बोला गया है।

श्री ईश्वरचन्द्र : सी. पी. आई. के बोल चुके हैं, कांग्रेस के लोग बोल चुके हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : कांग्रेस (आई) का कोई नहीं बोला है। कांग्रेस और कांग्रेस (आई) यहां सबसे बड़ा दल है। आर्डिनरी आदमी बोल रहे हैं उसका ध्यान नहीं रखते हैं। मेरी इजाजत है। क्या है वह दल ?

श्री एच. एन. शर्मा : जिस व्यक्ति को, जिस माननीय सदस्य को यूनियन की ए. बी. सी. डी. नहीं आती है वह क्या बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा नम्र निवेदन है कि आर्डिनरी एडजोर्नमेंट मोशन की तरह न समझ कर राज्य सरकार का ध्यान मजदूरों के चार संगठनों ने जो ज्ञापन दिया है, उसके बारे में आकर्षित करने के लिए दल के लोग अपनी हर एक बात रखना पसन्द करेंगे। मुझे इतना ही निवेदन करना है; बाकी बहुत से लोगों को बहस का मौका दिया गया है। मैं और मेरा दल इसका हार्दिक समर्थन करते हैं। राज्य सरकार इसके ऊपर चाहे माथुर कमेटी बनायें, इस पर विचार करके इनकी मांग को पूरा करने की कृपा करें। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर मजदूर आये हैं उनमें, माननीय रामनारायण जी की सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं, हिन्द मजदूर सभा भी भाग ले रही है। हिन्द मजदूर सभा आज देश का सबसे बड़ा मजदूरों का संगठन है।

श्री रामनारायण चौधरी : 5 मजदूर नहीं आये हैं।

श्री ईश्वरचन्द : खेतसिंह जी, मजदूरों के ट्रेड यूनियन के राइट्स जब आप ने खतम किये थे उस वक्त आपकी ट्रेड यूनियन के प्रति सहानुभूति कहां गई थी? इस की ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं।

श्री एच. एन. शर्मा : यूनियन की ए. बी. सी. डी. नहीं जानते हैं और लेबर के मसलों पर ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे श्रम मंत्रीजी कृपया एक समस्या की तरफ तुरन्त ध्यान दें कि जो लेबर सैक्रेटरी, लेबर कमिश्नर आई. ए. एस. आफिसर्स को बना रखा है उनका तुरन्त कृष्णमुख करिये। अगर आप यह चाहते हों कि मजदूरों का हित हो, उनके बारे में अवार्ड्स हों उनके मामलों में रेफरेन्सेज हों। आपने आई. ए. एस. की लॉबी का ग्रुप बना दिया है तो लेबर डिपार्टमेंट को कृपया उससे मुक्त करें जो आपके आदमी हैं, लेबर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको परमोशन दें और उनको इन पदों पर बैठायें पहली बात तो मैं यह करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि जो रेफरेन्सेज होते हैं, 6-6 साल तो रेफरेन्स करने में लग जाते हैं। इसका आप समयबद्ध कार्यक्रम बनायें। कोई मामला या विवाद आता है वह नहीं सुलझता है तो तीन महीने के अन्दर अन्दर रेफरेन्स करवा दिया जाय, तब जाकर काम होगा।

दूसरा, जो अवार्ड्स दिये जाते हैं उनके बारे में जब विधान सभा में सवाल करते हैं तब जाकर विभाग के कानों पर जूं रेंगती है, तब जाकर मामले को तैयार कर समस्याओं का निराकरण करते हैं। श्रीमान्, अवार्ड्स के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप विभाग से जानकारी लें कि कितने अवार्ड्स पेंडिंग हैं जिनको अब तक एक्जीक्यूट नहीं करा पाये हैं।

मुझे कृषि मजदूरों के बारे में निवेदन करना है। उनका बहुत बड़ा सवाल है। जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उसमें संगठित और असंगठित मजदूरों और बान्डेड लेबर की प्रॉबलम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रीजी ने कोटा क्षेत्र के बान्डेड लेबरर्स को काम दिलाने के लिए यह कहा है कि कोटा में एक टेक्सटाइल मिल खोलेंगे। मैं समझता हूं कि यह आगे आने वाली बात है। मुझे जानकारी है कि श्री बृजेन्द्र सिंह जी रिटायरमेंट के बाद वहां के मैनेजिंग डाइरेक्टर होना चाहते हैं इसलिए उनके लिए यह योजना बनाई गई है। बान्डेड लेबर का रिहेबिलिटेशन टैक्सटाइल मिल के द्वारा नहीं हो सकता है। कृपा करके उनको जमीन दें, उनकी छोटी-छोटी सहकारी समितियां बनायें, कुटीर उद्योग चलायें। राजस्थान में 77000 बान्डेड लेबरर्स हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोग हैं अपनी पार्टी में जो कि हाली रखते हैं, हाली से काम करवाते हैं और काम कराकर उनको खाली रोटी कपड़ा

(श्री ईश्वर चन्द्र)

देते हैं। यह मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जिनके सामने जब भी बान्डेड लेबर का सवाल उठता है तो उनमें बहुत तिलमिलाहट होती है। गान्धी पीस फाउन्डेशन ग्रौर नेशनल लेबर इन्स्टीट्यूट ने एक सर्वे किया है, उनको वे ग्राइडेन्टीफाई करेंगे उन लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए एक करोड़ की योजना बनाई है...

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, यह ग्राप इनसे एग्रीकल्चर लेबर पर बुलवा रहे हैं जब कि मामला इन्डस्ट्रियल लेबर का है।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। ग्रगर कोई समस्या महत्वपूर्ण है ग्रौर उस समस्या को लेकर 15-15 सदस्य एक साथ चर्चा उठाना चाहते हैं तो भारतवर्ष की किसी भी विधान सभा में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि 15-15 माननीय सदस्यों को मौका दिया जाय। एक-एक माननीय सदस्य 6-6 मिनिट भी बोलें तो 15 बाई छः, 90 मिनिट, यानी डेढ़ घन्टा हो जाय, तो ग्रब यह सदन में सुचारु रूप से प्रस्ताव कैसे चल सकता है? यह ग्राप स्वयं विचार करें। ग्रगर ग्रासन स्वीकार करना चाहे प्रस्ताव तो उस पर ग्रापत्ति होती है। कठोर ढंग से मैं व्यवस्था नहीं करूं तो सदन की कार्यवाही सुचारु ढंग से चलाने में एक समस्या, एक बड़ी संदिग्ध ग्रौर एक विषम परिस्थिति पैदा होगी। ग्रतएव माननीय सदस्यों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि मेरे निवेदन को स्वीकार करें ग्रौर मुझे सहयोग दें।

श्री मदनसिंह दांता : एक लाख मजदूर भी यह चाह रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यान ग्राकर्षित किया है। यह संगठित ग्रौर ग्रसंगठित दोनों के बारे में है।

(व्यवधान)

इसमें लिखा हुग्रा है कि प्रदेश के संगठित ग्रौर ग्रसंगठित पांच लाख मजदूरों के प्रतिनिधि ग्राये हैं। मैं एक निवेदन कर देता हूं कि ट्रेड यूनियन कवच भी है ग्रौर कैदखाना भी है। जो शोषण ग्रौर विषमता है, उसको जोड़ेंगे तो ये कवच है, व नहीं जोड़ेंगे तो कैदखाना होकर रह जावेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, जो लोग ग्राये हैं...

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका खानों के पट्टों का भी लेना है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह हम छोड़ देंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप किस पर बोलेंगे?

श्री रामनारायण चौधरी : यह जो प्रदर्शन हो रहा है, इसी पर बोलूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : दो लाख पत्थर की खानों के सम्बन्ध में?

श्री रामनारायण चौधरी : वह छोड़ दिया।

श्री ग्रध्यक्ष : तो ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, बाहर प्रदर्शन हो रहा है। उनकी जो भी मांगें हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मुझे बड़ा ग्रफसोस है

(श्री रामनारायण चौधरी)

कि जो मजदूरों की हिमायत करने वाले हैं और जो आज सत्ता में बैठे हैं, आज वही मजदूरों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। पिछले विधान सभा सत्र में श्रम मंत्री, माननीय केदार साहब ने कहा था कि जो डेलीवेजेज 5/–रुपया मिनिमम वेजेज है, वह वे रिवाइज करने जा रहे हैं। पिछली विधान सभा सत्र में कहा था लेकिन आज तक उस सम्बन्ध में सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की है। जो मिनिमम वेजेज इण्डस्ट्रियल लेबर को मिल रहा है, इसमें भारी परिवर्तन हो गया है। जो चार साल पहले पा रहा था, उससे कहीं ज्यादा पहुंच गया है। विभिन्न अवार्ड के द्वारा कितना फायदा हो गया है। यह कांग्रेस शासन में तय हुआ था। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज आप कितने निष्क्रिय हो गये हैं। आज मजदूरों की परवाह नहीं कर रहे हैं। आपका वह जोश कहां चला गया है? इमर्जेन्सी में लेबर आज से ज्यादा सुखी था। आज ज्यादा दुखी है। जार्ज फर्नाण्डिस रेलवे मजदूरों के बोनस के लिए कहा करते थे। आज उनका वह जोश कहां चला गया? मान्यवर, यह सब कहने की बातें हैं। यह सरकार अपने को मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार कहती है। मजदूर आज दुखी है। आज आम जनता भी दुखी है। किसान भी दुखी है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं कह सकता हूं कि आज उनका कोई भी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी क्यों करते हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : जो उनके कार्यक्रम हैं उनकी क्या स्थिति है? आज उनकी सड़कों पर क्या स्थिति है? लॉ एण्ड आर्डर की क्या स्थिति है?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कांग्रेस सरकार ने तो मजदूरों का गला घोंटा है। हड़ताल करने का अधिकार छीना है। आपने मजदूरों के विरुद्ध नीति अपना कर उनके साथ क्या क्या किया है? आपको मजदूरों के अधिकारों पर बोलने का कोई हक नहीं है। पहले उनसे माफी मांगों फिर बात करने की हिम्मत करो।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सत्य बात कहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मजदूरों से माफी वह मांगे क्यों पहले वादा करते हैं फिर उनको पूरा नहीं करते हैं। जो कांग्रेस शासन ने किया, आज सारे कानून कायदे वही चल रहे हैं। आपका क्या कण्ट्रीब्यूशन है। आप एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : आपको कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : 4 साल पहले जो कार्यक्रम तय किया था, वेजेज पालिसी बनाई, उसमें आपने क्या चेंज किया है?

श्री अध्यक्ष : पेमेन्ट आफ बोनस बढ़ाया आपने?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : वह आदेश आप उनको देना। कानून के आधार पर आपने क्या सुधार किया है ? एग्रीकल्चर में, इण्डस्ट्रीज लेबर में आपने क्या सुधार किया है ? मैं मांगों का समर्थन करता हूं। आप यह घोषणा करें कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं ? वहां आपको उनसे मिलने के लिए जाना चाहिये।

(व्यवधान)

आप कहते हैं कि जाने की परम्परा नहीं है। आप 30 सालों की इतनी बातें तोड़ रहे हैं, तो इसको तोड़ने में क्या दिक्कत है ? आपको उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। आपको क्या दिक्कत है ? आपको उनके बारे में घोषणा करनी चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि यह जो गरीब और मजदूर हैं, इनकी जो पालिटिकल पार्टीज बैठी हैं यही सब लोग मजदूरों के लिए संकट हैं। यह मजदूरों के संग में हैं। हिन्दुस्तान में मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी चीज होगी। वह आपस में लड़ा दें। उनके कपड़े फड़वा दें। इनकी व्यवस्था बिगड़ गई है। मजदूरों का एक अलग संगठन हो। वह दिन शुभ होगा जब लेबर पार्टी अपनी बनेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं अभी चौपड़ पर गया था। वह कहेंगे, मैंने यह मांग मनवा ली है। कांग्रेस वाले कहेंगे कि हमने ज्यादा जोर दिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दांता साहब भी यह कहेंगे कि हमने जन-जागरण पार्टी से यह कराया है।

श्री मदनसिंह दांता : जन-जागरण पार्टी तो जो शिल्प लेता है, उसको शिल्प मिलता है। जो पत्थर लेगा उसको पत्थर मिलेगा। पर अभी कार्यक्रम पर विचार नहीं हुआ है।

श्री केदार नाथ (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, हां पक्ष से और ना पक्ष से आज हजारों मजदूर आये हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रदर्शन जो सोशल चेंज ला सकते हैं, जो डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं, जो आन्दोलन समानता के लिहाज से सोशल डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं, इस सरकार ने उन आन्दोलनों का स्वागत किया है, और करेगी।

मैं इस विश्वास के साथ अभी माननीय रामनारायण जी बोल रहे थे कि दो साल में क्या किया, मैं उनको याद दिला दूं, आपने इमर्जेन्सी के दौरान लेबर का फण्डामेण्टल राइट छीन लिया था। 20–25 साल से जिस हथियार को लेकर मजदूर लड़ते हुए आ रहे थे जो इमर्जेन्सी में छीन लिया गया था वह हमने वापिस रेस्टोर किया। बोनस का फैसला सन् 1956 में हो गया था, इमर्जेन्सी में उस पर भी रोक लगा दी गई थी, हमने उसको 20 पर्सेन्ट और 22 पर्सेन्ट तक बढ़ाया है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि डी सी.एम. ने कोटा में इस साल 20 पर्सेन्ट बोनस के अलावा 600 रु. प्रति व्यक्ति और दिया है। इससे आपको मालूम होगा कि पिछले दो सालों में मजदूरों ने काफी कुछ हासिल किया है। मैं निवेदन करता हूं कि टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज में प्रत्येक वर्कमैन को जो 50/- रु. मिला है, यह हिन्दुस्तान में पहली बार हुआ है। इसके अलावा जो वर्कमैन सस्पेन्शन में रहेंगे उनको

(श्री केदार नाथ)

हाफ वेजेज मिलेंगी। अब उनको सात की जगह 10 छुट्टियां मिलेंगी। जो काण्ट्रैक्ट लेबर काम करती है उनको अब पांच की जगह सात रु. मिला करेंगे। सीमेन्ट फैक्ट्री में दो सालों में 90/-रु. तक की बढ़ोतरी हुई है। शुगर फैक्ट्रीज में 9 रु. की जगह 21 रु. का इन्क्रीमेन्ट मिला करेगा। इन्जीनियरिंग में 65/- रु. तक की बढ़ोतरी हुई है। पिछले दो सालों में छोटे उद्योगों में 9 रु. से 15 रु. की बढ़ोतरी हुई है। जीनिंग एण्ड प्रेसिंजन में 15 पर्सेन्ट तक बढ़ोतरी की गई है। आपने कहा कि मजदूर प्रदर्शन करते आए हैं, इन्होंने इण्डस्ट्रियल ट्रुस को कायम किया है, इन्होंने पैदावार बढ़ाने में और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में हमारा साथ दिया है तो यह आवश्यक है कि इनको भी उचित हिस्सा दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक महीने में मिनिमम वेजेज बढ़ा दिये जायेंगे और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जायगा। दूसरी बात जो आपकी सरकार नहीं कर पायी, 7 से 14 अर्न्ड लीव हासिल करते थे साल भर में, हमने 7 केजुअल लीव और 8 फेस्टीवल लीव होली, दीवाली के अलावा 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी और एक मई दिवस को भी अवकाश देने का फैसला किया है। इसके अलावा गुप्ता कमेटी की जो रिकमण्डेशन्स हैं उनका भी हम जल्दी ही फैसला करने वाले हैं। अब तक इण्डेक्स में पाइन्ट बढ़ता है तो सरकार 60 पैसे बढ़ाती है, अब कमेटी ने यह सिफारिश की है कि एक रुपया बढ़ाया जाय। मजदूरों ने कई स्थानों पर इसको 1 रु. 30 पैसा तक करवा लिया है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक इण्डस्ट्रियल रिलेशन बिल पार्लियामेन्ट में आया है, हम चाहते हैं सीक्रेट बैलेट के मार्फत यूनियन को मान्यता दी जाय। जब यह एक्ट बन कर आ जायगा तो हम भी इस पर विचार करके फैसला करेंगे।

श्री मूलचंद डागा : उसका तो आपकी पार्टी ने भी विरोध किया है।

श्री केदारनाथ : उसके लिए तीस आदमियों का एक पेनल बन गया है। उसमें देश के इकॉनॉमिस्ट हैं, और मजदूरों का हित चाहने वाले हैं, वे अपनी राय देंगे और सलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। जो भी अच्छे पाइन्ट्स होंगे, मजदूरों के हितों की बात होगी वे हम इस बिल में इण्ट्रोड्यूस करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मिनिमम वेज कितना बढ़ रहा है?

श्री केदारनाथ : अभी फैसला नहीं हुआ है लेकिन दो रुपये से कम नहीं होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : 25 पर्सेन्ट प्राइसेज बढ़ गई हैं।

श्री केदारनाथ : सारे इण्डिया की हालत और ज्योग्राफिकल कण्डीशन को देखते हुए आप विचार करिये। मेजर इर्रीगेशन में अलग होगी, माइनर इर्रीगेशन में अलग होगी। रूरल इकानामी, जो देश का आधार है, आधार पर गवर्नमेंट ने देने का फैसला किया है। फेमिली की यूनिट का क्राइटेरिया है, के इस तरह से पांच पाइन्ट्स हैं जिनको आधार मानकर चल रहे हैं, यह पहली बार हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी : 10/- रु. एटलीस्ट होना चाहिए।

श्री केदारनाथ : अब यहां पर हाउसिंग प्राब्लम की भी बात कही गई। केन्द्र की सरकार ने पहली बार हाउसेज रेन्ट पर अलाट किये हैं। यह फैसला किया है कि उनको नो-प्रोफिट नो-लॉस के आधार पर मिल्कियत के अधिकार दिये जायं। आइन्दा किस प्रकार से इनको हाउसिंग की सुविधायें दी जायं इसके लिए भी स्कीम बनाई जा रही है। सरकार के प्लान में पैसा नहीं है। अब जो भी नई इण्डस्ट्रीज आयेंगी, यह निश्चित कर दिया जायगा कि इतने मकान, मजदूरों के लिए बना कर देंगी। हाउसिंग बोर्ड में भी कुछ इनके लिए रिजर्वेशन किया जायगा, इस नीति को हम मानते हैं।

मैं मजदूरों के साथ मिलने जाऊंगा। जो परम्पराएं निकम्मी हैं हम उनको तोड़ेंगे। मैं हाउस की तरफ से उनका स्वागत करूंगा। मैं उनसे मिलूंगा और उनके डेपूटेशन से बात करूंगा।

श्री अब्दुल अजीज : बात शुरू भी हो गई है, मुख्य मंत्रीजी से।

श्री केदारनाथ : इसलिए अब मैं भी जा रहा हूं।

श्री अब्दुल अजीज : लेबर वैलफेयर सैन्टर कितने खोले ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : बात तो मुख्य मन्त्रीजी ने कर ली अब आप क्यों कष्ट कर रहे हो।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव, बिजली की फ्लेट रेट कायम कर देने के बाद भी किसानों को अधिकारी लोग परेशान कर रहे हैं, इसके सम्बन्ध में है। अध्यक्ष महोदय, काफी अर्से के बाद इस सरकार ने घोषणा की कि हम फ्लेट रेट कर रहे हैं और इसका डिसीजन ले लिया है। जो बिजली खेती के उपयोग में आती है ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मेरा निवेदन है कि सात माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, दो बोल लें या तीन बोल लें।

श्री रणजीतसिंह : समय कम लेंगे लेकिन बोलेंगे सभी।

श्री माधवसिंह दीवान : किसानों को खुशी हुई कि फ्लेट रेट कायम कर दी गई, परन्तु विभाग के लोग असहयोग कर रहे हैं। 5 हार्स पावर और साढ़े सात हार्स पावर के इन्जिनों को डिक्लेयर भी कर दिया, उसके बाद भी किसानों पर और कई बातें लागू की जा रही हैं, जैसे कि पानी कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है। इसको इतना काम्प्लीकेटेड बना रखा है कि कोई भी किसान आगे नहीं आ रहा है। यह सिर्फ नारेबाजी और घोषणा ही बनकर रह गई है। किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। आपने घोषणा तो कर दी फ्लेट रेट करने के लिए लेकिन इसको लागू करने के लिए इतना काम्प्लीकेटेड बना दिया है। एक प्रतिशत किसानों ने एप्लाई किया है, 99 प्रतिशत किसान इसमें नहीं आ रहे हैं। खाली घोषणा ही करनी थी तो क्यों की, जिससे फायदा सिर्फ एक पर्सेन्ट आदमियों को

(श्री माधो सिंह दीवान)

मिला है ? जब किसान जाता है तो उससे बाबू कहते हैं यह फार्म नहीं है वह फार्म नहीं है। सबके पास सूचना चली गई, एक कुए में से एवरेज 20–25 किसानों के कुएं सिंचित होते हैं, कनेक्शन एक आदमी के नाम से होता है लेकिन सबके खेतों में पानी जाता है। विभाग वाले कहते हैं जिस आदमी के नाम से कनेक्शन है उसी के खेत की सिंचाई हो सकती है और यदि दूसरे आदमी को पानी देता है तो तीन गुना वसूल किया जाएगा। पहले ही किसान बिजली विभाग से डरा हुआ है, कभी उसका कनेक्शन काट देते हैं, फ्यूज निकाल देते हैं। अगर ऐसा कर दिया तो उसके 12 बज जायेंगे। मैंने कई पत्र विद्युत मंत्री को लिखे लेकिन सबका जवाब गोलमाल। सिर्फ घोषणा ही करनी थी या कुछ करना भी चाहते हैं ? आशा है इस बात पर विचार करेंगे। अगर जरूरी हो तो हम आपके साथ बैठें, हम आपको सुझाव दें। आज तक भी कुओं से पानी नीकलता आ रहा है, अलग अलग खेतों की पिलाई होती रही है। जब आपने हार्स पावर पर एक रेट फिक्स कर दी तो उसके बाद क्या मतलब है वह पानी निकालकर किसको दे रहा है किसको नहीं, उसमें आप क्यों काम्पलीकेशन्स पैदा कर रहे हैं ? हम आशा करते थे कि विद्युत मंत्री प्रोफेसर रहे हैं, आप विभाग से मिसगाइड नहीं होंगे, लेकिन विभाग आपको मिसगा-इड कर रहा है। आशा है आप खुद अपना दिमाग यूज करेंगे और मिसगाइड नहीं होंगे। किसान को जो राहत देने की हिम्मत की है उसको पूरा करेंगे और हार्स पावर कोई पाबंदी नहीं रखेंगे। क्यों तरह-तरह के काम्पलीकेशन्स लगा रखे हैं ? इसलिए आप कृपा करके किसान को पूरी राहत दें।

श्री मदनसिंह दांता : जहां पर 4–5 भाई हैं वहां तो ठीक है, लेकिन एक कुएं वाला 20 किसानों को पानी दे रहा है…

(व्यवधान)

सच्ची बात से आप क्यों घबराते हैं ? मैंने अध्यक्ष को संबोधित किया है, आप मुझे नहीं बिठा सकते। ये फिर जागीरदार बनना चहते हैं, दूसरों से पिलाई के पैसे वह आदमी लेता है आप विभाग को खतम करना चाहते हैं, यह गलत मांग है। एक जना 20–20 खेतों को पानी दे रहा है।

श्री रतनलाल वर्मा : एक कुएं से 20 खेतों पर पानी दें, यह सही नहीं। चाहे दो किसान हों चाहे तीन हों, लोग दूसरे लोगों की जमीन पर पानी ले जाते हैं, यह गलत है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में फ्लेट रेट लागू की है वह तो ठीक है, लेकिन फ्लेट रेट लागू होने के बाद एक तो एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में जो 10 हार्स पावर से ज्यादा मोटर्स लगी हुई हैं उन पर यह लागू नहीं की। दूसरे, फ्लेट रेट लागू की गई है वह जिसने एप्लाई किया है केवल उसी पर लागू होगी। कुए में हिस्सेदार हैं, 4 भाई भी अगर हैं लेकिन यदि फार्म में नाम नहीं है तो उस आदमी से ट्रिपल पैसे लेंगे। यह बड़े अधिकारियों की बदनीयत है और शोषण करना चाहते हैं, इससे भ्रष्टाचार फैलेगा। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और बाबुओं में बाकायदा करप्शन होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां 4 पार्ट-नर्स हैं, वास्तव में जो हिस्सेदार हैं या भाई

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हैं जिनका कुआ है उसको इसका फायदा मिलना चाहिए आप इसमें आमूलचूल परिवर्तन करें और वापस दरख्वास्तें मंगायें। 4 आदमियों के नाम जब लिख रहे हैं, फार्म भरे हैं, तो जिसमें कनेक्शन लिया हुआ है उस कनेक्शन में जो हिस्सेदार हैं उन सबके नाम होने चाहिए।

राजस्थान में जहां 150 फीट गहरा कुआ है वहां 3-4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं चलती है। 10-20 हार्स पावर की मोटर्स हैं वहां पर भी पलेट रेट लागू करें नहीं तो किसानों को हजारों रुपये का नुकसान होगा। 10 हजार की फसल होती है और 10 हजार के बिजली के बिलों का भुगतान करना पड़ता है इसलिए 20-25 हार्स पावर पर भी फ्लेट रेट लागू करें और उनके रिश्तेदारों को भी फायदा दें।

श्री माधोसिह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे जैसी उम्मीद थी जब जनता पार्टी की सरकार आई, जितने सेशन्स हुए उनमें बिजली की पलेट रेट के लिए माननीय सदस्यों ने काफी जोर से आपके सामने किसानों की समस्यायें रखीं। जो बिजली कर्मचारियों द्वारा किसानों को असुविधा होती है, मीटरों की और दूसरी जो भी समस्या उनके सामने आती है, उसके समाधान के लिए आपसे फ्लेट रेट के लिए निवेदन किया गया था। हमें आशा थी कि आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे जिससे नीचे के कर्मचारियों व किसानों के बीच में समस्या पंदा न हो और किसानों को परेशानी न हो। आज किसानों का हरेसमेंट इस फ्लेट रेट द्वारा वैसे का वैसा बना हुआ है। आपने फ्लेट रेट की घोषणा की वह हार्स पावर पर की है, हार्स पावर करने के बाद में, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, दूसरों की जमीन को पानी दें। मेरा निवेदन है कि जब पलेट रेट हार्स पावर पर कायम की तो उसके अन्दर से पानी निकालने के सम्बन्ध में आपको क्या ऐतराज हो सकता है चाहे दूसरे लोगों की जमीन को पिलायें या अपनी जमीन को पिलायें ? इस तरह का समस्या को बिजली कर्मचारियों पर मत छोड़िए नहीं तो वही मीटर वाली समस्या हो जाएगी, मीटर की सील टूट गई, मिनिमम चार्जेज नहीं आए। काश्तकार वापस देने जाएगा। वापस उन कर्मचारियों की इच्छा पर उनको चलना पड़ेगा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप विचार करें। जो आपने हार्स पावर पर पलेट रेट निर्धारित की है इससे दूसरी समस्या खड़ी कर दी है, विद्युत मंडल इसको खत्म करे। हमारे जिलों-सिरोही, जालौर व पाली में एक तरह से सामूहिक रूप से किसानों की खेती चलती है, 6-6 बावलियां होती है, हिस्से होते हैं। उन्होंने भी पहले एप्लीकेशन्स भरी थीं या बड़े काश्तकार के नाम से एप्लीकेशन दी उस पर आपने कनेक्शन दिया। वहां यह समस्या खड़ी हो जाएगी कि फ्लेट रेट की किसने एप्लीकेशन दी। वे कह रहे हैं कि जिस आदमी के नाम से कनेक्शन है उसके अलावा जितने हिस्सेदार हैं, उन को पानी नहीं मिलेगा। खाता एक है जमीन अलग बटी हुई नहीं है-तो फिर कौनसी समस्या आ गई जिससे दूसरे लोगों को पानी नहीं दे सकेंगे ? तो सारी समस्या उलझ गई है। इस समस्या को हल

(श्री माधोसिंह)

करने की दृष्टि से जो सुविधा दी थी वह, सुविधा अपने आप खत्म हो गई। इसलिए, बिजली मंत्री महोदय, मेरा अनुरोध है कि आप इस चीज को किसी तरीके से हल करने की कोशिश कीजिए।

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बोल रहा हूं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने जिस तरीके से राजस्व अभियान चलाया था उसी तरह से, जो काश्तकार इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उन सब तक कनेक्शन देने की फ्लेट रेट की जो नीति है उस नीति के बारे में जानकारी पहुंचायें, इस तरह का अभियान चलायें और जो समस्या पैदा हो रही है उनको हल करें। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आधे घन्टे की चर्चा।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : जवाब तो दे दें, मंत्री महोदय।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मुझे दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय, जो फ्लेट रेट रखी है यह उन काश्तकारों के लिए तो ठीक है, जिनके यहां पानी गहरा है, और जहां पानी गहरा उपलब्ध है और जहां दस हार्स पावर से ज्यादा मोटरें लगी हुई हैं। ऐसे क्षेत्र के काश्तकारों को तो फायदा है। मेरे इलाके में जहां ट्यूबवैल चल रहे हैं, ट्यूबवैल इसलिए चल रहे हैं कि जोधपुर को पानी हमारे इलाके से दिया गया। वहां ट्यूबवैल खोदे गये तो काश्तकारों को अपने कुएं गहरे करने पड़े और ट्यूबवैल की गहराई तक जाना पड़ा। वहां पर 17॥ हार्स पावर से एक भी ज्यादा पम्प लगे हुए नहीं हैं। इसलिये इससे फायदा होगा नहीं। बिजली विभाग में और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में हमेशा चोरी होती है। अगर बस वाले टैक्स की चोरी नहीं करें तो बस नहीं चला सकते। उसी तरह से जिनकी बड़ी मोटरें लगी हुई हैं वे लोग चोरी नहीं करें तो मामला चल नहीं सकता। चोरी तो होती है डिपार्टमेंट और काश्तकारों की मिली भगत से। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपका दिमाग साफ है तब तो आप रेट बढ़ा दें। साथ ही यह कर दें कि 10 हार्स पावर पर इतनी, 15 हार्स पावर पर इतनी 17॥ हार्स पावर पर इतनी, 20 हार्स पावर पर इतनी और 25 हार्स पावर पर इतनी रेट होगी यह तय कर दें इसके बाद मीटर प्रणाली खत्म हो जायेगी और काश्तकार और बिजली विभाग का झगड़ा नहीं रहेगा। अगर यह कह देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मारवाड़ में यदि कोई रेवेन्यू आपके विभाग को देता है तो मेरा सब-डिवीजन देता है। हम एक करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू बिजली विभाग को देते हैं। दूसरा सवाल यह है कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे यहां सामूहिक खेती है। आप प्रैक्टिकली देखिये कि दस आदमियों के बीच में एक

(श्री रणजीतसिंह)

कुआं खोदा हुआ है उसमें सारा परिवार ही शामिल रहता है। हालांकि सब का खाता एक ही है। कुए के कनेक्शन के लिए जाना पड़ता है तो एक ही आदमी जाता है न कि दस आदमी। उस एक आदमी के नाम पर ही कनेक्शन मिलता है। अब एक तो कनेक्शन लेना ही बहुत मुश्किल है। आपके न तो खेती है और न कभी आपने कनेक्शन लिया। आपके पास खेती होती और कनेक्शन लेना पड़ता तो मालूम होता कि काश्तकार को कितना पैसा कनेक्शन लेने के लिए देना पड़ता है। इसलिए एक ही आदमी गया और जाकर उसने कनेक्शन ले लिया। आज आप एक कनेक्शन पर फ्लेट रेट की बात करते हैं जबकि दस आदमियों का खाता एक है। जब कनेक्शन एक के नाम से है और खाते में दस आदमियों के नाम हैं तो आपका डिपार्टमेन्ट उनको परेशान करता है। आप एक अभियान चला दीजिए और प्रैक्टिकली देख लीजिए कि खेती सामूहिक है या नहीं।

आपने दो साल में पैंठ बनाने की कोशिश की लेकिन जितनी आपने वाहवाही लेनी चाही उतनी ही आपके गले में आ गयी। आपके पास अब तीन साल का समय और बाकी रह गया है। सबको पता लग गया कि एक पढ़ी हुई औरत एक अनपढ़ के घर में आ गयी। जब औरत ने दो चार शब्द अंग्रेजी के बोले और पूछा कि मेरी बात समझे, तो उसने कहा कि मैं समझ गया कि तू घर में रहने वाली नहीं है। अब आपकी भी सरकार जाने वाली है। आपको मैं सुझाव दूंगा कि आप अपनी पैंठ बनाने के लिए 25 हार्स पावर तक पैसे बढ़ा दें। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर गौर करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, दो दो मिनट करके बहुत हो जाता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप बड़े उदारमना हैं। मैं सिर्फ दो मिनट ही लूंगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय चाहते हैं कुछ परिवर्तन आये तो एक सदस्य महोदया भी बोलें, दो मिनट के लिए बोल लें।

श्री अयूब खां : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर ! माननीय सदस्य ने मिनिस्टर को स्त्री की उपमा देकर संबोधित किया है क्या यह उचित है ?

श्री माधोसिंह (रेवदर) : वह तो सत्ता के लिए कह रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सरकार रहने वाली नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि माननीय सदस्यों ने आज विद्युत् मंत्री जी का

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ध्यान जिस अहम मुद्दे की तरफ खींचा है उसके जरिये काश्तकारों की प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है उससे उनको बचाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दस हार्स पावर तक के बारे में जो आपने फ्लेट रेट का आप्शन किसानों को दिया है वह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शायद यह सुविधा फ्लेट रेट के आप्शन करने की आप डेजर्ट इलाके में और जो मार्जिनल या स्माल फार्मर्स हैं, उनको नहीं देना चाहते हैं। यह मैं इसलिए कह रही हूं कि जब आपने हार्स पावर को आधार मान लिया तो कन्डीशन डालने वाली कौनसी बात रह गयी कि यदि दूसरों के खेत में पानी देता हुआ पकडा जावेगा तो तीन गुना वसूल किया जायेगा।

(2.38 म. प.)

(श्री रामचन्द्र उपाध्यक्ष, पदासीन)

जब आपने अश्व शक्ति को आधार मान लिया तो अगला कुछ भी करे बेचे या कुछ भी करे। आपको तो पैसा आयेगा, आप को तो घाटा होगा नहीं। सवाल यह है कि जो रेगिस्तानी इलाका है, उस रेगिस्तानी इलाकों में थोड़ी जमीन है, बैंकों से या लैण्ड मार्टगेज बैंक से कर्ज लेकर लोगों ने कुए बना लिये। कुआं बना कर दस बीघा को ईरिगेट करते हैं और 12½ या 15 हार्स पावर की मोटर लगा रखी है। उससे दस बीघा अपनी खेती करता है और दस बीघा पड़ौसी की करवाता है तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? आपको नुकसान नहीं हो रहा है। एक तरफ तो आप अश्वशक्ति को आधार मानते हैं दूसरी तरफ कन्डीशन अटैच रखते हैं कि यदि दूसरे को देता हुआ पकड़ा गया तो तीन गुना वसूल करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह खेत किसका है किस का नहीं है, यह कैसे मालूम होगा? आज रेगिस्तानी इलाके में परम्परा है कि कुआं एक होता है लेकिन चार आदमी उससे अपनी जमीन सींचते हैं और अलग-अलग खेती करके अपना बंटवारा अपने हिसाब से करते हैं। जब आप कन्डीशन अटैच करेंगे इसका मतलब यह है कि रेगिस्तानी इलाकों को फायदा देने वाले नहीं हैं। स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स को फायदा नहीं देना चाहते हैं। जो यह आपने कन्डीशन रख रखी है इसको मेहरबानी करके हटा दीजिए जब आप यह कण्डीशन हटा देंगे तभी स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स और रेगिस्तानी इलाके की विद्युत सम्बन्धी कठिनाई दूर कर पायेंगे।

श्री बन्शीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जहां प्रकृति का अभिशाप है। दुर्भाग्यवश वहां पानी इतना गहरा है कि सामान्यतया छोटी पावर की मोटर लगा दी जावे तो पानी नहीं मिल सकता। इसलिए जिन क्षेत्रों में पानी बहुत गहरा है, इस प्रश्न को, इस पाइन्ट को महत्ता दी जाकर, ऐसे क्षेत्रों के लिए अपवादस्वरूप कुछ कन्सेशन रखा जाना चाहिये।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे रेगिस्तानी इलाके में एक कुएं से चार आदमी, 8 आदमी मिलकर जमीन जोता करते थे। किसी को दो बीघा जमीन हिस्से में आती थी, किसी को

(८५)

(श्री आलम अली खां)

कितनी। इसलिये माननीय सदस्य ने जो बताया है वह बिल्कुल सही है।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : एक काश्तकार जो फार्म भरता है उसी के नाम से सिंचाई कर सकता है। एक-एक बेरे के अन्दर 10, 10 काश्तकारों का हिस्सा है। फार्म एक नाम से दिया गया है। जिस समय सैटलमेंट हुआ है उस समय उस जमीन की पिलाई का साधन एक कुआं माना गया है। उस कुएं के अन्दर 10 भागीदार हैं। मिल कर उस कुएं को खोदा है और लगान वगैरह सीर में दिया है, परन्तु विद्युत् विभाग ने बड़ी भारी अड़चन लगा दी है कि उनको पानी नहीं मिले, सिवाय उस काश्तकार के जिसके नाम से फार्म है। यह बड़ी भारी डिफिकल्टी है। 100 में से एक को फायदा मिलने वाला है.....

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस कानून के अन्दर चेन्जेज लावें, नहीं तो किसी को राहत मिलने वाली नहीं है, इससे किसी काश्तकार को फायदा मिलने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री लाल शंकर डेंडोर : दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहें, कुछ बातों का समाधान करना चाहें, मन्त्री महोदय के बाद में कर सकते हैं, आपको अनुमति बाद में दूंगा। कृपया विराज जायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (विद्युत् मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फ्लेट रेट के बारे में माननीय सदस्यों ने कई विचार यहां प्रस्तुत किये हैं मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले केवल मीटर सिस्टम चल रहा था, उसके साथ-साथ फ्लेट रेट आई है. दोनों में आप्शन हुआ है। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे 1 प्रतिशत वालों को फायदा हुआ है, यह बात ठीक नहीं है, काफी पर्सेन्टेज है जिनको फायदा हुआ है। मीटर प्रणाली और फ्लेट रेट, दोनों के आप्शन होने के बाद बड़े पर्सेन्टेज को फायदा हुआ है, यह माननीय सदस्यों ने माना है....

श्री खंगारसिंह चौधरी : मेरे गांव के अन्दर एक कुआं है...

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : काश्तकारों को फायदा नहीं हुआ है। इस तरह की कोई बात नहीं है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : छोटे किसानों को लाभ मिलना चाहिये....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले केवल मीटर प्रणाली थी। उस मीटर प्रणाली में आने वाली कई कठिनाइयों से एक दूसरी प्रणाली सामने आई और किसान को दोनों प्रणालियों में से एक प्रणाली अपनाने का अधिकार दिया हुआ है। दोनों प्रणाली से 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, कोई भी हो, उस पर्सेन्टेज में फायदा हुआ है, यह

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सारे माननीय विधायकों ने माना है, इसलिये यह कहना गलत है कि नुकसान हुआ है। शायद किसी विधायक ने नहीं कहा है, मैं शुक्रगुजार हूं· · ·

श्री रामसिंह विश्नोई : हमने तो बात कही नहीं है· · ·

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुरूप, जनता शासन फ्लेट रेट लागू करने के लिये कृत संकल्प था। फ्लेट रेट लागू किये जाने की पृष्ठ भूमि में यह विचार था कि छोटे किसानों को नीचे तबके के कर्मचारियों द्वारा जो परेशानियां होती थीं उनसे उन्हें राहत दी जाय और छोटे काश्तकार को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये एक निश्चित मूल्य पर बिजली मिल सके। इस संकल्प के क्रियान्वयन में, राज्य सरकार के निर्णय के फलस्वरूप, राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 27 दिसम्बर, 1978 के अनुसरण में 1 जनवरी, 1979 से फ्लेट रेट्स लागू की गई। इस आदेश के अनुसरण में 10 अश्व शक्ति तक के सम्बद्ध भार वाले कृषि उपभोक्ता को फ्लेट रेट का आप्शन दिया गया। यह उपभोक्ता की इच्छा पर छोड़ दिया गया कि वह फ्लेट रेट के अन्तर्गत भुगतान करना चाहेगा या मीटर्ड सप्लाई रखना चाहेगा।

मूल आदेश के अन्तर्गत आप्शन देने की अन्तिम तिथि 31 जनवरी, 1979 रखी गई थी किन्तु कम समय एवं अपर्याप्त सूचना के कारण इस आप्शन से लोग महरूम न रह जायें, इसलिये आदेश दिनांक 24 फरवरी, 1979 के अन्तर्गत आप्शन देने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 1979 तक बढ़ा दी गई।

आप्शन के लिये यह भी प्रावधान रखा गया है कि प्रति वर्ष काश्तकार यह निर्णय कर सकता है कि उसे फ्लेट रेट ही रखना है या वह पुन: मीटर्ड सप्लाई पर आना चाहता है। प्रतिवर्ष जनवरी में इस प्रकार का आप्शन दिया जा सकता है, ताकि काश्तकार अपने एवं पड़ौसियों के अनुभव से अपना मानस बना सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक चर्चा यहां आई कि कई कुएं शामलाती रहते हैं। स्पष्ट रूप से सब जगह के लिये प्रावधान किया गया है। एक शिकायत जो मेरे समक्ष कई बार आई है वह शामलाती खातेदारी के कुओं पर लगे हुए पम्प सेट्स के सम्बन्ध में है। अगर पम्प सैट्स शामलाती खातेदारी में होकर, शामलाती नाम से हैं, तब तो जिन-जिन के नाम से कनेक्शन दिया गया है वे सभी पानी ले ही सकते हैं। यदि कनेक्शन किसी एक व्यक्ति के नाम से है, तो उसे कटाकर, शामलाती खातेदारी में शामलाती नाम से कनेक्शन कराने पर उसका लाभ फ्लेट रेट के अन्तर्गत उन सबको मिल सकेगा जिनके नाम कनेक्शन रिलीज किया गया है। अभी जैसे कहा गया कि एक नाम है और अगर शामलाती करना चाहते हैं, तो आपके सामने कहता हूं कि राज्य विद्युत् मण्डल बोर्ड 15 दिन में करेगा। आज एक शामलाती कुएं पर पम्प लगा हुआ है, एक के नाम से है, पम्प चार के नाम करवा दीजिये उसको अधिकार दे दूंगा।

एक माननीय सदस्य : कैसे कर सकते हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पूरी बात सुन लीजिये।

'जिनकी शामलाती खातेदारी है कुएं में और पम्प एक नाम से लगाया गया है, अगर पम्प को शामलाती खाते में ले आयेंगे...

(व्यवधान)

'मेरी बात तो पूरी सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कुएं की शामलाती की चर्चा की गई। मैं इसलिये कह रहा हूं, जैसी कि चर्चा की गई, अश्वशक्ति के आधार पर चार्जेज तय किये गये हैं। केवल इतनी सी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से कहना चाहता हूं, किसान को राहत देना एक बात है और दूसरी बात यह है कि विद्युत मण्डल चल सके। ऐसा न हो कि टिनेंट के साथ सब-टिनेन्ट्स चालू हो जायें, इतना भार न आ जाये कि विद्युत् मण्डल को समाप्त करना पड़े। इसलिये मीशन के रूप में अश्वशक्ति को लागू किया है। इस सारी प्रक्रिया से पैसा कितना आयेगा ? अभी 10 करोड़ का घाटा होगा। उसके बाद अगर यह व्यवस्था की गई सब-टिनेंट्स की, तो न इलेक्ट्रिसिटी का विस्तार होगा, न 20 हजार कुएं गए साल की तरह और न 25 हजार कुएं उस साल की तरह इलेक्ट्रिफाइड कर सकेंगे, और न अगले साल करने की आशा है। अभी यदि कर दिया तो हो सकता है कि विद्युत् मण्डल को बन्द करना पड़े। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह मेरे कहने में तो दोष हो सकता है, लेकिन हमने अश्वशक्ति के आधार पर किया है। शामलाती कुआ है, शामलाती पम्प है और शामलाती खेत हैं तो विद्युत् मण्डल को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शामलाती कुआं है, शामलाती जमीन है लेकिन शामलाती पम्प नहीं बनाया है और इस व्यवस्था के बाद पानी देते रहे तो इतना कन्जम्पशन होगा, जिसका कुछ कहना नहीं। मैं समझता हूं यह ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि आगे जाकर बन्द हो जाय। मैंने शामलाती कुआं, शामलाती जमीन और शामलाती पम्प, इन तीनों की डिफिकल्टियों को बता दिया है। अगर शामलाती कुआं है लेकिन शामलाती पम्प नहीं है, तो उसके लिये मेवाड़ से आने वाले बन्धु मार्ग दर्शन करेंगे, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि अगर शामलाती पम्प बनाना है तो 15 दिन में नाम चेन्ज करवाने की मेरी गारन्टी है...

(व्यवधान)

पूरी बात सुन लीजिये।

प्रश्न यह आता है कि एक पम्प किसी एक ने खरीद लिया और वह उस पम्प को शामलाती नहीं करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में अवश्य परेशानी हो सकती है...

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ शिकायतें और आई हैं। 10 हार्स पावर से ऊपर...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया उत्तर पूरा आने दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सारा केलकूलेशन हमने किया है। 10 हार्सपावर से ऊपर या बड़ी हार्स पावर देने पर जो रेट हैं, वह 204) रु. प्रति हार्सपावर है। 10 हार्सपावर से भी ऊपर हम देना चाहते हैं और मण्डल की भी इच्छा है, लेकिन आपका मार्ग दर्शन चाहते हैं। जब हमने केलकुलेशन किया तो इतना लम्प-सम आया कि हमारी हिम्मत नहीं हुई कि 10 हार्स पावर हम फ्लेट रेट रखें। मैं चाहूंगा, माननीय सदस्य जो उसी क्षेत्र से आते हैं, हमारा मार्ग दर्शन करें और सुझाव दें कि साढ़े बारह हार्स पावर तक क्या फ्लेट रेट होनी चाहिये ? हम विचार करेंगे कि साढ़े बारह हार्स पावर तक और 15 हार्स पावर तक कितनी होनी चाहिये। उससे होने वाली इन्कम, सारे इन्वेस्टमेंट पर विचार कर सकते हैं। यह चेप्टर क्लोज नहीं किया है। मण्डल इस बात पर विचार करने को तैयार है, 10 हार्सपावर पर फ्लेट रेट तैयार हो जाय, माननीय सदस्य हमारा मार्ग दर्शन करेंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के बारे में जो चर्चा की गई है, आने वाले मई और जून महीने में, राजस्व अभियान की तरह हम बिजली का अभियान भी चलाना चाहते हैं। बिजली जहां-जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं···

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपका मतलब यह है कि जहां गांवों में बिजली नहीं है वहां भी देंगे ?

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस नाते विद्युत मण्डल राज्य सरकार से···

श्री किशनसिंह भाटी : एक बात का स्पष्टीकरण और कर दें···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया मंत्री महोदय का उत्तर पूरा होने दीजिये।

श्री किशनसिंह भाटी : जहां गांवों में बिजली नहीं है और पहुंचा रहे हैं वहां भी ये रेगिस्तानी इलाके को छोड़ रहे हैं, इसलिये मैं बता रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ शामलाती कुएं और शामलाती जमीन के विषय में और सुझाव आये हैं। मैं चाहता हूं माननीय सदस्य हमारा मार्ग दर्शन करें, वे आयें और बैठ कर बात करें। होने वाले खर्चे में, सब में, कहीं तालमेल बैठेगा तो हम निश्चित रूप से तैयार हैं। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम पीछे नहीं रहेंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पिछली बार 25 हजार कुएं और दो हजार बस्तियों में बिजली पहुंचाने का मण्डल ने तय किया था, वहां हमने 25,225 कुओं में बिजली के कनेक्शन दिये हैं और दो हजार बस्तियों में बिजली देने की बातें थी, वहां हमने दो हजार तीन सौ बस्तियों में विद्युतीकरण कर दिया है। यह सूचना आज मैं आपको देना चाहता हूं···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें। किशन सिंह जी विराजें।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय मंत्री महोदय, सदन में जो चर्चा हुई है, उसके सम्बन्ध में एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। आपने बताया है एक पम्प किसी व्यक्ति विशेष के नाम है उसे वह शामलाती कर देगा तो राइट किसका रहेगा, क्या आपने इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हैं। जो एक व्यक्ति के नाम पम्प दर्ज है वह शामलाती दर्ज किया जाय, इसकी गाइड लाइन किस प्रकार है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसकी गाइड लाइन हो गई है।

श्री किशनसिंह भाटी : आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जिन एरियाज में बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है उन एरियाज को भी कवर करेंगे क्या ?

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी ने प्रश्न पूछा है उनका उत्तर आने दीजिये...

(व्यवधान)

आसन से सवाल पूछने के बाद...

(व्यवधान)

आसन से प्रश्न पूछने के बाद माननीय सदस्यों को व्यवधान नहीं डालना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां के गांवों को बिजली देंगे या नहीं देंगे, यह बतायें ?

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के मेरे इलाके हैं वहां भी देंगे या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : आसन का प्रश्न है। पहले एक प्रश्न आसन ने पूछा है उसका उत्तर आने दें...

(व्यवधान)

एक प्रश्न आसन द्वारा पूछा गया है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं यदा कदा क्लेरिफिकेशन के लिये प्रश्न पूछा जाता है। जब आसन प्रश्न पूछता है तो चाहे जितने सप्लीमेंट्री आप बाद में पूछें, पहले आसन का उत्तर तो आने दीजिये...

श्री किशनसिंह भाटी : आसन के प्रश्न का जवाब नहीं आये तो क्या हम प्रश्न ही नहीं पूछ सकते हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जैसा आपने कहा है, शामलाती करने की गाइड लाइन बन गई है। उसकी विधिवत सूचना मैं माननीय सदस्यों को...

एक माननीय सदस्य : प्रिन्ट करवा कर सबको दे दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : साइक्लोस्टाइल कापियां करवा कर दे दूंगा। एक व्यक्ति के पम्प को शामलाती कराना चाहते हैं तो उसमें केवल 15 दिन लगेंगे।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय हमारे प्रश्न का उत्तर दिलाइये। हमने प्रश्न पूछा था, हमारे प्रश्न का उत्तर आना चाहिए...

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न हमारे हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। इस

(श्री परसराम मदेरणा)
तरह से बीच में नहीं बोल सकते, माननीय सदस्य . . .

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आएगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय को सुन लीजिए। मंत्री महोदय अपनी बात कहना चाहते हैं, पहले उनका उत्तर सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान।

श्री किशनसिंह भाटी : आपने एश्योरेंस दिया था कि हमारे प्रश्न का उत्तर दिलायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य किशन सिंह जी, आप कृपया विराजें।

श्री किशनसिंह भाटी : आपको रिप्लाई दिलवाना पड़ेगा। आप हमारे प्रश्न का उत्तर दिलवायें। हम किसी भी रूप में जवाब चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सहयोग देंगे तो अवश्य उत्तर मिलेगा।

श्री किशनसिंह भाटी : आपने उत्तर दिलवाने का वायदा किया था, आप अपने वचन को पूरा कराइये।

श्री माधवसिंह दीवान: आपने गाइड लाइन तो तय कर दी लेकिन आप डेट एक्सटेंड करेंगे या नहीं ? और करेंगे तो कब तक करेंगे ? पहला प्रश्न।

दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि हमारे वहां पर जो कुए हैं, एक कुआं है लेकिन उससे बीस काश्तकार जमीन पिलाते हैं। एक आदमी के नाम पर कनेक्शन है, जिस खेत पर कुआं है उसका खसरा नम्बर लिखा हुआ है और उसके साथ ही सारे आदमियों के नाम भी शामिल हैं कि इस खसरा नम्बर के कुए से इतने खेतों की पिलाई होती है। यह पटवारी के रिकार्ड से जस्टीफाई किया जा सकता है कि उससे पिलाई होती है, तो आप क्या उसके बारे में भी गाइड लाइन तय करेंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, गाइड लाइन तो बन चुकी है। वह गाइड लाइन सिर्फ साइक्लोस्टाइल्ड करवा कर दे दूंगा।

दूसरी बात शामलाती कुए जहां पर हैं, तो कुए कहीं पर हैं और शामलाती पम्प कहीं हैं। अभी तक जो पम्प बने हुए हैं, इसके लिए नियम बने हुए हैं, आपने जैसा कहा कि वे पटवारी के रिकार्ड में मौजूद हैं, पहले से तय हैं कि इस कुए से किन-किन खेतों की सिंचाई होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत मण्डल उस पर विचार कर रहा है, अभी तक निर्णय नहीं लिया है। अभी तो शामलाती कुए जहां पर हैं और शामलाती पम्प हैं, उसी के लिए निर्णय लिया है। वह बात अभी विचाराधीन है। अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री किशनसिंह भाटी : हमारे प्रश्न का उत्तर दिलवाइये। उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दिलायें।

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रश्न का उत्तर भी दिलवा दूंगा, आप विश्वास रखें। श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री नवरंगसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि शामलाती की आप क्या परिभाषा मानते हैं? वह शामलाती की परिभाषा, माननीय सदस्य ने बतलाई है, एक कुएं से भिन्न-भिन्न किसान पानी देते हैं और सिंचित क्षेत्र लिखा हुआ है उसी को शामलाती मानते हैं या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है, कृपया विराजें।

श्री लालचन्द : मेरा एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, मैंने रामसिंह विश्नोई का नाम पुकार लिया था।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, जो फ्लेट रेट के पहले आपने दूसरा सोल्यूशन निकाला है कि पम्प सैट में उनका भी नाम होना चाहिये और जिसके फार्म भरे गए हैं उसमें अन्तर नहीं है। वास्तव में जो फाइलों में लिखे हुए नाम हैं, एक समझदार आदमी होता है वह अपने नाम का कनेक्शन करवा लेता है और जितने भाई होते हैं उनका भी पम्प सैट के लिए नाम लिखवा देता है। यही कायदे की बात है कि पम्प सैट एक के ही नाम होता है, वास्तव में हिस्सेदार कितने ही होते हैं। हम गलत फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। हम यह गलत फायदा नहीं चाहते कि फ्लेट रेट एक के नाम पर हो और वह दूसरों को पानी देकर उसका फायदा उठायें। अगर वह ऐसा करता है तो उससे एक्स्ट्रा चार्जेज लिए जावें, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जितनी बातें आपने कही हैं उससे एक पर्सेन्ट भी किसानों को फायदा होने वाला नहीं है। जिसके नाम का कनेक्शन है उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरा निवेदन है कि फ्लेट रेट के अन्दर जितने रिश्तेदार हैं, भाई हैं, उन सबको फायदा मिलना चाहिये, यही हमारा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है और काफी सुझाव चर्चाओं में दे दिये हैं। माननीय सदस्य उन्हीं सुझावों को वापस दोहराना चाहते हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य किशनसिंह जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका भी जवाब दे दीजिए। वे बहुत आतुर हो रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मेरे भी एक प्रश्न का जवाब दिलवा दें।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर भी साथ ही आ जाएगा।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जिन लोगों से आप्शन मांगे गए थे उस आप्शन की दो महीने की मियाद बढ़ा दी। तो इस मियाद के बीच में जिन लोगों से पैसे ले लिए हैं उनका एडजस्टमेंट फ्लेट रेट के बिल में होगा या नहीं, यह बता दें?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : गाइड लाइन में यह भी भेज दूंगा।

जैसलमेर के माननीय विधायक ने सवाल किया है, मेरा निवेदन है कि यह जो सारा अभियान चलाया जाएगा, वहीं पर चलाया जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। जहां पर कनेक्शन देने में दिक्कत आ रही है उसको दूर करना चाहेंगे। जहां तक उस क्षेत्र में बिजली पहुंचाने की बात है, हम पीने के पानी को प्राथमिकता देंगे और पीने के पानी के आधार पर ही ऐसे क्षेत्रों में बिजली पहुंचायेंगे। आस पास के गांवों में भी जैसे-जैसे अवेलेबल होगी इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेन्शियल अवेलेबिलिटी, उसके अनुसार व्यवस्था की जायेगी।

श्री किशनसिंह भाटी : इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कमीशन नहीं होगी।....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इस तरह से राजस्थान दो तिहाई भाग, जो रेगिस्तान है में और 11 जिलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उन गांवों में बिजली कैसे पहुंचायेंगे?

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के अभाव में जो एरिया डवलप नहीं है, उनके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आपको पैसा मिल रहा है। तो रेगिस्तानी इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने को निलम्बित रखने में सरकार का क्या औचित्य है, मंत्री महोदय, जवाब दें?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। श्री राम करणसिंह।

श्री रामकरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से इतना ही जानना चाहता हूं कि किसान खेत में अपने कुएं बनाता है और वह कनेक्शन लेता है शहर से काफी दूर होने की वजह से उनको साइड में किसी तरह की एक्स्ट्रा फैसेलिटी मिलनी चाहिए, तो कुट्टी काटने की मशीन या आटा पीसने की मशीन है, उनके खुद के काम में आने वाली मशीनों के लिए भी इसमें इजाजत दे सकेंगे या नहीं? मेरा यह प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्दसिंह।

श्री हरचन्दसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, घरों में जितने भी ट्यूब वेल लगे हुए हैं, जब नाली में फ्लड आता है, चार महीने तक सरकार यह मानती है कि तमाम ट्यूब वेल बन्द रहते हैं, उनमें आप मिनिमम चार्जेज लेते हैं और एवरेज चार्जेज भी वसूल करते हैं काश्तकारों से। अक्टूबर के महीने में जब घग्घर फ्लड खत्म हो जाता है तो काश्तकार अपनी नई फसल को पकाने के लिए ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है, उसी हिसाब से एवरेज चार्ज करते हैं। क्या सरकार ने यह तय कर रखा है कि काश्तकार को पैसा नहीं छोड़ना? चार महीने तक मिनिमम चार्जेज

(९२)

(श्री हरिचन्द सिंह)
और एवरेज चार्जेज किस प्रकार से लिए जाते हैं, यही फ्लैट रेट में है। उस सारे के सारे को···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

को अकोमोडेट करके फ्लैट रेट बढ़ाना चाहें यह बिलकुल गलत है। काश्तकारों से पैसे की वसूली नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधवसिंह रेवदर।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : उपाध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने यह मान लिया है कि शामलाती कुआं होगा, खेती होगी उसको हम प्राथमिकता देंगे। एक बात इसी सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं। इसका सारा भार आपने काश्तकार के ऊपर डाल दिया है। इसकी वापिस जितनी भी प्रक्रिया है, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को उसी काश्तकार को पूरी करनी होगी। एक आदमी का खेत है, खातेदार है, वह खेती कर रहा है उसका पटवारी के पास पूरा रिकार्ड है। एक अभियान चला कर आप पूरा कर लीजिए, वरना सब किसानों को आप 25 मील वापिस बुलाएंगे। वह वापिस एप्लीकेशन देगा कि हमारा शामलाती कुआं है, खेती है। इससे आप समस्या को बढ़ा रहे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह जो समस्या है उसको आपने बाय पास कर दिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (विद्युत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय सदस्य ने कही है, उसके दो-तीन पहलू हैं, जिसके बारे में स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। जो अभियान चलाया जाएगा, उसमें मैंने कहा, यह बात तुरन्त दूर कर दी जाएगी। इस प्रकार 15 दिन की अवधि दे दी है। सवाल क्या है ? एक ने पम्प लगा लिया। पर यह कहता है कि वह शामलाती नहीं चाहता है। उसको डर होता है। एक ने पम्प लगाया, अनेक लोगों की शामलाती इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उस पर कब्जा होने में परेशानी पैदा हो जाती है····

(व्यवधान)

श्री खंगारसिंह : हमारा रिकार्ड बोलता है। हम उसी पर चाहते हैं।

श्री नवरंग सिंह : खाता एक है। उस पर लिखा हुआ है। पर लिखा हुआ है। जो कुए बने हुए हैं, यह लिखा है कि इससे सिंचाई होती है। उसको आपको शामलाती मानना पड़ेगा। इस स्थिति को आप कैसे दूर करेंगे····

(व्यवधान)

श्री खंगारसिंह : आपको पूरी जानकारी नहीं है···

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, शामलाती कुआं और शामलाती पम्प का सवाल है। सवाल यह है कि रेवेन्यू में कुआं शामलाती होता है। जमीन की शामलाती होना जरूरी नहीं है लेकिन कुआं शामलाती होता है। रेवेन्यू रिकार्ड के अन्दर कुआं शामलाती होता है। उस कुएं से सिंचाई होती है तो एक मोटर लेंगे या सब, यह स्पष्ट हो। आप भी कह रहे हैं, शामलाती कुआं है तो शामलाती मशीन हो। रेवेन्यू के मामले में तो शामलाती कुआं है।

श्री खंगार सिंह : उसके हिसाब से रेवेन्यू ली जाती है। आप रेवेन्यू रिकार्ड की पहले जानकारी कर लें। आपको मालूम पड़ जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो-तीन प्रश्न करना चाहता हूं। पहला प्रश्न तो यह है कि जो शामलाती खेती है, उसका सारा रिकार्ड पटवारी रखता है। सैटलमेन्ट रिकार्ड है। शामलाती खेती भी बन्दोबस्त में है। अब शामलाती पम्प करवा लें। शामलाती पम्प कौन ले, यह गाइड लाइन आप दे रहे हैं। अकेले ने खरीद लिया है, जमीन शामलाती है। आप यह नाटक कर रहे हैं। आपने कभी खेती भी की है? आप इस समय बहुत भावुक हो रहे हैं। जैसे कोई चोरी कर रहा है और छिपा रहा है। परन्तु यह भावुकता की बात नहीं है। यह रिकार्ड की बात है। जो रिकार्ड है बन्दोबस्त का, यह हर चार साल में बनता है। इसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता है जब तक री-सैटलमेंट न हो। री-सैटलमेन्ट आप कर नहीं रहे हैं इसलिए आपने 25/50 परसेन्ट लगान बढ़ाया था। उसको वापिस लिया री-सैटलमेन्ट में 11 करोड़ रुपया खर्च होता है इसलिए री-सैटलमेन्ट तो आप नहीं कर पायेंगे। तो जिन लोगों का कुआं शामलाती है, जमीन शामलाती है उन लोगों को यह सुविधा मिलेगी। राजस्व मंत्री जी दूसरे को डिस्टर्ब मत करिये। आपने जो अवधि बढ़ाई, वह बढ़ाई 31 मार्च तक और उस वक्त किसान काम में लगा हुआ था, उपाध्यक्ष महोदय, रबी की फसल के काम में। उसको समय नहीं था। उसको जो फुरसत का समय होता है, वह दो महीने का होता है। रबी और खरीफ की फसल के बाद उसे दो महीने का समय मिलता है और वह मिलता है 15 मई से 1 जुलाई तक। थोड़ी सी फुरसत मिलती है। किसान काम में लगे रहने के कारण आप्शन नहीं दे सकता है। उस वक्त वह अन्न पैदा कर रहा था। आप कृपया यह अवधि बढ़ाने का कष्ट करें। उसको आप्शन का समय नहीं मिला है।

दूसरा, जो अश्व शक्ति, हार्स पावर का सवाल है, इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के जो लोग हैं, जिनके लिए आपने फाइनेन्स कमीशन के सामने कहा था, रेगिस्तानी इलाकों में सर्विसेज में खर्चा ज्यादा होता है। रेगिस्तानी इलाकों के अन्दर पानी गहरा है, 150/200 फीट गहरा है और फसल को पानी देना पड़ता है, दूसरे इलाके में गेहूं को 6 पाणा देते हैं तो रेगिस्तानी इलाकों में गेहूं को 12 पाणा देना पड़ता है। रेगिस्तान इलाके की गरीबी को मिटाने के लिए आपने एक लम्बा चौड़ा मेमोरेन्डम सैविन्थ फाइनेन्स कमीशन को दिया है। तो इस सम्बन्ध में क्या आप विचार करेंगे कि जो रेगिस्तानी इलाके के लोग हैं, जो कि रिकोग्नाइज्ड हैं, डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत हैं, ट्राइबल एरिया है, जिसको एक स्पेशल बेल्ट माना है, उन लोगों की यह जो समस्या है, उनके सम्बन्ध में क्या आप अलग से कोई निर्णय लेंगे? आर्थिक दृष्टि से ये पिछड़े हुए लोग हैं। आप कह रहे हैं मेरी हिम्मत नहीं है। बोर्ड को घाटा हो रहा है। आपकी रिपोर्ट पर डिसकशन होने वाला है। उस पर डिसकशन होना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि बी.ए.सी. और बिजनेस को ड्राप कर दें और विद्युत बोर्ड की रिपोर्ट पर हाउस में डिस-

(श्री परसराम मदेरणा)

कशन हो। तो मेरा यह पूछना है कि इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? अब यह एक मोडस अपरेन्डी हो गया है। माननीय सदस्य कोई बात कहते हैं तो मंत्रीगण कह देते हैं, आपसे विचार-विमर्श कर लेंगे, आपके सुझाव आमन्त्रित कर लेंगे, परन्तु निर्णय तो आपको करना है, बोर्ड को करना है। आप दोनों बैठ कर निर्णय करें कि रेगिस्तानी इलाके में जो कुएं गहरे हैं उनको क्या राहत दी जाए? इसके बारे में आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र आर्य।

श्री सुभाष चन्द्र आर्य (सूरजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक जानकारी करना चाहता हूं। जैसे भूतपूर्व कांग्रेस सरकार 10/15 बीघा जमीन अलाट करती थी, उसी तरह यह सरकार भी ज्यादा से ज्यादा 10 बीघा जमीन भूमिहीन किसानों को अलाट कर रही है। ये भूमिहीन कौन होते हैं, हरिजन और अनुसूचित जन जाति के लोग होते हैं। उनके कुएं में 200 फीट गहरा पानी है, वे दस बीघा में पानी देते हैं। वे दूसरे को दे नहीं पाते हैं। वे गरीब लोग हैं। तो क्या मंत्री महोदय से इन लोगों को कोई राहत मिलेगी? क्या मंत्री महोदय इस मामले में भी बताने की कृपा करेंगे?····

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा तो यह विचार था कि फ्लेट रेट से किसानों को फायदा मिलेगा, परन्तु इसने तो आज झगड़ा पैदा कर दिया है। आपने तो बड़ी तोहमत पैदा कर दी, झगड़े पैदा कर दिये। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। यह कोई मामूली बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एक्ट तो इन्ट्रोड्यूस हो गया, आप तो सुझाव दीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इन्ट्रोड्यूस हो गया लेकिन चेंज करना पड़ेगा। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है आपके पास। अब एक तीसरा फ्लाइंग स्क्वाड स्थापित करना पड़ेगा आपको, विद्युत् की वसूली के लिए। इसलिए आपको बैठ कर तय करना चाहिए। आप मीटर सिस्टम लागू कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मीटर सिस्टम तो लागू है। श्री राम रघुनाथ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। जिस किसान के पास में 50–60 बीघा जमीन है है उसको तो फ्लेट रेट से फायदा है, लेकिन जो बहुत ही स्माल फार्मर, छोटे किसान हैं, जिनके पास 10–12 बीघा से ज्यादा भूमि नहीं है और कूआ बना लिया है, उसका खर्चा उसको नहीं पोसाता चाहे वह फ्लेट रेट से दे चाहे मीटर रेट से। उनको फायदा देने की नीयत से यह स्वीकृति देनी पड़ेगी कि वे पानी दूसरे को भी दे सकें। अगर यह नहीं करेंगे तो छोटे किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री रणमलसिंह : आपने न हमसे कोई राय ली, न हाउस की कमेटी बनाई, और फ्लेट रेट तय कर दी।

श्री उपाध्यक्ष : ये सुझाव मांग रहे हैं। आप सुझाव दे सकते हैं।

श्री रणमलसिंह : हमारे यहां 150 फीट गहरा पानी है। 10–12 घन्टे में एक

(श्री रणमल सिंह)

किसान का टर्न आता है। इसलिये आप सभी के लिये फ्लैट रेट लागू कर दीजिये।

श्री लाल शंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सुझाव है। श्रीमान् के माध्यम से सुझाव है कि आदिवासियों के लिये····

(व्यवधान)

तो सरकार किसानों से कृषि में उत्पादन बढ़ाने में विश्वास करती है तो उन सबको बाध्य नहीं किया जाये, वे अपने आप किसी भी तरीके से पानी ले सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : फ्लैट रेट से हमें नुकसान होता रहा है। जब एक कुएं पर मीटर लगा रखा है और 10–12 बीघा ही जिनके पास जमीन है, वह दूसरों को भी पिलाई नहीं कर सके...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं ऐसा नहीं है। नियमों में प्रावधान है, पिला सकते हैं लेकिन उन्हें थोड़ी सी पिलाई की दर अधिक देनी पड़ेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इस शंका का समाधान करें कि एक आदमी के पास चार जगह जमीन है तो उसने एक जगह की जमीन पर तो कुआ बना रखा है, जहां से खुद की जमीन सींचता है और 2–3 को देता है, और दूसरी जगह दूसरों से पानी लेता है। उस हालत में क्या करें, यह एक टैक्निकल डिफिकल्टी है। एक जगह तो तीन आदमियों को देता है और दूसरी जगह दूसरों से लेता है। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी इस बारे में बतायें कि दो महीने तक 31 जनवरी से फ्लैट रेट के मुताबिक पैसा लेना था, आपने मीटर रेट के हिसाब से पैसा ले लिया है, उसके बारे में क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : यह जो गाइड लाइन्स बना रहे हैं, इसके बारे में सोचेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई गाइड लाइन्स नहीं हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत का मामला ग्रामीण किसानों से सम्बन्धित है, इसलिए दो प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा।

श्री अयूब खां : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहूँगा...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जायं। अगर आप इस तरह से प्रश्न पूछते रहे तो सारा समय इसी में व्यतीत हो जायेगा। डेढ़ पौने दो घण्टे हो गये इस चर्चा में। मंत्री जी से जो प्रश्न पूछे गये हैं उनके उत्तर दे देंगे। इसके बाद और चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं विद्युत् मंत्री जी से दो प्रश्न...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जो ज्यादा बोलते हैं उनको ज्यादा समय दिया जाता है

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

और जो कभी-कभी बोलते हैं उनको कभी टाइम नहीं दिया जाता । यह अहम् मसला है, उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें । मैं आपके कहने से सहमत नहीं हूं । कृपया मेरी बात तो सुनिये । आप विराजें । आप आसन से क्या अपेक्षा रखते हैं ? माननीय रामेश्वर दयाल जी, आप बिराजें । माननीय सदस्य, काफी चर्चा हुई है । बहुत से माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी है । स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा होती है उससे थोड़ा हट कर बहुत से माननीय सदस्य बोले हैं, काफी बातें दोहराई गई हैं । माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि वे गाइड लाइन बना रहे हैं । कोई सुझाव हो तो आप लिखित में दे दें, वे स्वीकार कर लेंगे । चर्चा से ही कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इससे तो कोई समाधान नहीं होता । मैं किस सीमा पर क्लोज करूं, आप ही बता दीजिए । अगर यही तरीका रहा तो फिर तो सभी बोलने लग जायेंगे ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : फिर तो यह कह दें कि बोलना ही नहीं है । 20-25 माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं मैं 2 मिनट के लिए पुरजोर शब्दों से निवेदन कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अनुमति है । आप कह दें । कौनसा विचार सदन को दे रहे हैं ?

श्री मदन सिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह निर्णय ले लिया है तो आप उनको कैसे अलाऊ कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : वह दो मिनिट में ही बोल लेंगे ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी मार्फत माननीय विद्युत् मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि फ्लैट रेट राजस्थान में आपने लागू की है उसके लिए तो निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसमें आपने जो शामलाती की बात डाली है उसके बारे में आपने कहा है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जमीन पर उस कुएं से सिंचाई होती चली आ रही है उस भूमि की पिलाई के बारे में पटवारी अपने रेकार्ड में दर्ज करता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वही बात कहना चाहते हैं जो परस राम जी मदेरणा कह चुके हैं ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा निवेदन यह है कि खतौनी तो 4 या 5 साल में तैयार होती है, लेकिन कूप पिलाई तो हर साल तैयार होती है और रेवेन्यू रिकार्ड में इस बात का इन्द्राज होता है कि कौनसी जमीन में किस कुएं से पिलाई होती है । माननीय विद्युत् मंत्रीजी ने यह बात डाल दी है कि सम्मिलित जमीन की पिलाई नहीं की जायगी । जमीन तीन-चार भाइयों में बंटी हुई है पर बिजली एक भाई के नाम से है, उससे अगर सिंचाई दूसरे की जमीन की होगी तो उससे 4–5 गुना फ्लैट रेट आप बिजली का वसूल करेंगे, तो इस बात को स्पष्ट करें ।

श्री मदन सिंह दांता : यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्वेश्चन पूछा था ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : दूसरा मेरा निवेदन है कि जहां तक एल फार्म देने का सवाल है.तो 3–3 महीने तक एल फार्म नहीं मिलता है। मैं आपकी मार्फत, माननीय विद्युत् मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि एल फार्म के लिए किसान को 500 रुपया खर्च करने पड़ते हैं, तो अगर एल फार्म के बजाय वह कुछ और ले लें, तो हम मन्जूर कर लेंगे, लेकिन एल फार्म का प्रोसीजर कठिन है और 500 रुपये किसान से विभाग को दिलाते हैं, तो एल फार्म से तो इसको खत्म करने का प्रयास करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कारूभाई मीणा।

श्री कारूभाई मीणा : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह फ्लैट रेट गलत है। चार भाइयों के बीच का कुआ है और अभी राजस्व अभियान में उनके खेत अलग-अलग हो गये तो फिर और झगड़े होंगे। फ्लैट रेट एक के नाम हो जाय, पर जैसे पहले चारों सिंचाई करते थे, वैसे ही रहने दें। एक कुएं से चार भाई सिंचाई करते हैं तो सबको मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री अयूब खां : उपाध्यक्ष महोदय, · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आप भी कह दें।

श्री अयूब खां : मैं यह पूछना चाहता हूं कि मैं मेरे खेत में पानी दे रहा हूं और मेरे खेत से नाली टूटकर पास वाले आदमी के खेत में चली गई, तो आपका विद्युत् विभाग उस आदमी को उससे ज्यादा परेशान करेगा जितना कि पहले करते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस विषय में आपका फ्लेट रेट क्या कहता है ?

श्री मोहनलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में जहां खारा पानी है वहां पर बिजली आप कब तक पहुंचा देंगे, ताकि लोगों के लिए पीने के लिए मीठे पानी का इन्तजाम हो जाय ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फ्लेट रेट प्रणाली को अभी तक बाईंडिंग नहीं किया गया है। आप्शन है। इसलिए यह चर्चा है कि सारे फार्म बन्द हो गये, नुकसान हो गया है। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप्शन है। अब सवाल यह है, जैसा कि विद्युत् मण्डल के नाते कहा गया है और जैसी सिचुएशन झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कही, कि 3–4 एक्स्टेंशन जनवरी, फरवरी और मार्च में हो गये जिससे कुछ रेट पहले हो गयी तो आगे एडजस्टमेन्ट हो गया। जनवरी में आप्शन लेने का अधिकार प्रति वर्ष रहेगा। इसलिए मेरा यह कहना है · · ·

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत् मंत्रीजी गलत फर्मा रहे हैं। आप्शन देने का है दिसम्बर में जनवरी में देने का नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : बोलने तो दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, हो सकता है। शायद हम 1 दिसम्बर से 31 दिसम्बर या 1 जनवरी से कर दें तो प्रति वर्ष एक महीना फिर से आप्शन लेने का, दोनों के बीच प्रत्येक किसान को अधिकार होगा। 31 मार्च तक की समयावधि बढ़ाने की जो स्थिति है उसमें बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं निवेदन

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

करना चाहता हूं कि जो-जो निर्णय हुए हैं वह सब रूप से विद्युत् मण्डल के सामने रखें हैं। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन उठाये गये हैं। तो दोनों ओपन हैं। एक नई पद्धति चालू की है, तो उस पद्धति में आने वाली कठिनाइयों के लिए जो मार्ग दर्शन आपसे प्राप्त हुआ है, उस पर विचार करके और निर्णय कर लेंगे। जब तक, वह निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक जो अभी तक निर्णय हुए हैं, वही निर्णय लागू रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घन्टे की चर्चा। श्री गुल मोहम्मद।

श्री समरथलाल : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के जरिए माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था। उस समय गृह मंत्रीजी ने जवाब नहीं दिया था और प्रोफेसर केदारजी ने यह कहा था कि इस अवधि के अन्दर-अन्दर जवाब दे दिया जायगा। मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था वह पुलिस की ज्यादतियों और गुण्डों की ज्यादतियों के बारे में था और वह बड़ी अहमियत रखता था।

श्री उपाध्यक्ष : उस स्थगन प्रस्ताव पर आज विचार हुआ था।

श्री समरथलाल : विचार हुआ था।

श्री केदारनाथ शर्मा : मैंने निवेदन किया कि एडीशनल आई. जी. पी. सम्पर्क कर रहे हैं। उसके बाद वह जानकारी देंगे तो निवेदन कर दूंगा।

श्री समरथलाल : क्या वह जवाब कल देंगे ?

श्री केदारनाथ शर्मा : एडीशनल आई. जी.पी. अलवर से सम्पर्क कायम किये हुए हैं। उनका जवाब आते ही मैं निवेदन कर दूंगा।

आधे घण्टे की चर्चा

सहकारी समिति को मत्स्य आखेट का रिजर्व प्राइस पर ठेका

(तारांकित प्रश्न संख्या 227)

श्री उपाध्यक्ष : गुल मोहम्मदजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों के बारे में मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा। आधे घण्टे की चर्चा में बहुत से माननीय सदस्य बहस करना चाहेंगे, तो यह ध्यान रखें कि वह आधा घण्टे में हो जाय। ज्यादा समय नहीं लगेगा।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 227 जो 9-3-79 को इस सदन में आया था, उस पर विचार हुआ है। इसके अन्दर, उस समय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया था वह इस प्रकार था—"जहां तक मावसी डैम का प्रश्न है, गये दो वर्षों से इसका ठेका नहीं दिया गया था।" माननीय उपाध्यक्ष, दो साल तक ठेका नहीं दिया गया था यह गलत है, तो ठेके का गैप एक साल का रहा था यानी एक साल ठेका नहीं दिया गया था। दो साल का जो जवाब दिया गया है यह गलत है। बीच में एक साल ठेका नहीं दिया गया था। बीच में एक साल का गैप रहा था। तो सदन में जो बात कही गई है वह गलत कही गई है। सदन को गुमराह किया है।

(श्री गुल मोहम्मद)

माननीय उपाध्यक्ष, इसके आगे पढ़ता हूं–जो प्रश्न का जवाब सदन में दिया था "रिजर्व प्राइस बढ़ाने के पहले हमारे पास एक प्रार्थना-पत्र ढाई लाख का आ चुका था। इसको मद्दे नजर रखते हुए हमने ढाई लाख की रिजर्व प्राइस तय की। ढाई लाख का टेन्डर मिला था तो उसको मद्दे नजर रखते हुए रिजर्व प्राइस ढाई लाख रखी।" माननीय उपाध्यक्ष, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा हकीकत में बात यह नहीं है। हकीकत में बात और है और वह बात क्या है, वह आपको भी मालूम है। माननीय मंत्री महोदय, उसी समय उस सोसायटी ने जो ठेके लेने की इच्छुक सोसायटी थी, आपको पत्र दिया था, अगस्त 78 में आपको रिप्रेजेन्टेशन भी दिया था कि हमको मावसी डैम का ठेका चाहिए। तो मैंने भी आपसे निवेदन किया था कि अगर यह पत्र अधिकारियों को बता दिया और यह विभाग में चला गया तो उसकी रिजर्व प्राइस बढ़ जायगी। यह उस समय निवेदन किया था, शायद आपके ध्यान में होगा। तो, माननीय उपाध्यक्ष, जब मैंने बताया था कि फलां ठेके का पत्र विभाग में चला गया और विभाग को मालूम पड़ गया कि यह सोसायटी लेना चाहती है, तो, माननीय उपाध्यक्ष, सोसायटी के मेम्बरों से डिप्टी-डाइरेक्टर भारद्वाज ने पैसा मांगा कि पैसा देवें तब मैं आपके पक्ष में कर दूंगा अन्यथा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सोसायटी के व्यक्ति इतने गरीब हैं कि उनको इतना पैसा कहां से मिलता कि वह लाकर दे देते। सोसायटी ने यह बता दिया कि हम गरीब हैं। मच्छी का काम करने वाले हैं। हम पैसा नहीं दे सकते हैं। तो वह अधिकारी रुष्ट हो गये। रुष्ट होने के बाद ही यह रिजर्व प्राइस रखी गई। 4-9-78 को इस अधिकारी ने, जिसका नाम राधेश्याम भारद्वाज है, अधिकारियों को मिस गाइड किया और मन्त्री महोदय को भी मिस गाइड किया है। 90% मावसी डेम का किया है, इसके साथ ही माननीय मन्त्री महोदय ने ढाई लाख का कहा है। यह बात सही नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो पेपर ढाई लाख का दिया गया जब मैंने असेम्बली में क्वेश्चन भेजा, उसके बाद में उनको पता चला, तो उस ठेकेदार को बुलाकर ढाई लाख की ऑफर उसी अधिकारी ने ली। यह लेटर अगर विभाग में दिया गया है तो इसका कहीं रिसीट रजिस्टर में इन्द्राज तो होगा। क्या डेट है व रिसीट नम्बर क्या है? दूसरे, क्या अधिकारी ने मार्क किया है? जो भी कागज विभाग में आता है। तो मार्क होता है। इसमें किसी ने कोई मार्क नहीं किया है। नोट शीट जो आफिस में बनाई जाती है, उसमें लेटर का कोई हवाला नहीं है। इसके अलावा 4-9-78 को मीटिंग हुई, उसके अन्दर इस लेटर का कोई हवाला नहीं है। वह प्रोसीडिंग देखें जिस में ढाई लाख का आफर आया है। प्रोसीडिंग में इसका कोई हवाला नहीं है। उसमें यह कहीं नहीं है कि ढाई लाख का आफर आया है। इसलिए हम रिजर्व प्राइस ढाई लाख रखते हैं, यह ठेकेदार से बाद में, 1-3-79 को लिया है। एक मार्च, 1979 को यह लेटर दिया गया है। यह माननीय मन्त्री महोदय को अधिकारी महोदय ने मिस गाइड किया है। मैं यह

(श्री गुल मोहम्मद)

निवेदन करूंगा कि जिस अधिकारी ने मिस-गाइड किया है, उस पर एक्शन लिया जाये। यह वही अधिकारी है जिसने पहले भी मिस गाइड किया और जवाब देते समय भी उस अधिकारी के पहले से ही 5-5 इन्क्रीमेण्ट रुके हुए हैं। वह बड़ा ही भ्रष्ट है। जिसके 5 इन्क्रीमेन्ट रुक जाते हैं उसका प्रमोशन नहीं होता। इसका प्रमोशन भी हो गया है। यह जबरदस्ती ही 90% रेट बढ़ा दिया गया है। बड़े अफसोस की बात है। माननीय मन्त्री महोदय, आप एक बात और ले सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। गये साल रिजर्व प्राइस, 15% के हिसाब से, सभी जलाशयों में बढ़ाकर रखा गया था। सोसायटी को जो बेनीफिट दिया जाता है वह देना चाहिए था। लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं किया गया। माननीय मन्त्री महोदय, वह कह सकते हैं कि इसके अन्दर हमने डेवलपमेन्ट बहुत किया है। उसके अन्दर हमने बच्चे बहुत डाले हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, राणा प्रताप सागर बांध है, उसमें 4,190,000 मच्छी के बच्चे डाले हैं, इस पर रिजर्व प्राइस 22% बढ़ाकर रखी है, काला डेम जयपुर का है उसमें 8 लाख 50 हजार मच्छी के बच्चे डाले हैं, इसमें 13% रिजर्व प्राइस बढ़ाकर रखी है। तीसरा जवाई बांध है, जिसमें 69,600 मच्छी के बच्चे डाले गये हैं, जिस पर 1% रिजर्व प्राइस बढ़ाई गई है। जबकि यह तीनों प्राजेक्ट वाटर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट वाटर का मतलब यह होता है कि वहां पर अलग से एक अधिकारी नियुक्त होता है व स्टॉफ अलग होता है और उस पानी पर खर्चा किया जाता है, जबकि मावसी डेम कोई प्रोजेक्ट वाटर नहीं है। इसके अलावा कुल 40,000 बच्चे डाले गये हैं। अगर बच्चों के डालने को आधार मानकर रिजर्व प्राइज रखें तब भी नहीं बैठता है। इसमें अधिकारी की नाराजगी स्पष्ट है। तो यह गलत बात है। आपको अधिकारी मिस-गाइड कर रहे हैं। आपको उस झंझट से निकालने के लिए ही यह बात बताई जा रही है। परन्तु आप तो ज्यादा चक्कर में पड़ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय मन्त्री महोदय ने कही है। इस सोसायटी ने पहले ऐसा काम नहीं किया है। अगस्त, 78 में इस सोसायटी का रिप्रेजेण्टेशन आ गया था। उसके आधार पर डिमाण्ड की थी। जब देखा कि अधिकारियों को पैसा नहीं दिया, तो यह कार्यवाही की है कि रिजर्व प्राइस 90% रख दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वह सोसायटी एक लाख के घाटे में जा रही है। वह भी एक अन्त्योदय लाइन में आकर खड़ी हो गई है। आप सोसायटी को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, अगर उसको लाभ देना चाहते हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नीति निर्धारित करनी चाहिये थी। इसीलिए नीति बनाई जाती है कि किस परसेण्टेज तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार एण्टरटेन हुआ है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि इस अधिकारी के खिलाफ, जिसने सोसायटी को इस स्थिति में पहुंचा दिया है, एक्शन लिया जाये। उसको चार्जशीट दी जाये। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप पिछली सरकार में भी सिद्ध हुए थे और अब भी हैं। उसके खिलाफ ए.सी.डी. में कार्यवाही चल

(श्री गुल मोहम्मद)

रही है। इस अधिकारी को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसे अधिकारी को तुरन्त हटाया जाये। ऐसा ही जयसमन्द झील का मामला है, उसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा··

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप अपनी बात तक ही सीमित रहें।

श्री गुल मोहम्मद : चाहे वह जयसमन्द झील हो उसमें भी भारी घोटाले हुए हैं। वहां आदिवासियों को कुल 5-6 रु. मछली का भाव मिलता है। ठेकेदार 20-25 रु. में बेचता है। इसको रोका जाय और आदिवासियों की मदद की जाय। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाये। आज सोसायटी अन्त्योदय लाइन में आकर खड़ी हो गई है उसको प्रोत्साहन दें।

श्री उपाध्यक्ष: समर्थन है आपका।

श्री अयूब खां : जी हां।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोलेंगे तो उसके बाद मैं भी बोलूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप भी इस विषय में बोलेंगी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जनता की समस्या के बारे में क्यों नहीं बोलूंगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अयूब खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस वक्त ठेके दिये जाते हैं उसकी रिजर्व प्राइस का कोई न कोई आधार होता है। एक तो यह कि पिछले वर्ष क्या आधार रखा गया था, अन्तिम बोली जितने पर छोड़ी गई हो उसके ऊपर 15 पर्सेन्ट रिजर्व प्राइस रखी जाय।

श्री मूलचन्द डागा : पहले जवाब आना चाहिए। The reply should come first, 49 जो रूल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, आपकी बहुत सी बातों से मैं सहमत हूं लेकिन कई बातें इस तरह की भी होती हैं··

श्री अयूब खां : कुछ जलाशय ओपन बिड पर दिये जाते थे और कुछ सोसायटी के लिए रिजर्व रखे जाते हैं। अगर कोई सोसायटी किसी रिजर्व प्राइस के ऊपर जलाशय को लेने से इन्कार कर देती है तो दुबारा बोली के लिए एडवर्टाइजमेन्ट होता है और उस आधार पर जलाशय दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस जलाशय का एडवर्टाइजमेन्ट किया गया और सोसायटी ने इन्कार भी नहीं किया। इन्कार कर देती तो दुबारा एडवर्टाइजमेन्ट किया जाता। इसलिए यह एन्क्वायरी का विषय है। इसकी 90 पर्सेन्ट रिजर्व प्राइस रखी गई है जब कि किसी भी जलाशय पर इतनी बढ़ा कर रिजर्व प्राइस नहीं रखी गई।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया, पवनदास ठेकेदार, जो अजमेरी गेट का रहने वाला है, ने ढाई लाख की बोली दी, उसने कोई पत्र लिखा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से

(श्री अयूब खां)
यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह का पत्र लिखने से क्या यह मान लिया जाता है कि वह तैयार है इसके लिए ? किसी तरह की सीक्योरिटी उससे नहीं ली गई। मैं समझता हूं यह एक फ्राड है। इसकी जांच कराई जानी चाहिए और दोषी व्यक्तियों को उचित सजा दी जानी चाहिए।

श्री डूंगरराम : मन्त्री महोदय चाहते हैं लेकिन आफिसर नहीं चाहते हैं, तो सजा नहीं मिल सकती।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने··

श्री मूलचन्द डागा : आप मछली पर बोलती हैं ?

श्री रघुनन्दन व्यास : मछली छटपटा रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह पत्र लिखा गया है इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं है। जब कोई जवाब देने के लिए जगह नहीं मिली तो पत्र लिख दिया, इसकी जांच की जानी चाहिए। उस व्यक्ति ने घोटाला करने की कोशिश की है। उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए। आप क्या एक्शन लेंगे, यह अपने उत्तर में बताने की कृपा करें ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं सोच रहा था आप मत्स्य के बारे में कहेंगी।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम : एन्क्वायरी तो अधिकारी लोग करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको क्या लेना देना।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की।

(व्यवधान)

माननीय खेतसिंहजी, मारवाड़ में तो सूखा पड़ा है, वहां मछली का क्या काम। रेगिस्तान में मछली पैदा नहीं होती। मैं मेजा का रहने वाला हूं,···

श्री खेत सिंह राठौड़ : खूब खाओ।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं, 'ए' श्रेणी के जलाशयों को रॉयल्टी के आधार पर ठेके पर दिया जाता है, उसकी सूची मेरे पास है। उनमें से कुछ मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, रामगढ़ के बांध में 9 पर्सेन्ट बढ़ाया, मेजा का बांध, जो भीलवाड़ा में है, में 10 पर्सेन्ट बढ़ाया···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कौशल किशोर जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न के बारे में सीमित चर्चा करें, उसका उत्तर मन्त्री महोदय देंगे।

श्री कौशल किशोर जैन : सिलिसेड की 12 पर्सेन्ट बढ़ाई, मोरेल की दस पर्सेन्ट, गम्भीरी बांध की 11 पर्सेन्ट, गुढा की 20

(श्री कौशल किशोर जैन)
पर्सेन्ट। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, इस बांध की 90 पर्सेन्ट बढ़ाई, इसका क्या कारण है ? दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि हम बड़े-बड़े ठेकेदारों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं या सोसायटी को देकर गरीब लोगों को रोजगार दिलाना चाहते हैं ? उससे गरीबों को जीविकोपार्जन का एक साधन मिलता है, उनको सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक ठेकेदार ने पत्र लिख दिया और सरकार ने नीति तय कर ली। मेरा यही निवेदन है कि मन्त्री महोदय इसका स्पष्ट उत्तर देवें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाय और दण्ड दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री दिग्विजयसिंह (पशुपालन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे माननीय गुल मोहम्मदजी ने उठाये हैं, अपने प्रस्ताव के जरिये, उसमें एक तो यह है कि 90 पर्सेन्ट जो रिजर्व प्राइस बढ़ाई उसका आधार क्या है और दूसरा उन्होंने यह कहा कि रिजर्व प्राइस तय करने की नीति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में भी डिटेल्स में बतला दिया था कि पिछले वर्ष क्या आधार था और टैंक्स का डवलपमेन्ट किस प्रकार से हुआ है, कितना फिंगर लिंग्स का डवलपमेन्ट हुआ, जिसका आधार लेकर प्राइस लेवल तय किया जाता है ? यह कहना कि प्राइस पर्सेन्ट के आधार पर निर्णय लिया तो अमुक तालाब पर 2 पर्सेन्ट बढाया, किसी पर 15 पर्सेन्ट बढ़ाया और किसी पर 60 पर्सेन्ट। इस प्रकार की नीति पर्सेन्टेज के आधार पर नहीं रही है बल्कि उन तालाबों में कितना माल है और कितनी उनकी क्षमता है उसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया गया है। यह निर्णय किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिया चार व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई गई थी, विशिष्ट सचिव (कार्मिक), उप सचिव (पशुपालन) उप सचिव (वित्त विभाग) और निदेशक (पशु पालन) थे। इन चार व्यक्तियों ने मिल कर यह निर्णय लिया कि राजस्थान में जो जलाशय हैं उनके अन्दर क्या रिजर्व प्राइस होनी चाहिए और इस सम्बन्ध में तय किया।

जिस पत्र का हवाला दिया है, इस सम्बन्ध में प्रश्न के जरिये भी मेरा ध्यान दिलाया गया था। इस मावली डेम का ठेका दो साल तक नहीं दिया गया था, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि एक साल के लिए हमने नहीं दिया था और एक साल के गेप के बाद यह ठेका दिया गया। जहां तक प्राइस का प्रश्न है कि अमुक टैंक की बहुत कम बढ़ी, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, रामगढ़ बांध की 2.73 लाख थी, 1978-79 में 3.51 हुई, हिंगाई 1977-78 में 57 हजार था, 1978-79 में 1.61 लाख, मारेल 1976-77 में 2.51 लाख था, 1977-78 में ठेका नहीं दिया गया, वह 3.56 लाख में गया। तो यह कहना गलत है कि अमुक डेम या अमुक सोसायटी को लाभ देने या ठेका न देने की नीयत से यह प्राइस बढ़ाई है।

माननीय सदस्य ने पत्र का उल्लेख किया कि वह फ्राड था। मैं नहीं मानता कि वह पत्र

(श्री दिग्विजय सिंह)

ऐसा है। हो सकता है सोसायटी को नुकसान पहुंचाने की वजह से या मिलने जुलने की वजह से पत्र आ गया हो, लेकिन जब हमने प्राइस रखी उसके बाद सील्ड टेंडर आया। इस मौसे का टेंडर 3.10 लाख आया तब भी हमने उसको न देकर इस सोसायटी को दिया, जिसने ढाई लाख में लिया। हमने कहा था कि पत्र को भी आधार माना था, जो हमने प्राइस रखी उससे भी सील्ड टेंडर में ज्यादा आफर आई थी, मगर हमने उस आफर को ध्यान में नहीं रखा और इस सोसायटी को ढाई लाख में दिया। माननीय सदस्य ने कहा कि किसी अधिकारी ने दीदा-दानिस्ता इस सोसायटी को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से यह काम किया है। जिस अधिकारी का नाम लिया वह इसमें नहीं था। 4 अधिकारियों ने बैठ कर, जिनके मैंने नाम लिए, जलाशयों की प्राइस फिक्स की उसके आधार पर यह ठेका दिया गया।

जहां तक सोसायटी का प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि पत्र मिला था और उन्होंने आफर दी थी। ठेका देने से पूर्व सभी पत्र देते हैं कि अमुक टैंक हमको दिया जाए। अगर सोसायटी को यह टैंक नहीं लेना था तो उसकी आफर दूसरे टैंक के लिये भी थी, वह इससे कम थी। उन्होंने इन्सिस्ट किया कि हम 2.5 लाख देने को तैयार हैं, इसलिए उनका रजामन्दी से दिया गया। अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनको नुकसान हुआ है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इन सब आधारों को देखते हुए प्राइस फिक्स की जाती है, पर्सेंटेज बढ़ा कर निर्णय नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : टैंकों से पकड़ने वाली मछलियां राजस्थान में बिकती हैं या बाहर जाती हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : बाहर जाती हैं।

श्री अब्दुल अजीज : अल्प संख्यकों की इस प्रकार की सोसायटी हो और जिनका यह पेशा हो उनको कन्सीडर करेंगे या नहीं ?

श्री दिग्विजय सिंह : जो नियम बनाए हैं, प्राइस प्रिफरेंस पर उन सोसायटीज को अलाट करेंगे। बोली में आने के बाद अगर स्टेंड करते हैं तो 12½ पर्सेंट रिबेट देकर प्राइस प्रिफरेंस पर सोसायटी को अलाट करते हैं।

श्री अयूब खां : रिजर्व प्राइस रखें मगर उसकी जो नीति है वह बिलकुल निराधार है। इसका मतलब जैसा अधिकारी चाहें भरें, यह बहुत गलत बात है।

श्री गुल मोहम्मद : तुम्हारी नीति थी। विभाग का लैटर है:-

"10 to 15 per cent increase over the income of 1977-78' except in exceptional circumstances."

दूसरी आपकी नीति थी।

'About 30% increase where the water was not let or kept reserved in 1977-78."

आप कैसे कहते हैं कि नीति नहीं थी ? दूसरा आपने कहा है, क्षमता और माल के आधार पर आपने किया। आपके पास मावली डैम की कोई रिपोर्ट आई है ? अगर आई है तो सदन की मेज पर रखो

(श्री गुल मोहम्मद)

जाए। इस बांध की क्षमता के आधार पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको मिस गाइड किया जाता है। सदन में आपने जवाब दिया कि 2.5 लाख का लैटर आया है आपके पास। आप लैटर नंबर बता दें, नोट शीट में लिखा होगा बता दो। जब लैटर जाता है तो कोई भी अधिकारी उस पर मार्किंग करता है। किस अधिकारी ने मार्किंग किया है? जब रिजर्व प्राइस तय की गई, 4-9-78 को, तो यह लैटर उस समय मौजूद था तो उस मीटिंग की प्रोसीडिंग में होना चाहिये था। यह जवाब उन अधिकारियों द्वारा दिया गया या नहीं, आप जानते है। आप कहते हैं कि लैटर के आधार पर नहीं है। उस दिन मैंने प्रश्न किया कि क्या 2.5 लाख लैटर के आधार पर रखी गई है? कृपया बतायें कि पत्र के आधार पर थी या नहीं?

श्री अयूब खां: मंत्री महोदय ने ओपन बोली का हवाला दिया है, न कि रिजर्व प्राइस का। यह बात गलत है। दूसरे, आप 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रख सकते नियम के अनुसार, जैसा गुल मोहम्मदजी ने अभी कहा है।

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय गुल मोहम्मद बार-बार पत्र की बात कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पत्र को हमने आधार रखा था। ढाई लाख की आफर आई थी इसलिए हमने निर्णय लिया था। साथ-साथ मैंने कहा कि इसके बाद सील्ड टेंडर से हमारे पास 3.10 लाख की आफर आई थी, इसलिए यह कहना कि सोसायटी को डेमेज करने की दृष्टि से हमने यह कार्यवाही की है, गलत है।

श्री गुल मोहम्मद: वह टेंडर उसी का है। वह टेंडर जालसाजी का है। मंत्री महोदय आपको मालूम है, क्यों इस तरह बात को छिपाना चाहते हैं, क्यों नहीं इन्क्वायरी कराना चाहते हैं? 3.10 लाख का चला कर टेंडर लिया गया उस सोसायटी को खत्म करने की दृष्टि से। मंत्रीजी को मालूम है, मैंने उस समय भी कहा था, आप देखना सोसायटी से दुश्मनी निकाली जावेगी। उस सोसायटी को संरक्षण दिया जाए तो क्या आप उनके खिलाफ जांच करवायेंगे? यह गंभीर मसला है। मसला यह है कि एक लैटर आया, न विभाग ने रिसीट में लिया, न ही किसी अधिकारी ने मार्किंग किया और न नोट शीट पर कुछ लिखा। सदन में बता दिया कि लैटर आया है। यह गंभीर मामला है, इसकी जांच की जाए। आप किस तरह जवाब देते हैं? सदन में इस तरह गलत जवाब देना अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह: जिस पत्र के बारे में माननीय गुल मोहम्मदजी कह रहे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री गुल मोहम्मद: सोसायटी जो घाटे में जा रही है उसका क्या कर रहे हैं? अन्त्योदय परिवारों में खड़े हो गए।

श्री दिग्विजय सिंह: अगर सोसायटी प्रार्थना करेगी तो नियमानुसार जो भी राहत हम दे सकते हैं, देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गुल मोहम्मद जी, आप सोसायटी को राय दें कि भविष्य में आफर देने से पहले देख लें कि तालाब में कितना माल है?

श्री अयूब खां : यह ठेकेदार इसमें दिलचस्पी रखता था, उसी ने यह टेंडर दिया है।

श्री दिग्विजय सिंह : यह ठेकेदार दिलचस्पी रखता था या नहीं, मैं दिलचस्पी जरूर रखता था।

श्री गुल मोहम्मद : सोसायटी को मार-मार कर मुसलमान बनाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अलवर के भूतपूर्व युवराज श्री प्रतापसिंह की हत्या

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि आज गृह मंत्री नहीं पहुँचे हैं, उनके पुत्र का कोई एक्सीडेंट हो गया है, उन्होंने पत्र भी लिखा है। अध्यक्ष महोदय से सम्पर्क किया है कि लड़के के आपरेशन की वजह से वे काफी चिंतित हैं। इसलिए इस चर्चा को स्थगित रखा जाए।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर क्वेश्चन के दूसरे मंत्री जवाब दे सकते हैं तो इसका उत्तर भी दे सकते है।

श्री रघुनन्दन व्यास : हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को स्थगित करवाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

9 तारीख को रख लीजिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : 6 तारीख रख लें।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत जल्दी ही चर्चा के लिए रख दिया जायेगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, 6 तारीख को रख लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, मुझे मालूम है, इसलिए आपसे और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन किया।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा आग्रह है कि गृह मंत्री जी नहीं आये तो 6 तारीख रख लें।

श्री रघुनन्दन व्यास : 9 तारीख को रख लें क्योंकि 5 की छुट्टी है, 7 की छुट्टी है, 8 की छुट्टी है और इनके बीच में सिर्फ 6 तारीख का वर्किंग डे है। कई लोग बाहर जायेंगे जिनका इसमें नाम है, इसलिए आप 9 तारीख को रख लें।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य।

व्यवस्था का प्रश्न

मूल प्रतिवेदन को सदन पटल पर रखना

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और कहा था कि अलवर काण्ड के सम्बन्ध में प्रतिवेदन है। उस पर लिखा है "हिन्दी अनुवाद" मैंने कल भी प्रश्न उठाया था और चेयर ने आश्वासन दिया था कि रिपोर्ट अगर इंगलिश में है तो वह सदन की मेज पर रख दीजिए आथेन्टीकेटेड।

श्री किशनसिंह भाटी : यह ठीक है रिपोर्ट अगर ओरिजीनल इंगलिश में है तो उसको भी दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए व्यवस्था की जा रही है।

(व्यवधान)

माननीय डागा जी, बिराजें।

बिक्री कर (संशोधन) विधेयक की धारा

श्री मूलचन्द डागा : दूसरी बात यह है कि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट

(श्री मूलचन्द डागा)

रखी थी, उस समय भी एतराज पेश किया था, तो हमारे सदन के वरिष्ठ नेता ने मेरी पार्टी को कहा था कि सेल्स टैक्स का जो विधेयक आयेगा वह एक क्लाज पर ही आयेगा । 30 पर्सेन्ट का 60 पर्सेन्ट कर दिया गया है, उस पर चर्चा होगी । श्रीमान्, आज मैंने वह विधेयक देखा है, उसमें 15 क्लाज हैं···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, जब वह विधेयक प्रस्तुत हो तो आप आपत्ति उठा सकते हैं । अभी तो यह हाईपोथेटिकल है । आज की कार्य सूची में शिक्षा मंत्री महोदय जो विधेयक रखेंगे उसी पर चर्चा होगी । क्या इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर रखना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जब बजट पेश हुआ था तो 31 तारीख को पास होने के बाद··

श्री किशनसिंह भाटी : इर्रेलेवेन्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी ।

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थाई प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थाई प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत हुआ ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है :

"राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थाई प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को पन्द्रह दिन के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह विधेयक पेश किया गया तब जो इसकी मंशा है उसके सम्बन्ध में भी मैंने ऐतराज किया था । वह मैं आपको बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं । राजस्थान के विश्वविद्यालय (अध्यापक व अधिकारी सेवा की विशेष शर्तें) अधिनियम, 1974 में विश्वविद्यालयों के अध्यापकों व अधिकारियों के चयन के लिए नियमित उपबन्ध किये गये हैं, 1974 में जो एक्ट है उसमें लिखा है कि जो अध्यापक हैं उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए । स्क्रीनिंग का मतलब उन्होंने लिया है नियमित करना, "रेगुलराइज करना, In order to regularise them···

श्री महबूब अली : What about screening ?

श्री मूलचन्द डागा : Sir, you have already said in the Statement of Objects and Reasons. Regularise' does not include interviewing. इसका मतलब उन सेवाओं को नियमित करना, रेगुलराइज करना है । in order to regularise them, 'Regularise' does not mean interview. यह आपने साफ उद्देश्यों में लिखा है । दीर्घकाल से चली आ रही इन समस्याओं को हल करने

(श्री मूलचन्द डागा)
के लिए, श्रीमान्, नियमित करना आवश्यक समझा गया। यह तथ्य है। इसमें यह भाषा लिखी है। एक सेन्टेन्स पढ़ना चाहता हूं, 'चूंकि शैक्षणिक सत्र का आरम्भ होने वाला था और राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी' · ·

श्री महबूब अली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं बीच में ही, सैक्शन 8 को सलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया था। पूरे एक्ट पर डिस्कशन करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि सलेक्ट कमेटी को सैक्शन 8 रेफर किया गया है। उसी पर सलेक्ट कमेटी ने अपनी राय देकर वापस भेजा है। मेरा निवेदन यह है कि डिस्कशन सिर्फ उस पर ही हो।

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय द्वारा किसी बिल को लौटाने पर सदन कहां तक चर्चा कर सकता है और किन-किन प्रावधान पर कर सकता है, कृपया संविधान की धारा का आप अवलोकन करें।

श्री मूलचन्द डागा : अब इन्होंने लिखा है, "चूंकि शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ होने वाला था और राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और राज्यपाल का समाधान हो गया था"—मैं समझा नहीं कि यह क्या शब्द है, 'राज्यपाल का समाधान हो गया था।'

श्री किशनसिंह भाटी : 'राज्यपाल का समाधान' का मतलब यह है कि सेटिस्फाई हो गए थे।

श्री मूलचन्द डागा : गलत है। लिखा है, 'राज्यपाल का समाधान हो गया था' · ·

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष जी, डागाजी को न तो हिन्दी का व्याकरण आता है और न अंग्रेजी का।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री डागा जी, उससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता है।

श्री मूलचन्द डागा : 'राज्यपाल का समाधान हो गया था'—गलती नहीं है, ब्लन्डर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह भी सही है।

श्री मूलचन्द डागा : इन्होंने जो रीजन्स दिये हैं और रीजन्स देने के बाद जब हम···

श्री किशनसिंह भाटी : 'राज्यपाल को समाधान हो गया था' और 'राज्यपाल का समाधान हो गया था, दोनों एक ही हैं।

श्री मूलचन्द डागा : You are not ready to understand.

श्री किशनसिंह भाटी : I am ready twice, thrice, four times.

श्री मूलचन्द डागा : राज्यपाल का क्या समाधान हो गया ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राज्यपाल का समाधान हो गया था।

श्री किशनसिंह भाटी : सलेक्ट कमेटी में एक-एक शब्द पर चर्चा हुई है।

श्री रघुनन्दन व्यास : इनको तो बोलने के लिये बोलना है · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्ट्रप्शन न करें। उनको कहने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : बार-बार कह रहे हैं, सही है। पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार बताइये, यह शब्द क्या है ?

अब प्रवर समिति ने जो प्रतिवेदन पेश किया, सलेक्ट कमेटी का जो निर्णय है, पहला सवाल तो यह है, श्रीमान्, जो इस कमेटी के सदस्य हैं, न तो किसी के स्टेटमेंट रिकार्ड किये, न जो टीचर्स अफेक्टेड हैं, उनको बुलाया। मुझे तो रिपोर्ट से मालूम नहीं होता कि सलेक्ट कमेटी ने क्या किया ....

श्री रघुनन्दन व्यास : सब कुछ किया।

श्री मूलचन्द डागा : सलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट से मालूम नहीं होता कि जिन मुद्दों पर हमने चर्चा उठाई थी उस पर कोई बात नहीं की ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अंगूठा लगा दिया यूं ही सब ने ?

श्री मूलचन्द डागा : इस पर नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : 13 बैठकें हुई और इतने लोगों को बुलाया गया ....

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत पढ़ रहे हैं। समिति की कुल चार बैठकें हुईं। यह कह रहे हैं 13/13 बैठकें कहां से हुईं..

(व्यवधान)

यह दूसरा बिल पढ़ रहे हैं, मैं दूसरा बिल पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया इन्ट्रप्शन न करें। हमारा जो प्रश्न था, वह यह था कि जो टीचर्स ..

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया का आर्टिकल 200 है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महबूब अली जी, मैंने इसको पढ़ लिया है। राज्यपाल महोदय ने बिल को लौटाते वक्त जो संदेश दिया है उसको भी मैं पढ़ रहा हूं। जब समय आयेगा मैं बता दूंगा। मैं आपसे असहमति प्रकट नहीं करता।

श्री मूलचन्द डागा : तो इसमें सवाल यह था कि जिन अध्यापकों ने कई वर्षों तक निरन्तर सेवा की या 25 जून, 1975 तक जो भी सेवा में थे, उनको सबको स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जाना था। उस स्क्रीनिंग कमेटी ने सबको नहीं बुलाया। 5, 7 अध्यापक हाई कोर्ट में गये हुए हैं कि साहब हमको बुलाया नहीं। हम इस कानून के अन्तर्गत, 1975 में जब यह आर्डिनेंस निकला तब सेवा में थे, व उसके अन्दर आते हैं। हमें बुलाना चाहिये था, लेकिन उन्होंने कानून की अवहेलना करके हमें नहीं बुलाया। जो आपका एक्ट बना हुआ है, वह एक्ट क्या है ? Rajasthan Universities Teachers and Officers (Special Conditions of Service) Act, 197 , इस एक्ट के अन्दर जिनका सलेक्शन हो गया था, सलेक्शन कमेटी ने सलेक्शन कर दिया था, जो सेवा दे रहे थे, जैसे आपके राजस्थान विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालयों में पहले सलेक्शन कमेटी थी, जिन्होंने अपाइन्टमेंट दिया, वह सलेक्शन .... (4) में थी। जो पहले एक्ट

(110)

(श्री मूलचन्द डागा)
बना हुआ था 1974 का उसके अन्दर था— Constitution of Selection Committees:—

"For every selection of a teacher or of an officer in a University, there shall be constituted a committee consisting of the following:"— उस कमेटी में सारे ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा रिप्रेजेन्टेटिव थे और कमेटी बनी हुई थी, लेकिन आपने खरीद लिया। आपकी जनता पार्टी का शासन आने के बाद आपके ऊपर दोषारोपण लग चुका है। आपके दिमाग में यह बात है कि राजनीति, आपका यह घटकवाद, यह आप की जो पॉलिसी है, वह विश्वविद्यालयों में...

श्री महबूब अली : इसमें घटकवाद कहां से आया ?

श्री मूलचन्द डागा : उन लोगों को हटाने की कोशिश की जो आर.एस. एस. के अनुयायी नहीं थे, जो इन्डिपेन्डेण्ट रहना चाहते थे। आपने स्क्रीनिंग कमेटी बना दी। अब जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है उसमें, Vice Chancellor, the Head of the Department concerned, Dean of the faculty concerned, etc., जब यह स्क्रीनिंग कमेटी बन गई तो वापस एक्ट लेकर आयेंगे। जब गवर्नर ने आपको लिख कर भेजा था। यह आप जो पहले खुद बिल लाये थे, उसमें आपने अपील का प्रोवीजन रखा था। यह शिक्षा विभाग ने सोच समझ कर रखा कि अगर स्क्रीनिंग कमेटी में गैर इन्साफ हो जाये, न्याय न हो, तो अफेक्टेड आदमी अपील में जाने का अधिकारी होगा। यह आपने अपील का प्रोवीजन रखा। अब मालूम हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है, इसमें कुछ लोग हार जायेंगे क्योंकि कई लोग 15-15 साल से सर्विस करते थे, उनको हटा दिया गया, गोल्ड मेडलिस्ट को हटा दिया गया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट को हटा दिया गया और इसलिये हटाया कि आपका वह कानून था...

एक माननीय सदस्य : आर. एस. एस. का।

श्री मूलचन्द डागा : और, श्रीमान्, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, मुझे याद है रात के करीब 9-10 बजे वापस प्रवर समिति को भेजने के लिये कहा था, तब निर्णय लिया कि इसको प्रवर समिति में भेजते हैं। हम परेशान हो गये। हमने कहा, जिन अध्यापकों ने, जिन शिक्षकों ने अपनी लम्बी सेवायें दी हैं और आपके सेटिस्फेक्शन के अनुसार दी हैं, जो बड़े अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आज माननीय पुराने शिक्षा मंत्रीजी, नये शिक्षा मंत्रीजी और राज्य शिक्षा मंत्री जी विराजमान हैं, तीनों ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश मूर्तियां बतायें, जिनके लिये हमने आपसे कहा था—राज्यपाल महोदय की चिट्ठी दिखा दी। कभी भी राज्यपाल ऐसे मामलों में नहीं आते हैं, मैं उनके पावर्स बता दूं—संविधान की धारा 200 में साफ है, वे अपनी बात कह सकते हैं लेकिन जब बिल आया, सदन में पेश किया, उस समय आपने क्या उत्तर दिया ? मैंने बड़े गौर से पढ़ा, यह आपकी रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को मैं सलेक्शन कमेटी के प्रति आदर रखते हुए कहना चाहता हूं कि जो उन्हें काम करना था, जो उनका कर्त्तव्य था, न तो अफेक्टेड

(श्री मूलचन्द डागा)

आदमी को बुलाया, न कोई स्टेटमेंट लिया और न और कुछ सोचा– उन्होंने क्या किया ? साथ ही यह समिति अनुभव करती है कि विधेयक को उद्देश्य की पूर्ति, राज्यपाल महोदय के परामर्श से, विलोपित करने की प्राप्त हुई। बस एक शंका हुई–कह दिया, राजस्थान में जो राज्यपाल महोदय ने अपनी सलाह दी वह उपयुक्त प्रतीत होती है। पढे लिखे विद्वानों के आरगूमेंट्स को सुनना चाहिये था, सलेक्ट कमेटी बैठी थी तो एक शब्द ही बहुत था क्या ? सबके दिमाग, सबकी सूझ-बूझ, सबके विचार खतम हो गये और वही स्क्रीनिंग कमेटी रही। मैं क्लाज को पढ़ कर बता दूं। यह क्लाज है फिफ्थ, जो क्लाज (4) में स्क्रीनिंग कमेटी थी वही है फाइव में :–

The same members who have already given judgment.

कोई मैम्बर हो तो बता दीजिये सेक्शन (5), जो आपका है,

"5. Re-Screening.—(1) Notwithstanding anything contained in Section 7 or any other provision of the Rajasthan Universities Teachers (Absorption of Temporary Lecturers) Ordinance, 1978 (Ordinance No. 5 of 1978), the services of temporary lecturer, who was considered for substantive appointment by a Screening Committee but was not found suitable, shall be deemed not to have terminated and he shall continue to be a temporary lecturer till he is again considered for substantive appointment under section 3 after his re screening under sub-section (2) of this Section.'

कोई इसे पढ़े और राजस्थान विधान सभा के इस प्रकार के लेजिस्लेशन को पढ़े. मेरे ख्याल से ताज्जुब करेगा कि हिन्दुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं कि वह स्क्रीनिंग कमेटी वैसे ही बना दी। मैंने एक आदमी को नाकाबिल घोषित कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया, इनएफिशियेन्ट घोषित कर दिया, पर वही स्क्रीनिंग कमेटी कहती है, ठीक है। यह किस लिये, क्या न्यू ग्राउन्ड्स हैं ? हम लोगों को कानून में यह क्या समझ रखा है...

श्री किशनसिंह भाटी : क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में तो आता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : स्क्रीनिंग कमेटी की कोई नई बाडी बनाते तो हम आपके प्रोविजन्स समझ जाते। कब वह अपीयर होगी, कौनसी तारीख को होगी, कौन होंगे...

श्री किशनसिंह भाटी : पार्ट टू पढ़ लें।

श्री मूलचन्द डागा : अब पार्ट टू है नहीं इसमें। क्या बताऊं इनको। या तो इनको पहले बोल लेने दीजिये। This is too much. Either let him speak first..

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : आप तो अपना काम करिये।

श्री मूलचन्द डागा : अरे क्यों वृद्ध नेता ? अब अपाइन्टमेंट्स :

(5) 6. Appointment to be under the Act No. 18 of 1974:—The lecturers appointed to the substantive posts in pursuance of the provisions of the Rajasthan

(श्री मूलचन्द डागा)

Universities Teachers (Absorption of Temporary Lecturers) Ordinance 1978 (Ordinance No. 5 of 1978) or of this Act shall be deemed to have been appointed under the provision of the Rajasthan Universities Teachers and Officers (Special Conditions of Service) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).

तो इसके अन्दर, श्रीमन्, कहां प्रोविजन्स है कि स्क्रीनिंग कमेटी वापस जो करेगी उसके अन्दर ये ये बातें और गौर करेगी-कब देखेगी, कब अपीयर होगी, कौन सी तारीख को होगी, क्या लिमिटेशन होंगे, इसमें कुछ नहीं है।

अब आपने लिखा है :

(7) 8. Termination of the services of the temporary lecturers not substantively appointed:—The services of a temporary lecturer who is considered for substantive appointment under section (3 and 4) 3'4 and 5 but is not substantively appointed on or before the 31st day of August, 1978-1979 shall stand terminated on expiry of that day.

श्री महबूब अली : यह डिलीट कर दिया थ्री एन्ड फोर।

श्री मूलचन्द डागा : एक टीचर ने हुत सेवायें कर दीं, उसकी एकेडेमिक क्वालिफिकेशन अच्छी है, उसकी परफार्मेन्स अच्छी है, ठीक सेवायें दी हैं...

श्री महबूब अली : कान्सीक्यूलएंशल।

श्री मूलचन्द डागा : For what purpose? आपने अपाइन्टमेंट किस लिये किया? एक आदमी को अपाइन्ट किया है तो अपाइन्ट करते समय सारी क्वालिफिकेशन देखें। आप प्रमोशन मत दीजिये, लेकिन जो 10–10 साल की सेवायें दे दे उसको आप कह देते हैं कि बाहर जाइये। एक लेबर जो 240 दिन काम करेगा वह परमानेन्ट हो जायगा, परन्तु एक आदमी आपको पूरी सेवायें दे और स्क्रीनिंग कमेटी वहीं बैठ जाय....

श्री महबूब अली : समय पर आपने रेगुलराइज नहीं किया, इसलिये मामला उठा है।

श्री मूलचन्द डागा : हमारा माइन्ड तो साफ था, वह घटकवाद से पीड़ित नहीं था।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कांग्रेस की गलती का मतलब यह नहीं है कि आपको भी गलती करने की छूट दे दी जाय। यह छूट हम नहीं देना चाहते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : गलती ठीक कर रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपकी मेहरबानी है कि आप उन टीचर्स को नौकरी दे रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अब, श्रीमन्, मैं बात कर रहा था, कई लोग अपील में चले गये, हाई कोर्ट में रिट में चले गये जैसे एक थे डा. माली राम सैनी (एम. एस सी., पी. एच. डी. फर्स्ट क्लास) उनकी सेवायें हैं, दूसरे हैं मिस शशी जोशी और वसन्त जेटली, जो कई जगह चले गये हैं। अब कोर्ट से स्टे आर्डर

(श्री मूलचन्द डागा)

मिल गया है, उनकी सेवायें सुरक्षित हो गईं। जिन लोगों ने सेवायें दीं, उनके लिये मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी, क्या उनको आप वापस बुलायेंगे? अब तो आपका कानून बन गया है, स्क्रीनिंग कमेटी में कहा गया है। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि आप इस अपील के प्रावीजन को क्यों हटाना चाहते हैं? इस अपील के प्रावीजन को हटाने की मंशा क्या है? अपील के लिए जो प्रावीजन रखा था बड़ा सोच समझ कर रखा था, वह रखा था :

(i) Two educationists, one of whom shall be appointed as the Chairman;

(ii) One expert having special knowledge in the subject in which the Appellant has been a Lecturer;

यह तो नया कानून लागू हो गया। तो इस अपील के प्रावीजन को हटाना क्यों चाहते हैं? क्या इसमें राज्यपाल महोदय की गरिमा, चांसलर की गरिमा, वाईस चांसलर की गरिमा का सवाल है, उसने जो कुछ कर दिया क्या वह फाइनल है? आज अगर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली है, वह सर्वोच्च सत्ता है, अगर वह कानून गलत पास कर दे, आर्डिनेंस गलत आ जाय तो हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है। हाई कोर्ट अगर उसको कैंसिल कर दे तो इसमें आप लोगों का अपमान होगा। यह आप क्यों करना चाहते हैं? चांसलर के खिलाफ, वाईस चांसलर के खिलाफ अपील करें और फैसला पलट जाय तो अनुशासन नहीं रहेगा यह क्या बात हुई?

श्री महबूब अली : आर. पी. एस. सी. में अपील करें।

श्री मूलचन्द डागा : वाईस चांसलर इतना कोमल नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग इतना सैनसेटिव नहीं होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

छोटे दायरे में सोच कर वाईस चांसलर ने जो निर्णय ले लिया है, उस निर्णय की अपील में उसके खिलाफ फैसला हो जाएगा, मेरे खयाल से इसके लिए न्याय के विरुद्ध बात होगी। इसलिए, श्रीमान्, मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर आप सही बात को लाना चाहते हैं, सही चीज करना चाहते हैं, तो उस दिन भी जब यह बिल आया था तो तीन घण्टे खर्च करने के बाद आपने हमारी बात को माना था और प्रवर समिति को भेजा था, तो आज फिर हमारी बात को मान लें और फिर इसको जनमत जानने के लिए भेजिये। 15 दिन के लिए भेजिये। लोग कह देंगे कि अच्छा बिल है या खराब बिल है हजारों शिक्षक इससे अफेक्टेड हो जायेंगे।

(व्यवधान)

इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके अन्दर टरमीनेशन का क्लाज हटा दीजिए, अपील का प्रावीजन रहने दीजिए। यही बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, आपका जो मूल संकल्प है उसको जनमत जानने के लिए भेजने के लिए, उस पर शायद आपने कुछ नहीं कहा है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने कहा है, साहब कि जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। यह कहा है कि 15 दिन के लिए ही कर दीजिए ताकि सब लोगों को पता हो जाय कि किस प्रकार का बिल पास किया जा रहा है। सब लोगों की राय आ जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य जनमत जानने के लिए संकल्प प्रस्तुत करना चाहेंगे ?

श्री हरिकृष्ण, प्रवर समिति सम्बन्धी प्रस्ताव।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं बोलना चाहता हूं।

श्री हरीश कुमार : जनमत जानने के लिए हमारा है, साहब।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1979 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।

राजस्थान यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, जो दस बारह सालों से लेक्चरार की सर्विस में थे, जो टेम्प्रेरी थे, उनको परमानेंट करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है। इसके लिए जो स्क्रीनिंग और री-स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग और री-स्क्रीनिंग की कमेटी है, उनके अन्दर जो मैम्बर्स हैं उनमें से किसी में भी अन्तर नहीं है। एक स्क्रीनिंग कमेटी ने निर्णय ले लिया और उसको वापस री-स्क्रीनिंग करने का जो प्रावोजन बनाया गया है, वह कोई भी, अकार्डिंग टू किसी भी परिभाषा से, किसी भी परिभाषा के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यूनिवर्सिटीज के अन्दर सलेक्शन होता है, उसमें हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट है वह हर एक करीब 10 साल 12 साल कन्टीन्यूअसली चलते हैं और हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट के कन्टीन्यूअसली चलने पर क्या होता है कि जो एक्सपर्ट बुलाते हैं जनरली ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कि अपनी चोइस के हों। चोइस के हो करके सलेक्शन में भी बहुत ही प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार से लेक्चरार्स का जो सलेक्शन होता है वह पक्षपात के आधार पर होता है। मैं चाहता हूं कि इसमें डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए और हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट तीन साल के बाद में चेंज हो करके दूसरा हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट बने। इस डेमोक्रेटाइजेशन के बनने से क्या होगा, जो लेक्चरार का सलेक्शन करते हैं उनका उस सम्बन्ध में एक दृष्टिकोण ऐसा रहता है कि पक्षपात के आधार पर लेने की कोशिश की जाती है जैसा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलता है, जोधपुर यूनिवर्सिटी में चलता है। यह स्थिति रहेगी तो जो सलेक्शन में पक्षपात होता है उस पर कुछ न कुछ रुकावट या कुछ नियंत्रण हो सकेगा। इसलिए मेरी राय है कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को तीन साल के लिए रखें। वहां पर दूसरे भी प्रोफेसर रैंक के होते हैं, इसलिए उनको भी रखा जा सकता है। एक ही हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट कन्टीन्यूअस प्रोसेस में रहने से, जनरल टैंडेंसी मैंने देखी है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनि-

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

वर्सिटी में जो सलेक्शन करने में, लेक्चरार्स के सलेक्शन के अन्दर, रीडर्स के प्रमोशन में पूरी तरह से पक्षपात करते हैं। उसमें उनको मोनोपोली की टेंडेंसी को बढ़ावा मिलता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरार्स के जो सलेक्शन हों उसमें हैड ग्रॉफ दी डिपार्टमेंट जो हैं, ग्राफ्टर थ्री ईयर्स चेन्ज किया जाना चाहिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची में समाविष्ट कार्य पूर्ण होने तक का समय बढ़ाने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह टाइम एक्सटेंड करने की बात चीफ व्हिप ने कही है। जिस वक्त बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हुई थी तो हमारे सामने जो मुद्दा था वह यह था कि सेल्स टैक्स का जो आर्डिनेन्स निकाला है, 30 पर्सेंट से 60 पर्सेन्ट करने का, जो आपने शिड्यूल में संशोधन किया है आर्डिनेंस के जरिए से, उसको सब्सटीट्यूट करने के बारे में बिल ला रहे हैं, इसलिए दो बिल रख दिये गए। आज जो बिल इण्ट्रोड्यूज किया है माननीय वित्त मंत्रीजी ने, वह 15 क्लाजेज का बिल है, बहुत बड़ा बिल है जिसमें काफी समय लगेगा। कार्य सूची में जो बिल लाया गया है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने जो बिल था वह दूसरा था, इसमें 15 क्लाजेज हैं और बड़े इम्पोर्टेंट क्लाजेज हैं, जिनमें समय लगेगा। इसलिए इस बिल को जो विचारार्थ लिया गया है, सलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं, इस बिल को तो पारित किया जाय और दूसरा बिल डेफर किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा मेन आब्जेक्शन यह है कि आर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल लिया जाता तो कोई आब्जेक्शन नहीं था, लेकिन जो बिल सेल्स टैक्स का लाया गया है उसमें कम से कम 15 क्लाजेज हैं। उसके ऊपर हमें विचार करने के लिए कम से कम तीन घण्टे, साढ़े तीन घण्टे का समय चाहिए। यह मेरा पहला संकल्प है, मैं श्रीमान् से कहना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बजट जब तक पारित नहीं हुआ था हम रात को दस बजे, नौ बजे घर पर पहुंचते थे और आपके नियमों में यह प्रावधान है कि 11 बजे से 5 बजे तक हाउस चलेगा। हम लोग रोज एडजस्ट करते हैं, पर रोज हमारे सामने ये चीफ व्हिप महोदय खड़े होकर तकिया कलाम बोल देते हैं कि समय बढ़ाया जावे। क्या हमारी हैल्थ को खराब करना चाहते हैं, हमारी तन्दुरुस्ती को गिराना चाहते हैं ? हम न्याय नहीं कर पाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब।

श्री मूलचन्द डागा : इसलिए मैं चाहता हूं कि न्याय के लिए अगर आप चाहें तो और दिन रख लीजिए। आपने दो बिल साथ में रख लिए, इसको पास करायें, यह आपकी जिम्मेदारी है...

एक माननीय सदस्य : जीरो आवर क्यों लम्बा चलाते हो ?

श्री मूलचन्द डागा : यह आपकी जिम्मेदारी है कि दो बजे बाद क्यों चलाते हैं ?

(श्री मूलचन्द डागा)

हाउस को कम से कम 5–6 बजे से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो न्याय नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आज एक विधेयक ले लें और कल दूसरा विधेयक ले लें।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जब इस पर चर्चा हुई थी कि इस आर्डिनेन्स को रिप्लेस करना है और आर्डिनेन्स मे जो 30 पर्सेन्ट से 60 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी की है····

(व्यवधान)

हमने भी देखा है, 30 से 60 पर्सेन्ट और कर लो, हमें क्या एतराज है? परन्तु जब इसको देखा तो यह पाया कि इसमें तो कई क्लाजेज हैं। 15 सैक्शन हैं। यह तो बड़ा डिबेटेबल है, कन्ट्रोवर्सियल है। कई क्लाजेज इन्वालव्ड हैं। हमें तो यह कहा गया था कि आर्डिनेन्स को रिप्लेस करने का बिल है, परन्तु जब इस बिल को देखा तो आर्डिनेन्स के साथ-साथ कई बिच्छू इसमें छोड़ दिये गये हैं। हम इसके साथ क्या जस्टिफिकेशन कर पाएंगे? क्यों गवर्नमेन्ट इसको हरिडली पास कराना चाहती है? 30 से 60 के साथ इसमें कई चीजें आपने डाल दी हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की यह मंशा नहीं थी।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बहुत बड़ा बिल है। अभी हमने इसको पूरा नहीं पढ़ा है। इसलिए इसको कल रख लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : शायद पहले, डिमान्ड्स की चर्चा के समय, सदन 8 बजे तक बैठता था। अमूमन और विशेष परिस्थितियों में अधिक समय तक यह सदन बैठा है। आज 8 बजे तक तो समय बढ़ा दिया जाए।

श्री मथुरादास माथुर : 12 बजे तक बैठो, हमें एतराज नहीं है। परन्तु यह बिल बहुत बड़ा है। प्रिपरेशन नहीं कर पाये हैं क्योंकि पहले यह कहा गया था कि सिर्फ आर्डिनेन्स को रिप्लेस करने के लिए बिल आ रहा है, परन्तु ऐसा नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।

श्री मथुरादास माथुर : इसको ओरीजनल बिल से कम्पेयर करेंगे कि यह क्यों आ रहा है? उस दिन यह तय हुआ था, परन्तु यह तो दूसरा है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, 8 बजे तक यहां पर बैठेंगे। यह 75 क्लाजेज का बिल है। कब स्टडी करके इस पर विचार रख सकेंगे। इसलिए कुछ प्रिपरेशन का समय भी दिया जाना चाहिए। 8 बजे तक यहां पर बैठेंगे, आसन से आदेश होता है, तो फिर 9 बजे तक घर पहुंचेंगे। उसके बाद कब तो इस बिल को पढ़ेंगे; 75 क्लाजेज हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि योजना मंत्री जी टैक्सेशन लाज में बहुत माहिर हैं। पहले ये इधर बैठते थे तो एक, एक क्लाज में दस, दस संशोधन रखते थे। 15 क्लाजेज सेल्स टैक्स के हैं। योजना मंत्री स्वयं यहां पर बैठे हैं। वे इस बात को जानते हैं। क्या उन्होंने इस बिल को पढ़ लिया है? पहले एक क्लाज,

(श्री परसराम मदेरणा)

का बोल रहे थे परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इतना बड़ा बिल है। कई जो छोटे उद्योग हैं, उनको जो कन्सेशन, रियायतें दी गई थीं उनको खतम करने का बिल है। इससे तो राजस्थान में तहलका मच जाने वाला है। इस पर चर्चा करके हम को पास करना है। हमारी मजबूरी है, हम सहयोग नहीं दे सकेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : डिप्टी लीडर ऑफ जनता पार्टी आप पार्टी का रुख रखें। आपके दल की तरफ से · · ·

श्री मथुरा दास माथुर : अनाउन्समेंट करना होता है, रियायतें देनी होनी हैं तो कई मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं और इस पर कोई मिनिस्टर खड़ा नहीं हो रहा है।

श्री माणक चन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने जो अभी निवेदन किया है, मैं समझता हूं कि सदन का समय फिलहाल 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए। 8 बजे तक यदि इस पर विचार न हो सके इस पर खंडशः विचार न हो सके तो इसके प्रिन्सीपल पर तो विचार हो जाए यह मेरा निवेदन है, इसको फिर दूसरे दिन रख लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

श्री मूलचन्द डागा : महरबानी करके 6 बजे तक का समय रख लिया जाए। कल एक नया बिल आ रहा है · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य गण कल काफी देर तक बैठे हैं। रोजाना बैठ रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हम न्याय नहीं कर पाएंगे। सही भूमिका नहीं निभा पाते हैं। माइन्ड एप्लाय नहीं कर सकते हैं। कल एक नया बिल आ रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कल बहुत बड़ा बिल आ रहा है। उसकी भी तैयारी करनी है।

श्री उपाध्यक्ष : सेल्स टैक्स बिल में जो अमेन्डमेन्ट पेश होने थे, वे हो गये हैं। चाहे कितना ही बड़ा बिल हो, अगर उसमें संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तो · · ·

श्री मथुरादास माथुर : इसका तो हमें कल मालूम पड़ा है।

श्री परसराम मदेरणा : करीब-करीब सभी पर मैं अमेन्डमेण्ट्स दे सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर तो आम सहमति है कि जो प्रस्तुत विधेयक है, वह पारित होने तक और समय मिल जाए, तो दूसरे बिल पर चर्चा हो सकती है तो वह कर ली जाए।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही योजना मंत्री से अनुरोध किया था कि यह जो बिल लाये हैं, बी. ए. सी. में जो चर्चा हुई थी उससे यह काफी बड़ा है। वे खुद यह महसूस करते हैं।

श्री माणक चन्द सुराणा : इसमें कुछ प्राविजन्स ऐसे है, उपाध्यक्ष महोदय, जो 7 अप्रेल को लेप्स हो जाएंगे; इसलिए 7 अप्रेल तक इसको पास करना चाहते हैं।

श्री मथुरा दास माथुर : यह तो एक प्रावीजन है।

(118)

श्री माणक चन्द सुराणा : आप जानते हैं, एक प्रावीजन लेप्स होता है तो टैक्सेशन के जो प्रपोजल्स हैं वे कितने सीरियस हैं · · ·

श्री मथुरादास माथुर : कल कर लीजिए।

श्री माणक चन्द सुराणा : इसके प्रिन्सीपल पर आज विचार कर लें। जहां तक विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा है, तो क्लाज वाई क्लाज कल विचार कर लिया जाए, लेकिन प्रिन्सीपल पर तो आज विचार हो जाए।

श्री रघुनन्दन व्यास : संशोधन कब दे सकेंगे ?

श्री माणक चन्द सुराणा : हम उनको स्वीकार कर लेंगे। रूल को रिलेक्स करके संशोधन स्वीकार कर लिए जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : पांच बजने वाले हैं। आम सहमति लेना चाहूंगा।

क्या सदन की सहमति है कि जब तक प्रस्तुत विधेयक, जिस पर चर्चा हो रही है, पारित न हो जाय तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए और उसके बाद भी सदन की सहमति हो तो समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय, प्रस्तुत विधेयक के पारित होने तक बढ़ाया गया। उसके बाद भी सदन चाहे तो विधेयक के लिए समय बढ़ाया जा सकता है।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था। मैं यह कहना चाहता था कि जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स हैं उनका तीन साल के बाद में परिवर्तन होना चाहिए। यह होता है तो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट इण्डिपेन्डेन्ट, इम्पार्शल एटीट्यूड ले सकेंगे और जो भी सलेक्शन होगा लेक्चरार का वह सही तौर से हो सकेगा। नहीं तो मैंने यह पाया है कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स राजस्थान विश्वविद्यालय में, जोधपुर यूनिवर्सिटी में दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष तक रहते हैं और इससे उनका एक इन्ट्रेस्ट क्रियेट हो जाता है। जब भी वे एक्सपर्ट को बुलाते हैं, तो वे अपनी चोइस वाले को बुलाते हैं और उसमें सलेक्शन पक्षपात के आधार पर होता है। योग्य लेक्चरार को प्रमोशन नहीं मिलता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रमोशन वाली बात है लेक्चरार की उनका तो आटोमेटिक प्रमोशन होना चाहिए। उनके वर्किंग परफोरमेन्स और योग्यता के आधार पर प्रमोशन आटोमेटिक होने चाहिये, ताकि यह स्थिति पैदा ही न हो कि लेक्चरार्स टेम्प्रेरी रहें और प्रमोशन नहीं हो। इसलिए आटोमेटिक व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरी नई बात यह है कि यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर की व्यवस्था करने जा रहे हैं····

श्री महबूब अली : इसका बिल से क्या ताल्लुक है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : प्रश्न यह है कि इस सुझाव को मान्यता देंगे····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महबूब अली जी ने जो प्रश्न उठाया है वह वाजिब है। कृपया इस संबंध में चर्चा न करें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह नया डिसीजन ले रहे हैं इसलिए मैं पहले ही आगाह करना चाहता हूं। यह जो करने जा रहे हैं यह बहुत ही गलत तरीका है। इससे राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्टेण्डर्ड गिर जायेगा। एक लेक्चरार, रीडर को दूसरी जगह भेजेंगे, वहां अगर रिसर्च की व्यवस्था नहीं होगी तो उनका सदुपयोग नहीं हो सकेगा। इसलिए ट्रांसफर का प्रावीजन नहीं रखा जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ प्राध्यापकों की ओर भी ध्यान दिया गया सरकार के द्वारा लेकिन जरा गहराई से भी विचार किया जाय। सभी बुद्धिजीवियों के सामने, जो वास्तव में शिक्षा जगत के लिए चिन्तित हैं, कुछ प्रश्न मैं रखना चाहूंगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जो अस्थाई लेक्चरार हैं और आपने जो स्थाई किये उनमें तीन ऐसे थे जो पूरी तरह से योग्य थे। अब संशोधन बिल में बुलाने का प्रावधान किया गया है, उन तीनों को नहीं बुलाया। वे हैं मालीराम, शशि जोशी। प्रश्न यह है, उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के द्वारा, संशोधन के द्वारा हमारा ध्यान वहां चला जायेगा जहां हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, रिश्ते नाते जाकर टकराते हैं। इस पर हम विचार करें। योग्य, प्रतिभावान का संरक्षण करके उन्हें पदोन्नति देकर, पुरस्कृत करके सम्मानित करने की कोशिश करें। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में इसका एकदम उलटा हुआ है। प्रतिभावान पीछे धकेल दिये गये योजनाबद्ध तरीके से और अपने लोगों को सहायक कुलपति से उप कुलपति बनाया। किस मापदण्ड के आधार पर ? इसका कोई निर्धारण चयन समिति के द्वारा नहीं किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करके ऐसा किया गया है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि इसे जनमत जानने के लिए एक माह के लिये प्रचारित किया जाय ताकि जनता और वे लोग जो इससे प्रभावित हैं अपना मत व्यक्त कर सकें।

संवैधानिक प्रश्न

राज्यपाल महोदय द्वारा वापस लौटाये गये विधेयक पर पुनर्विचार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आसन की ओर से एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो बिल वापस लौटाया गया और उसमें राज्यपाल महोदय ने जो संदेश भेजा, सदन के सम्मुख जो लौटाया गया बिल है, उस बिल को किस प्रकार पुनर्विचार करके पारित किया जावे उसके बारे में कुछ शंकायें हैं। संविधान की धारा 200 में प्रावधान है :—

"When a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State or, in the case of a State having a Legislative Council, has been passed by both Houses of the Legislature of the State, it shall be

(श्री उपाध्यक्ष)

presented to the Governor and the Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the Bill for the consideration of the President :

Provided that the Governor may, as soon as possible after presentation to him of the Bill for assent, return the Bill if it is not a money Bill together with a message requesting that the House or Houses will reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and, when a Bill is so returned, the House or Houses shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the House or Houses with or without amendments and presented to the Governor for assent, the Governor shall not withhold assent therefrom."

महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो संदेश इस बिल को लौटाते वक्त भेजा है वह इस प्रकार है—"मैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधान सभा द्वारा पारित विधेयक सं. 31 राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को सदन के पुनर्विचार हेतु इस संस्तुति के साथ लौटा रहा हूं कि उपरोक्त विधेयक की धारा 8 को विलोपित करने हेतु संशोधन के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार कर लिया जावे। विधेयक की धारा 8 द्वारा धारा 4 के अन्तर्गत गठित अन्वीक्षण समिति की सिफारिशों के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान रखा गया है और यह अपील कुलाधिपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित अपील समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। अपील एवं अपील समिति के इस प्रावधान को सदन द्वारा पुनर्विचार करना उचित मानता हूं।" इसके बाद सदन के समक्ष एक मोशन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने रखा था। वह मोशन, जैसा हाउस ने पारित किया, यह है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान की धारा 200 के अन्तर्गत लौटाये गये राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 के खण्ड 8 पर विचार करने हेतु इसे प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

इस सम्बन्ध में जो विधान सभा कार्य संचालन संबंधी नियम 94 है, उसमें: Reconsideration of Bills returned by the Governor:—

"When a Bill which has been passed by the House is returned by the Governor for re-consideration, the point or points referred for reconsideration or the amendment recommended shall be put before the House by the Speaker and shall be discussed and voted upon in the same manner as amendment to a Bill or in such other way as the Speaker may consider most conve-

(श्री उपाध्यक्ष)

nient for their consideration by the House."

जब सदन में इस प्रकार की चर्चा चल रही थी तो आपने आपत्ति की थी कि केवल माननीय सदस्य धारा 8 के बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि उसी को विलोपित करने के लिये राज्यपाल महोदय ने सिफारिश की थी। प्रवर समिति द्वारा बिल इस रूप में सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें यद्यपि आपने क्लाज 8 को विलोपित किया है लेकिन आपने दूसरे प्राविजन्स सब्सटैंशियली इसमें इन्सर्ट किये हैं। सैक्शन 5 इन्सर्ट किया है। इसमें एक नया सैक्शन एड किया गया है, और इसी प्रकार दूसरे चेन्जेज भी किये गये हैं। मैं इस बारे में कोई निश्चित राय दे सकूं मैं इसके पहले आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपने जो इसमें क्लाज 5 नया इन्सर्ट किया है, क्या वह क्लाज 8, जो पहले का सैक्शन 8 था, उसको विलोपित करने तक ही सीमित था या नये चेन्जेज भी करे जायेंगे? यदि ऐसा है तो, आर्टीकल 200 के प्राविजन के मुताबिक और राज्यपाल महोदय के संदेश के मुताबिक, किस सीमा तक पुनर्विचार किया जाय। जो हाउस में मोशन प्रस्तुत किया गया है, उसमें केवल सैक्शन 8 को ही विलोपित करने के प्रश्न पर प्रवर समिति के सुपुर्द किया था; तो क्या जिस रूप में यह बिल प्रस्तुत किया गया है, वह नियमानुसार है और उचित है?

श्री मथुरादास माथुर : आनरेबल गवर्नमेंट को कहने दें।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो अपने बाद कहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस हाउस में मैं उठाने वाला था कि क्लाज 8 को सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया था कि इसको विलोपित किया जाय या नहीं किया जाय। जो सलेक्ट कमेटी को हाउस ने टर्म्स आफ रेफरेन्स दिये थे उससे सलेक्ट कमेटी ने एक्सीड करके उन क्लाजेज को संशोधित करके, जिनमें वोटिंग हो चुका है इस हाउस के द्वारा, तो हाउस ने यह सोचा ही नहीं है कि कोई नया संशोधन किया जाय। कुछ क्लाजेज तो ऐसे ही रखे थे जिन पर हाउस ने वोट किया था, उनमें गड़बड़ की गई है और कुछ क्लाजेज के अन्दर वर्ड्स में संशोधन किया है। पूरे का पूरा बिल नया सलेक्ट कमेटी ने लिया है, सलेक्ट कमेटी को कोई अधिकार नहीं है। जो बिल आज हाउस में आया है, जो बिल सदन के सामने आया है वह पूरा संशोधन करके बिल लाया गया है। राज्यपाल महोदय को पारित करके असेन्ट के लिए जो बिल भेजा गया था, उसके 7 क्लाजेज पर तो राज्यपाल महोदय ने कोई एतराज नहीं किया। वह कहते हैं कि क्लाज 8 की ज्यादा प्रोप्राइटी है इसको विलचर करें, इस पर पुनर्विचार करें, सदन रिकन्सीडर करे इसको, इसलिए उन्होंने आर्टीकल 200 के अन्दर संदेश भेजा है। सदन को कहा है कि आप क्लाज 8 को विलोपित करने के बारे में पुनर्विचार करें। क्लाज 8 को विलोपित करने के बारे में विचार करने के लिए इस सदन ने सलेक्ट कमेटी को यह मैटर रेफर किया था। जो उनका स्पेसिफिक प्रस्ताव था, शिक्षा मन्त्रीजी ने क्लाज 8 को विलोपित करने के लिए सलेक्ट कमेटी को रेफर किया था, तो सलेक्ट कमेटी को यही निर्णय लेना था कि क्लाज 8 जो है इसको विलोपित किया जाय या नहीं किया जाय। क्लाज 8 में सीमित संशोधन दे सकते थे

(श्री परसराम मदेरणा)
लेकिन क्लाज 8 में संशोधन न देकर पूरे 8 क्लाजेज, जिनको हाउस पास कर चुका है, के सम्बन्ध में पूरे का पूरा नया बिल आपके सामने ला रहे हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा : सब्सटीट्यूशन ग्राफ क्लाज 8 एण्ड कान्सीक्वेन्शल चेन्जेज है।

श्री परसराम मदेरणा : कान्सीक्वेन्शल के नाम पर आपने पूरा बिल बदल दिया है।

श्री ईश्वर चंद्र : सब्सटेन्शियल चेन्जेज क्या है, यह आप बता दें ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं बता रहा हूं, सब्सटेन्शियल चेन्जेज यह कर दिये हैं।

'सर्विसेज टर्मिनेटेड समझी जायगी,' जो वाजिब लेजिस्लेशन होता है उसमें इस प्रकार का प्रावधान, नहीं होता है। आपने यह जो रखा है कि सर्विसेज टर्मिनेट हो जायेगी, तो जो सलेक्ट नहीं होता है उसकी अपने आप ही सर्विसेज टर्मिनेट हो जाती हैं। सलेक्ट नहीं हो तो वह अपील में जा सकता है। वह अपील रिजेक्ट हो सकती है, तो आपने अपील का क्लाज नहीं डाला और इसमें यह जोड़ दिया है, प्रावधान—

"Termination of the services of the temporary lecturers not substantively appointed :—The services of a temporary lecturer who is considered for substantive appointment under section 3, 4 and 5 but is not substantively appointed on or before the 31st day of August, 1979 shall stand terminated on the expiry of that day."

यह बिल्कुल नया डाला है, और इसके साथ ही यह जो आपने क्लाज रखा है 5 रिस्क्रीनिंग का, इसका पहले कोई प्रावधान नहीं था। रिस्क्रीनिंग का जो प्रावधान क्लाज बना कर रखा है, वह पूरे का पूरा नया क्लाज रखा है। हाउस के सामने रिस्क्रीनिंग की बात नहीं बताई। प्रश्न यह है कि अपील समिति बनाई जायगी। तो अपील कमेटी जो है, वह इसकी अपील को सुनेगी, पर आपने अपील कमेटी का प्रावधान नहीं रखा और रिस्क्रीनिंग का नया रखा गया है। यह रखने के बाद कान्सीक्वेन्शल चेन्जेज की बात कहना चाहते हैं। 5 में रखा है और कान्सीक्वेन्शल चेन्जेज 3 में किये हैं। आप लाकर इसमें और चेन्जेज कर रहे है। डेफिनेशन के अन्दर क्लाज (1) में चेन्जेज कर रहे हैं। आप यह बताइये कि यह एक लेकूना बीच में क्यों रह गया है ? इस सरकार ने यह नहीं सोचा है कि वह आर्डिनेन्स रहा नहीं, आर्डिनेन्स इस बिल से सब्सटीट्यूट नहीं हुआ तो स्टेट्यूट नहीं रहा, क्योंकि आर्डिनेन्स का टाइम 42 डेज को एक्सपायर हो गया, चाहे वह 15 तारीख को हुआ, चाहे वह 18 तारीख को हो गया। वह 14 तारीख को ही हो गया। 14 तारीख और उसके पहले 14 नवम्बर को यह एक्सपायर हो गया। 42 दिन के बाद आर्डिनेन्स नाम की कोई चीज अब स्टेट्यूट बुक में नहीं रह गई है, अन्डर आर्टीकल 213 आफ दी कान्सटीट्यूशन। आज सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में आई है और वह बिल को पारित करवाना चाहते है। गर्वनर की असेन्ट के बाद में वह एक्ट बन जायगा। उसमें एक

(श्री परसराम मदेरणा)

आर्डिनेन्स का हवाला देना चाहते हैं, इस तरह की चीज, ऐसा लेजिस्लेशन इस विधान सभा के 27 साल के इतिहास में नहीं देखा है जिसमें आर्डिनेन्स लेप्स हो गया है, आर्डिनेन्स और बिल लाने के बीच में 42 दिन का समय एक्सपायर हो गया है। उसके पहले आर्डिनेन्स का उल्लेख बिल में किया जाता है, यह इल्लीगल है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इस बिल में आर्डिनेन्स का नाम डाल कर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आर्डिनेन्स का नाम रखना चाहते थे। जब कभी भी आर्डिनेन्स का नाम रखते हैं तो आर्डिनेन्स कन्टीन्यूटी में 42 डेज के पहले था और एक्ट बन गया है, इसलिए आर्डिनेन्स का उल्लेख किया जाता है और एक सेविंग क्लाज डाला जाता है। जो मोशन लाया गया है तो आर्डिनेन्स कहां है? यह बिल्कुल इल्लीगल कराया जा रहा है। आर्डिनेन्स है नहीं। वह लैप्स हो गया है। उस आर्डिनेन्स के अन्दर जो भी कार्यवाही आपने की है उस समय के लिए वह समाप्त हो गयी, उसकी कन्टीन्यूटी नहीं रही, और अब आर्डिनेन्स को यहां पर डालते हैं तो बीच में गेप हो गया है, 4-5 महीने हो गये हैं। नवम्बर, 78 से लेकर 42 दिन के बाद एक्ट बन जाना चाहिए था। इसके बीच में जो काम हो गये हैं तो कोई लॉ नहीं था और न स्क्रीनिंग कमेटी रही। उसको एक्ट नहीं बनाया। गवर्नर को जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वह असेम्बली के इन्टर सैशन पीरियड के लिए हैं। इन्टर सैशन पीरियड में जो लेजिस्लेशन बनाया गया है तो असेम्बली की पहली मीटिंग की डेट से लेकर 42 डेज के अन्दर एक्ट नहीं बनाया जाता है और एक्ट से आर्डिनेन्स रिप्लेस नहीं हो जाता है। इस सदन में इनेक्टमेंट नहीं होता है, वह आर्डिनेन्स जिन्दा नहीं रहता है, वह समाप्त हो जाता है। आर्डिनेन्स कर दिया समाप्त और आर्डिनेन्स का उल्लेख करना चाहते हैं। आप इसलिए करना चाहते हैं कि सलेक्शन जो कर दिये थे, तो आप इस कानून से उन सलेक्शन्स को लीगल करार देना चाहते हैं। यह लीगल कराना सारा इल्लीगलाइज्ड है। हाई कोर्ट में चैलेन्ज हुआ तो स्ट्रक डाउन होगा। इस पर विचार कर लीजिये। इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकार सोच ले, लीगल राय ले ले। आर्डिनेंस नाम की कोई चीज नहीं रही है। आर्डिनेंस के नीचे कोई कार्यवाही की है, उस कानून को आपने कन्टीन्यूटी नहीं दी है, इसलिए वह समाप्त हो गया है। वह आर्डिनेंस आर्डिनेंस ही नहीं रहा। अब कहां से आप कह रहे हैं? जो आर्डिनेंस के जरिये से सलेक्शन किये हैं, क्या वह ठीक हैं? उपाध्यक्ष महोदय ने इस सदन की राय के बारे में कहा है। राज्यपाल महोदय ने क्लाज 7 के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने सन्देश भेजा है। सलेक्ट कमेटी क्लाज 8 के लिए बनाई है। उसके बाद में पूरे एक्ट में अमेण्डमेण्ट करके इस एक्ट के जो आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स थे, उनको आपने चैंज कर गये। यह नया प्रावधान डाला है। यह डालने का सलेक्ट कमेटी को कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह अभी वाला भी अब नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 66 की ओर दिलाना चाहता हूं, आप मुलाहिजा फर्मायें। इसमें साफ लिखा हुआ है, आज से दो रोज पूर्व विधेयक की प्रतिलिपियां आनी चाहिए थीं।

(124)

(श्री अब्दुल अजीज)

"विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से दो दिन पहले इस तरह उपलब्ध न कर दी गई हों तो कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव के किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा।"

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : पहले ही आ गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : निर्धारित समय में सर्कुलेट कर दी गई है।

श्री अब्दुल अजीज : मेरा प्रस्ताव यह है कि दो दिन पहले नहीं आई है। आज के दो रोज पहले मिली हैं, कोई कह सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : निर्धारित समय से पहले सर्कुलेट कर दी गई हैं, यह सचिवालय की जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं।

श्री अब्दुल अजीज : यह एक तारीख को दी जानी चाहिए थी।

श्री मथुरा दास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने जो सदन के सामने विचार रखे हैं, जैसा कि आपने सदन के विचारार्थ रखा, ये दोनों मामले बहुत महत्व के हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपने कोई मूव किया है।

श्री मथुरादास माथुर : I know my responsibility.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरी जानकारी के लिए मैं पूछ रहा था।

श्री परसराम मदेरणा : Had there been any dissent the Hon'ble Minister would have remained so misinformed do you think so ?

आप बिल पास करा रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं याद दिला रहा था।

श्री मथुरादास माथुर : एक प्रश्न विरोधी दल के नेता ने उठाया है, इसको सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने का और दूसरा गवर्नर के बारे में कहा है। क्लाज 8 के लिये गवर्नर महोदय ने कहा है इस सेक्शन के अन्दर जो मुद्दे हैं, कण्टेंट्स हैं, उनमें जाना है। सेक्शन 8 है इसके कण्टेण्ट में जाना होगा। इसमें अपीलेट का जो रख है, वह ठीक नहीं है। वह ठीक इसलिए नहीं है कि यूनिवर्सिटी का चांसलर स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमेन है। बाकी नव मैम्बर हैं। वह एक फैसला कर दे फिर आप अपीलेट पावर रख कर दूसरी कमेटी बैठायें, तो यह अच्छा मालूम नहीं पड़ता। उन्होंने यह कहा था कि अपीलेट पावर ही नहीं करते हैं। सवाल यह नहीं। इम्पार्टेन्ट यह था कि अपीलेट कमेटी न होकर इसको सीधा ले जाइये, सलेक्ट कमेटी के सामने यह बात रखी गई। तो सेक्शन 8 में अपील की पावर नहीं है। अपीलेट पावर के लिये गवर्नर साहब ने जो कहा है, हम भी यही सोचते हैं। हम आसानी से कह सकते थे सलेक्ट कमेटी को कि सेक्शन 8 को डिलीट कर दिया जाये। लेकिन सेक्शन 8 का दूसरा पक्ष है। सदन के अन्दर जब यह पेश हुआ था तो यह कहा गया था कि इसमें लोगों को अपार्चुनिटी नहीं दी गई है। लोग ओवर एज हो गये हैं। कुछ तो डिस्क्रीशन हो। दूसरा यह कि यह गवर्नर साहब की गाइड लाइन थी कि इन

(श्री मथुरादास माथुर)

दोनों को डिलीट कर दिया जाये। इसलिए गवर्नर साहब का एक बड़ा मुद्दा तो पूरा हो गया। दूसरी बात, कमेटी में या डिस्कशन में या रिकार्ड में आई है। उन बेकसूर, बेगुनाह लोगों को ही नौकरी से निकाल दिया जाये जब कि वह ओवरएज हो गये हैं। अब वह कहां जायें? स्क्रीनिंग करते वक्त आप जानते हैं कि एक अच्छी चीज भी निकल जाती है। तो स्क्रीनिंग के बारे में कमेटी ने यह कहा कि कोई प्रावधान डाला जाये कि अपील न हो री-स्क्रीनिंग हो जाये ताकि गवर्नर साहब की बात भी रह जाये। जो कमेटी री-स्क्रीनिंग करेगी, उपाध्यक्ष महोदय, वह तो वही कमेटी करेगी। तो क्या नतीजा होगा?

(व्यवधान)

सुनिये।

इसका प्रशासन बदल गया है। वाइस चांसलर बदल गया है। हैड आफ दी डिपार्टमेंट बदल गया है। स्क्रीनिंग कमेटी मौजूद है। हमने फण्डामेन्टल नहीं बदले हैं। कौन कौन होंगे, अब दुबारा हो जायेंगे। नये आदमी आ गये हैं। इसलिये उनका फैसला हो जाएगा। वह जो माननीय लेक्चरार हैं, उनको राहत मिल जाएगी, इसलिए डाला था। यह गवर्नर साहब की मंशा के खिलाफ नहीं है। यह लॉजिक है। एक सवाल होता है, कमेटी होगी। जो निकल गये वह निकल गये। माननीय सदस्यों की और हाउस की यह भी इच्छा थी कि उन सबको राहत होनी चाहिए। इसलिए जो अपीलेट कमेटी है, उसको हटा कर दूसरी कमेटी रखी है। वह कमेटी वापस री-कान्सटीट्यूट करें। वह होती नहीं है। कमेटी काम करती नहीं है। आपने कहा है, किया है तो दूसरी स्थिति पैदा होगी। तभी यह क्लाज डाला गया है। सलेक्ट कमेटी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। फिर भी हाउस काम्पीटेन्ट है, इनको नहीं माने, रिजेक्ट कर दे। हमने तो एक सोल्यूशन रखा है, गवर्नर साहब की बात भी रह गई।

अब एक सवाल और पैदा होता है, उनकी नौकरी का क्या होगा, वे तो उसी दिन टर्मिनेट हो गए। उनकी सर्विसेज क्या कन्टीन्यू मानी जायेंगी। It is not a second committee. इसलिए सलेक्ट कमेटी ने जो कुछ किया, हाउस की और गवर्नर साहब की मन्शा को देखते हुए किया है, सदन की मन्शा है वह इसको मन्जूर करे।

दूसरा प्रश्न जो माननीय विरोधी दल के नेता ने उठाया, वह एक फण्डामेण्टल प्रश्न है जिस दिन सलेक्ट कमेटी बनी उस दिन भी हाउस में चर्चा हुई। एक आर्डिनेन्स आपने बनाया, सदन में उसको इण्ट्रोड्यूस भी कर दिया। वह बिल अगर एक्ट बन जाता तो आर्डिनेन्स की जिन्दगी चालू हो जाती। एक्ट नहीं बना इसलिये जितने भी एक्शन इसके अन्तर्गत हुए वे डेड मैन के एक्शन हो गये। आर्डिनेन्स लेप्स हो गया। They are also part to this. आप उस पीरियड में करते तो सर्वाइव हो जाता। Ordinance lapsed died and not surviving.

जो परमानेन्ट अप इन्टमेंट हो गये थे वह आर्डिनेन्स मर गया, इसलिये मेण्डेट नहीं हो सके। इसका रास्ता निकालना है। जो

(श्री मथुरादास माथुर)

रिजेक्ट हो गये थे उसका रास्ता इन्होंने निकाला। जो आरिजनली सलेक्ट हो गये हैं और अपाइन्टमेन्ट हो गये हैं, उनका क्या होगा? They are not legally inconsonent with it.

यह बात तो है। वह अपाइन्टमेंट रहे या नहीं, उनकी पोजीशन क्या हो? वे वेलिडेड नहीं हो सकते क्योंकि बीच में गैप आ गया। उसको वेलिडेट करने के लिये दूसरा बिल लाना चाहिये। इसके लिए आप एडवोकेट जनरल से सलाह कर लो, सलेक्ट कमेटी ने जो किया वह मैंने समझाने की कोशिश की है, बाकी मामले में राज्य सरकार सलाह ले ले। मैं नहीं समझता कि कोई काम तय हुआ और हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट कर दे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शासन की ओर से आपत्ति या जो लीगल पाइन्ट्स रेज किए गये, मेरे विचार से अगर महामहिम राज्यपाल महोदय किसी बिल पर असेन्ट नहीं देते हैं तो सदन को दुबारा उस पर विचार करना चाहिए। मेरे विचार में महामहिम राज्यपाल महोदय को पावर असेन्ट देने की है और उन्होंने असेन्ट नहीं दी, वह इस सदन की कार्यवाही को अनडन करेगा। ज्यों ही असेन्ट से रिफ्यूज किया तो सदन ने जो प्रस्ताव पास करके सलेक्ट कमेटी को रेफर किया, That will be deemed as if it was undone. इस सदन को यह अधिकार है कि महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश को देखते हुए दुबारा बिल पास करके भेजे, फिर महामहिम राज्यपाल महोदय, is bound under law to sign it. हम यह नहीं मान सकते कि राज्यपाल महोदय ने इस बिल की धारा 7 तक असेन्ट दी और धारा 8 को विथहोल्ड कर लिया। किसी कारण से एक धारा के लिए असेन्ट विथहोल्ड करते हैं तो पुनः इस बिल को खण्ड वाइज पास करना होगा। आज भी अगर महामहिम राज्यपाल महोदय की धारा 8 के प्रति आपत्ति है, उनकी सिफारिश को नहीं माना तो मेरे विचार से दुबारा खण्डशः पास करके भेजना पड़ेगा। महज रिफ्यूजल से कार्य पूरा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि धारा 8 के अलावा भी सदन अन्य धाराओं में संशोधन करे तो उसको संशोधन करने का पूरा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि किसी भी आर्डिनेन्स को विदिन सिक्स मन्थ सदन पास नहीं करता है तो उसकी सुओ मोटो सहमति अमल दरामद और खारिज मानी जाती है, मैं जो समझा हूं वह यह है। इस प्रकार का जो आर्डिनेन्स लाए थे और 6 महीने में वह पारित नहीं हुआ और कोई भी बिल रीकन्सीडरेशन के लिए पास होने के बाद आया नहीं और 13 नम्बर का बिल हाउस में पास हो गया, गोया यह बिल आर्डिनेन्स की डेट से पास हो जाना चाहिए था, गवर्नर साहब की असेन्ट नहीं आई इसलिए यह बिल ऐसे माना जायगा—

Suo moto as it stands.

और जो भी कार्यवाही हो गई वह गैर कानूनी मानी जायगी।

(127)

श्री सूर्यनारायण चौधरी (संसदीय मामलात मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता और डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ संवैधानिक आपत्तियां उठाईं और आपने भी आसन से कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं। सर्वप्रथम मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवर समिति को जो निर्देश सदन ने दिये हैं, वे इस प्रकार हैं–मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत लौटाये गए 'राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978' को खण्ड 8 पर विचारार्थ प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

खण्ड 8 जो था, वह एक प्रासीजरल मैटर से सम्बन्धित था कि जो अध्यापक एग्रीव्ड हैं, जिनकी ग्रीवेन्सेज हैं उनको वेण्टीलेट करने के लिए कौनसी व्यवस्था की जाय, इस सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने विवेक से यह उचित नहीं माना और इस सदन को इस मेसेज के साथ रेमिट किया कि इस पर पुन: विचार किया जाय और वे इस राय के थे कि···

(व्यवधान)

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब प्रवर समिति को यह सौंपा गया, जैसा डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, जब आप एक व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं, प्रोसीजरल मैटर है, उसके स्थान पर जो ग्रीवेन्सेज को वेन्टीलेट करने के लिए दूसरी व्यवस्था करना, उसका आल्टरनेटिव ढूंढना, यह इस आर्टीकल की परव्यू में आता है, क्योंकि जहां एक पर्टीक्यूलर क्लाज को डिलीट करते हैं तो लॉ में वेक्यूम क्रिएट हो जाता है और सदन की मन्शा नहीं कि उस वेक्यूम को रहने दिया जाए। ऐसी हालत में डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किए कि प्रवर समिति को अधिकार था कि उस पर विचार करके अपनी राय दे सकती थी, वह सारे का सारा विचार प्रवर समिति ने किया। मैं निवेदन करूंगा कि सेक्शन 8 के डिलीशन के कारण जो कान्सीक्वेन्शल चेंजेज करनी थी जो अंडरलाईंग हैं, वे चेंजेज किया जाना अनिवार्य था। वह विदिन दी जुरिस्डिक्शन ऑफ दी सलेक्ट कमेटी था, क्योंकि सलेक्ट कमेटी के सामने केवल यही विचार करना था कि सेक्शन 8 को डिलीट किया जाए। प्रवर समिति को इतना ही करना था तो सदन को भी यही करना था, लेकिन उसके स्थान पर क्या व्यवस्था वहां थी ?

दूसरे, संविधान की धारा 200 के अन्तर्गत इस सदन के सामने जब पुन: मामला प्रस्तुत हुआ तो सदन को पूरा अधिकार है कि इस संबंध में अंतिम निर्णय और अंतिम इनेक्टमेंट कर सके : "When a Bill has been passed by Legislative Assembly of a State or, in the case of a State having a Legislative Council, has been passed by both Houses of the Legislature of the State, it shall be presented to the Governor and the Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the Bill for the consideration of the President:

Provided that the Governor may,

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

as soon as possible after the presentation to him of the Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill together with a message requesting that the House or Houses will reconsider the bill or any specified provisions thereof, जैसा राज्यपाल महोदय ने किया। and, in particular, will consider the desirabily of introducing any such amendments as he may recommend in his message and, when a Bill is so returned, the House or Houses shall reconsider the Bill accordingly and if the Bill is passed again by the House or Houses with or without amendment and presented to the Governor for assent, the Governor shall not withhold assent therefrom: "

"With or without amendments." तो मेरा निवेदन है कि इस समय सदन की स्थिति यह है कि सदन सुप्रीम है, वही सारी की सारी प्रक्रिया लागू होगी जो अपने नियमों के अन्तर्गत है। उस प्रक्रिया में यह भी है कि आप प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, प्रवर समिति की जो सिफारिशें हैं, जो मसविदा बनाकर भेजा है, आप सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करें अथवा उसमें से कोई पोर्शन डिलीट करें। जब इस सदन की मोहर इस पर लगेगी तो आर्ग्यूमेंट के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई चीज बियांड जुरिस्डिकशन भी हो जाती है और सदन कन्सीडर कर लेता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई इरेगुलेरिटी नहीं रहती।

दूसरा प्रश्न विरोधी दल के नेता ने उठाया सैक्शन 10 के संबंध में और विशेष रूप से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि अध्यादेश की लाइफ ही नहीं रही तो किस चीज को रिपील करने जा रहे हैं। मैं उनके प्रति आदर रखते हुए निवेदन करता हूं कि मेरा जो कानून का सीमित ज्ञान है, उसके अनुसार निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जब कभी कोई कानून अलाइव था, उस कानून के अन्तर्गत दिए गए कार्यों को कोई भी लेजिस्लेचर, किसी भी तारीख से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अगर बीच में वह कानून लैप्स हो गया तो उसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होगी। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि अध्यादेश 1978 का था, हम इसको बिल 1978 का करके लाए थे, और एक्ट भी 1978 का बनाना चाहते थे, लेकिन प्रोसेस में 1979 आ गया, वह भी परिवर्तन करना पड़ा, वह भी प्रवर समिति को करना पड़ा तो इस तरह के कान्सीक्वेन्शल चेंजिज हुए। धारा 10 है: " Repeal and Savings :– (1) The Rajasthan Universities Teachers (Absorption of Temporary Lecturers) Ordinance, 1978 (Ordinance No. 5 of 1978) and the Rajasthan Universities Teachers (Absorption of Temporary Lecturers) (Amendment) Ordinance, 1978 (Ordinance No. 8 of 1978) are hereby repealed.

विरोधी दल के नेता का कहना है कि जब यह अध्यादेश एग्जिस्टेंस में नहीं है तो आप किस चीज को रिपील कर रहे हैं? जहां तक लॉजिक का प्रश्न है, वह इस लॉजिक के अन्दर है। लेकिन जो ड्राफ्टिंग के प्रिन्सीपल्स हैं, उनके अनुरूप अगर कोई प्रिसेडेन्ट

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

क्लाज है जो अपने आप में इन्नोसेंट है, तो किसी तरीके से वह हार्म नहीं करता। आप पाजिटिव लाॅ नहीं एनेक्ट कर रहे हैं,

"The ordinance does not exist. It ceases to exist and it does not have any force of Law and what you are to say it is already accomplished.

इससे किसी भी प्रकार से कानूनी दुविधा पैदा नहीं होती। अगर पाजिटिव एक्शन आप सजेस्ट करते, जिससे यह प्रयास किया जाता कि इस कानून के पारित होने के दिन यह अध्यादेश शैल बी डीम्ड टू बी अलाइव, तो आपकी आपत्ति वाजिब होती। अगर एक मिनट के लिए भी यह माना जाए कि जिस दिन आप कानून बना रहे हैं उस दिन वह अध्यादेश एग्जिसटेंस में नहीं है, तो

It shall be deemed to be arrived to:

यह तो ठीक है, विरोधी दल के ज्ञान से हमारा ज्ञान वर्द्धन होता है, लेकिन इस तरह का क्लाज नहीं है जिसमें आपत्ति उनके द्वारा उठाई जाए। इसी प्रकार से सब-सैक्शन 2 है. उसके अन्दर एक प्रश्न इस प्रकार का आया,

"(2) Notwithstanding such repeal but subject to the provisions of sub-section (1) of section 5 of this Act anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under this Act."

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सेविंग क्लाज है, इसलिए इन्सर्ट किया गया कि जब तक वह अध्यादेश जीवित थे तब तक जो कार्यवाही की गई है, उस कार्यवाही को कानून के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाए। अगर उस दौरान की गई है जब अध्यादेश जीवित नहीं था, देयर वाज नो लाॅ आन दी स्टेच्यूट, तो आप और हम जब तक इसके लिए स्पेसीफिकली प्रावीजन न रखें कि रिट्रोस्पेक्टिवली इस तरह की कार्यवाही इस एक्ट के द्वारा प्रोटेक्ट की जाएगी, तो यह आपत्ति सही नहीं है। जब तक वह अध्यादेश जीवित था तब तक उसके अन्तर्गत जो कार्यवाही की गई उसको वैलिड मान लिया जाए, बहुत इनोसेंट अमेंडमेंट्स हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत हम लोग सक्षम हैं और किसी प्रकार की फेटर्स नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : संसदीय मामलात के मंत्री ने मेरे ज्ञान के बारे में कहा है उसके लिए तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने अनुच्छेद 200 व 213 को जिस तरह से सदन में इन्टरप्रेट किया है, आप एडवोकेट जनरल को बुलाइए, जो इन्टरप्रिटेशन आपने किया है, आप कान्स्टीट्यूशनल लाॅ के पंडित हो सकते हैं अपनी धारणा से, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अनुच्छेद 200 में मेसेज देते समय राज्यपाल ने स्पेसीफिकली कहा है कि यह क्लाज डिलीट किया जाए। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल यह भी कह सकते हैं "कि इन धाराओं को अमेंड किया जाए। आप अमेंड नहीं करेंगे, दुबारा वैसे ही भेजेंगे तो उनको असेंट देनी पड़ेगी। आप उनको विलोपित भी नहीं करेंगे आप किसी तरह से खर तो उनको असेण्ट देनी पड़ेगी, उन्होंने किसी क्लाज को अमेंड करने की बात नहीं कही है। उन्होंने क्लाज 8 को डिलीट करने के

(श्री परसराम मदेरणा)

ग्राउण्ड्स दिए हैं और वे ग्राउण्ड्स स्पष्ट हैं। उस दिन भी हमने कहा था, 15 नवम्बर को जब सलेक्ट कमेटी का मोशन शिक्षा मंत्री लेकर आयेंगे, आज आप जिस बिल के क्लाज 8 को रेफर करेंगे सलेक्ट कमेटी में, तो 7 क्लाजेज का क्या होगा? आर्डिनेन्स कब खत्म हो गया है और आर्डिनेन्स जब एक्सपायर हो गया है तो कोई कानून नहीं है। तब वह बोले नहीं, चुप रहे। आज आप कह रहे हैं कि पाजीटिव कोई चीज होती है वैसे आर्डिनेन्स एक्सपायर हो गया है, तो वह जिन्दा इसलिए है कि आपने सेविंग क्लाज डाल दिया है। आज यह भी नहीं होता और बिना इसके मान लें, गलती से प्रिन्सिपल एक्ट के अन्तर्गत जो सलेक्शन होता है, उस सलेक्शन के अन्दर भी कोई गलती हो जाती है तो भी आप, सेविंग प्रावीजन डाल कर, इस गलती को रेक्टीफाई कानून के जरिये कर सकते थे, रिट्रोस्पेक्टिवली, लेकिन आप तो इस क्लाज 10 में यह बात कह रहे हैं :—

"Repeal and Savings.— (1) The Rajasthan Universities Teachers (Absorption of Temporary Lecturers) Ordinance, 1978 (Ordinance No. 5 of 1978) and the Rajasthan Universities Teachers (Absorption of Temporary Lecturers) (Amendment) Ordinance, 1978 (Ordinance No. 8 of 1978) are hereby repealed."

जैसेकि आज एक्ट बनते ही रिपील हो रहा है। आर्डिनेन्स है ही नहीं...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : It might be a redundant clause.

श्री परसराम मदेरणा : It may be. But Article 213 का 2 (ए) साफ कहता है :

every such Ordinance—

(a) shall, laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature.

It has already expired on 14th November, 1978.

फिर किस को रिपील कर रहे हैं? सेविंग क्लाज की बात तो मैं सोच सकता हूं। इस प्रकार आप रिट्रोस्पेक्टिवली भी ला सकते हैं और कई दफा आया है। यह अमेन्डमेंट कई बिल के अन्दर आया है। लेकिन जो आर्डिनेन्स आज है ही नहीं, आज एक्सपायर हो चुका है, 5 अक्टूबर को 42 दिन थे और 42 दिन के बाद में अपने आप आर्डिनेन्स मर गया, समाप्त हो गया, कोई इस प्रकार का कानून स्टेच्यूट बुक में था नहीं और फिर कह रहे हैं कि हम रिपील करने जा रहे हैं, तो वह कैसे रिपील होगा? क्या रिपील करने जा रहे हैं?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नथिंग।

श्री परसराम मदेरणा : सेविंग क्लाज आपने डाला है क्योंकि सेविंग क्लाज के जरिये एक्शन ले लिया गया था। उसमें भी

(श्री परसराम मदेरणा)
वहं 'आर्डिनेन्स' डाल दिया है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि यह आपका रिडन्डेन्ट है।

जहां तक डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य के आर्ग्यूमेंट्स थे और उनकी युक्तियुक्त बात से आप बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने तीन दलीलें दीं। एक दलील तो यह थी कि गवर्नर विलोपित करना चाहते थे क्लाज 8 को, तो हमने विलोपित तो कर दिया, लेकिन गवर्नर की मंशा पूरी कर दी, उनकी बात भी रख दी और कुछ हमारी बात भी रखी और सदन की बात भी रख दी बीच में बैठ कर पंचायत तो यह थी नहीं··

श्री महबूब अली : हाउस की मर्जी देखी जाती है।

श्री परसराम मदेरणा : यह कान्स्टीट्यूशनल मैटर है। आर्टीकल 200 के नीचे साफ डाइरेक्शन्स दिये हैं कि इस लेजिस्लेशन को संशोधित कर दो। 8 को विलोपित कर दो। न तो संशोधन की बात करते हैं और न दूसरे क्लाजेज की संशोधन की बात करते हैं। आर्टिकल 200 को नहीं पढ़ा। यह तो आपने हाउस को कन्फ्यूज किया है। स्पेसिफिक डाइरेक्शन है। अगर आप आर्टिकल 200 को पढ़ेंगे तो वह बहुत साफ है।

"Provided that the Governor may, as soon as possible after the presentation to him of the Bill for assent return the Bill if it is not a Money Bill together with a message requesting that the House or Houses will reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and when a Bill is so return, the House or Houses shall reconsider the Bill accordingly.

उन्होंने कहा है कि क्लाज 8 को री-कन्सीडर कीजिए। and if the Bill is passed उन्होंने रिकमन्ड नहीं किया कि दूसरा संशोधन किया जाये, ···

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इससे आगे।

श्री परसराम मदेरणा : वह भी पढ़ लिया है। इसलिए मैं यह कह रहा था कि यह आर्डिनेन्स मर गया, समाप्त हो गया···

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एक प्रश्न करना चाहता हूं···

श्री मूलचन्द डागा : The Select Committee can further consider. This is direction of the Governor. The Governor can assent the Bill or return the Bill. But the Selection Committee or the House as such can reconsider it. There is no bar at all.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यू आर करेक्ट।

श्री परसराम मदेरणा : हाउस विल री-कन्सीडर दी बिल, हाउस के सामने तो प्रश्न सलेक्ट कमेटी का बिल है, लेकिन सलेक्ट कमेटी का मैसेज क्लाज 8 का और क्लाज 8 को वह क्वालीफाई करना चाहते हैं। इसमें गवर्नर का मैसेज बहुत साफ है कि स्क्रीनिंग कमेटी के ऊपर पुनर्विचार नहीं होना चाहिए। री-स्क्रीनिंग कमेटी का प्रावीजन का डालना भी गवर्न-

(श्री परसराम मदेरणा)
मेन्ट को अपारचुनिटी देता है। स्क्रीनिंग कमेटी का प्रावीजन डालकर आपने फिर गवर्नर के हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ाई है। वह री-स्क्रीनिंग चाहते नहीं हैं···

श्री मूलचन्द डागा : What is selection Committee ? It is a miniature of the Assembly.

श्री परसराम मदेरणा : आप बाद में कहें। पहले मैं जो कुछ कह रहा हूं मुझे कहने दें।

श्री मूलचन्द डागा : Don't be annoyed.

श्री परसराम मदेरणा : I am not annoyed. But you cannot take the House in this way everytime. मैं यह निवेदन कर रहा था कि सलेक्ट कमेटी को आर्टिकल 200 रेफर करने का गवर्नर कभी नहीं सोचते कि सलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाये। हाउस को री-कन्सीडर करना चाहिए था।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : This is part of the question for consideration of the House.

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो आपके सामने आज बिल है यह बिलकुल नया बिल है। पहले वाला बिल पूरा समाप्त कर दिया गया है। हमें री-कन्सीडर करना चाहिए था उस बिल के ऊपर। जो बिल लाये हैं वह नया बिल लाये हैं। कुछ क्लाजेज उस दिन पास कर दिये गये थे वह यों के यों हैं और कुछ में अमेन्डमेन्ट कर दिया है। आर्डिनेन्स को रिपील करने जा रहे हैं। आर्डिनेन्स नाम की कोई चीज स्टेच्यूट बुक में नहीं है इसलिए क्लाज 10 बिलकुल रिडन्डेन्ट है। इसलिए यह जो बिल जिस फार्म में आया है, यह बिल अगर वहां जाता है तो इस सदन की लेजिस्लेटिव काम्पीटेन्सी के बारे में लोग सोचेंगे कि यह किस आर्डिनेन्स को रिपील करने जा रहे हैं···

श्री ईश्वरचन्द : यह आग्यूमेन्ट तो आप दे चुके हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए आर्टिकल 200 और 213 को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने विचाराधीन है, यह नहीं लाई जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को लेकर यह चर्चा हो रही है। कुछ टीचर्स थे उन टीचर्स का स्क्रीनिंग हुआ, कुछ टीचर्स का सलेक्शन नहीं हो सका जिन अध्यापकों को किसी प्रकार से न्याय नहीं मिला हो, उसको कानून में क्या व्यवस्था की जाय ताकि उनको न्याय मिल सके, यह विचार कर हमने यहां से बिल पास कराकर आदरणीय गवर्नर साहब के पास भेजा था। उन्होंने यह कह कर बिल वापिस भेज दिया कि सैक्शन 8 विलोपित करें।

मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी कागज को पढ़ते समय, किसी कानून को पढ़ते समय लेटर ऑफ दी लॉ को देखना होगा। लेटर ऑफ दी लॉ को देखेंगे तो सही नतीजे पर पहुंचेंगे। जो राज्यपाल महोदय ने लिख कर

133

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दिया है उस पर जो कम्पोजीशन आपने किया है, उनका आब्जेक्शन है कि जो एपीलेट कमेटी बनी है उसके कम्पोजीशन से उनको आपत्ति है और वह आपत्ति यह है कि जो स्क्रीनिंग हुई है उसमें विश्वविद्यालय के उप कुलपति अध्यक्ष हैं और बाकी के जो और सदस्य हैं उनके ऊपर यदि आप प्रपोज्ड एपीलेट कमेटी बना रहे हैं, उसमें उसके अतिरिक्त कोई दूसरी कमेटी बना रहे हैं तो जो वाइस चांसलर है, उसके निर्णय के बाद समकक्ष कमेटी बनाकर, उनके ....

श्री परसराम मदेरणा : यह क्लाज 8 में अमेंडमेंट कौन लाया था ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह देख लेंगे रिकार्ड से ।

श्री परसराम मदेरणा : जो क्लाज 8 में अमेंडमेंट था, वह न तो ऑर्डिनेंस में था, न जो बिल सर्क्यूलेट हुआ उसमें था । जब बिल का कन्सीडरेशन चल रहा था उस वक्त आप अमेंडमेंट लाये थे । उसी वक्त सर्क्यूलेट होकर यहां पर इन्सर्ट कराया था ।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिलकुल ठीक है । सैक्शन 8 जो लाया गया है उसी भावना से लाया गया था जो माननीय सदस्यों को चिंता थी, उनकी प्रेरणा से लाया गया । यह हो सकता है उस वक्त ठीक तरह से विचार न कर पाये हों । जब राज्यपाल ने वापस किया तो उन्होंने यह नहीं कहा कि रिलीफ के लिये कोई व्यवस्था मत करें । उन्होंने केवल यही कहा है, जो व्यवस्था की है उससे वाइस चांसलर महोदय के जो निर्णय हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, उनको आघात होगा । अब सलेक्ट कमेटी यह भी कर सकती थी कि सैक्शन 8 को विलोपित करने की बजाय उसकी जगह कुछ व्यवस्था कर देती । व्यवस्था तो कर ही सकते हैं । 8 की बजाये उससे पहले सैक्शन 5 कर दिया । अगर बड़ी से बड़ी गलती मानी जा सकती है तो यह है कि 8 की जगह 5 कैसे लिख दिया ? अपील के अधिकार इसलिये चाहते हैं कि जो एग्रीव्ड हैं उसको राहत मिले । इसलिये मेरा यही निवेदन है कि राज्यपाल महोदय ने जो इसमें संदेश भेजा है, उनकी इच्छा यह कभी नहीं थी कि जिन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है उनके लिये कोई व्यवस्था न की जाये, लेट देम डाई । ऐसा नहीं था । सलेक्ट कमेटी ने जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा री-कन्सीडिरेशन के लिये जो प्रस्ताव किया है, मैं समझता हूं इनके अधिकार में है ।

दूसरा सवाल यह है, जो यह कहा गया कि इसका ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, मेरा यह निवेदन है कि इस ऑर्डिनेंस को हमने सेव किया है । एक स्थिति तो यह होती है कि ऑर्डिनेंस समाप्त होने के बाद कोई एक्शन हो जाता और दूसरा यह है कि ऑर्डिनेंस की लाइफ टाइम में कोई एक्शन होता थोड़ा अन्तर करना पड़ेगा । एक तो ऑर्डिनेंस जब लाये थे उसकी लाइफ रहते कोई एक्शन हो गया और दूसरी यह स्थिति हो सकती थी कि ऑर्डिनेंस की लाइफ समाप्त हो गई तब कोई एक्शन हो गया, दोनों में अन्तर है ।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें लीगल पाइंट है, जब ऑर्डिनेंस रीवैलिडेट नहीं हुआ तो जो एक्शन लिया गया वह एक्शन नल एण्ड वायड हो गया ।

(134)

श्री भंवरलाल शर्मा : एक एक्शन तो वह हो गया जब आर्डिनेंस लाइफ में था और एक एक्शन ऐसा हो सकता है जब आर्डिनेंस की लाइफ खत्म हो गई, फिर कोई एक्शन हो गया, थोड़ा अन्तर है। इसलिये क्लाज 7 में हमने यह डाला है कि जो लाइफ टाइम में काम हुए हैं उसको सेव करें। दिस इज दी डिफरेंस। यह बड़ी बारीक बात है।

इसके बाद तीसरा और है। यह बिल चाहे सलेक्ट कमेटी से आया हो, नाऊ इट इज दी प्रापर्टी ग्राफ दी हाउस। यह विचार कर सकते हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा (आयोजना मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एक तर्क माननीय विरोधी दल के नेता ने दिया है कि आर्डिनेंस का कोई अस्तित्व नहीं रहता। 6 सप्ताह के बाद में, विधान सभा का सत्र शुरू होने के बाद में, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अस्तित्व जरूर समाप्त हो गया था, लेकिन जनरल क्लाजेज एक्ट, 1955 के प्रावधान 6 में है कि कोई कानून यदि रिपील भी हो जाये, उसका क्या असर होगा उसको कन्सीडर किया जाये यह भी कहा गया है कि किन पर लागू होगा—

सैक्शन (4) में :

Application :—Unless otherwise expressly provided or unless the context otherwise requires, the provisions of this Act shall apply—

(i) to this Act,

(ii) to all Rajasthan laws (in force in the pre-reorganisation State of Rajasthan) made after the commencement of this Act,

(iii) to all Central Acts adapted to Rajasthan from time to time, by the Rajasthan State Legislature,

(iv) where any such law or Act confers upon any authority a power to **make rules, regulations or bye-laws, to such rules, regulations or bye-laws,**

(v) so far as may be, to all Rajasthan laws (in force in the pre-reorganisation State of Rajasthan) pertaining to Lists II and III of the Seventh Schedule to the Constitution made before the commencement of this Act and to any rules, regulations or bye-laws thereunder, and

(vi) to all Rajasthan laws and to Rules,......

अब निवेदन यह कि इफेक्ट ग्राफ रूल क्या है...

श्री मथुरादास माथुर : You will not get protection under General Clauses Act. That is dead.

वह तो आर्डिनेन्स मर गया।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं उसको बाइल आर्डिनेन्स भी सुनाता हूं। इसी जनरल

(श्री माणकचन्द सुराणा)

क्लाजेज एक्ट में कहा है, रिपील का असर क्या होता है ? माननीय, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य के लिये अर्ज करता हूं :

6. Effect of Repeal (1) Where any Rajasthan law repeals any enactment hitherto made or hereafter to be made, then unless a different intention appears the repeal shall not—

(a) revive anything not in force or existing at the time at which the repeal takes effect; or

(b) affect the previous operation of any enactment so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or

(c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repealed;

मेरा निवेदन यह है कि जब तक आर्डिनेन्स फोर्स में न हो···

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज 6 पढ़ रहे हैं ।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैने क्लाज 6 का 'बी' और 'सी' पढ़ा । 'ए' और 'डी' रैलेवेंट नहीं है, इसलिये नहीं पढ़ा । इसलिए मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, यदि किसी एक्ट को हम आज रिपील भी करते हैं तो उसका असर, जब तक कानून की शक्ल में था उसके आपरेशन में जो राइट प्रचीव हुए, उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है । इसलिये मेरा निवेदन है जब तक वह आर्डिनेन्स था, आप यह नहीं कह सकते हैं। मेरा निवेदन है कि 42 दिन तक आर्डिनेन्स की शक्ल में रहेगा। This is privileged law of Rajasthan.

इसलिए उन दोनों में जो कुछ उस आर्डिनेन्स के तहत हुआ है,
That has been under the Law.

इसलिए चाहे वह समाप्त हो जाय ।

श्री मथुरादास माथुर : आप आर्डिनेन्स को रिपील करने में और लॉ की एक्सपायरी में डिसटिंग्विश करते हैं ?

श्री माणक चन्द सुराणा : The question is......

श्री मथुरादास माथुर : मेरा एक लीगल पाइन्ट है । A law is repealed when it is in force. बदल कर दूसरा बनाना हो तो, you cannot do that.

श्री परसराम मदेरणा : That expires on reassembling of the House.

श्री मूलचन्द डागा : आर्डिनेन्स के लिए तो आपको सदन में आना पड़ता है और आर्डिनेन्स नहीं हो, कोई लॉ हो तो वह तो आप ही रिपील कर सकते हैं ।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं आपके द्वारा बनाये हुए कानून को ही पढ़ता हूं—
There is another provision under Section 5 of the General Clauses Act जो मैं पढता हूं, इसमें लिखा है :

(श्री माणकचन्द सुराणा)

5. Coming into operation of Rajasthan laws.—(1) Where any Rajasthan law made after the first day of November, 1956 is not expressed to come into operation on a particular day, then it shall come into operation—

(a) if it is an Act of the State Legislative Assembly on the day on which the assent thereto of the Governor or the President, as the case may require, is first published in the Rajasthan Gazette, and

(b) if it is an Act or Ordinance of the Governor or the President, on the day on which it is first published as such Act or Ordinance in the Rajasthan Gazette."

एक्ट हो चाहे आर्डिनेन्स हो-प्रिन्सिपल यह डाल दिया कि जिस दिन आपरेशन में आयेगा, उन आर्डिनेन्स में कोई तारीख नहीं है तो सेक्शन (5) में कहा है-जिस दिन छपेगा उस दिन प्रभाव में आयेगा।

General Clauses Act cannot supersede the Constitution of India, and the Constitution of India clearly says in Article 213.

श्री माणकचन्द सुराणा : डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कान्स्टीट्यूशन की जो किताब पढ़ रहे हैं वह मेरे पास भी है मैं भी उसे पढ़ रहा हूं लेकिन आपके पास रहने से उसमें कोई विशेष बात नहीं हो जाती है।

श्री मथुरादास माथुर : That is no qualification.

श्री माणक चन्द सुराणा : Yes that is no qualification.

श्री मथुरादास माथुर : You have got so many books. The point is whether you can point out to that particular clause or not.

वह रांग इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं।

An Act can be repealed when an Act is in existence, but when the Act has already expired, it cannot be repealed at all.

श्री माणक चन्द सुराणा : आपको कोई भी दलील देनी हो मेरे बाद में दें। अब मैं यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, एक्ट और आर्डिनेन्स दोनों लाज हैं राजस्थान के और वे सारे जनरल क्लाजेज से गवर्न हैं और वे रिपील भी हो जाय तो किन चीजों से होंगे यह प्रोविजन साफ हैं। मैं इस सदन के Rules of Procedure and Conduct of Business ka rule 224(3) quote karunga :

"(3) Where a Bill has been altered, the Select Committee may, if they think fit, include in their report a recommendation to the member in-charge of the Bill that his next motion should be a motion for circulation or, where the Bill has already been circulated, for re-circulation."

(श्री माणक चन्द सुराणा)

मेरा निवेदन यह है उपाध्यक्ष महोदय कि सलेक्ट कमेटी में जो बिल भी भेजा उसमें अमेन्डमेंट्स आयेंगे और सलेक्ट कमेटी में भेजने का अभिप्राय भी यह है कि अमेंडमेंट्स आये, अगर अमेंडमेंट्स आते हैं... if the Bill has been altered.

तो सलेक्ट कमेटी इसके लिए रिकमन्डेशन कर सकती है। इस प्रकार की कोई रिकमन्डेशन सलेक्ट कमेटी ने नहीं की लेकिन गवर्नर महोदय के उस मैसेज के आधार पर जो सलेक्ट कमेटी बनी और जो संशोधन किया वह धारा (8) को विलोपित करने की दृष्टि से जो कुछ किया है, वह है और उनकी परव्यू में है। अब जो सदन के सामने बिल है संशोधित रूप में उसमें किसी प्रकार की कानूनी और संवैधानिक कमी नहीं है इसलिये इसको जारी रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री मथुरादास माथुर : नया पाइन्ट जो उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो चर्चा उठी है, उसमें ऐसे प्रश्न भी उठे हैं और तीन बातें जितनी सारी चर्चा उठी हैं, मैं कहना चाहता हूं – एक मुद्दा तो यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय जब किसी विधेयक को लौटाते हैं तो वे दो प्रकार की सिफारिश कर सकते हैं – एक सिफारिश तो यह कर सकते हैं कि बिल दुबारा रिकन्सीडर किया जाय – एक तो यह किया जाय और दूसरा यह है कि किसी सरटेन पोर्शन को रि-कन्सीडर किया जाय और उसके साथ यह भी कह सकते हैं उस सरटेन पोरशन को रि-कन्सीडर करने के बाद जैसा हाउस समझे, कर सकता है। उसके बाद जब बिल वापस रि-कन्सीडर करते हैं और अगर इस तरह की सिफारिश नहीं है और केवल यह सिफारिश है कि सरटेन स्पेशल पोर्शन को ही रि-कन्सीडर करें तो हाउस को इस बात का अधिकार है कि उस पर्टीक्यूलर पोर्शन पर ही रि-कन्सीडर करें या पूरा का पूरा करें। सलेक्ट कमेटी के द्वारा या हाउस के द्वारा कोई संशोधन है और जैसा माननीय मंत्री पालियामेन्टरी अफेयर्स ने कहा वेक्यूम क्रियेट होने पर हम दूसरे अमेन्डमेंट कर सकते हैं, ऐसे अमेन्डमेंट जो वेक्यूम क्रियेट होने से हैं या जो एडीशनल हैं, क्या उन पर भी हाउस रि-कन्सीडर कर सकता है...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैंने उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं कहा है कि वेक्यूम क्रियेट होने पर करें बल्कि यह कहा है कि जो कुछ किया है वह वेक्यूम होने पर ही किया गया है, जो गवर्नर साहब ने भेजा है उसको भी देखेंगे ..the House is free to take any independent decision also.

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक बात मानता हूं कान्स्टीट्यूशन का जहां तक उसमें प्रश्न है यह तो सुप्रीम कोर्ट के विचार की बात है लेकिन जिसमें हाउस डिसकसन करता है वह किस एक्सटेण्ड तक सीमित रहे, मैं माननीय सदस्यों को कुछ बात कहना चाहूंगा जो आर्टिकल (200) के प्रोविजन्स हैं उसमें हाउस किस हद तक रि-कन्सीडर करेगा उसमें वर्ड अकारडिंग आया है और मैं नहीं मानता कि इतना सीमित किया है कि हाउस इसको रि-कन्सीडर करे...

(श्री उपाध्यक्ष)

"Provided that the Governor may, as soon as possible after the presentation to him of the Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill together with a message requesting that the House or Houses will reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and, when a Bill is so returned, the House or Houses shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the House or Houses with or without amendment and presented to the Governor for assent, the Governor shall not withhold assent therefrom;"

तो हाउस रि-कन्सीडर करेगा बिल को इस एक्सटेन्ट तक और उसमें भी वर्ड "accordingly" has been used. That is conditional upon the recommendation of the Governor.

तो जो आशंका उत्पन्न हुई, अगर महामहिम राज्यपाल महोदय के सन्देश में हाउस को सजेस्ट किया गया है कि इस प्रकार बिल को रि-कन्सीडर किया जाय तो क्या हाउस को इस बात का अधिकार है कि उस मैसेज के बाहर जाकर पूरे के पूरे बिल को रि-कन्सीडर कर ले।

श्री ईश्वर चन्द्र : गवर्नर महोदय का क्या इन्टेंशन रहा और जो आपने कान्स्टीट्यूशनल हवाला दिया – आर्टिकल (200) और (203) इसमें लेजिस्लेटिव कम्पीटेन्स का जहां तक सवाल है वह देखिये...

it is decided by the Supreme Court or the High Court.

"... and in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message..."

These are the words.

इसलिये पूरा है।

श्री मूलचन्द डागा : But the House can consider.

श्री मूलचन्द डागा : The House can make any amendment to it. ".... and if the Bill is passed again by the House or Houses with or without amendment and presented to the Governor for assent...."

हाउस को अधिकार है कि कुछ और अमेंडमेंट देना चाहे तो हाउस केन गिव।

Shri Paras Ram Maderna can you introduce something new ?

श्री ईश्वरचन्द्र : अकार्डिंगली शब्द है, उसमें यह डेफिनेट है कि गवर्नर ने जो रिकमण्डेशन दी है उसके तहत हों, उतना ही कंसीडरेशन कर सकेंगे, यह बिलकुल सही है इन्टरप्रिटेशन लेकिन आर्टिकल...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : "Accordingly" here means the entire Procedure to be adopted by the House.

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)
"Accordingly" does not mean confining the House to the message part of the Governor.

श्री मंजूरअली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात इससे साबित होती है कि अगर लेजिस्लेशन कोई अमेंडमेंट करना चाहे तो जहां तक रूल्स के इण्टरप्रिटेशन की बात है यह बिलकुल लिमिट करता है कि किस एक्सटेंट तक विचार कर सकेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : आर्टिकल 200 की मंशा यह है कि गवर्नर को कोई अधिकार नहीं है, गवर्नर केवल असेंट दे सकता है या असेंट नहीं दे सकता है लेकिन हाउस इज सुप्रीम। हाउस के अन्दर जो बिल आता है, House can make any amendment in the Bill. The House is not bound by the message of the Governor. हाउस बाउण्डेड नहीं है कि जो गवर्नर डायरेक्शन देता है उसी से बाउण्ड हो। हाउस बाउण्डेड नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कोई अथोरिटी हो तो प्लीज गाइड मी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : We will attach the utmost respect to the message of the Governor and the desire of the Governor, but it does not in any way limit the discretion of the House.

श्री मूलचन्द डागा : We can consider and we must consider, but it is for the House to finally decide and not for the Governor. The Governor has simply to give his assent or not.

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 94 की तरफ दिलाना चाहता हूं। रूल 94 बिलकुल स्पष्ट है और यह कहता है

"When a Bill, which has been passed by the House, is returned by the Governor for re-consideration, the point or points referred for reconsideration or the amendments recommended shall be put before the House by the Speaker, and shall be discussed and voted upon in the same manner as amendments to a Bill or in such other way as the Speaker may consider most convenient for their consideration by the House."

श्री मूलचन्द डागा : "....or in such other way."

श्री माणक चन्द सुराणा : इसलिए consideration, re-consideration or amendment प्रक्रिया वह ही होगी अमेंडमेंट रीकन्सीडर कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : Governor is not supreme Our House is supreme, गवर्नर ओपिनियन दे सकते हैं, उनकी राय मानना जरूरी नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसमें जो अमेंडमेंट रिकमण्डेड हैं...

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुलाहिजा करें कि इसमें जो अमेंडमेंट रिकमण्डेड हैं वे यूजुअल रिकमण्डेशन है या स्पेसिफिक हैं। या तो गवर्नर महोदय स्वयं खुद चेंज कर देते। उन्होंने अमेंडमेंट स्पेसिफिकली रिकमण्ड नहीं किए, उसके

(श्री माणक चन्द सुराणा)

बाद हाउस से बिल सलेक्ट कमेटी में चला गया, उसके बाद सारी प्रक्रिया वही रहेगी, it will be considered as an ordinary amendment of the Bill.

श्री परसराम मदेरणा : एक ही क्लाज रिकमण्ड है, recommendation is only in respect of clause 8 of the Bill, and it is to be considered. Recommendation is not for the whole Bill.

श्री माणकचन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको अमेंडमेंट के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं, वोट ले सकते हैं। ऐसा उन्होंने नहीं किया जब कि गवर्नमेंट···

श्री मूलचन्द डागा : The Governor returns the Bill with a message that the House should re-consider it.

यह तो हाउस की मंशा है। वे तो रिक्वेस्ट करते हैं, यह हाउस पर है कि वह गवर्नर की राय पर विचार कर लें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आपका ध्यान आर्टिकल 200 की तरफ दिलाना चाहूंगा

"... when a Bill is so returned, the House or Houses shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the House. . ."

So here it means the whole Bill and it includes every section, and if the Bill is passed again,

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर महामहिम राज्यपाल की तरफ से बिल रिटर्न किया गया है और अगर धारा 8 को विलोप करना चाहते हैं तो जो बिल आता है सरकार जो बिल पेश करती है, मेरे विचार से हमें पुनः इस सदन को एक नए बिल की तरह से फ्रोम ए टू जैड इस बिल को पास करना पड़ता है। यहां पर अगर धारा 8 को विलोप करते हैं और उसको वापस लेते हैं, would be unconstitutional and illegal तो इसमें जो एण्ड है "...and, when a Bill is so returned, the House or House shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the House..."

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कन्ट्रोवर्सी का विषय हो गया है, शासन की तरफ से भी कुछ ओब्जर्वेशन किए गए, लीडर आफ दी अपोजीशन ने भी महत्वपूर्ण बातें कहीं, मिनिस्टर फोर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एण्ड मिनिस्टर फोर प्लानिंग भी और दूसरे माननीय सदस्यों ने बातें कहीं जिनसे ऐसा कन्फ्यूजन हो गया। एक बिल पहले सदन ने पास किया और माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी रिकमण्डेशन के साथ वापस भेज दिया और वह अब किस तरह से हो, इसमें लिखा है साफ पिछली बार भी विवाद हुआ था और अब एक बार फिर हमारी मजाक होगी और उस मजाक को दुबारा मजाक नहीं बनाया जाय···

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : गलत है, मजाक की बात नहीं है। महामहिम राज्यपाल ने इस बिल के बारे में···

श्री मूलचन्द डागा : यह हाउस सुप्रीम है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह सदन का मजाक नहीं है, यह उनका कांस्टीट्यूशनल अधिकार है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायणजी की जानकारी के लिए और आप सभी की जानकारी के लिए एक निवेदन करना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन की धारा 200 में विस्तार है that he may remit the Bill for re-consideration,

अब इसमें जो राज्यपाल महोदय का संदेश है, वह है :

"मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधान सभा द्वारा पारित विधेयक संख्या 31, राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को सदन के पुनर्विचार हेतु· · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, यह मैंने पढ़ लिया है । आप कवरिंग लेटर पढ़ रहे हैं, जो संदेश दिया गया है वह अलग है । उस संदेश को देखना पड़ेगा ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं संदेश ही पढ़ रहा हूं । संदेश है "for re-consideration of the Bill in light of my recommendation that section 8 be deleted." यह है इसका अर्थ

श्री उपाध्यक्ष : हाउस के पुनर्विचार हेतु है या इस संशोधन हेतु है ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : Whole of the Bill can be considered.

श्री परसराम मदेरणा : मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इस मेसेज को सब्स्ट्रेक्ट किया है । नीचे क्या कहा है गवर्नर ने, पढ़िये ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : Do you want to curtail the powers of this House ?

श्री परसराम मदेरणा : There is no such question.

श्री सूर्य नारायण चौधरी : The constitutional power of the Governor should not be interpreted in the manner you are suggesting.

श्री परसराम मदेरणा : यह तो आपकी आदत है कि संविधान को बाई पास करके आर्टिकल 213 के नीचे ऑर्डिनेन्सेज इश्यू करते हैं · · ·

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये तो आपकी मूर्खता के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं · · ·

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने तो इस सम्बन्ध में जो निवेदन किया था · · · ·

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह आपने मूर्खता कैसी की है यह इसका प्रदर्शन है, वह बता रहे हैं ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने आपको कांस्टीट्यूशन की जिस धारा का उल्लेख किया था उस पर राय दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें ।

इसके बारे में चर्चा हो रही है ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि

(श्री रामनारायण चौधरी)
यह लीगल इशूज है। इसलिए यहां पर एडवोकेट जनरल को बुलाया जाना चाहिए। We should hear the Advocate General.

इसके बाद यह हाउस सावरेन है। आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डेफर कर दें। एडवोकेट जनरल को बुला लें। पहले भी यह हुआ है। इसमें आपकी प्रतिष्ठा का क्या सवाल है?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी प्रतिष्ठा क्या घटती है? इसमें जल्दी क्या है?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय मामलात मंत्री महोदय ने गवर्नर महोदय के सन्देश को इस तरह से पढ़ा है। आप पूरे मेसेज को पढ़िये। उन्होंने मेसेज यहीं तक पढ़ा है। "विधेयक 1978को सदन के पुनर्विचार हेतु इस संस्तुति के साथ··। 'आगे पढ़िये···।' इस संस्तुति के साथ लौटा रहा हूँ कि उपरोक्त विधेयक की धारा 8 को विलोपित करने हेतु संशोधन के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार कर लिया जाये। विधेयक की धारा 8 के द्वारा धारा 4 के अन्तर्गत गठित अनुवीक्षण समिति की सिफारिशों के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान रखा गया है और यह अपील कुलाधिपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित अपील समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। अपील एवं अपील समिति के इस प्रावधान को सदन द्वारा पुनर्विचार कर विलोपित किया जाना निम्न कारणों से मैं उचित मानता हूं।" यह है पूरा मेसेज, उपाध्यक्ष महोदय···

श्री सूर्यनारायण चौधरी : It is for re-consideration of the Bill.

श्री ईश्वर चन्द : It should be re-considered as a whole and there is a specific recommendation regarding section 8.

अगर उनका यह कहना होता तो यह लिखते कि सदन के पुर्नविचार हेतु इस विधेयक को भेज रहा हूं। सदन के विचारार्थ धारा 8 को विलोपित करने की सिफारिश करता हूं। He has expressed his intention in writing.

मैं इस विधेयक, 1978 को सदन के पुर्नविचार हेतु with this specific recommendation,

धारा 8 पर विचार कर सकते हैं।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मेरा एक सवाल है। अगर यह सदन···

श्री सूर्य नारायण चौधरी : कोई एडवोकेट जनरल की आवश्यकता नहीं है···

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप मर्यादाओं की रक्षा करें। इस बिल को डेफर करने की व्यवस्था दीजिए।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह मान लें कि राज्यपाल महोदय ने यह कह लौटाया है कि धारा 8 को हटाया जाए। अगर यह सदन इस विचार का होता कि धारा 8 को हटाने की

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

आवश्यकता नहीं है, दुबारा भेजने का क्यों प्रश्न आता ? तो क्या हम इस बिल को दुबारा, रिकन्सीडर नहीं करते । यह सदन कहता कि हम राज्यपाल महोदय की राय है उसको नहीं मानते हैं । तो हम क्या प्रोसीजर अपनाते ? मेरा विचार है, हम इस बिल को क्लाज वाई क्लाज पास करना होता and if the Bill is passed again आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है ।

"and if the Bill is passed again by the House or Houses with or without amendment and presented to the Governor for assent, the Governor shall not withhold assent therefrom."

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उलझन की कोई बात नहीं है । इस बिल को पहले सदन ने प्रवर समिति को भेजा है ।...This is also a deviation from his recommendation. The amending powers of this House are as they are in passing any other legislation.

इसमें किसी तरह का डिफरेन्स नहीं है । अब भी कोई डिफरेन्स नहीं है । राज्यपाल महोदय ने यह रिकमन्डेशन की है, उस पर हम गौर करेंगे, उसका हम सम्मान करेंगे और उस पर विचार किया जाएगा, इसमें सदन को कोई पावर करटेल नहीं होती है । आप इस बिल को प्रवर समिति को भेज सकते हैं, पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए प्रचारित कर सकते हैं और आप इसमें अमेन्डमेन्ट भी ला सकते हैं ।...

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 200 में साफ लिखा है, गवर्नर अपनी असेन्ट दे सकता है । राय जाहिर कर सकता है परन्तु हाउस के लिए वह मान्य नहीं है । उसकी राय पर विचार करें ... it is not mandatory for the House to accept it. हाउस जो कुछ चाहता है; यह क्या कि आपने यह कर दिया है...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें । मैं इस पर व्यवस्था दे रहा हूं ।

जहां तक कान्स्टीट्यूशन के किसी भी प्राविजन के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है, कोई भी लेजिस्लेचर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कोई जजमेन्ट हुआ है कि लेजिस्लेटिव पावर कहां तक है, तो हम उन जजमेन्ट्स से बंधे हुए हैं । मगर ऐसा कोई इन्टरप्रिटेशन नहीं हुआ है, कोई फैसला नहीं हुआ है और न मेरे ध्यान में लाया गया है जिसमें आर्टिकल 200 का इन्टरप्रिटेशन करके जो बिल महामहिम राज्यपाल महोदय ने लौटा दिया है, उसकी लेजिस्लेटिव पावर के रेस्ट्रिक्ट होने, कान्स्टीट्यूशनल पावर रेस्ट्रिक्ट हो, तो इन्टरप्रिटेशन का जो सिद्धान्त है उसके अनुसार जब तक कोई पाबन्दी एक्सप्रेसली किसी हाईकोर्ट के जजमेन्ट के इन्टरप्रिटेशन के अनुसार नहीं बंधी है । और निश्चित रूप से नहीं कहा जाता है । जहां तक जो इन्टरप्रिटेशन, रूल्स के सिद्धान्त के अन्दर, कोई पावर वेस्ट है जब तक उस पावर को एक्सक्लूड करने के लिए स्पष्ट निर्देशन हो । यदि मान लिया जाता है कि इस तरह के पावर इसमें निहित हैं । मैं यह मानता हूं कि जिस प्रकार की चर्चा की गई है, जिस प्रकार से कहा गया है, उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने किसी

(श्री उपाध्यक्ष)

हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोई उदाहरण यहां पर प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे मैं माननीय सदस्यों के जो अधिकार हैं विचार करने का, पारित करने का रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि सदन में जिस रूप में यह विधेयक विचारार्थ रखा गया है, उस रूप में उसे पारित करने और चर्चा करने का अधिकार है।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

माननीय श्री डागा। क्या आप अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मैं वापस कहां ले रहा हूं। मैंने तो इसे जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान विश्व विद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाय।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्टेज पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं मैंने इस अमेण्डमेंट पर एक लाइन भी नहीं कही है इसलिए अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष : अभी इस पर खण्डशः विचार होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आयेगी उस पर आप बोल सकेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ....

श्री उपाध्यक्ष: इस पर संशोधन भी प्रस्तुत किया गया है विचारार्थ लेने के लिए पहले वह प्रस्तुत हो जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : बीच में डागा जी का अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : जी हां।

श्री रामनारायण चौधरी : तो पहले कौन बोलेगा ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं बोलने के लिए....

श्री रामनारायण चौधरी : जनमत जानने के लिए प्रस्ताव था वह भी अमेंडमेंट था उसके बाद आपने कंसीडर कर लिया खण्डश: विचार होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डागा द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है खण्ड 8 के बाद खण्ड-ए को पारित कराने के लिए····

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमें अपने विचार रखने देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : दिस रूल 70 "The debate on a motion that the Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration shall be confined to consideration of the report of the Committee...."

श्री उपाध्यक्ष : खण्डश: विचार खण्ड 2 पर संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 7 तक संशोधन नहीं है।

क्या सदन की सहमति है कि खण्ड 3 से 7 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 से 7 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड–8 श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने अमेण्डमेंट जो दिया है उसको मूव करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : 8 में संशोधन नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : I have already given an amendment for clause 8 A 8–ए पर अमेंडमेंट मैंने दिया उस पर बोल रहा हूं। श्रीमान्, मैंने इसीलिये अमेंडमेंट दिया जानबूझ कर···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने 8–ए संशोधन रखा है यह वही संशोधन है जो पहले सदन ने पारित किया था और जिसको वापस सब्स्टीट्यूट कराना चाहते हैं एडीशन के द्वारा ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपका संशोधन खण्ड–8 में नहीं है, आप जो एड करना चाहते हैं वह 8–ए होगा इसलिये खण्ड 8 तक पारित किये जाने में आपको आब्जेक्शन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर खण्ड 8 जैसा कि पारित किया जाता है तो यह नहीं हो कि हाउस ने 8–ए को मूव करने की सहमति दे दी क्योंकि डागा साहब 8–ए के द्वारा इन्कोरपोरेट करवाना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं है स्क्रिनिंग भी हो जाय और उसके बाद में भी स्क्रिनिंग होगी उसके बाद रिजेक्ट हो जाय··

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सेक्शन 8 में है "The services of a temporary lecturer who is considered for substantive appointment under sections

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
3, 4 and 5, but is not substantively appointed on or before the 31st day of August 1979 shall stand terminated on the expiry of that day."

यह है सेक्शन 8, आपका अपील का है इसलिये उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : बराबर है। अगर आपका कंसीडर हो जाता है his services are terminated, तो मैं उसके बाद...

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकिण्ड, डागा साहब। अभी अभी सदन ने सेक्शन 5 री-स्क्रिनिंग का अमेंडमेंट पास कर दिया इस स्थिति के बाद इनका प्रस्ताव है स्क्रिनिंग होगा फिर री-स्क्रिनिंग हो जाय फिर अपील हो। अगर यह है तो आप इस लाइट में आर्ग्यूमेंट दीजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, डागा साहब का प्रस्ताव है खण्ड 8–ए जोड़ा जाय। तो आप 8 तो स्वीकार करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आप बात तो सुनिये—
Kindly try to understand me.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : His amendment is by way of an addition. It does not affect clause 8.

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् सवाल यह है—Kindly try to understand me.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : It comes after clause 8.

श्री बिरदमल सिंघवी : 8 से पहले 8-ए कैसे आयेगा।

श्री मूलचन्द डागा : नो, नो। मेरा यह था—

(व्यवधान)

आप हल्ला करके कुछ भी करालें हमें कोई एतराज नहीं। हमें कहने का अधिकार है। क्लाज 4 और 5 में आपने री-स्क्रिनिंग रखा है इसमें आपने रखा है—if anybody is aggrieved by the decision of the screening committee, then he can make an appeal.
आपने क्या किया इसमें उसकी सर्विसेज परमानेन्ट कर दी मैंने कहा उसको अपील करने का पावर होगा। अगर कोई आदमी अपील्ड हो गया तो उसको अपील करने का पावर दीजियेगा। आपने, राज्य शिक्षा मंत्रीजी ने कहा हम लोगों को री-कंसीडर करेंगे जिनको हमने पहले कंसीडर नहीं किया, स्क्रिनिंग नहीं हुई और बाद में हमारी सदन के, मेरी पार्टी के नेता महोदय ने कहा था कि हमने इसलिये रखा री-स्क्रिनिंग में कि जो कंसीडर नहीं किया उनको भी री-कंसीडर कर दीजिये। मैंने यह कहा था कि कई आदमियों को आपने नोटिस नहीं दिया, उनको बुलाया नहीं, उनका कुछ कन्सीडेरेशन नहीं किया, तो मैंने तीन बात कहीं थीं। मैंने एक बात कही थी कि स्क्रीनिंग का मतलब केवल आपका यह है नियमित करना और उसमें ऐसा नहीं है तो आप इन्क्लूड न करें। दूसरी बात कही थी कि जिन आदमियों को नहीं बुलाया है उनको मेहरबानी करके जो इस कानून के नीचे आते हैं उनको बुलाकर आप

147

(श्री मूलचंद डागा)

स्क्रीनिंग कर लें और डिस्एप्रूव करते हैं तो उनको अधिकार होना चाहिए अपील करने का जैसा कि आपने पहले प्रावधान रखा था, क्योंकि स्क्रीनिंग बोर्डी को डिसीजन्स को वापस री-स्क्रीनिंग करने के लिए वही के वही आदमी हैं। यह मैं कह रहा था। इसलिए मैंने एमेंडमेंट दिया है उसको मान लिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि क्लाज 8, इस पर वोटिंग नहीं हुआ है, को डिलीट किया जाय। क्लाज के डिलीशन को मैंने पहले मोशन मूव नहीं किया है तो भी मैं इसको मूव कर सकता हूं। क्लाज 8 का डिलीट करने का मेरा प्रस्ताव इसलिए है कि क्लाज 8 में जो प्रावधान यह रखा जा रहा है टर्मिनेशन आफ दी सर्विसेज आफ दी टेम्परेरी लेक्चरार्स नाट सब्स्टेन्टिवली एपाइंटेड, क्योंकि जब सलेक्शन कमेटी का प्रावधान है, उपाध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम के अन्तर्गत है वह राजस्थान यूनिवर्सिटी आफिसर्स स्पेशल कंडीशन्स ऑफ सर्विसेज एक्ट नं. 8 ऑफ 194 इसकी क्लाज 4 कान्स्टीट्यूशन ऑफ सलेक्ट कमेटी है और सलेक्ट कमेटी का जो प्रोसीजर रखा गया है तो कहीं इस तरह से सलेक्ट नहीं होगा तो उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो जायेगी। सलेक्शन के वक्त परमानेंट नहीं हो तो इसका ही नहीं है टेम्परेरी टीचर्स का डाल रहे हैं। परमानेंट में तो है ही। अब रहा स्क्रीनिंग कमेटी का और फिर री-स्क्रीनिंग कमेटी का। कोई आदमी एप्रोव्ड है तो उसका सलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी में जायेगा और फिर री-स्क्रीनिंग कमेटी में जायेगा तो री-स्क्रीनिंग कमेटी में वही पर्सोनल होंगे, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो ऐसे टीचर्स रहे हैं जो सलेक्ट नहीं हुए हैं और वह फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट्स रहे हैं। इस प्रकार का जो प्रोवीजन डाला है कि उस समय सर्विसेज टर्मीनेट होंगी तो मैं समझता हूं कि किसी भी बेनिफिशियल लेजिस्लेशन में प्रावधान ऐसा नहीं रहता है और इस प्रावधान की रिकमन्डेशन सलेक्ट कमेटी ने की है तो उसकी प्रोप्राइटी नहीं है। यह प्रिन्सीपल एक्ट है इसमें सलेक्शन आफ परमानेन्ट आफिसर्स का है तो सलेक्शन प्रोफेसर्स का हुआ है, रीडर्स का हुआ है, लेक्चरार्स का होता है वैसा क्लाज है नहीं। यहां पर क्लाज प्रिन्सीपल एक्ट में नहीं है जो कि यूनिवर्सिटीज के लिए बना हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि क्लाज 8 जो एक पेनल क्लाज है और इस प्रकार के बेनिफिशियल लेजिस्लेशन में इस प्रकार का पेनल क्लाज नहीं डाला जाता है। अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रावधान डाल कर टर्मीनेशन को स्पेसिफिक करना यह बिलकुल बेड लेजिस्लेशन है दन ला है। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि क्लाज 8 को डिलीट किया जाय।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी यह निवेदन है कि धारा 8 को विलोपित किया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मदेरणा साहब ने जो प्रस्ताव किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राज्य शिक्षा मंत्री और निश्चित तौर से...

श्री मथुरादास माथुर : आप 15 का बह कर रहे थे तो हम भी वह कर रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हमने मान लिया और आपने नहीं माना।

श्री परसराम मदेरणा : प्लेन एमेंडमेंट में 15 का क्यों नहीं किया ? इसके बारे में क्लियर था।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का यह इन्टेन्शन है कि जो लेक्चरार्स, जो टीचर्स यूनिवर्सिटीज के अभी तक टेम्परेरी हैं जिनका स्क्रीनिंग कमेटी ने एपॉइन्टमेंट नहीं किया उनको किसी न किसी प्रकार से नहीं लिया जाय, क्योंकि यह स्पष्ट है कि जहां 15-15 साल तक, मुझे याद है एक उदाहरण मिसेज सिंघवी का जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 15 साल से लेक्चरार हैं और जिन्होंने ढाई साल पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया है वह 15 साल से टेम्प्रेरी है और स्क्रीनिंग कमेटी ने उनके नाम को एप्रूव नहीं किया है। इसके अलावा कई नये उदाहरण भी हैं। कई टीचर्स 7 साल से और कई टीचर्स 5 साल से हैं। मिसेज सिंघवी का उदाहरण इट इज मोस्ट रिलेवेन्ट। उस स्क्रीनिंग कमेटी ने इस प्रकार से आपाधापी करके, फैक्ट्स को नजर-अन्दाज करके इतनी बड़ी गलती जानबूझ कर की है क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पोलिटिकल चीजें रही हैं। इसलिए मेरा कहना है कि दुबारा री-स्क्रीनिंग कमेटी में वही के वही पर्सनल रहेंगे तो एक स्क्रीनिंग कमेटी ने एक बार रिजेक्ट किया तो दुबारा उसी फाइल को उन्हीं के समक्ष ले आया जायेगा, अगर उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी सम्भावना अधिक प्रबल है, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज के पवित्र आंगन में जो सेक्रेडनेस होना चाहिए, जो इन्टेग्रिटी होनी चाहिए जो इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए वह नहीं है। इस विधान सभा में और अन्य जगह बाहर भी वाइस चांसलर पर आरोप लगाये जाते हैं, और किसी हद तक वह सही भी हैं · · ·

श्री राम नारायण चौधरी : सही भी नहीं सही ही हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : · · · सही भी हैं उन्हीं लोगों के सामने इन 15–20 टीचर्स के भाग्य को रखना कहां तक न्यायोचित है ?

श्री महबूब अली : 15–20 नहीं 9 ही हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या आप उनको कन्सीडर करेंगे ? आप उनको वापस बुलायेंगे ? यह तो कहें कि री-स्क्रीनिंग कमेटी भी बुलायेंगे ? क्या शिक्षा मंत्रीजी यह आश्वासन देते हैं कि उन लोगों को जिनको नहीं बुलाया है उनको वापस बुलायेंगे ?

श्री दिग्विजयसिंह : जवाब में बता देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : बोलिये, बोलते क्यों नहीं हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष, 15-20 जो इस प्रकार के टीचर्स हैं तो अपील का प्रावधान नहीं है। जब तक इस कानून में अपील का प्रावधान नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस बिल को वापस किया था तो उसमें उन्होंने लिखा है कि चान्सलर की हैसियत से मेरी यह मान्यता है, उन्ह

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

राज्यपाल महोदय की हैसियत का जिक्र नहीं किया था, उन्होंने चान्सलर की हैसियत का जिक्र किया था कि वाइस चान्सलर के ऊपर स्क्रीनिंग कमेटी बैठायेंगे तो वाइस चान्सलर की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा, होना यह चाहिए था कि इस बिल को सदन को उसी रूप में पास करना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्णदास, कृपया बिराजिये। मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा।

मैंने शुरू में जब फाइनेंस बिल का कन्सीडरेशन आया था तो यह व्यवस्था थी कि जहां इस क्लाज को डिलीट कराने का अमेंडमेंट हो वहां अमेंडमेंट मूव किया जा सकता है। यह बहुत ही स्विफ्ट वे में व्यवस्था दी थी। जो फाइनेन्स बिल था उसकी फिज्योलाजी में क्लाज 15 के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे 'लेण्ड रेवेन्यू एक्ट' तो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट वर्ड्स लिखने के बाद क्लाज 15 आये तो उसकी सब-क्लाज के रूप में या पैराग्राफ के रूप में मान लिया जाय। उसके बाद में मैंने उस सम्बन्ध में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी और मैंने जो रेफरेन्स बुक्स हैं उनको भी देखा था तो पूरी क्लाज बिना किसी और वर्ड्स के पूरी को पूरी डिलीट की जाती है तो उस पर अमेंडमेंट एलाउ करने या उसमें डिलीशन का अमेंडमेंट प्रपोज करने की आवश्यकता नहीं है, और माननीय मदेरणाजी ने कहा है कि सेक्शन 8 को डिलीट करना चाहिए तो यदि सदन के सामने मैं क्लाज 8 पर राय ले लेता हूं कि वह पारित कर दिया जाय तो एक तरह से डिलीशन का वह अमेंडमेंट नेगेटिव हो जाता है। आप उस पर चर्चा कर रहे हैं काफी तो मुझे जो यह क्लाज 8 है उस पर सदन की सहमति लेने दें। माननीय डागा साहब ने कहा है, क्लाज 8 में वह करवाना चाहते हैं। वह दरअसल में क्लाज 5 है। इसके विरोध में वह जिसके लिए पहले सदन में सहमति होकर जो 8 'ए' है जो सलेक्ट कमेटी डिलीट करके क्लाज 5 और बढ़ाया है। एक तरह से क्लाज 5 का काण्ट्रेडिक्शन है। सदन के सामने...

श्री परसराम मदेरणा : आप सदन के सामने रखें और हमें यह कहने नहीं देंगे तो मैं माननीय सदस्यों को कन्विस नहीं कर सकूंगा। हम यह नहीं बता सकेंगे कि हमारा लाजिक क्या है, तर्क क्या है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मदेरणा साहब, आप वही रिपीट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि यदि प्रतिपक्ष की तरफ से वोट करने को रखेंगे तो हमें अनुमति देनी पड़ेगी। हम हाउस को कन्विस करने की कोशिश करेंगे। ऐसा पहले हुआ है। जब डिलीट करने के लिए हुए तो उधर से भैरोंसिंह खड़े हो गये।

श्री परसराम मदेरणा : 1959 में मैंने डिलीट करने के प्रस्ताव रखे थे। दो तीन क्लाज में काण्ट्रेडिक्ट करने का प्रस्ताव रखा था। वह विड्रा कर लें तो अलग बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप मूव करेंगे तो हमें अधिकार है हमें मौका देना होगा उसके बाद ही आप कर सकेंगे।

(150)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 3 की ओर दिलाना चाहता हूं।

31 अगस्त, 1979 तक जो लेक्चरार स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष...

(व्यवधान)

जब कि सारे कानून में यह कहीं नहीं लिखा है कि चांसलर को 31 अगस्त, 1979 के पहले कम्प्लशन जरूरी होगा।

(व्यवधान)

सुनिये आप।

जो पैरा 5 के अन्तर्गत स्क्रीनिंग कमेटी की जा रही है, इसकी मीटिंग 31 अगस्त, 1979 के पहले पहले कर ली जाएगी। अगर पैरा 5 के तहत स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा नाम नहीं निश्चित करते हैं तो लेक्चरार अपने आप नौकरी से विमुख हो जायेंगे। इसके लिए आप कुछ किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जोधपुर यूनिवर्सिटी में, 15-15 साल से लोग चल रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : रिपीट कर रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : I am not at all repeating.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप रख सकते हैं। किसी मैम्बर को यह अधिकार नहीं है। – I am saying a right thing.

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : I am not his student.

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कर रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अगर राज्य सरकार लाना चाहती है तो हम रात के 10 बजे तक बोलेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बड़ी गम्भीरता से कह रहा हूं। यह सदन का बहुमूल्य समय बचाने के लिए कह रहा हूं। इस सरकार का अधकचरी विचारधारा से कानून आ रहा है। राज्यपाल महोदय ने वापस किया है तो दूसरी बार यह कानून हाउस में नहीं आये। जबकि राज्यपाल महोदय ने एसाइन नहीं किया है। 31 अगस्त, 1979 से पहले पहले स्क्रीनिंग कमेटी का होना आवश्यक है। 9 लेक्चरार की क्या गलती है? आप चांसलर पर किसी भी कानून से स्क्रीनिंग कमेटी बुलाने के लिए दवाब नहीं डाल सकते हैं। आप क्या चांसलर को आदेश देने के लिए सक्षम हैं। आप 31 अगस्त से पहले पहले स्क्रीनिंग कमेटी बुलाने का आदेश दे सकते हैं। यह उनके विवेक पर है। यह उन पर निर्भर है।

(व्यवधान)

मैं चाहूंगा। वह चांसलर वह काम करेगा। जो लोग यूनिवर्सिटी में 13-13 साल से टेम्प्रेरी रहे हैं। एजीटेशन करना पड़ा है। भूख हड़ताल करनी पड़ी है। वह कानून लेकर आये हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सदन में बार-बार चर्चा हुई है चांसलर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। राज्य सरकार ने कोई पाबन्दी नहीं लगाई है। मगर पैरा 8 है, उसको डिलीट होने से कानून पर यह असर पड़ेगा कि अगर 31 अगस्त

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

से पहले स्क्रीनिंग कमेटी नहीं हो तो वह नौकरी से अलग नहीं हो सकते हैं। आप तो आर. एस. एस. की शाखा में जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गुप्ता जी चर्चा समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: अण्डरस्टेंडिंग दे दें। एक सवाल नहीं करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर: एक प्रश्न यह है कि स्क्रीनिंग कमेटी चांसलर बुलाये ही नहीं तो आप क्या कर लेंगे?

एक माननीय सदस्य: यही है।

श्री मथुरादास माथुर: वह खत्म हो जायेंगे। चांसलर आपके मातहत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: शायद दूसरा अमेण्डमेन्ट लें आयेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: मैं कहता हूं। उन्होंने ऐसा कहा है। माथुर साहब की बात सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अमेण्ड किया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मदेरणा साहब ने जो मोशन मूव किया है मैं उसका सपोर्ट करता हूं और मुझे हैरानी तो इस बात की है कि हमारे शिक्षा मन्त्रीजी ने कुछ टीचर्स को, कुछ प्रोफेसर्स को रिलीफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए एक कोशिश की जिसे राज्यपाल महोदय ने जो अमेण्डमेन्ट भेजा उसको वापस इस सन्देश के साथ भेज दिया कि यह आपने ठीक नहीं किया है। यह हाउस के सामने आया, हमारी राज्य सरकार की और शिक्षा मन्त्रीजी की नीयत बिलकुल साफ है इसमें कोई दो राय नहीं। हम सबने जब इस बात को महसूस किया कि ये हमारे लेक्चरार्स बड़े योग्य हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फर्स्ट डिविजनर्स हैं, उनमें अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, वे डिजर्व करते हैं, उनका एक्सपीरियेन्स भी है, बारह-बारह और तेरह-तेरह साल से लोग लगे हुए हैं जब इस बात को शिक्षा मन्त्रीजी ने कबूल कर लिया और जल्दी में अमेण्डमेन्ट दिया और गवर्नर महोदय ने कहा कि इसको रिकन्सीडर करिये। मैं सोच रहा था कि इस बिल को प्रवर समिति को भेजने से कम से कम यह परेशानी तो दूर हो जायगी हमारे शिक्षा मंत्री प्रभावित थे माननीय माथुर साहब से और जिस तरह से मेम्बर्स माथुर साहब से प्रभावित हुए और इस तरह से हमारी सलेक्ट कमेटी प्रभावित रही है और किसी ने भी अपना माइण्ड अप्लाई नहीं किया और यह माइण्ड एप्लाई करने का सारा काम माथुर साहब पर छोड़ा गया। एक आदमी से गलती भी रह सकती है और जो शिक्षा मंत्री जी ने गलती की उसी गलती को माथुर साहब ने भी ठीक नहीं किया। अपील का दूसरा मौका उसी स्क्रीनिंग कमेटी को दिया गया है यह बहुत ही गलत है। मान लो दोबारा भी किसी लेक्चरार को अगर नहीं ले तो, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए था, कि जो लोग स्क्रीनिंग कमेटी में रह गये हैं जिनको नहीं रखा जाय प्रोफेसर और लेक्चरार्स को उनको अपीलेट कमेटी में जाने का मौका मिले, मगर सलेक्ट कमेटी ने इस पर कतई जोर नहीं लगाया। पंचायत का कहना सर माथे पर, लेकिन परनाला यहीं गिरेगा। पहली स्क्रीनिंग कमेटी को जिस तरह से नजर सानी का अधिकार रखा है वह कानून

152

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

का पाइन्ट रह सकता है, यह तो समझ में आ सकता है, मगर टीचर्स का स्क्रीनिंग हुआ, उनके पास डिग्री है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने 9 आदमियों को इस वजह से नहीं रखा कि वे प्रिजुडिस्ड हैं उनको इसलिए नहीं रखा, मेरिट के हिसाब से देखते, एक्सपीरियेन्स के हिसाब से देखते तो उनको लिया जाना चाहिए। मगर स्क्रीनिंग कमेटी मिली इन प्राध्यापकों को, लेक्चरार्स को प्रिजुडिस होने की वजह से रख दिया, किसी विशेष विचारधारा की वजह से या और किसी नीयत से नहीं लिया तो क्या री-स्क्रीनिंग में क्या होगा। थोड़ी देर के लिए सवाल करता हूं शिक्षा मंत्रीजी से आपने हमदर्दी दिखाई, मगर यूनिवर्सिटी आटोनामस बोडी है, वह नहीं माने आपकी बात, दो-चार और छः आदमियों को नहीं रखती और दो को रखती है तो आप किस प्रकार से रिलीफ देंगे। मैं यह तो ठीक समझता हूं कि आप रिलीफ देना चाहते हैं, आपकी ईमानदारी में कोई शंका नहीं है, मगर कुछ लोगों को नहीं रखते हैं तो आपकी कोशिश बेकार हो गई, क्योंकि आपने उसी कमेटी के हाथ में सौंप दिया। प्रवर समिति इस बात को भी समझती, अभी भी इसमें हो सकता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई कानूनदां नहीं हूं मैं तो राजनीतिक जीव हूं। अनपढ़ सा आदमी हूं, कानून के दांव-पेंच मुझे को नहीं आते। री-स्क्रीनिंग करने की क्या जरूरत थी। कमेटी बनानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कमेटी में वाइस चान्सलर हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट कन्सर्न्ड, डीन ऑफ फेकल्टी, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर और रीडर। तो वाइस चान्सलर को हटा कर अलग अभी कमेटी बना सकती थी, अभी भी जो एतराज भेजा था जो वापस आया डिलीट करने के लिए जो राज्यपाल महोदय ने कहा वह यही था कि वाइस चान्सलर की अपील सुनने के लिए उसके नीचे काम करने वाले लोग नहीं होने चाहिए। इसलिए प्रवर समिति को अमेण्डमेन्ट मूव करना चाहिए कि अपीलेट कमेटी में वाइस चान्सलर को शामिल किया जाय। यह नहीं किया री-स्क्रीनिंग में भी उन्हें रखा है। एक दूसरा रास्ता एक्सपीरियन्स का था। एक मजदूर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 240 दिन काम कर लेता है··

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसको परमानेन्ट करना पड़ता है, आन्दोलन के जरिये वह सफल हो जाता है उसको निकाला नहीं जा सकता। मगर ये प्रोफेसर जिन्होंने तेरह-तेरह साल काम किया, यह मान लिया कि आपकी मन्शा अच्छी है, मगर उनको नहीं लिया तो इनका कौन जिम्मेदार होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। उनका वारिस कौन होगा, निकाल दिया तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए लिखना चाहिए था कि जो प्रोफेसर 75 से 78 तक, दो तीन साल का एक्सपीरियन्स रखता है उसको नौकरी में रखा जावे। उनको काउन्ट कर लेते, मन्शा पूरी हो जाती मगर वापस अपनी दाढ़ी उनके हाथ में दे दी। इससे कानून बनाने की मन्शा फेल हो जायगी। आपकी सारी मेहनत

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

बेकार हो जायगी, वे नहीं लेंगे तो क्या कर लोगे ? इसलिए आप मेहरबानी करके विचार कीजिये। आपने दाढ़ी फिर उनके हाथ में दे दी। अफसोस की बात है किसी आदमी को निकाल दिया तो उसे नौकरी में रखने का कोई प्रोवीजन नहीं रखा है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अब्दुल अजीज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी चर्चा हो चुकी है, आपका कोई अमेण्डमेन्ट भी नहीं है

(व्यवधान)

अच्छा बोल लीजिये आप दो मिनट—

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त शिक्षा के सम्बन्ध में बिल आ रहा था सिण्डीकेट के बारे में, मैंने विस्तार से कहा था, एक तो गलती यह हुई कि वाइस चान्सलर को ओवरपावर्ड कर दिया। दूसरी बात जो यह बिल है उसका मोटिव पोलिटिकल है। स्क्रीनिंग कमेटी पोलिटिकली मोटिवेटेड है उसकी राजनीतिक मन्शा है कि कुछ लोगों को उनकी मन्शा के खिलाफ निकालने का इरादा बना हुआ है। पिछली दफा भी अमेण्डमेन्ट जल्दबाजी में लाये और उसके बाद में सलेक्ट कमेटी को भेज दिया। उपाध्यक्ष जी, बाहर भी लोग देखते हैं कि यह सदन कितनी अकल रखता है। मैं इसके अधिकारों पर नहीं जाता लेकिन जो हम लाॅ फ्रेम करते हैं उसकी स्क्रीनिंग हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में होती है, वहां हमारे लिए क्या राय कायम होती है। स्क्रीनिंग कमेटी से लोग नाराज होकर जिनकी 14-14, 16-16 साल की नौकरी थी हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किए और वे आज भी सर्विस में आपके कानून बनने के बाद भी बैठे हैं। जिसमें कानून और संवैधानिक अधिकार नागरिकों के स्नेच करके सिंडीकेट में और स्क्रीनिंग कमेटी में अपील के अन्दर ऐसे अधिकार न दिए हों तो सैक्शन 8 डिलीट करने के काबिल है।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट जो बना हुआ है 1974 का उस एक्ट में कहीं प्रावधान हटाने का नहीं है, सर्विसेज टर्मीनेट करने का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं जो आपका पहले एक्ट बना हुआ है उसमें हटाने का या सर्विसेज टर्मीनेट करने का उसमें कोई सेक्शन नहीं है। आप इसलिए नया बिल लाना चाहते हैं ताकि जो अध्यापक काम कर रहे हैं, उनको राहत मिले लेकिन राहत के बजाय आपने स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा यह कर दिया कि उनकी सर्विसेज टर्मीनेट कर देंगे। किन आदमियों की ? कोई 15 साल काम करने वाला है, कोई 3 साल से काम कर रहा है; ओवर एज हो गया उसकी नौकरी टर्मीनेट की जाएगी। किस हालत में आप सर्विसेज टर्मीनेट करेंगे ? आप पावर ड्रंक हैं। आप शिक्षित बेरोजगारों की समस्या जानते हैं, देश के लिए यह अभिशाप है या तो आश्वासन दीजिए कि हम सर्विसेज टर्मीनेट नहीं करेंगे। पहले जो बिल लाए उसमें वह क्लाज नहीं था; उसमें अपील का प्रावधान था और आज वह बिल ला रहे हैं जिसमें सर्विसेज टर्मीनेट की जायेंगी। किस हालत में की जायेंगी ? जिसकी 10 साल की सर्विस है, ओवर-एज

(श्री मूलचन्द डागा)
हो गया, वह कहां जाएगा ? विरोधी दल लोकतन्त्र में अपना रोल अदा करता है। बहुमत के आधार पर जो चाहो कर लो, गर्दन हिला देंगे, कुछ हमारी बात पर ध्यान देंगे या नहीं ?

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : सैक्शन 8 में यह कर दिया गया है कि यदि वाइस चांसलर स्क्रीनिंग नहीं कराएगा तो सर्विस टर्मीनेट हो जायगी और उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते, कोई आदेश सरकार नहीं दे सकती। सैक्शन को पढ़ने से आपकी शंका निमूंल हो जाएगी :

Termination of the services of the temporary lecturers not substantively appointed. The services of a temporary lecturer who is considered for substantive appointment under sections 3, 4 and 5 but is not substantively appointed on or before the 31st day of August 1979 shall stand terminated on the expiry of that day."

5 में है कि री स्क्रीनिंग जब तक नहीं होगी तब तक सर्विसेज टर्मीनेट नहीं हो सकतीं लेकिन सर्विसेज टर्मीनेट करनी होंगी तो, री स्क्रीनिंग आवश्यक है।

श्री मूलचन्द डागा : री स्क्रीनिंग कर लिया उसके बाद सर्विसेज टर्मीनेट कर देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जब तक री स्क्रीनिंग नहीं होगी तब तक सर्विसेज टर्मीनेट नहीं हो सकतीं। अब अपने ने यह प्रावधान किया है कि जिन टीचर्स को हटा दिया गया है उनका री स्क्रीनिंग होना चाहिए। री स्क्रीनिंग होती है उसके बाद प्रश्न पैदा होता है तो उसको हटाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आपने कहा····

श्री मूलचन्द डागा : जिनका री स्क्रीनिंग नहीं किया···

श्री भंवरलाल शर्मा : तो फिर वह टर्मीनेट कैसे होगा ?

श्री मूलचन्द डागा : आपने उनको री-स्क्रीनिंग के लिए बुलाया नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो शंकायें व्यक्त की गई हैं कि इस कमेटी ने जिन लोगों को नौकरी से हटाया था, वह दुबारा विचार करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिन लोगों को हटाया गया उन लोगों को पुनः सेवा में लिया है और आज भी उनमें से जहां राजस्थान विश्वविद्यालय के वी. सी. के प्रति शिकायत थी तो पांचों लोगों को नौकरी में लिया गया एण्ड दे आर स्टिल कन्टीन्यूइंग। जोधपुर के वी. सी. अगर नाराज हैं तो वह आज वी. सी. नहीं हैं। तो जो शंकायें हैं इन तथ्यों के आधार पर निमूंल हो जाती हैं। जब तक री स्क्रीनिंग नहीं होगी तब तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा···

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : हम एक ही आश्वासन चाहते हैं कि जिन लोगों को स्क्रीनिंग में नहीं लिया गया था, न ही सलेक्ट किया गया था क्या उन दोनों विश्वविद्यालयों के टीचर्स को लिया जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मैं चाहूंगा कि माननीय

(श्री उपाध्यक्ष)

परसराम मदेरणा ने जो डिलीशन के लिए संशोधन पर प्रस्ताव रखा है उसके लिए सदन की सहमति लूं। एक तरह से उनका डिलीशन पर अमेंडमेंट है। इसलिए मैं इस प्रश्न को इस प्रकार रखूंगा। क्या सदन की सहमति है कि क्लाज 8 इस विधेयक का भाग बने ?

(ध्वनि मत के पश्चात् स्वीकृत)

खण्ड 8 पारित किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : 8 ए के लिए मेरा संशोधन है ...

एक माननीय सदस्य : आप बोल चुके।

श्री मूलचन्द डागा : आपको क्या तकलीफ हो रही है, घर जाओ।

अगर शिक्षा मंत्री इस बात का आश्वासन दे देते कि जिन लोगों को हमने नहीं बुलाया मैंने तीन नाम लिए वे कुल 6 नाम बताए थे क्या डा. माली राम और जो तीन सज्जन हैं उनको आप री-कन्सीडर करेंगे, बुलायगें या नहीं ? लेकिन उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। अगर ये हाई कोर्ट में नहीं जाते तो आप इनको निकाल देते। आपने उत्तर दिया कि 31 अगस्त तक री स्क्रीनिंग हो जाएगा।

खण्ड 8 में मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है:

खण्ड—8

इस संशोधित विधेयक के खण्ड—8 के बाद निम्न 8—ए जोड़ा जाये :—

अपील :—(1) ऐसा व्यक्ति, जिसके लिए धारा 3, 4 व 5 के अधीन अधिष्ठायी नियुक्ति हेतु विचार किया गया, परन्तु 31 अगस्त, 1979 को या इससे पूर्व अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किया गया था, विश्वविद्यालय के विनिश्चय के विरुद्ध संबंधित रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के राज-पत्र में प्रकाशन से 30 दिन के भीतर अपील फाइल कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील पर कुलाधिपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित अपील-समिति द्वारा विचार किया जावेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(i) दो शिक्षाविद्, जिनमें से एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा,

(ii) एक विशेषज्ञ जो उस विषय में विशेष ज्ञान रखता हो जिसमें कि अपीलार्थी प्राध्यापक हो।

(3) अपील-समिति, अपीलार्थी को सुनवाई या युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् या तो अपील स्वीकार करते हुए या उसे अस्वीकार करते हुए अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगी।

(4) अपील समिति के सदस्यों में असहमति होने की दशा में बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा। अपील समिति का विनिश्चय विश्वविद्यालय पर बाध्यकर होगा।

(5) ऐसा व्यक्ति, जिसकी अपील स्वीकार करली गई है, धारा 3, 4 व 5 के अधीन अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया समझा जावेगा तथा वह वेतन भत्तों, वरिष्ठता और सेवा की अन्य शर्तों की बाबत उन सभी अधिकारों का हकदार होगा जिनका वह हकदार होता यदि अनुवीक्षण समिति से

(श्री मूलचन्द डागा)

उसे अस्वीकार न किया होता। री-स्क्रीनिंग करने के बाद आप सर्विस टर्मीनेट कर दें तो मैंने कहा कि सर्विसेज टर्मीनेट होने के कारण 4 और 5 में जो स्क्रीनिंग हुआ है और उससे जो अध्यापक एग्रीव्ड हो गए हैं उनको वापिस अपील करने का प्रावधान रखा जाये। यह मेरा प्रावीजन नहीं है। आपने खुद ने रखा था। आज सदन में यह बहुत बड़ी बात है कि सदन सुप्रिम है या राज्यपाल महोदय सुप्रिम हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद जो आपका इस बिल से मालूम होता है कि राज्यपाल सुप्रिम है। लेकिन हमारा मानना यह है कि लेजिस्लेचर सुप्रिम है और गवर्नर उससे सुप्रिम नहीं है। एक लैटर भेज दिया कि इसके ऊपर विचार करो तो प्रवर समिति ने मान लिया है कि जैसे कोई बहुत बड़ा सन्देश भेजा है। ठीक है आपको यह कहना चाहिए था कि लेजिस्लेशन ने जो कानून पास कर दिया है यह जनता की प्रतिनिधि सभा है, जनता के प्रतिनिधि यहां आते हैं और वह जनता की कठिनाइयों को समझते हैं। गवर्नर ने अपने लैटर में क्या लिखा है कि इससे तो वाइस चान्सलर की प्रतिष्ठा और गरिमा खण्डित होगी और इस पर विचार किया जाये। आप देख लें कि वाइस चान्सलर की आजकल क्या हालत है? जो हमने देखा है और सुना है कि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है विश्वविद्यालय में जो वाइस चान्सलर का अपाइन्टमेंट होता है वह बिलकुल पालिटिकली अपाइन्टमेन्ट होता है। हमने आरोप खुले लगाये हैं कि चीफ जस्टिस को वापिस आपने यहां क्यों लगाया है? उससे यूनीवर्सिटी को नुकसान हुआ है। बार-बार हमने कहा है कि वाइस चान्सलर कुछ लोगों के कहने पर चल रहा है। इन्होंने हजारों और लाखों रुपया केवल खाने में खर्च किया है, फर्नीचर पर खर्च किया है···

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें यह सवाल नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : कैसे नहीं है। क्यों नहीं कहा जा सकता। जो आदमी भ्रष्टाचार को पनपाता है आप उसकी हिमायत लेंगे। हम किसी भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आपको परेशानी होती है। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए 8 (ए) में मैंने कहा है। यह मेरा नहीं है। आपने पहले इसको रखा था।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो आप पहले ही कह चुके हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री डागा ने अमेन्डमेंट के बारे में अधिक नहीं कहा लेकिन यह कहा।···

श्री मूलचन्द डागा : आप गलत कह रहे हैं। मैंने अमेन्डमेंट के बारे में कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कहा कि जो गवर्नर है उन्होंने हमारी सारी विधान सभा की गरिमा को आघात पहुंचाया है। हमको वह दिन याद है जब हमको मीसा में बन्द किया था। हमने इन्डियन एक्सप्रेस में देखा था कि एक फोटो आया था और उसमें राष्ट्रपति जी को दिखाया गया था।

श्री मूलचंद डागा : आप लोगों को तो कम्पन्सेशन दे दिया गवर्नमेंट ने। अब

(श्री मूलचन्द डागा)
मत बोलो, मुंह मत खोलो । 500 रुपया ले लिया महीने का और इतने दिनों तक राज्य का खाना खाया और 500 रुपये भी ले लिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इन्डियन एक्सप्रेस में छपा था । जिसमें आधा शरीर तो टब के अन्दर दिखाया था और आधा शरीर पानी के अन्दर नंगा दिखाया था और एक आदमी कुछ कागज थमा रहा था . . .

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे पूरा करने दीजिए आप ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : पाइन्ट आफ आर्डर सर, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है कि देश के सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति का यहां इस तरह से जिक्र नहीं किया जा सकता । महामहिम राज्यपाल की कोई मजाक नहीं की गयी । अगर हम यह कहें कि राज्यपाल ने बिल को लौटाकर प्रतिष्ठा को कम किया है तो यह उनकी मजाक नहीं है लेकिन राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार का जिक्र नहीं किया जा सकता ।

श्री मूलचन्द डागा : नियम 272 का सब-क्लॉज (5) मना करता है कि इस तरह आप नहीं बोल सकते ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो पेपर में आया वह बता रहा हूं । इन्डियन एक्सप्रेस में आया था । मेरा कोई भी इरादा राष्ट्रपति का अपमान करने का नहीं है । मैं केवल एक उदाहरण देकर बात कहना चाहता हूं । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हम भी आपके सामने जेल में थे लेकिन जिस चीफ जस्टिस ने कहा कि सारा कान्स्टीट्यूशनल है, लीगल है । उसको आपने वाईस चांसलर बनाया ।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में हमारे गवर्नर इतने निष्पक्ष हैं कि सारे हाउस की बात के बाद भी उन्होंने अपने विवेक का उपयोग किया ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : राज्यपाल ने नहीं किया । उसमें लिखा है मैं चान्सलर की हैसियत से यह समझता हूं कि वाईस चान्सलर की प्रतिष्ठा को आघात लगेगा । उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं राज्यपाल की हैसियत से ऐसा सोचता हूं । हमारे यहां चांसलर और राज्यपाल एक ही आदमी हैं । वह चान्सलर की राय से कह रहे हैं न कि राज्यपाल की राय से । आपने तो महामहिम की बात नहीं मानी बल्कि चान्सलर की बात मानी है . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, विराजें ।

श्री परसराम मदेरणा : सन्देश 200 के नीचे भेजा है लेकिन उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि कुलाधिपति की हैसियत से मेरी यह मान्यता है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हैबियस कोर्पस लागू नहीं करती है ।

Dont tell.

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

आर्टिकल 200 के सन्देश में राज्यपाल ने चान्सलर का हवाला देकर 200 आर्टिकल की धज्जियां उड़ाई हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि उन्होंने इस प्रकार की निष्पक्षता और दृढ़ता दिखाकर इस पद की गरिमा को बढ़ाया है....

श्री मूलचन्द डागा : मिट्टी में मिलाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, क्या आप अपने संशोधन वापस लेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री डागा द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मत के पश्चात्)

श्री मूलचन्द डागा : वी वांट डिविजन। हम डिवीजन मांगते है।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन अस्वीकार किया गया।

खण्ड 9, 10 व 1 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9, खण्ड 10, पारित किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 व खण्ड 10 पारित किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि पारित किया गया।

माननीय मंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं तो एक ही बात चाहता हूं राज्यपाल महोदय का मानना चाहे कुछ हो, मगर एक बात जानता हूं कि हमारी सरकार और हमारे शिक्षा मंत्रीजी की यह मंशा जरूर थी कि इन प्रावीजन से इन लेक्चरर्स को जरूर रिलीफ दिया जाये। मैं एक ही आश्वासन चाहता हूं मुंह से नहीं कहें आप इशारा करदें कि उनमें से कोई भी आदमी नहीं रहेगा लैक्चरर्स में से। उन सारे लैक्चरर्स को रख लिया जायेगा, यह हमारे लिये काफी है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो इस स्टेज पर अपने विचार रखना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता साहब··

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : दो मिनिट।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज से 25 साल पहले भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके रिटायर-

मेंट के बाद सरकार कोई पद नहीं दे । अगर रिटायरमेंट के बाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेज को पद दिया जायेगा तो हम उनसे आशा नहीं कर सकते कि उनके सेवा काल में इम्पार्शियलिटी होगी । वह ला कमीशन की रिपोर्ट है । इसकी धज्जियां कांग्रेस सरकार ने उड़ाई और जनता सरकार ने राजस्थान के अन्दर राजस्थान यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेज को वाईस चांसलर के पद पर अपाईंट करके इस तरह न्याय पालिका की प्रतिष्ठा और उसकी इम्पार्शियलिटी को गिराया है । क्योंकि हर जज अपने सेवा काल के अन्त में सरकार का फेवर लेने के लिये सरकार के हक में कुछ न कुछ कार्यवाही ऐसी करेगा जिससे उस समय का मुख्य मंत्री उसको पद दे । मैं यह कहना चाहता हूं कि न्यायाधीश को वाईस चांसलर के पद पर नियुक्त किया है वह ऐसा करेगा कि अपील का जो प्रावधान है, जो धारा है, उसको यूनिवर्सिटी के कैम्पस में ले जायेगा । इस अपील के लॉ को वाईस चांसलर ने अपोज कर राज्यपाल से इस बिल को लौटाया । हम कैसे भी करें राजस्थान यूनिवर्सिटी की री स्क्रीनिंग कमेटी के अन्दर उन 9 लेक्चरर्स को पुन: नौकरी में रखने का निश्चय किया जायेगा मुझे पूर्ण सन्देह है । इसके रीजन्स हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी में वहां पर इनकी पुनरावृत्ति होगी और सदन के प्रतिनिधियों को मंत्रियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे । मुझे मालूम है कि अगर 9 के 9 अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मैम्बर होते या समर्थक होते तो इस प्रकार का कानून यहां पर नहीं लाया जाता । यह वे लोग हैं जो एन्टी आर. एस. एस. हैं, यह समाजवादी धारा के·····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, विराजें । दो मिनिट हो गये हैं ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्षजी, अभी शिक्षा मंत्रीजी ने आपातकालीन इण्डियन एक्सप्रेस के एक कार्टूनिस्ट का जिक्र किया था । उसके पीछे एक भावना थी कि आपातकाल में राष्ट्रपति के पद को खिलौना बना दिया था । इसलिए जब मैं आर. एस. एस. की बात करता हूं तो आप उसको मजाक में नहीं लें । राजनारायण ने दिल्ली में कहा है कि आर.एस.एस. प्रतिक्रियावादी है, धर्म निर्पेक्ष के खिलाफ है, देश का बंटवारा करके छोड़ेंगे...

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप हंसी में मत लीजिये । भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं । आपके समय में कानून बन गया, मुझे अफसोस है आप नहीं रहे । आप आर.एस.एस. के जरूर हैं, आपके दिल के अन्दर दर्द था, आप प्रोफेसर रहे हैं···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इसलिये मैं चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी की दशा नहीं सुधरेगी अगर आप यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स को वाईस चांसलर की मर्जी पर छोड़ देंगे, अगर 15, 15 साल बाद यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे । यूनिवर्सिटी की चार दीवारी में शांति नहीं रहेगी ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष जी, सदन के सम्मुख इस विधेयक को पारित करने के लिये शिक्षा मंत्री जी का प्रस्ताव है। मेरा प्रस्ताव है कि सदन इसको अस्वीकार करे पूरे बिल को और सदन इस लिये अस्वीकार करे कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी जब गई बार इस सदन के अन्दर क्लाज 4 के अन्दर अमेंडमेंट लाये थे और जिस तरह का तर्क दे रहे थे इससे स्पष्ट होता है कि मिनिस्टर साहब का मन स्थिर नहीं है, डांवाडोल है, नारियल की तरह हिल रहा है। मैं सोच रहा था कि हनुमानगढ़ से आने वाले और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्यों की बात को शिक्षा मंत्री जी ने माना जरूर है लेकिन जिस तरह से आप निगल गये हो, थूक करके, उससे जो पूर्व धारणा थी वह निश्चित तौर पर दूसरी बनी है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को अस्वीकार करने के दो बड़े कारण हैं। राज्यपाल महोदय ने जो संदेश दिया था, एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि सदन सोवरन है इसको रिजेक्ट कर सकता है। री स्क्रीनिंग कमेटी का प्रावधान डालकर पक्षपात के तौर पर किया गया है। उन लोगों के साथ मिस कैरिज आफ जस्टिस होगा। वही स्क्रीनिंग कमेटी, वही वाईस चांसलर। मैं समझता हूं किसने किया है। यह वाईस चांसलर गये चांसलर के पास गवर्नर की पावर्स दूसरी हैं। उन्होंने जब इस बिल को रिटर्न करने में और री-कन्सीडर करने के लिये इस सन्देश में जो दलीलें राज्यपाल महोदय ने दी हैं उसमें जो ज्यादा माइन्ड अप्लाई किया है वह है वाईस चांसलर नाट एज ए गवर्नर बाइस चांसलर ने जाकर उनको कनविन्स किया है और चांसलर की हैसियत से वे कनविन्स हुए हैं क्योंकि वही स्क्रीनिंग कमेटी है, वही चेयरमैन है और वे ही इसके चार मेम्बर हैं तो फिर ऐसे इन्सानों से उनको कोई उम्मीद नहीं है कि उनके वाजिब क्लेमों पर विचार हो। गोल्ड मेडलिस्ट रह जाय और थर्ड डिविजनर्स वाले सलेक्ट हो जायं तो उसमें जो न्याय देने की बात थी वह तो खतम हो गई। आज जिस न्याय को बदल कर जो मिस-कैरियेज आफ जस्टिस के हामी बनकर जो समर्थन में दलील दे रहे हैं और जो सदन के सामने रखा गया है वह किसी प्रकार समर्थन के काबिल नहीं है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर आर्डिनेन्स को रिपील करके जो प्रावधान डाला गया है और जो आपने जनरल क्लाजेज एक्ट के (6) की बात कही, उस (6) में जो एक्शन लिया गया है, उन एक्शन्स को आप प्रोटेक्शन देना चाहते हो। उस बात को मैं मानता हूं योजना मंत्री जी ने जो कहा रिपील किस आर्डिनेन्स का कर रहे हैं जब वह एक्सपायर हो चुका है। इस प्रकार लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेटिव काम्पीटेन्स है और जब यह राजस्थान की जनता के सामने आयेगा, जूडिशियरी के सामने आयेगा और जब यह प्रश्न उठायेंगे तो इस लेजिस्लेशन की धज्जियां उड़ेंगी इसलिये हम उसमें भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। इसलिये इस बिल को रिजेक्ट किया जाय।

मेरा यह भी कहना है कि यह जो बिल अभी आया है आपके सामने, इस बिल को शिक्षा मंत्री जी आर्टिकल (200) के नीचे सन्देश आने के बाद और जैसी 15 तारीख को

(श्री परसराम मदेरणा)

व्यवस्था दी थी, मैंने सदन में प्रश्न उठाया था कि इसकी चर्चा होनी चाहिये तो चर्चा न होकर सलेक्ट कमेटी में भेजना और तरमीम करना यह भी आर्टिकल 200 का मजाक उड़ाया है और मैं समझता जो ब्लण्डर की है और जो बिल आया है उसका समर्थन करने जा रहे हैं उसका मतलब यह है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी जिन अध्यापक के साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं री स्क्रीनिंग कमेटी में कोई रि-कन्सीडर नहीं होने वाला है। जिनके साथ गैर इन्साफ हुआ है, उनको न्याय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप लीपा-पोती करके लाये हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि आर्डिनेन्स को जिन्दा करने की कोशिश की हैं लेकिन वह जिन्दा नहीं हो सकता है। यह चेलेन्ज होगा कोर्ट में और कोर्ट में जहां रिटायर्ड चीफ जस्टिस का है तो वे कोर्ट से क्यों डर रहे हैं ? जिस समय चीफ जस्टिस थे उस समय तो यह कहा करते थे कि जूडिशियरी बड़ी निष्पक्ष है। वही चीफ जस्टिस जब वाईस चान्सलर बन जाते हैं तो इस सन्देश में कहा गया है कि कोर्ट में चले जायेंगे और बड़ी भारी प्रतिष्ठा गिर जायगी। जब वे कोर्ट में बैठते थे तब तो प्रतिष्ठा गिरती नहीं थी और अब जब वे जाते हैं तो तिलमिला जाते हैं। इसलिए न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए जो बिल जिस उद्देश्य के साथ लाया गया है उसको उल्टा कर दिया है। इसलिए हम इस बिल के पारित करने में भागीदार नहीं बन सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अगर इस बिल का पूरा हैडिंग पढ़े–राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) तो आमेलन शब्द है और इसका मतलब है आमेलन जो हिन्दी में लिखा है उसका मतलब यही बताते हैं कि उन आदमियों का एबजार्प्शन कर दें–जब टाइटिल यह है और आबजेक्ट क्या रखा है बिल के अन्दर राजस्थान के विश्वविद्यालय में लम्बे समय से कार्य कर रहे अस्थायी अध्यापकों का आमेलन करने के लिए और आज कानून क्या पारित किया जा रहा है ? स्क्रीनिंग कमेटी होने के बाद उनको हटा देगी। जो टाइटिल हैं यह आमेलन कर दिया तो मेहरबानी करके धोखा मत दीजिये। इस बिल का टाइटिल तो यह है और आज जनता पार्टी की सरकार टाइटिल के खिलाफ, उसके इन्टेशन के खिलाफ और जो उसका मजाज फस्ट लिखा हुआ है, उसके खिलाफ जा रही हैं। इसलिये हम कहते हैं, इसे अस्वीकार किया जाय और पारित नहीं किया जाय।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस बिल के मार्फत स्क्रीनिंग कमेटी ने 112 केन्डीडेट्स को काल किया है उसमें से 106 को सर्विस में रखा है और 6 को रिजेक्ट किया है लेकिन जो तीन केन्डीडेट्स हैं डा. मालीराम जो सीकर जिले के दौराला गांव के रहने वाले हैं दूसरे शशी जोशी और तीसरे बसन्त जेटली–इन तीनों केन्डीडेट्स को सेक्शन तीन और सेक्शन चार के तहत जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होते हुए भी कॉल नहीं किया उसके बारे में भी कहना चाहूंगा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने उनको बुलाने के बारे में विचार नहीं किया है।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करके प्रभावित नहीं कर सकते हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन केन्डीडेट्स के बारे में निवेदन किया है–किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : स्क्रीनिंग कमेटी को प्रभावित करने वाली बात है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : जिन तीन केन्डीडेट्स के बारे में चर्चा की है तब से चालू हुई है तभी से हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रोप्राइटी नहीं है, इस प्रकार की चर्चा करने की।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इसलिए मै माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा··

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, ज्यादा चर्चा न करें।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा उदार हृदय से रि–कन्सीडर करने के लिए कहेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने राजस्थान यूनीवर्सिटीज टीचर्स (एबजार्प्शन ऑफ टेम्प्रेरी लेक्चरार्स) बिल, 1979 हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मान्यवर मैं इसका विरोध करता हूं और आपके द्वारा सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे रिजेक्ट किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के पास होने से राजस्थान की यूनीवर्सिटीज में न्याय और शान्ति नहीं मिलेगी। आज राजस्थान की यूनीवर्सिटीज लड़ाई और झगड़ों के अखाड़े बन गये हैं। राजस्थान सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने विश्वविद्यालयों के हालातों को इस प्रकार बिगाड़ा है कि आज हमारे जोधपुर यूनीवर्सिटी में, उदयपुर यूनीवर्सिटी में और क्या राजस्थान यूनीवर्सिटी में सभी में यह स्थिति पैदा कर दी कि वहां पर किसी भी लड़के को न तो न्याय मिलता है और न ही उसका जीवन वहां सुरक्षित है···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अनुरोध करूंगा कि इस बिल के पास होने से राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अशान्ति बढ़ेगी। विश्वविद्यालयों में जो टेम्प्रेरी लेक्चरार्स हैं उनको किसी प्रकार का इंसाफ मिलने की सम्भावना नहीं है। मैं आपसे चाहूंगा मान्यवर, कि इसे रद्द किया जाना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद दो सौ के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधान सभा द्वारा पारित विधेयक संख्या 31 को वापस लौटाया था और उसके अन्दर उन्होंने अपील समिति का विरोध किया था। मान्यवर, अपील समिति का प्रावधान तो इस बिल में से हटा दिया गया है लेकिन इस विधान सभा ने ही, इस पूर्व बिल में और इस बिल में काफी परिवर्तन किये हैं। उसके मूल ढांचे

(श्री रामनारायण चौधरी)

में परिवर्तन किया है इससे मान्यवर, एक मौका राज्यपाल महोदय को सदन ने और दे दिया है कि वे इस बिल को वापस लौटा सकते हैं। इस बिल को वापस लौटाने का उनको अधिकार और दे दिया है। वे दुबारा इस पर अपनी असहमति देकर वापस भेज सकते हैं। क्योंकि मूल बिल में जो अपील समिति का प्रावधान था उसको हटा करके आपने कुछ एडीशन किये हैं जो कि आपको, सदन को एडीशन करने का अधिकार नहीं था। ये एडीशन करके राज्यपाल महोदय को हस्तक्षेप करने का एक मौका और दे दिया है। राज्यपाल महोदय कह सकते हैं कि फिर इसको एग्जामिन किया और जो यह दूसरा बिल विधान सभा ने पास किया है मैं इसको भी रिजेक्ट करता हूं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसके पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है, अब दोहराइये मत। आप कोई नई बात कहना चाहें तो कहें।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, पूर्व बिल में आमूलचूल परिवर्तन करके धारा 94 के तहत जो प्रोवीजन है री-कन्सीडरेशन का, रिटर्न बाई दी गवर्नर, हमने बिल में परिवर्तन किया है, ये मूलभूत परिवर्तन होने से हमने एक मौका और दे दिया है और राज्यपाल महोदय को आपने अधिकार दे दिया है इसको वापस रेफर कर सकते हैं। इसके अन्दर एक धारा और जोड़ी है...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं अनुरोध करूंगा कि इसको पास करने में कोई फायदा नहीं है। यह न तो जनहित में होगा, न इस विश्वविद्यालय के हित में होगा, न सदन के हित में होगा इसलिए इसको आउटराइट रिजेक्ट किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इसके पहले कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी इसका उत्तर दें, एक और दूसरा बिल था जिसके बारे में शायद यह सम्मति दी गई है कि कल चर्चा के लिए रखा जाय लेकिन चूंकि बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ने उसको आज लेने के लिए प्रतिवेदन में कहा था, यह निर्दिष्ट कर दिया था इस लिए मैं सदन की सहमति ले लेना चाहता हूं कि इस बिल को कल लिया जाय...

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि बिल आज लिया जावे, या कल लिया जावे, टोटल 13-तारीख का जो भी बिजनेस तय किया गया है, बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ने जो अपना प्रतिवेदन दिया था और जिसको सदन ने अडाप्ट किया था उसके अन्दर भी यह अधिकार है कि आसन अगर कोई तरमीम करना चाहे तो कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे खयाल से सदन की सहमति के लिए रख दूं तो कोई आपत्ति नहीं है...

श्री परसराम मदेरणा : हमेशा आसन को अधिकार रहता है कि समय में परिवर्तन कर सकते हैं...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सदन की सहमति ले लेने दीजिए।

(164)

श्री परसराम मदेरणा : आप खुद कर सकते हैं इसमें सदन की सहमति की कोई जरूरत नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको अधिकार है।

श्री परसराम मदेरणा : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में समय का परिवर्तन करने का आसन को अधिकार है . . .

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कल फिर यह संदेह हो सकता है कि यह बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार नहीं है . . .

श्री परसराम मदेरणा : इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल आपके पास कार्य-सूची आ जाएगी, उसमें यह शामिल हो जाएगा। आपको अधिकार है कि आज क्या कार्य सूची रहे।

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी सदन की सहमति हो जाय।

श्री मूलचन्द डागा : आज जो विश्वविद्यालय बिल था . . .

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि आप चेंज कर सकते हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : सदन की सहमति हो जाय साहब, नहीं तो फिर कल इस तरह के ओब्जेक्शन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को कल की कार्य सूची में लिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति के अनुसार यह बिल कल विचार के लिए लिया जाएगा। शिक्षा मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी बातें कही गई हैं उनके बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह जो बिल हमने रखा है, उन टीचर्स को वहां से हटाने के बाद में वापस लेने की व्यवस्था नहीं थी लेकिन सरकार यह समझती थी कि ऐसा करने से पहले उन लोगों को अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका मिले, इसी कारण से हम यह बिल लाये हैं। कोई नई बात नहीं कही गई है कि जिसका मैं फिर जवाब दूं। अतः मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति से प्रतिवेदित राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

श्री परसराम मदेरणा : आई चेलेंज, नोट हैव इट।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एज हैव इट।

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति से प्रतिवेदित राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 3.6 बजे बुधवार, दिनांक 4 अप्रेल, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न 803 के प्रार्थना-पत्र

सेवामें,

श्रीमान थानेदार साहब,
पुलिस थाना, जसवन्तगढ़।

परिवाद-जगदीश सिंह पुत्र
श्री कल्याण सिंह राजपूत,
साकिन रायधना

अभियुक्त – चन्द्रसिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह
राजपूत, साकिन रायधना।

परिवाद अन्तर्गत धारा

मान्यवर,

परिवादी निम्न प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करता है :—कि माह जनवरी 1979 के दिनांक 9 व 10 के बीच की रात के करीब बारह बजे का वाका है कि मैं (परिवादी) अपने घर पर मकान के बरामदे में सोया हुआ था और मेरा ऊंट बरामदे के सामने गुवाडी के चौक में बंधा हुआ था कि अभियुक्त रात के करीब बारह बजे गुवाडी का फाटक खोलकर अन्दर घुस गया। फाटक खोलने की आवाज सुनकर मैं परिवादी जग गया तथा आते हुए अभियुक्त को बतलाया कि कौन है। अभियुक्त ऊंट के पास आकर खड़ा हो गया। मैं उठकर ऊंट के पास गया तथा उसको बतलाया कि कौन है तो अभियुक्त ने गाली देकर कहा कि तुम्हारा बाप चन्द्र सिंह और उसके हाथ में धारदार दाव (हथियार) था उससे मेरे ऊपर वार किया। मैं ऊंट की ओट में हो गया तथा अभियुक्त के दाव का वार ऊंट के पिछले दाहिने पैर पर लगा। जिससे ऊंट का पैर कट गया। परिवादी व अभियुक्त की आवाज सुनकर रास्ते बहते जमन सिंह पुत्र लादूसिंह राजपूत निवासी रायधना व भगवाना राम पुत्र परसाराम जाट निवासी रायधना आ गए। उनके आते ही अभियुक्त भाग गया। अभियुक्त के साथ एक आदमी और था जिसको परिवादी पहचान नहीं सका। परिवादी का ऊंट बरंग मेलिया कीमती रुपये 3800/– का है जो बिलकुल बेकार हो गया है।

अभियुक्त परिवादी से काफी दिनों से रंजिश रखता है तथा परिवादी एक आटा पीसने की चक्की लगाना चाहता है। उस विवाद को लेकर अभियुक्त ने कई बार मुझे मारने की भी धमकी दी है।

मैंने दिनांक 10-1-79 को ऊंट का इलाज पशु चिकित्सालय से जीप द्वारा रायधना ले जाकर करवाई है। ऊंट के पैर पर चिकित्सक महोदय ने दवाई लगाकर खून बन्द किया

और टांके लगाए। डाक्टर साहब की डाक्टरी रिपोर्ट भी इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है कि परिवादी का ऊंट बेकार हो गया है इसलिए बाद तहकीकात मुलजिमान को सजा दिलाई जावे।

दिनांक :- 11-1-79 प्रार्थी–जगदीश सिंह

11–15 ए. एम. 12-1-79

आज यह रिपोर्ट श्री जगदीश सिंह पुत्र कल्याण सिंह, कौम राजपूत, निवासी रायधना ने हाजिर थाना होकर मय चोट प्रतिवेदन ऊंट के पेश की व जाहिर किया कि चोट प्रतिवेदन शाम को मिलने से कल वह लाडनूं में रहा और अभी लाडनूं से रिपोर्ट करने आया है। लिहाजा मजमून रिपोर्ट व तकरीरन फरियाद पढ़कर सुनाई, सही मान हस्ताक्षर किये।

ह. जगदीशसिंह

कार्यवाही पुलिस

चूंकि मजमून रिपोर्ट व चोट प्रतिवेदन संख्या 7 दिनांक 11-1-79 से जुर्म 448/429 आई. पी. का वकू में आना पाया जाता है, लिहाजा मुकदमा नं. 1 दिनांक 12-1-79 धारा 448/429 आई. पी. सी. में दर्ज कर तफतीश जाब्ता शुरू की गई। नकल एफ. आई. आर. मुस्तगीस को दी गई।

ह. जगदीश सिंह
ह.
एस. एच. ओ. थाना जसवंतगढ़
12-1-79

सेवामें,

श्रीमान गृह मंत्री महोदय जी,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय :—मु. नं. 1/79 अन्तर्गत धारा 429/448 आई पी. सी., दिनांक 12–1–79 पुलिस थाना जसवंतगढ़, जिला नागौर। निस्पेक्ष जांच एवं न्याय।

श्रीमानजी,

निवेदन है कि मुझे प्रार्थी द्वारा थाना जसवंतगढ़ में दिनांक 19-1-79 को मुकदमा दर्ज करवाया था। मुलजिम श्री चन्द्रसिंह ने मुकदमे का ट्रान्सफर सी. ओ. साहब डीडवाना

के पास करवा लिया गया है। अब फिर श्रीमान डी-वाई आई. जी. पी. साहब द्वारा रेन्ज जोधपुर से सी. ओ. साहब पर दबाव डलवाया जा रहा है।

अतः आपसे नम्र निवेदन है कि प्रार्थी की सही जांच करवाकर अप्रार्थियों को दण्ड दिलवाया जाकर प्रार्थी को न्याय दिया जावे।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक 20-2-79

प्रार्थी
सही
जगदीशसिंह ग्राम रायधनो,
जिला नागौर।

वस्ती

पुलिस अधीक्षक, नागौर

आप कृपया स्वयं इस मामले को देख लें और इतमिनान कर लें कि स्थानीय पुलिस गोया ठीक जांच कर रही है कि नहीं।

सही
सम्पतराम
20-2-79
मंत्री
गृह नागरिक सुरक्षा, कारागृह एवं
पुनर्वास राजस्थान, जयपुर।

सेवामें,

श्रीमान गृह मंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः—केस सं. 1/1979 थाना जसवंतगढ़, तहसील लाडनूं, जिला नागौर को सही जांच करवाने बाबत।

मान्यवर,

निवेदन है कि मैंने एक रिपोर्ट थाना जसवंतगढ़ जिला नागौर में दर्ज करवाई थी मेरे घर में घुस कर अपराधी ने धारदार हथियारों से हमला किया था और मेरे पर वार किया था जिसकी चोट मेरे को नहीं लगकर मेरे ऊंट को लगी थी जो मरणासन्न स्थिति

में है। स्थानीय पुलिस को तसल्ली हो जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और मुलजिमान से मिलकर इस मामले को रफा दफा कर रही है।

ऐसी स्थिति में निवेदन है कि इस मामले की सही जांच करवाने की कृपा करावें।

प्रति 6–3–79

विनम्र
सही
जगदीशसिंह, ग्राम रायधना
तह. लाडनूं, जिला नागौर (राज.)।

दस्ती

पुलिस अधीक्षक, नागौर

इस मामले की जांच आप कृपया क्राईम एसिसटेन्ट से करालें।

सही
(सम्पतराम)
6–3–79

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण विधान सभा में नहीं लिये जा, सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

पंचायत समिति लाडपुरा के ग्रामों का क्लस्टर योजना में चयन

805 श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या लाडपुरा पंचायत समिति की रानपुर, मंडाना, मादल्या, बोराबास, ढोल्या, काल्याखेड़ी, कसार, भंवरिया ये आठों ग्राम की पंचायतों को क्लस्टर प्रोग्राम में सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि हां, तो इस योजना का उक्त आठ पंचायतों के लिए बनाया गया "ब्ल्यू-प्रिन्ट" सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

क्लस्टर योजना के अन्तर्गत अभी तक क्षेत्रों का चयन नहीं हुआ है। अतः इन क्षेत्रों को इन योजनाओं में सम्मिलित करने का इस स्टेज पर प्रश्न नहीं उठता।

गंगानगर जिले के राजपत्रित अधिकारी

806 श्री बहादुर सिंह (नोहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कितने राजपत्रित अधिकारी जो गंगानगर जिले के रहने वाले हैं, गंगानगर जिले में ही लगे हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राजपत्रित अधिकारी को अपने गृह जिले में ही पदेन किया जा सकता है ? अगर हां, तो किस नियम के तहत ? अगर नहीं, तो वे अधिकारी गृह जिले में क्यों रखे गये ?

उत्तर

(1) जो राजपत्रित अधिकारी गंगानगर जिले के रहने वाले हैं और गंगानगर जिले में ही पदस्थापित हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। कतिपय श्रेणी के अधिकारियों को छोड़कर शेष राजपत्रित अधिकारी अपने गृह जिले में पद स्थापित किये जा सकते हैं। इस बारे में राज्य सरकार ने बतौर नीति के समय समय पर परिपत्र संख्या एफ. 2 (5) नियुक्ति (ए) 58 दिनांक 25 जून, 58, 22-8-61, 31-5-65 एवं 31-5-76 द्वारा निर्देश प्रसारित किये हैं कि कतिपय श्रेणी के अधिकारी साधारणतया अपने गृह जिले में नहीं लगाये जायें।

तारांकित प्रश्न सं. 806

Name of Department 1	Officers who belong to Ganganagar and are posted in Ganganagar 2	Name and Designation 3
Revenue	2	S/Shri 1. Kulwant Singh Bhatia, Asstt. Treasury Officer. 2. Hans Raj Agarwal, Asstt, Treasury Officer, Rehabilitation.
P. W. D.		
Executive Engineer, Ganganagar.	2	1. M. P. Gupta, Asstt. Engineer. 2. Kuldip Singh, Asstt. Acctt. Officer.
Executive Engineer, Hanumangarh.	1	1. M. D. Gupta, Asstt. Engineer.
Irrigation		
Supdg. Engr., Ganganagar.	11	1. K. C. Jain, Asstt. Engineer. 2. B. R. Mittal, Asstt. Engineer. 3. R. K. Agarwal, Asstt. Engineer. 4. S. B. Sarawagi, Asstt. Engineer. 5. M. L. Baweja, Asstt. Engineer 6. B. S. Bhatia, Asstt. Engineer 7. Sohan Lal Chawla, Asstt. Engineer. 8. Brij Mohan Goyal, Asstt. Engineer. 9. Mulk Raj, Dy. Collector. 10. Kartar Singh, Dy. Collector. 11. Vishwa Mitra, Dy. Collector
Supdg. Engr., Bhakra, Circle.	11	1. K. K. Bhatia, Supdg. Engineer. 2. L. C. Mittal, Asstt. Engineer. 3. Mr. Khullar, Asstt. Engineer 4. A. K. Verma, Asstt. Engineer 5. Asha Ram Goyal, Asstt. Engineer

(171)

1	2	3
		6. Mr. Madan, T. A. to Supdg. Engineer
		7. R. S. Gupta, Executive Engineer
		8. Vishwa Nath, Asstt. Engineer
		9. Pyara Singh, Asstt. Engineer
		10. M. L. Sarda, Asstt. Engineer
		11. Rati Ram Chaudhari, Asstt. Engineer
Supdg. Engr., RCP Circle, Hanumangarh	4	1. Het Ram Dudi, Executive Engr.
		2. Dwarka Dutt, Executive Engr.
		3. Hari Darshan Singh, Asstt. Engineer
		4. J. P. Sethi, Asstt. Engineer
Agriculture	3	1. K. S. Khosa, Seed Dev. Officer
		2. S. K. Kaushik, Asstt. Agronomist
		3. B. S. Saluja, Specialist
Development	2	1. Dal Singh, Vikas Adhikari
		2. Om Prakash, Vikas Adhikari
Medical	68	1. M. P. Gupta, Jr. Specialist
		2. S. L. Kaushik, Jr. Specialist
		3. Miss P. L. Ohi, Jr. Specialist
		4. P. R. Sahu, Jr. Specialist
		5. Lady Dr. Kulvinder Malik, CAS
		6. M. L. Agarwal, C. A. S.
		7. R. K. Dhingra, C. A. S.
		8. Manohar Singh, C. A. S.
		9. S. C. Bhatia, C. A. S.
		10. O. P. Sharma, C.A.S.
		11. K.D. Bhardwaj, C.A.S
		12. L.D. Gupta, B.D.S. Dental
		13. Man Mohan Singh, C.A.S.
		14. H.K. Sharma, C.A.S.
		15. R.K. Gupta, C.A.S.
		16. M.R. Jangu, C.A S.
		17. Ajit Kochar, C.A.S,
		18. Hem Raj, C.A.S.
		19. Inder, C.A.S.
		20. S.N. Agarwal, C.A.S.

1	2	3
		21. Mrs. Vimla Kohli, C.A.S.
		22. Usha Agarwal, C.A.S.
		23. V.B. Kalra, C.A.S.
		24. V.K. Malhotra, C.A.S.
		25. K.K. Garg, C.A.S.
		26. O.P. Singhvi, C.A.S.
		27. Janak Arya, C.A.S.
		28. Inderjit Pujia, C.A.S.
		29. P.S. Bhatia, C.A.S.
		30. K.C. Mittal, C.A.S.
		31. M.S. Kakkar, C.A.S.
		32. B.P. Godara, C.A.S.
		33. Guman Singh, C.A.S.
		34. O.P. Sharma, C.A.S.
		35. S.K. Sharma, C.A.S.
		36. Mrs. Indu Sethi, C.A.S.
		37. G.C. Sethi, C.A.S.
		38. S.K. Sharma, C.A.S.
		39. N.K. Dutta, C.A.S.
		40. M.P. Agarwal, C.A.S.
		41. G.R. Chaudhari, C.A.S.
		42. Iqbal Singh, C.A.S.
		43. Subhash Khaberia, C.A.S.
		44. R.P. Punia C.A.S.
		45. B.K. Samansukha, C.A.S.
		46. S.P. Jakhar, C.A.S.
		47. V.K. Bhatia, C.A.S.
		48. B.V. Chaudhari, C.A.S.
		49. Moti Lal Khatri, C.A.S.
		50. R.L. Benilwal, C.A.S.
		51. K.S. Yadav, C.A.S.
		52. Atma Prakash, C.A.S.
		53. S.N. Sharma, C.A.S.
		54. Bhupendra Saini, C.A.S.
		55. L.N. Sharma, C.A.S.
		56. Narendra Singh, C.A.S.
		57. Bahadur Singh, C.A.S.
		58. Mrs. Rita Sethi, C.A.S.

1	2	3
		59. R.K. Chandel, C.A.S.
		60. M.G. Sharma, C.A.S.
		61. Saroj Gupta, C.A.S.
		62. Taj Basu, C.A.S.
		63, B.M. Sharma, C.A.S.
		64. O.P. Sardolia, C.A.S.
		65. Surendra Singh, C A.S.
		66. S.K. Bhardwaj, C.A.S.
		67. S.P. Agarwal, C.A.S.
		68. N.P.R. Bansal, C.A.S.
Govt. College for Girls.	10	1. Gurdip, Lecturer
		2. Mrs. Raju Devi, Lecturer
		3. Amarjit Kaur Ahuja, Lecturer
		4. Manorama, Lecturer
		5. Manorama Sood, Lecturer
		6. Mr. S.P. Rajwanshi, Lecturer
		7. Mrs. Gayatri Sharma, Lecturer
		8 Mrs. Arun Khatri, Lecturer
		9. Kusum Lata, Lecturer
		10. Paril Singhal
Govt. College for Boys	12	
		1. B. P. Arora, Lecturer
		2. Vidya Sagar, Lecturer
		3. Balwant Singh, Lecturer
		4. D.D. Middha, Lecturer
		5. J. P. Jaimini, Lecturer
		6. C R Kukkar, Lecturer
		7. B. L. Bishnoi, Lecturer
		8. G. R. Varma, Lecturer
		9. G. N Sharma, Lecturer
		10. Smt. Arjuna Chug, Lecturer
		11, D. D. Sharma, Lecturer
		12. Jagtar Singh, Lecturer.
Inspector of Schools		1. Mukh Ram, Dy. Distt. Edu. Officer
		2. Harbans Lal, Dy. Distt. Edu. Officer
		3. Satya Narain, Dy. Distt, Edu. Officer
		4. R. Bhatia, Dy. Distt. Edu. Officer

(174)

1	2	3
Forest	1	1. S. S. Man, Dy. Conservator
Supdg. Engr, Irrigation, C, A. D., Bijainagar,	3	1. B. S. Pular, Executive Engineer 2. L. C. Sutara, T. A. to Supdg, Engineer 3. R. C. Gupta, Executive Engineer,

---

मूंगफली की फसलों को सफेद लट से सुरक्षा

807. श्री शिवनारायण (थानागाजी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले में खरीफ में ली जाने वाली मूंगफली इत्यादी फसलों के लिए प्रति वर्ष सफेद लट नामक कीट से होने वाले नुकसान को रोकने हेतु इस वर्ष 78-79 में कृषकों को नियंत्रक रसायन 75% अनुदान पर वितरण करने की योजना थो ?

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत कृषकों के नाम फर्जी वितरण बनाकर हजारों किलो रसायन बेच दिया गया ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने गम्भीर अनियमितता एवं राजकीय अनुदान राशि का दुरुपयोग मानते हुए किसी अधिकारी से जांच कराई ? यदि हां, तो उस जांच के परिणाम को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस गंभीर अनियमितता के बाद भी विभाग द्वारा अनुदान राशि का भुगतान किया जाकर इस कांड में सम्मिलित अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1978-79 में जयपुर जिले में मूंगफली की फसल में सफेद लट नियन्त्रण हेतु केन्द्र प्रवर्तित (आई.ओ.डी.पी.) योजना के अन्तर्गत कीटनाशक रसायन वितरण पर 75 प्रतिशत अनुदान (केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत) देने की योजना थी।

(2) रसायन वितरण में अनियमितता की जानकारी विभाग को प्राप्त हुई है जिस पर विभाग द्वारा जांच करवाई जा रही है।

(3) जी, नहीं। जयपुर जिले में अनुदान का भुगतान विभाग द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। जांच पूरी होने पर इस भुगतान के बारे में निर्णय लिया जावेगा।

जालौर क्षेत्र में पशु चिकित्सालय

808. श्री टीकम चन्दकान्त (जालोर): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मांडवला व सांघू जैसे जालौर क्षेत्र के ग्रामीण केन्द्रों के आस पास पशु संख्या काफी अधिक है ?

(श्री टीकम चन्द कान्त)

(2) क्या ऐसे ग्रामीण केन्द्रों पर पशु-चिकित्सालयों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है ?

(3) यदि हां, तो क्या इन केन्द्रों पर सरकार इस वर्ष पशु चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति देगी ? यदि नहीं, तो कब ?

उत्तर

(1) गांव की पशु संख्या उपलब्ध नहीं है।

(2) पशु चिकित्सालय/औषधालय खोलने में मापदण्ड अलग से बने हुए हैं

(3) विचार किया जावेगा।

सचिवालय पर वार्षिक खर्च

809. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान सचिवालय पर वार्षिक, स्टॉफ पर क्या खर्च होता है ?

(2) क्या इस खर्च में किसी तरह की कमी की जा सकती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या एक मंत्री, एक विभागीय सचिव, एक निजि सचिव, स्टेनो, एक लिपिक आदि के स्टॉफ से काम चलाया जा सकता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान सचिवालय पर स्टॉफ का वर्ष 1977-78 में 1,71,45,066.00 रुपया खर्च हुआ।

(2) जी नहीं। सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन समय समय पर प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कार्यभार के औचित्य की जांच के बाद आश्वस्त होने पर और वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाता है।

(3) जी नहीं।

हिण्डौन में श्रीराम यूरिया खाद का ब्लेक

810. श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या हिण्डौन में पिछले दो वर्षों से श्रीराम यूरिया का खुले ग्राम खाद विक्रेताओं द्वारा ब्लेक किया गया है और अधिकारी वर्ग खाद विक्रेताओं को संरक्षण देते हैं ?

(2) क्या खाद विक्रेताओं द्वारा खाद का ब्लेक करने पर किसानों से आए दिन झगड़े होते हैं और जिला कृषि अधिकारी खाद विक्रेताओं का पक्ष लेते हैं, जिससे अव्यवस्था अधिक बढ़ रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार खाद के ब्लेक को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

आर. ए. एस. एवं आर. पी. एस. परीक्षाओं के परिणाम

811. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या आर. ए. एस. और आर. पी. एस. की परीक्षाओं के नतीजे से अभी तक

(श्री शंकर लाल)
परीक्षार्थियों को लोक सेवा आयोग द्वारा न तो अवगत कराया गया है और न किसी को साक्षात्कार हेतु सूचित किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है और परीक्षाओं को हुए कितना समय व्यतीत हो गया है ?

(2) क्या परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों में गड़बड़ी की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार लोक सेवा आयोग की शिकायतों के बारे में कोई कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आर. ए. एस. एवं आर. पी. एस. आदि की लिखित परीक्षाओं के परिणाम दिनांक 17-3-79 को घोषित किए जा चुके हैं। साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा तारीखें निर्धारित की जा रही हैं।

परीक्षाओं को हुए लगभग 6 माह का समय व्यतीत हुआ है। ये परीक्षाएं राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं की संयुक्त परीक्षाएं हैं जिसमें 16,155 अभ्यार्थी बैठे थे। परीक्षा के आयोजन की विशालता को देखते हुए इसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक है।

(2) जी, नहीं।

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग के विषय में राज्य सरकार के समक्ष कोई स्पष्ट शिकायत आयेगी, तो उस पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही समुचित रूप से की जावेगी।

ब्यावर-विजयनगर सड़क की एप्रोच रोड

813. श्री नूरा (मसूदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर से विजयनगर जाने वाली सड़क से ग्राम जालिया पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर को मिलाने वाली कोई अप्रोच रोड नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि सड़क और ग्राम जालिया के बीच लगभग 4 फर्लांग का ही फासला है ?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य सड़क से जालिया ग्राम तक भारी आवागमन रहता है और लगभग प्रत्येक घण्टे में कोई न कोई वाहन वहां आता जाता रहता है ?

(4) क्या राज्य सरकार का इस सड़क के टुकड़े को (डामर रोड) एप्रोच रोड के रूप में बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) मुख्य सड़क से ग्राम जालिया के लिये आवागमन रहता है।

(4) जी हां, एप्रोच सड़क कानिया तक वर्तमान पंच वर्षीय योजना में प्रस्तावित है तथा जालिया (द्वितीय) इस सड़क पर पड़ता है।

सिरोही जिले में सीमेंट प्लान्ट

814. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सिरोही जिले से सीमेंट के दो बड़े प्लान्ट किवरली व बनास में कब काम शुरू करेंगे तथा इसी प्रकार के मिनी सीमेन्ट प्लान्ट का काम कब शुरू होगा ?

उत्तर

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1978 में दो पार्टियों श्री के. के. सोगानी व मै. स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि. को सिरोही जिले में क्रमश: किवरली व वनास में दो बड़े सीमेंट उद्योग स्थापित करने हेतु आशय-पत्र जारी किये गये। दोनों पार्टियों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। आशय पत्र की अवधि एक वर्ष की होती है। इसके बाद पार्टियों को भारत सरकार से लाइसेन्स प्राप्त करने होंगे। लाइसेन्स प्राप्ति की तिथि से दो वर्ष की समयावधि में उत्पादन प्रारम्भ करने की शर्त लाइसेन्स में होती है।

राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि., जयपुर को भी भारत सरकार द्वारा सिरोही जिले में आबूरोड़ अमरा किवरली में मिनी सीमेंट उद्योग लगाने हेतु वर्ष 1978 में आशय-पत्र प्राप्त हुआ हैं। निगम द्वारा इस परियोजना की संयुक्त क्षेत्र में शीघ्र क्रियान्विति करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार इन उद्योगों को शीघ्र लगवाने हेतु प्रयत्नशील है।

फागी क्षेत्र में पुलियाओं का निर्माण

815. श्री शिवचरण लुहाड़िया (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फागी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली कौनसी पुलिया व पुल का निर्माण कार्य कब से चालू कर रखा है ?

(2) क्या कोई पुलिया अब तक अपूर्ण है ? इसकी वजह क्या है ? यह कब तक बन कर पूरी हो जायेगी ?

उत्तर

(1) सांगानेर मालपुरा सड़क पर मासी नदी के काज-वे का कार्य तथा कि. मी. 45 में पुलिया का कार्य निर्माणाधीन है। मासी काज-वे का कार्य करीबन समाप्त हो चुका है पत्थर जुड़ाई का कार्य प्रगति पर है जो जल्द पूर्ण करा दिया जायेगा।

(2) जी हां, कि. मी. 45 में पुलिया का कार्य अपूर्ण है। ठेकेदार ने इसे अधूरा छोड़ दिया है जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर कार्य शीघ्र ही पूरा करवा दिया जावेगा।

राज्य में मारफीन का कारखाना लगाने का प्रस्ताव

816. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या मारफीन का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में राजस्थान में लगाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन काफी समय से था ?

(2) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है और इसके लिये कौनसा स्थान चुना है ?

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

(3) अन्यथा राजस्थान सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) मारफीन का कारखाना राजस्थान में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में लगाए जाने का प्रस्ताव मुख्य नियंत्रक, अफीम एवं एलकोलाइड फैक्ट्रीज, भारत सरकार के विचाराधीन था, परन्तु कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर अब यह कारखाना मध्यप्रदेश में लगाए जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(2) भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेकर फैक्ट्री मध्यप्रदेश में लगाने का निश्चय किया है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) चूंकि अफीम और एलकोलाइड सम्बन्धित कारखाने लगाने का कार्य भारत सरकार का मुख्य नियंत्रक ही करता है तथा भारत सरकार द्वारा ही स्थान आदि के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जाता है अतः राज्य सरकार इस संबंध में सिर्फ सिफारिश करता है तथा अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकती थी।

हनुमानगढ़ से टी.बी. तहसील तक पक्की सड़क

317. श्री डूंगरराम पंवार (टी.बी., गंगानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) हनुमानगढ़ से टी. बी. तहसील को पक्की सड़क से क्यों नहीं जोड़ा गया ?

(2) क्या गंगानगर जिले में केवल टी. बी. तहसील ही एक ऐसी तहसील है जो मुख्यालय से पक्की सड़क से जोड़ने से अभी तक वंचित रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ से टी. बी. तहसील को सड़क से जोड़ने के लिए कार्य हाथ में लिया गया है तथा कार्य चालू है।

(2) टी. बी. तहसील मुख्यालय से सड़क द्वारा सीधा जुड़ा हुआ नहीं है धनाभाव के कारण अभी यह कार्य पूरा नहीं हो पाया था।

चौमूं में गोंद मिल की स्थापना

818. श्री आर डी. यादव (चौमूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या चौमूं में गोंद मिल की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) चौमूं में गोंद मिल की स्थापना कब तक की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) चौमूं में गोंद मिल की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव उद्योग विभाग में विचाराधीन नहीं है। यदि कोई उद्यमी चौमूं में गोंद मिल लगाना चाहे तो उन्हें राज्य सरकार हर सम्भव उचित सहायता एवं सुविधा प्रदान करने हेतु तत्पर है।

बाण गंगा में आई बाढ़ से क्षति

819. श्री काशीनाथ गुप्ता (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1977 में बाण गंगा में आई बाढ़ के कारण भरतपुर-जयपुर मार्ग पर मोलोनी के पुल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी कोई मरम्मत नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि सन् 1978 में बाण गंगा की भारी बाढ़ के कारण पुल का बहुत बड़ा हिस्सा कतई ध्वस्त हो गया और उससे जुड़े हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग का लगभग डेढ़ सौ फीट लम्बा भाग बह गया जो नदी के लेवल से काफी नीचा हो गया ? यदि हां, तो इस बाढ़ के पश्चात् अब तक पुल के उक्त ध्वस्त भाग तथा सड़क के निर्माण की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या आगामी बरसात में यह पुल एवं सड़क यातायात एवं आवागमन के लिए खुली रह सकेगी ? यदि नहीं, तो इस अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च मार्ग को बरसात में भी निरन्तर चालू रखने के लिए क्या व्यवस्था की है जिससे बड़ी संख्या में राजस्थान आने वाले पर्यटकों तथा पड़ोसी प्रान्त उत्तर प्रदेश से राज्य की राजधानी से सम्बन्ध जुड़ा रहे ?

(4) राजस्थान को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रान्तों से मिलाने वाले इस प्रमुखतम राष्ट्रीय उच्च मार्ग के वर्षा के दिनों कतई अवरुद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति की और राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पिछले दो वर्षों में कब कब और क्या क्या प्रयास किये हैं, उन प्रयासों का क्या परिणाम रहा है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1977 की बाढ़ में 69 मोरी में 14 मोरी क्षतिग्रस्त हो गई थीं। तथा इन्हें मरम्मत कराकर बन्द कर दिया गया था।

(2) वर्ष 1978 में बाढ़ के कारण पुल व इसके साथ सड़क का 121 मीटर लम्बा भाग टूट गया था इसे मरम्मत कराकर आवागमन हेतु रास्ता ठीक कर दिया गया था।

(3) जी हां। आगामी बरसात से पूर्व पुल के साथ सड़क भी ठीक कर, आवागमन हेतु खोल दी जायेगी। अन्य सुरक्षात्मक कार्य भी करवाये गये हैं।

(4) भरतपुर-जयपुर मार्ग पर एक नया पुल बनाने हेतु विस्तृत तखमीना तैयार कर परिवहन मंत्रालय को भेज दिया गया है स्वीकृत होने पर कार्य शुरू करवा दिया जायेगा।

सूर्य मंदिर, झालरापाटन की सुरक्षा

820. श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन नगर में बहुत ही पुराना एवं भव्य सूर्य

(श्री निर्मल कुमार)
मंदिर है जिसको देखने के लिए विदेशी पर्यटक जाते थे ?

(2) क्या यह सही है कि इस मन्दिर की उचित देखभाल न होने के कारण मंदिर जीर्णशीर्ण स्थिति में हो रहा है ?

(3) इस मन्दिर की कलात्मक कारीगरी को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) मन्दिर की कलात्मक कारीगरी को सुरक्षित रखने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा रहा है, मन्दिर की मरम्मत हेतु मामला सरकार के विचाराधीन है।

टोंक जिले के उद्योगों का विकास

821. श्री अजीतसिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या टोंक जिले को उद्योग विभाग ने पिछड़ा जिला घोषित कर रखा है ?

(2) क्या टोंक में जिला उद्योग कार्यालय की स्थापना की जा चुकी है ?

(3) क्या टोंक में लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए प्लाट प्राप्त करने हेतु आवेदन मय फीस के जमा करा दिये हैं ?

(4) क्या टोंक शहर में अभी तक इन्डस्ट्रीज एस्टेट की स्थापना व विकास नहीं हुआ है ?

(5) क्या यह उचित है कि सारे खर्चे करने के बाद भी विभाग उद्योग क्षेत्र स्थापित करने में असफल रहा है ?

उत्तर

(1) टोंक जिले को भारत सरकार की योजना आयोग द्वारा वर्ष 1970 में ही पिछड़ा जिला घोषित कर दिया था।

(2) टोंक जिले में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है तथा वहां पर उप निदेशक (आधारभूत) की नियुक्ति भी की जा चुकी है।

(3) टोंक में उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदन-पत्र मय धरोहर राशि के प्राप्त नहीं हुये हैं।

(4) टोंक शहर में पहले राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को 100 एकड़ राजकीय भूमि औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु आवंटित की गई थी। औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों के विकास का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया एवं जल व्यवस्था हेतु कुआ भी खोदा गया। लगभग एक लाख रुपये को राशि इस कार्य पर निगम ने व्यय की बाद में यह निर्णय हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास कार्य बन्द कर दिया जाये क्योंकि उद्यमी इस क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिये तैयार नहीं थे एवं इस क्षेत्र में पर्याप्त जल भी उपलब्ध नहीं था साथ ही यह क्षेत्र शहर से दूर होने के कारण उद्यमियों ने भी अपनी अनिच्छा प्रकट की। इस क्षेत्र में 13 भू-खण्ड आवंटित किये गये जिसमें से एक उद्यमी ने लीज डीड करवाई एवं बाकी उद्यमियों ने लीज डीड न

(उद्योग मंत्री)

करवाई और न ही पैसे जमा करवाये। 5 भू-खण्डों का आवंटन निरस्त कर दिया गया।

(5) भाग एक में निगम द्वारा किये गये प्रयासों के उपरान्त भी उद्यमियों द्वारा रुचि नहीं लेने के कारण और पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होने के कारण निगम को इस क्षेत्र का विकास कार्य बन्द करना पड़ा।

ग्राम पड़ाना में पानी न मिलने के अभाव में पड़त भूमि

822. श्री सैयद मंजूर अली (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बन्ध सूखाल तहसील जिला सवाई माधोपुर का ग्राम पडाना तहसील सवाई माधोपुर में कितना कमाण्ड एरिया है ?

(2) उपरोक्त मजकूर कमाण्ड एरिया ग्राम पड़ाना में से कितना एरिया बीज बोने के पहले पलाव के लिए उपलब्ध था ?

(3) उक्त ग्राम पड़ाना में मौजूदा फसल रबी (अहालू) में कितना रकबा पड़त रहा है ?

(4) क्या यह सही नहीं है कि इस ग्राम पड़ाना में पलाव के लिए नहर का पानी न देने के कारण सैंकड़ों बीघा रकबा बगैर काश्त रह गया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की गफलत या शरारत के कारण हजारों मन गल्ला पैदा करने वाली अराजीयात पड़त रह गई ?

(5) क्या यह सही नहीं है कि श्री रामगोपाल, भूतपूर्व सरपंच, जटवाड़ा कलां व अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंचाई, सवाई माधोपुर को इस प्रकार रही पड़त जमीनों का निरीक्षण कराने को कहा और फिर मौका दिखाया ?

(6) इन जमीनों के इस प्रकार पड़त रहने में क्या सिंचाई विभाग के अधिकारियों की शरारत की दखल नहीं है ?

(7) क्या राज्य सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ कोई प्रशासनिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्या अब राज्य सरकार कोई कार्यवाही करना उचित समझेगी ?

उत्तर

(1) बांध सूखाल के अन्तर्गत पड़ाना ग्राम राज्य सरकार द्वारा कमाण्ड एरिया में घोषित नहीं किया हुआ है। घोषित किए हुए ग्रामों की सूची 'क' संलग्न है।

(2) कमाण्ड क्षेत्र में ग्राम पड़ाना का क्षेत्र सम्मिलित नहीं होने के कारण इस प्रकार की सूचना विभाग द्वारा नहीं रखी जाती।

(3) जी हां। गांव का कोई भी क्षेत्र कमाण्ड में नहीं होने के कारण प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) कुछ कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियन्ता का ध्यान आकर्षित किया था, तथा अधिशासी अभियन्ता ने निरीक्षण किया।

(5) इसका उत्तर खण्ड 4 में दिया जा चुका है।

(6) प्रश्न नहीं उठता।

(182)

तारांकित प्रश्न 822 का राज-पत्र

राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) उप-खण्ड (II) दिनांक 6-9-1969

राजस्व उपनिवेशन विभाग अधिसूचनाएं संख्या प. 24 (4) राज/उप/68, दिनांक 5-8-1969

एस. ओ. 65—:राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 2 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 में वर्णित परियोजनाओं द्वारा सिंचित तथा उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 में वर्णित गांवों को सम्मिलित करने वाले क्षेत्रों पर किन्तु उसके स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट खसरा नम्बर में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

क्रम सं.	परियोजना	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	स्तम्भ 5 में वर्णित गांवों का खसरा जो उपर्युक्त द्वारा समाविष्ट नहीं हैं।
1	2	3	4	5	6
1.	बांध सूखाल	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	गोठडा	निल
2.				मऊ	,,
3.				सामोता	,,
4.				अजनोती	,,
5.				सूखाल	,,
6.				मेनपुरा	,,
7.				कोसाली	,,
8.				जडावता	,,
9.				खाट कलां	,,
10.				खाट खूर्द	,,
11.				सेलू	,,
12.				दोवड़ा	,,
13.				दुब्बी खुर्द	,,
14.				भंस खेड़ा	,,
15.				गोगोर	,,
16.				धनोली	,,

1	2	3	4	5	6
		राजस्थान राज-पत्र 19-8-1976, भाग 1 (ख) संख्या एफ. 18(36) राज/उप/76, दिनांक 29-6-1976			
17.				कानसीर	निल
18				नौवड़दा	,,

राज्यपाल के आदेश से,

ह.

शासन सचिव (उपनिवेशन) (1)

सिपाही को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति

824. श्री मनीराम आर्य (तारानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस के सिपाही को कनिष्ठ लिपिक बनाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो आज तक गत दो साल में कितने सिपाहियों को क्लर्क बनाया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन अनुभवी व योग्य सिपाहियों को एल.डी.सी. नहीं बनाकर नये दसवीं पास व्यक्तियों को एस.पी. व डी. आई. जी.पी सीधी भर्ती मनमर्जी से करते हैं ? यदि हां, तो यह असंगति क्यों व किस नियम के तहत होती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

बड़गाव नदी की पक्की नहर बनाना

825. श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बड़गांव की नदी पर जिला जालौर में एक पक्की नहर का निर्माण करीब 5-6 साल पहले किया गया है ? अगर हां, तो इस नहर का निर्माण कब हुआ और किन-किन ठेकेदारों द्वारा निर्माण करवाया गया और इस नहर पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है इस नहर से रानीवाडा क्षेत्र में विशेष लाभ नहीं हुआ ? अगर हां, तो कितना क्षेत्रफल उस नहर से सिंचित होता है-और किन किन गांवों में सिंचाई मौजूदा समय में हो रही है ?

(3) क्या यह भी सही है इस नहर को बनाये थोड़ा ही समय हुआ है परन्तु नहर में सीमेन्ट की, का गई फर्श की लिपाई-पोताई टूट गई है ? इसका क्या कारण है, तथा सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि यह नहर बनाने वाले ठेकेदार ने सीमेन्ट काम में नहीं लिया तथा उसे विभागीय अधिकारियों के साथ मिल कर काला बाजार में बेच दिया ?

(श्री रतनाराम चौधरी)

(5) क्या सरकार इस कार्य की जांच किसी ईमानदार अफसर से करवा कर, दोषी व्यक्तियों को उचित दण्ड दिया जायगा?

उत्तर

(1) जी हां।

नहर का निर्माण 1975-76 में कराया गया था नहर का कार्य मोहन श्रमिक, सहकारी समिति, रानीवाडा, मैसर्स खेवरचन्द, जोधपुर, गजेन्द्र सिंह लिमिटेड जोधपुर, शिवनाथ ठेकेदार जोधपुर, शिवसिंह भाटी जोधपुर, शक्ती सिंह जोधपुर व मैसर्स रमेश श्रमिक ठेका सहकारी समिति द्वारा कराया गया था। इस पर 11.13 लाख रु. खर्च हुए हैं।

(2) जी नहीं।

रानीवाडा क्षेत्र में नहर से सिंचाई का लाभ मिल रहा है। इस वर्ष भी 321 बीघा में सिंचाई हुई हैं। अभी वर्तमान में इस नहर से मोखमपुरा, बड़वाला, सिंहमवास क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल रही है।

(3) जी नहीं।

सीमेन्ट के कारण नहर नहीं टूटी। वर्ष 1976 में नदी में बाढ़ के कारण नहर टूट गई थी जिसे ठीक कर लिया गया है।

(4) जी नहीं।

नहर के निर्माण कार्य में सीमेन्ट आवश्यकतानुसार ही लगाई गई। बाजार में सीमेन्ट बेचने का कोई तथ्य ध्यान में नहीं आया।

(5) जी नहीं।

जांच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

भू. पू. थानेदार सुनेल द्वारा रिश्वत लेने का मामला

826. श्री बालचन्द आर्य (डग) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में सुनेल कस्बे के भूतपूर्व थानेदार श्री जगदीशचन्द्र शर्मा ने बड़ी चछलाव ग्राम के श्री मांगीलाल पिता श्री गंगारामजी पाटीदार से दिनांक 2 अगस्त, 1978 को प्रातःकाल 6.30 बजे 4,000 रु. रिश्वत के लिये?

(2) क्या यह भी सही है कि सुनेल कस्बे की जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री कैलाश खण्डेलवाल के सामने थाने में थानेदार ने 4000 रु. 7 अगस्त, 1978 को उनको वापस लौटाये?

(3) राज्य सरकार ने अभी तक इस प्रकार के रिश्वतखोर थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) अभी अपर पुलिस महा निरीक्षक (सतर्कता) राजस्थान, जयपुर द्वारा जांच विचाराधीन है।

(2) जांच विचाराधीन है।

(3) जांच विचाराधीन है।

राज्य में 220 एवं 132 के. वी. की विद्युत लाइनें

827. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़)—क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में 220 एवं 132 के. वी. की विद्युत लाइन की कितनी योजनाएं निर्माणाधीन हैं और कितनी लागत से इनका निर्माण होगा।

(2) इन वृहद् विद्युत योजनाओं पर अब तक कितना वास्तविक कार्य हो चुका है और कुल कितना खर्च हुआ है ? कृपया यह बताने का भी कष्ट करें कि कितने का साज सामान और कितने का निमाण कार्य हुआ है। पृथक्-पृथक् योजनावार खर्च बतावें।

(3) क्या लगभग 15 करोड़ रुपयों से निर्मित होने वाली इन वृहद् विद्युत् योजनाओं में से अभी तक रतनगढ़, कोटा, खेतड़ी, भीलवाड़ा, ब्यावर, जोधपुर, हिण्डौन, धौलपुर लाइनों पर कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ है। ये योजनाएं कब से निर्माणाधीन हैं ? कार्य प्रारम्भ किये जाने में क्या-क्या कठिनाई कब से चली आ रही है ? इन बाधाओं को दूर किये जाने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष 1978-79 तक निर्माण हेतु स्वीकृत 220 के. वी. व 132 के. वी. की विद्युत लाइनों में से 15 योजनाएं वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। इन सब योजनाओं की कुल अनुमानित लागत 36.135 करोड़ रुपये है।

(2) इन योजनाओं पर माह जनवरी 79 तक लगभग 17.566 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। माह फरवरी व मार्च 79 के खर्च के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। वास्तविक कार्य व योजनावार खर्च का विवरण संलग्न तालिका 'अ' में दर्शाया गया है। साज सामान व निर्माण पर खर्च का अलग-अलग ब्योरा अकाउन्ट्स तैयार होने पर ही दिया जा सकता है।

(3) जी नहीं। कोटा, भीलवाड़ा, ब्यावर व खेतड़ी-रतनगढ़ 220 के. वी. की तथा हिण्डौन-धौलपुर 132 के. वी. लाइनें वर्ष 1977-78 से निर्माणाधीन हैं। इन पर निर्माण कार्य वर्ष 1977-78 में ही प्रारम्भ हो चुका है। जोधपुर पर 132 के. वी. सब स्टेशन पहिले से ही चालू है। इन योजनाओं को पूरा करने में निर्माण क्षमता की वजह से कठिनाई नहीं आ रही है अपितु इसके मुख्य कारण भूमि समय पर अवाप्त न होना व आवश्यक सामान यथा टावर के लिये स्टील के दुर्लभ सेक्शन, क्वालिटी नट बोल्ट, ई. सी. ग्रेड, एल्यूमिनियम डिस्क इन्सेलेटर का समय पर उपलब्ध न होना आदि हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण सूची 'ब' में दे दिया गया है। सामान का यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र क्रय कर व भूमि शीघ्र अवाप्त कर मण्डल इन लाइनों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरी करने के लिए प्रयत्नशील है।

सूची 'अ'

अतिरिक्त उच्च प्रसारण लाइनों की स्थिति बताते हुए विवरण

(दिनांक 1-4-79 को)

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत	31-3-78 तक खर्च की गई राशि	1978–79 को वार्षिक संशोधित योजना में प्रावधान	1-4-78 से 31-1-79 तक किये गये खर्चों की राशि	1978–79 के लिए अनुमोदित प्रावधान	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
			(राशि लाख रुपयों में)				
(अ)	220 के.वी. योजनायें :						
(1)	दादरी–खेतड़ी–जयपुर योजना (210.868 किलो मीटर्स) (क) दादरी–खेतड़ी सैक्शन (71.2 किलो मीटर्स)	665.0	532.11	169.50	99.70	10.00	220 के.वी. दादरी-खेतड़ी लाइन का हिस्सा पूरा करके दिनांक 9-3-78 को लाइन चालू कर दी गई है।

(ख) खेतड़ी जयपुर सैक्शन (139.668 कि.मी.)

खेतड़ी से जयपुर की 220 के. वी. लाइन का हिस्सा करीब पूरा किया जा चुका है। केवल 0.93 किलो मीटर भाग में खेतड़ी ग्रिड सब स्टेशन के समीप तार खेंचने का काम बचा हुआ है जो खेतड़ी सब स्टेशन के लिए अतिरिक्त भूमि की अवाप्ति होने के पश्चात् पूरा किया जा सकेगा। खेतड़ी पर अतिरिक्त उपकरण प्रतिस्थापित किये जाने व रेल्वे से क्लीयरेंस मिलने के बाद इस लाइन को चालू कर दिया जायगा। खेतड़ी सब स्टेशन पर एक्सटेंशन के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्त न होना इस कार्य में मुख्य बाधा रही है। भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 17 के अंतर्गत दिनांक 13-12-78 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करा दी गई है। वर्तमान अनुमानों के आधार पर माह अप्रेल 79 के अन्त तक इस भूमि के अधिग्रहण की सम्भावना है। भूमि अवाप्ति के बाद इ

1	2	3	4	5	6	7	8
							कार्य के पूरा होने की संभावना है। भूमि अवाप्ति के पश्चात् इस भूमि को सफाई करके खेतड़ी ग्रिड सब स्टेशन का विस्तारण सम्भव हो सकेगा। अतः इस कार्य के पूर्ण होने में लगभग 8 माह का समय लगने की संभावना है। तथापि खेतड़ी से जयपुर लाइन के जुलाई, 79 तक चालू हो जाने की संभावना है।
2.	कोटा–भीलवाड़ा–ब्यावर (क) 220 के.वी. डबल सर्किट कोटा–भीलवाड़ा लाइन (130 कि.मी.)	877.00	51.57	312.00	220.50	425.0	लाइन का विस्तृत सर्वे करीब करीब पूरा किया जा चुका है तथा इस लाइन में 402 टावर लगाने का अनुमान है जिनमें से 384 स्थानों पर स्टब सेटिंग एवं कोंक्रेटिंग आदि का कार्य पूरा हो गया है तथा 45 पर टावर भी खड़े कर दिये गये हैं। स्ट्रक्चर खड़े करने का आगे का कार्य फर्मों से टावर प्राप्त नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका है। इस कार्य में सबसे अधिक बाधा भीलवाड़ा

			में 220 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन पर भूमि अवाप्त न होना है। राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है परन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी, भीलवाड़ा से धारा 4(5) के अधीन सिफारिश नहीं आने के कारण अधिनियम की धारा 17 के अधीन अधिसूचना जारी करने में विलम्ब हो रहा है। भूमि अवाप्ति के बाद ग्रिड सब स्टेशन पर कार्य पूर्ण करने में करीब 8 माह का समय लगने की संभावना है। अगर कोई अप्रत्याशित कठिनाई नहीं आई और माह अप्रेल 79 में भूमि अवाप्त हो गई तो इस लाइन का आवश्यक भाग दिसम्बर, 79 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।
(ख) 220 के. वी. सिंगल सर्किट भीलवाड़ा-ब्यावर सैक्शन (95 कि. मी.)	3	र	लाइन का विस्तृत सर्वे करीब करीब पूरा किया जा चुका है तथा इस लाइन में 278 टावर लगने का अनुमान है जिनमें से 200 टावर्स के स्थानों पर स्टब सेटिंग एवं कांक्रिटिंग का कार्य पूरा

1	2	3	4	5	6	7	8
							कर लिया गया है। टावर खड़े करने का कार्य टावर का सामान फर्म से प्राप्त न होने के कारण शुरू नहीं किया जा सका है जिसका मुख्य कारण दुर्लभ स्टील का न मिलना रहा है।
(3)	खेतड़ी-रतनगढ़ योजना (120 कि. मी.)	394.00	23.37	200.00	8.85	140.00	विस्तृत मार्गीय सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इस लाइन में करीब 372 टावर लगाने का अनुमान है जिनमें से 120 स्थानों पर स्टब सेटिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। स्टील स्ट्रक्चर समय पर न प्राप्त होने के कारण फर्म द्वारा मण्डल को यह स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं हो सके हैं। इनके माह मई, 79 से माह अगस्त, 79 के अन्त तक पूरा प्राप्त होने का अनुमान है इसके बाद इन स्ट्रक्चरर्स को खड़ा करने का कार्य मई, 79 के उत्तरार्द्ध में शुरू किया जा सकेगा।

इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा रतनगढ़ पर 220 के.वी. सब स्टेशन के लिए भूमि अवाप्ति की रही है। यद्यपि जिलाधीश, चूरू द्वारा स्वीच यार्ड के लिए आवन्टन के आदेश जनवरी, 79 को दे दिये गये हैं परन्तु कब्रिस्तान होने के कारण जनता द्वारा इस भूमि को अधिग्रहीत करने में आपत्ति की गई। तथापि इसके लिए, दूसरे स्थान का चयन हो गया है। जो भूमि वन विभाग के अधीन है। डिवीज़नल वन अधिकारी, बीकानेर ने इसके लिए अब अपनी स्वीकृति दिनांक 8–3–79 को दे दी है। कालोनी के विस्तार के लिए जिस भूमि की आवश्यकता है उसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 व 17 के अधीन अधिसूचना जारी की जा चुकी है तथा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है। भूमि अवाप्ति के बाद ग्रिड सब स्टेशन के कार्य को आवश्यक भाग पूरा करने में करीब 8 माह का समय

1	2	3	4	5	6	7	8
							लगेगा। जिसे माह दिसम्बर, 79 तक पूरा करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा।
योग (प्र) ..		1936.00	607.05	681.50	329.05	575.00	
4.	जोधपुर-देचू योजना (100.63 कि.मी.)	193.00	173.73	35.00	34.69	1.00	लाइन का कार्य 31-5-78 को पूर्ण किया जा चुका है तथा तिवरी–देचू लाइन को 33 के.वी. पर चालू कर रखा है। देचू पर ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस लाइन के सब स्टेशन सहित माह मई, 79 में पूरा किये जाने की संभावना है।
5.	देचू-पोकरण योजना (50 कि.मी.)	136.00	.65 (+) 132.11 (डी.पी.ए.पी) =158.66	2.00	15.45	3.00	लाइन का कार्य दिनांक 26-1-78 को पूर्ण किया जाकर लाइन को जैसलमेर तक 33 के.वी. पर दिनांक 26-1-78 से चालू किया जा चुका है। ग्रिड सब स्टेशन पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

6.	ब्यावर मेड़ता योजना (70 कि.मी.)	156.00	95.25	57.00	35.1	4.00	लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस लाइन में 218 टावर लगने का अनुमान है जिसमें से 207 स्थानों पर स्टब सैटिंग एवं कांक्रेटिंग आदि का कार्य पूरा हो गया है तथा 190 पर टावर खड़े कर दिये गये हैं। 48 किलोमीटर लाइन पर तार खेंचे जा चुके हैं। टावर स्ट्रक्चर फर्म से प्राप्त न होने के कारण इस लाइन के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई है। मेड़ता पर ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के लिये भूमि अभी हाल ही में अधिग्रहीत की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।
7.	कोटा-बून्दी योजना (35 कि. मी.)	109.00	59.00	44.00	33.41	6.00	सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है 104 में से 92 स्थानों पर स्टब सैटिंग व कांक्रेटिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 62 टावर्स भी खड़े किये जा चुके हैं तथा 15 किलोमीटर लाइन के तार खेंचे जा चुके हैं। फर्म से स्ट्रक्चर प्राप्त न होने के कारण लाइन की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। काफी

1	2	3	4	5	6	7	8
							प्रयत्नों के बाद बून्दी पर ग्रिड सब स्टेशन के लिए दिनांक 28–2–79 को भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।
8.	निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ योजना (37.5 कि.मी)	108.00	0.70	84.00	26.58	23.00	37.5 कि. मी. की कुल लम्बाई में से 35 कि.मी. की लम्बाई तक तार खेंचे जा चुके हैं और निम्बाहेड़ा से सावा तक के भाग को 33 के. वी. पर निम्बाहेड़ा सब स्टेशन से चालू कर दिया गया है। इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा चित्तौड़गढ़ में सब स्टेशन के लिए भूमि की अवाप्ति न होना है। अधिनियम की धारा 4 (1) के अधीन अधिसूचना विद्युत् विभाग द्वारा दिनांक 14-2-79 को जारी की जा चुकी है। भूमि अवाप्ति अधिकारी से सिफारिश प्राप्त होने के बाद धारा 6 व 17 के अधीन अधिचसूना जारी करने की कार्यवाही की जायगी।
9.	निम्बाहेड़ा-प्रतापगढ़ योजना (66 कि.मी.)	152.00	48.77	35.00	15.14	68.00	सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है। कांक्रीटिंग एवं स्टब सैटिंग का कार्य अभी

							हाल ही में शुरू किया गया है तथा 21 स्थानों पर पूरा भी कर लिया गया है।
10.	कोटा-मोडक-झालावाड़ योजना (90 कि. मी.)	262.00	—	100.00	40.96	150.00	कोटा से मोडक तक लाइन के लिए सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा मोडक से झालावाड़ का सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। स्टब प्राप्त होने के पश्चात् स्टब सेटिंग कांक्रेटिंग का कार्य शुरू किया जा सकेगा। माह अप्रेल, 79 में स्टब मिलने की संभावना है। मोडक में ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए करीबन 15.4 एकड भूमि की आवश्यकता थी जिसमें से 7.4 एकड़ का कब्जा लिया जा चुका है तथा बाकी के आवंटन के बारे में दिनांक 22-3-79 को आदेश जारी किये जा चुके हैं। झालावाड़ ग्रिड सब स्टेशन के लिए भूमि का कब्जा लिया जा चुका है।
11.	हिन्डीन-धौलपुर योजना (90. कि. मी.)	222.00	5.08	109.00	15.60	106.00	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। माह अप्रेल-मई 79 तक स्टब मिलने की तथा माह जून-जुलाई तक स्ट्रक्चर प्राप्त होने की आशा है। स्टब प्राप्त होते ही स्टब सेटिंग एवं कांक्रेटिंग का कार्य हाथ में लिया जायगा। धौलपुर पर ग्रिड सब स्टेशन के लिए जमीन का कब्जा माह जनवरी, 79 में लिया जा चुका है तथा सिविल वर्क्स का कार्य भी हाथ में ले लिया गया है तथा वहां सिविल कार्यों के लिए निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं।
12.	सूरतगढ़-पदमपुर योजना (65 कि. मी.)	171.00	1.09	186.00	17.88	60.00	इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा सूरतगढ़ व पदमपुर में ग्रिड सब स्टेशन के लिए जमीन का अधिग्रहण न होने की रही है। सूरत-

1	2	3	4	5	6	7	8
							गढ़ में जमीन प्राप्त करने के लिए मामला आयुक्त, राजस्थान नहर परियोजना के साथ विचार-विमर्श में है तथा पदमपुर के लिए भी मामला प्रगति पर है।
13.	चम्बल ग्रिड सब स्टेशन से पुराना घाट 132 के.वी. लाइन	81.00	—	36.00	1.61	45.00	पुराने घाट में भूमि अवाप्ति में दिक्कत आ रही है क्योंकि वांछित भूमि पहले ही पशु पालन विभाग द्वारा ली जा चुकी है। इस मामले में आगे कार्यवाही की जा रही है।
	योग 'ब'	1590.00	410.21 + 132.11 (डी.पी.ए.पी.) =542.32	608.00	236.42	466.00	
	योग : 'अ' व 'ब'	3520.00	1017.26 + 132.11 (डी. पी. ए. पी.) =1149.37	1289.50	565.47	2041.00	

(स मरु वकास कार्यक्रम के अधीनस्थ कार्य

14. 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन, फतेहपुर	75.00	–	40.00	28.73	50.00	सीकर रतनगढ़ मार्ग पर ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है। ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कार्य भूमि के अधिग्रहण के बाद हाथ में लिया जा सकेगा।
15. 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन सीकर (आगमेन्टेशन)	12.50	–	12.50	13.06		
योग 'स'	87.5	–	52.50	41.79	50.00	
योग 'अ' 'ब' व 'स'	3613.5	1017.26 + 132.11 (डी. पी. ए. पी.) = 1149.37	1342.00	607.26	1091.00	

गोगुन्दा में हैंड पम्प के घोटाले

828. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री भूरालाल (गो गुन्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पंचायत समिति गोगुन्दा के हैंड पम्प घोटाले के सम्बन्ध में 18 मार्च, 1978 को प्रश्न पूछा गया था ? यदि हां, तो उसमें राज्य सरकार ने सम्बन्धित कर्मचारी एवं उस समय के प्रधान श्री कृष्ण गोपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की एवं अब तक उक्त जांच की क्या अवस्था है ?

उत्तर

जी हां । विभागीय जांच पूर्ण की जाकर श्री सर्वदानन्द भूतपूर्व विकास अधिकारी श्री भंवरलाल मूंदड़ा ओवरसीयर एवं भीमसिंह लेखा लिपिक पंचायत समिति गोगुन्दा उदयपुर को नीचे लिखे अनुसार दण्ड दिया जा चुका है ।

1. श्री सर्वदानन्द भूतपूर्व विकास अधिकारी, पंचायत समिति गोगुन्दा की तीन वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी जा चुकी हैं तथा निलम्बन काल का निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त वेतन नहीं चुकाने का दण्ड दिया गया है ।

2. सर्व श्री भंवरलाल ओवरसीयर एवं भीमसिंह लेखा लिपिक की दो-दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया जा चुका है ।

भूतपूर्व प्रधान, पंचायत समिति गोगुन्दा के सम्बन्ध में जिलाधीश, उदयपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

राज्य में नवीन न्यायालयों की स्थापना

829. श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : क्या विधि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने नवीन न्यायालय स्थापित किये जा रहे हैं तथा कौन-कौनसी श्रेणी के स्थापित किये जा रहे हैं ?

(2) राज्य सरकार ने राजस्थान के निवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए क्या क्या नये कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में 48 नये न्यायालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिनमें से 9 न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश के तथा 39 न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटों के होंगे । इस सम्बन्ध में सप्तम वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है ।

(2) राज्य में सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए सरकार ने मण्डल मुख्यालयों पर 1-1 श्रम औद्योगिक एवं भ्रष्टाचार निरोधक मामलों के न्यायालय स्थापित किये हैं दो अतिरिक्त जिला एवं सेशन्स न्यायाधीशों के पद जयपुर में तथा एक पद धौलपुर में समर्पित डाकूओं की अनवीक्षा हेतु स्थापित किये हैं । दो पद यातायात मजिस्ट्रेटों के बढ़ाये गये हैं तथा मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों को 50 शीघ्रलिपिक दिये गये हैं । नये न्यायालय खोलने का प्रस्ताव है उससे भी सस्ता एवं सुलभ न्याय मिलेगा ।

थाना जमुआ रामगढ़ में दर्ज हत्या का मामला

830. श्री जयनारायण सालोलिया (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या थाना जमुआ रामगढ़ में माह अगस्त-सितम्बर, 1978 में सरजोली ग्राम में मीना जाति की महिला श्रीमती लाड़ा द्वारा अपनी ननद, जो एक अबोध बालिका थी, का गला घोटकर हत्या कर दी थी, की रिपोर्ट दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो कौनसी तारीख को किसके द्वारा ?

(2) क्या श्रीमती लाड़ा ने बच्ची को मार कर कुएं में डाल दिया और ऊपर से झाड़ डाल दिये थे ? यदि हां, तो लाश को कितने दिन बाद बाहर निकाला गया ?

(3) क्या श्रीमती लाड़ा के पति श्री रामसहाय ने बिना पोस्टमार्टम के ही पुलिस थानेदार श्री बाबू लाल को राजी करके बच्ची का दाह संस्कार कर दिया ?

(4) क्या इस कांड की जानकारी जब जमुआ रामगढ़ तहसील के मीना समाज को हुई तो समाज ने इस पर विचार के लिये दिनांक 24-9-78 को पंचायत बुलाई ? यदि हां, तो उस पंचायत में क्या निर्णय लिया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। लाश 4 दिन बाद कुएं में तैरती पाई जाने पर बाहर निकाली गई।

(3) जी नहीं।

(4) इस विषय में सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

अनुसूचित जाति/जन जाति के स्नातक बेरोजगारों को दिये जाने वाला बेरोजगारी भत्ता

831. श्री बत्ती लाल मीना (टोडाभीम) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के स्नातक बेरोजगारों को 150 रु. तथा स्नातकोत्तर को 250 रु. प्रति माह बेरोजगार भत्ता देकर विभिन्न कार्यालयों में 8 घन्टे ड्यूटी पर लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह कार्यक्षमता के शोषण का ही एक रूप माना जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या यह 150 रु. और 250 रु. प्रति माह अपने निवास से दूर रह कर 8 घण्टे प्रति दिन की ड्यूटी देने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त है ? यदि पर्याप्त नहीं है, तो क्या राज्य सरकार उन्हें उनकी कार्यक्षमता का उचित प्रतिफल देने का इरादा रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस विषय पर कई बार राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ? यदि हां, तो इसका समाधान करने का राज्य सरकार क्या इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। कार्यानुभव पर लगाया जाता है किन्तु 8 घन्टे की ड्यूटी आवश्यक नहीं है। कार्यानुभव पर लगाना शोषण का रूप नहीं है बल्कि यह कार्य क्षमता बढ़ाने के लिये किया जाता है। कार्यानुभव पर जहां

(श्री समाज कल्याण मंत्री)
तक संभव हो उनके निवास के नजदीक ही लगाया जाता है बेरोजगारी के काल के लिये जो वृतिका की राशि दी जाती है वह पर्याप्त है।

(2) जी हां। ध्यान आकर्षित किया गया है। समस्या कुछ है ही नहीं अतः समाधान का प्रश्न नहीं उठता।

बड़ी सादड़ी को पंचायत समिति बनाने का मामला

832. श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) को अलग से पंचायत समिति बनाये जाने के औचित्य को जिला विकास अभिकरण चित्तौड़गढ़ ने सर्वानुमति से स्वीकारा है तथा प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भिजवाया है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इस पर अपना निर्णय कर पंचायत समिति, बड़ी सादड़ी की घोषणा कर सकेगी ?

उत्तर

जी हां। इस सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 6-12-77 द्वारा पंचायत समितियों की सीमाओं को यथावत रखने का निर्णय लिया जा चुका है। अतः वर्तमान में इस मामले पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

सरपंच ग्राम पंचायत महस्वा के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें

833. ओंकारलाल चौहान (अटरू): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत महस्वा, पंचायत समिति टोडाभीम (जिला सवाई माधोपुर) के वर्तमान सरपंच श्री नारायण मीना को गंभीर अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं गबन के आरोपों में 6 वर्ष तक चुनाव न लड़ने को अयोग्य घोषित किया था तथा गबन राशि की रिकवरी के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के इस आदेश के बिना निरस्त किये विभाग ने कानूनों की अवहेलना कर कोई गोलमाल पत्र द्वारा श्री नारायण को चुनाव लड़ने की आज्ञा दी थी जबकि राज्य सरकार का आदेश अभी भी लागू है ?

(3) क्या राज्य सरकार सरपंच को निलंबित कर इसकी जांच करेगी कि कानून एवं आदेश की अवेहलना क्यों की गई और दोषी व्यक्ति को दण्डित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्यादेश दिनांक 22-2-77 द्वारा परिनिर्णय लेखबद्ध किया जाकर राशि मय ब्याज के वसूल करने हेतु जिलाधीश को लिखा गया।

(2) जी नहीं। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 70 (बी) के अन्तर्गत रिव्यू प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर उस पर विचार किये जाने के बाद दिये गये निर्णय दिनांक 21-1-78 के अनुसार ही विभागीय आदेश दिनांक 24-1-78 जारी किये गये।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-3-79)

ग्राम पंचायत गड़वारा द्वारा आबादी में परिवर्तित कराई जमीन

516. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत गड़वारा ने जैतपुर ग्राम में पिछड़े व गरीब वर्ग के आवास की समस्या को हल करने के लिये खसरा नम्बर 84/1, 7 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि खरीदी और उसे आबादी में परिवर्तित करा दी है ?

(2) यह भूमि किस उपयोग में आ रही है और क्या यह भूमि जिस उद्देश्य के लिये ली गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि कलेक्टर पाली ने इस भूमि पर किसी धनी व्यक्ति के अवैध निर्माण को रोका है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत गड़वाड़ा द्वारा ग्राम जैतपुर में आबादी विस्तार हेतु पंचायत की बैठक दिनांक 24-9-77 के प्रस्ताव संख्या 2 द्वारा खसरा नं. 84/1 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा भूमि आबादी में परिवर्तन हेतु खरीद की थी, जिसे आदेश संख्या फ. 12(3)(27) राज/78/1555-1560 दिनांक 18-4-1978 के द्वारा आबादी में परिवर्तित की गई।

(2) यह भूमि आबादी में परिवर्तित होने के उपरान्त पंचायत द्वारा भूमि विक्रय की कार्यवाही नियमानुसार जारी है।

(3) इस भूमि पर श्री वीरमाराम, उप सरपंच द्वारा अनाधिकृत निर्माण कराये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधीश पाली द्वारा स्थगन आदेश क्रमांक पंचायत/3852 दिनांक 23-12-78 के द्वारा जारी किया गया। अब निर्माण कार्य बन्द है।

(202)

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 1000

विद्युत ठेकेदारों द्वारा किये गये अपूर्ण कार्य की शिकायत अभियन्ता द्वारा किये जाने की सूची

क्र.सं. 1	सहायक अभियन्ता 2	ठेकेदार का नाम 3
1.	स. अभि. (डी) कोटा	मै. खजान्ची इलेक्ट्रिकल्स, कोटा।
2.	स. अभि. (आर.ई.सी.) केकड़ी	मै. गनपतलाल एण्ड सन्स, बीकानेर।
3.	स. अभि. (ग्राविनि) शाहपुरा भीलवाड़ा	मै. गनपतलाल एण्ड सन्स, बीकानेर।
	स. अभि. (एल. डी) भीलवाड़ा	मै. गनपतलाल एण्ड सन्स, बीकानेर।
4.	स. अभि. (ग्राविनि) खारवी	मै. नेशनल इलेक्ट्रिकल्स, जोधपुर।
5.	स. अभि. (ग्राविनि) कनवास	मै. कोहीनूर इलेक्ट्रिक फिटिंग कम्पनी, कोटा।
6.	स. अभि. (ग्राविनि) वल्लभनगर	महावीर इलेक्ट्रिक स्टोर, उदयपुर।
7.	स. अभि. (बारां)	मै. जवाहर इलेक्ट्रिक वर्क्स, कोटा।
8.	स. अभि. (ग्राविनि) दौसा	मै. कसाना इलेक्ट्रिक स्टोर, सीकन्दरा। मै. धामानी इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर।
9.	स. अभि. (डी) चित्तौड़	मै. दुर्गेश इलेक्ट्रिकल स्टोर, चित्तौड़गढ़।
10.	स. अभि. (सी.डी.) भीलवाड़ा	मै. लाईट हाउस, भीलवाड़ा।
11.	स. अभि. (आर.ई.सी.) उदयपुरवाटी	मै. राजस्थान इलेक्ट्रिक स्टोर, नीमकाथाना।
12.	स. अभि. (डी.एस.डी.) वेस्ट भीलवाड़ा	मै. सुवालका इलेक्ट्रिकल, भीलवाड़ा।
13.	स. अभि. (ओ.एण्ड एम.) मकराना	मै. कृष्णीया इन्जीनियर्स, जयपुर। मै. विजय इलेक्ट्रिकल्स, फुलेरा।
14.	स. अभि. बिलाड़ा	मै. के.सी. वर्मा एण्ड कम्पनी, बिलाड़ा। मै. नेशनल इलेक्ट्रिक कम्पनी, जोधपुर।
15.	स. अभि. (ग्राविनि) परबतसर	मै. प्रताप इलेक्ट्रिकल्स, हरसोर।

1	2	3
16.	स. अभि. (ग्राविनि) सिलोरा	मैं. राजस्थान इलेक्ट्रिक स्टोर, नीमकाथाना।
17.	स. अभि. (ग्राविनि) गंगापुरसिटी	मैं. कासलीवाल इलेक्ट्रिक स्टोर, सवाई माधोपुर।
18.	स. अभि. सवाई माधोपुर	मैं. कासलीवाल इलेक्ट्रिक स्टोर, सवाई माधोपुर।
19.	स. अभि. (ग्राविनि) जमवा रामगढ़	मै. धामानी इलेक्ट्रीकल्स, जयपुर। मै. शर्मा इलेक्ट्रिक कम्पनी, जयपुर।
20.	स. अभि. (ग्राविनि) गोविन्दगढ़	मैं. कृष्णीया इन्जीनियर्स, जयपुर। मैं. देवली इलेक्ट्रिक स्टोर, देवली।
21.	स. अभि. (ओ एण्ड एम) श्रीमाधोपुर	मैं. राजस्थान इलेक्ट्रिक स्टोर, नीमकाथाना। मैं. देवली इलेक्ट्रिक स्टोर, देवली।
22.	स. अभि. (ग्राविनि) अराई	मैं. प्रताप इलेक्ट्रिक, हरसोर।
23.	स. अभि. (ग्राविनि) सांगोद	मै. कोहीनूर इलेक्ट्रिक फिटिंग, कोटा।
24.	स. अभि. (ग्राविनि) नीमकाथाना	मैं. देवली इलेक्ट्रिक स्टोर, देवली।
25.	स. अभि. (ग्राविनि) पाली	मैं. सुरेशप्रकाश एण्ड कं., रानी। मैं. मेहता इलेक्ट्रिक एण्ड जनरल स्टोर, पाली।
26.	स. अभि. कांकरोली	मैं. चेतन इलेक्ट्रीकल्स, भीलवाड़ा। मैं. शर्मा इलेक्ट्रिक स्टोर, उदयपुर।
27.	स. अभि. (ग्राविनि) छबड़ा	मै. रामपाल एण्ड सन्स, कोटा।
28.	स. अभि. (डी.) जालोर	मै. रूपचन्द जैन, भीनमाल।
29.	स. अभि. (ग्राविनि) निवाई	मै. देवली इलेक्ट्रिक स्टोर, देवली। मैं. घनश्याम इलेक्ट्रिक स्टोर, जयपुर।
30.	स. अभि. (ग्राविनि) घाटोल	मै. लाईट हाउस, उदयपुर।
31.	स. अभि. (ग्राविनि) दूदू	मै. खालसा इलेक्ट्रिक सर्विस, जयपुर। मै. धामानी इलेक्ट्रीकल्स, जयपुर।
32.	स. अभि. (ओ एण्ड एम.) बाड़मेर	मै. लखात इलेक्ट्रिक कारपो., जोधपुर।
33.	स. अभि. (ग्राविनि) लालसोट	मै. मिश्र कृषि उद्योग प्रतिष्ठान, लालसोट।
34.	स. अभि. (ग्राविनि) डेगाना	मै. सरस्वती इले. स्टोर, खोरावर।

1	2	3
35.	स. अभि. (ग्राविनि) बहरोड	मै. गनेश ट्रेडर्स, अलवर।
36.	स. अभि., टोंक	मै. प्रेम इलेक्ट्रिक स्टोर, कोटा।
37.	स. अभि. (एस.डी.) नसीराबाद	मै. वेदी इले. हाउस, अजमेर।
38.	स. अभि. (ग्राविनि) सवाई माधोपुर	मै. प्रेम इले. सवाई माधोपुर। मै. इण्डस्ट्रीयल ट्रेडर्स, सवाई माधोपुर।
39.	स. अभि. (नगर सं.) गंगानगर	मै. शर्मा इले. सर्विस।
40.	स. अभि. (ग्राविनि), रींगस	मै. राजस्थान इले. स्टोर, नीमकाथाना।
41.	स. अभि. डीडवाना	मै. राजा एजेन्सी, लाडनूं। मै. अशोका इले. कम्पनी, सरदारशहर।
42.	स. अभि. (डी.) अलवर	मै. जय भारत इले. एण्ड जनरल सप्लायर, अलवर।
43.	स. अभि. (डी.) चित्तौड़	मै. भारत इले. एण्ड रेडियो वर्क्स, चित्तौड़।
44.	स. अभि. (ओ. एण्ड एम.) सांगानेर	मै. शंकर इले. सर्विस, जयपुर।
45.	स. अभि. (आर.ई.सी.) कोटपूतली	मै. गोल्डन इले. सर्विस, जयपुर। मै. न्यू प्रेम इले. सर्विस, जयपुर।
46.	स. अभि. रामगढ़, अलवर	मै. राज इले., अलवर।
47.	स. अभि. (डी.) फालना	मै. महावीर इले. कम्पनी, सुमेरपुर।
48.	स. अभि. (डी.) बून्दी	मै. महावीर इले. स्टोर, सवाई माधोपुर।
49.	स. अभि. (ओ.एण्ड एम.) खैरथल	मै. विश्वकर्मा एग्रो सर्विस सेन्टर, अलवर।
50.	स. अभि. (डी.) नीमकाथाना	मै. देवली इले. स्टोर, देवली।
51.	स. अभि. (ओ. एण्ड एम.) नागौर	मै. चन्चलमल गौतम चन्द, नागौर।
52.	स. अभि. (ओ. एण्ड एम.) बालोतरा	मै. हाजी एग्रो सर्विस सेन्टर, बालोतरा।
53.	स. अभि. भोपालगढ़	मै. राजेन्द्र इले. सर्विस जोधपुर।

विद्युत निरीक्षक,

राजस्थान सरकार, जयपुर।

अप्रेल, 1975 से 31 मार्च, 1978 तक निरस्त किये गये विद्युत ठेकेदारों की सूची

1. मैसर्स लाईट हाउस, कोटा	लाइसेन्सनं. 435 'बी'
2. मैसर्स गिरधर इलेक्ट्रीकल्स, ब्यावर	लाइसेन्स नं. 208 'बी'
3. मैसर्स सोलंकी ब्रदर्स, सिवाना (जालौर)	लाइसेन्स नं. 383 'ए'
4. मैसर्स अरुण इलेक्ट्रीकल्स, रेनवाल (जयपुर)	लाइसेन्स नं. 514 'सी'
5. मैसर्स कमला एग्रो सर्विस सेन्टर, पाली	लाइसेन्स नं. 566 'ए'
6. मैसर्स निर्माण इलेक्ट्रीकल्स स्टोर, नागौर	लाइसेन्स नं. 235 'ए'
7. मैसर्स टाक एग्रो इन्जीनियरिंग सर्विस, नसीराबाद	लाइसेन्स नं. 623 'सी'
8. मैसर्स गोलहम, उदयपुर	लाइसेन्स नं. 583 'सी'
9. मैसर्स विनोद इलेक्ट्रिक स्टोर, भीलवाड़ा	लाइसेन्स नं. 562 'सी'
10. मैसर्स जय भारत इलेक्ट्रिक स्टोर, फतेहपुर	लाइसेन्स नं. 485 'सी'
11. मैसर्स राठौड़ इलैक्ट्रिक एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़)	लाइसेन्स नं. 601 'सी'
12. मैसर्स सुराना इलेक्ट्रीकल, कोटा	लाइसेन्स नं. 625 'सी'
13. मैसर्स चन्देल इलेक्ट्रिक एण्ड मशीनरी स्टोर, सीकर	लाइसेन्स नं. 366 'ए'
14. मैसर्स जय इलेक्ट्रिक सर्विस, जयपुर	लाइसेन्स नं. 559 'ए'
15. मैसर्स दत्ता ब्रदर्स, भरतपुर	लाइसेन्स नं. 14 'बी'
16. मैसर्स रस्तोगी इलेक्ट्रीकल, धौलपुर	लाइसेन्स नं. 498 'बी'
17. मैसर्स गिरीश इलेक्ट्रीकल, जयपुर	लाइसेन्स नं. 708 'सी'
18. मैसर्स प्रेम इलेक्ट्रिक स्टोर, जयपुर	लाइसेन्स नं. 207 'ए'
19. मैसर्स जैन ब्रदर्स, चौमूं	लाइसेन्स नं. 553 'ए'
20. मैसर्स स्वास्तिक इलेक्ट्रीकल एण्ड फर्टिलाइजर्स, जयपुर	लाइसेन्स नं. 442 'ए'

विद्युत निरीक्षक,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1007 की सूची)

पूर्व में अधिघोषित कृषि जिन्सें जिन्हें 23-4-77 के पश्चात् नियमन से हटा दिया गया था

1.	तन्तु	1. रुई 2. मेस्ता 3. सन
2.	धान	4. धान
3.	फलीवाला धान्य	5. मूंग की दाल 6. अरहर की दाल 7. उड़द की दाल 8. चौला की दाल 9. बटला की दाल 10. चना की दाल 11. गवार चूरी 12. मसूर की दाल 13. मोठ की दाल
4.	तिलहन व तेल	14. तिली का तेल 15. सरसों का तेल 16. राई का तेल 17. तारा का तेल 18. अलसी का तेल 19. बिनौला व इसका तेल 20. अरण्डी का तेल 21. सोयाबीन का तेल 22. सूर्यमुखी का तेल 23. रायला का तेल 24. मूंगफली का तेल 25. वनस्पति का तेल
5.	अामलिक	26. तम्बाकू 27. अफीम 28. भंग 29. गांजा 30. चरस
6.	फल	
7.	सब्जियां	31. रतालू
8.	पशुपालन उत्पादन	32. अण्डा 33. कुक्कट 34. पशु (गाय, भैंस और बछड़े) 35. भेड़ 36. बकरी 37. दूध 38. मक्खन 39. बाल 40. खाल 41. चमड़ा 42. मत्स्य 43. ऊंट 44. घोड़े 45. गधे
9.	मसाले	46. सब्जी
10.	वन उपज	47. शहद 48. गोंद 49. कत्था
11.	विविध	50. असालिया 51. मेहन्दी 52. सब्जी 53. घास 54. चारा 55. तुम्बे के बीज 56. गन्ना 57. तरबूज के बीज
12.	मेवा	58. खजूर 59. काजू 60. रतालू 61. पिस्ता 62. बादाम 63. चिलगोजा 64. किशमिश 65. अखरोट 66 अंजीर

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न सं. 1008 की सूची)

जोधपुर जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत सहायक कृषि अधिकारियों की सूची

क्रम सं.	सहायक कृषि अधिकारी का नाम	जोधपुर में नियुक्ति (पोस्टिंग) की तारीख	कृषि विभाग में नियुक्ति की तारीख	कृषि विभाग में सेवाकाल के दौरान जोधपुर में कितने वर्षों तक रहे
1.	श्री अनिरुद्ध सिंह	26-8-67	14-10-52	26-8-67
2.	श्री शिव चन्द जोशी	11-9-67	23-11-64	11-9-67
3.	श्री कमलेश चन्द्र पुरोहित	16-10-65	16-10-65	16-10-65
4.	श्री वृज मोहन कल्ला	10-11-72	26-6-68	10-11-72
5.	श्री हरि सिंह	26-9-77	7-4-75	26-9-77
6.	श्री श्रेणी दान देवा	30-12-77	27-11-76	30-12-77
7.	श्री राम चन्द्र सोनी	26-4-76	23-7-73	26-3-76
8.	श्री रमेश चन्द्र कल्ला	6-1-77	19-4-71	6-1-77
9.	श्री किशन गोपाल जोशी	25-11-67	16-7-65	25-11-67
10.	श्री खेम चन्द्र रामेवा	1-1-79	7-4-75	1-1-79
11.	श्री महेन्द्र राज मेहता	29-9-71	25-3-70	29-9-71 (29-9-71 से 2-9-77 तक शुष्क खेती योजना में और इसके बाद 3-9-77 से जिला कृषि अधिकारी जोधपुर के कार्यालय में कार्यरत है)

२०५

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1011 की सूची)

डाक बंगला पाली के लिए खरीदे गये सामान की सूची "ब"

वस्तु का नाम 1	माह 2	मात्रा 3	रुपये 4	संस्था का नाम 5
1. निवार	मई, 78	60.10 कि.ग्रा.	977.61	जय इन्डस्ट्री, जोधपुर बि.नं. 28932 दिनांक 12-5-78एवं 1201701 दि. 9-5-78
2. ग्लास टम्बलर	अप्रेल, 78 मई, 78	24 नं.	7.50	रोशन जनरल स्टोर, पाली बि.नं. 1178 दि. 21-5-78
			30.50	भवानी स्टोर, पाली बि. सं.11177 दि.27-5-78
			38.00	
3. इलेक्ट्.बल्ब	अप्रेल, 78	16 नं.	5.50	टेकचन्द करमचन्द बि.सं. 10866 दि. 30-4-78
	मई, 78		6.00	चन्द्र प्रकाश पूर्णदास 470 दि. 8-5-78
	जून, 78		19.50	प्रकाश इलेक्ट्. स्टोर, 2419 दि. 21-5-78
			25.00	मेहता इलेक्ट्. स्टोर, पाली
			58.00	
4. टेलीफोन लॉक	अप्रेल, 78	1 नं.	6.25	भवानी स्टोर, पाली 10451 दि. 24-4-78
5. प्लास्टिक बाल्टी प्लास्टिक मग	अप्रेल, 78 अप्रेल, 78	2 नं. 2 नं.	39.50	भवानी स्टोर, पाली 11081 व 11082, दि. 16-5-78

1	2	3	4	5
6. फिलिट	मई, जून, सित. अक्टू., दिसम्बर, 78	5 लीटर	20.00	भवानी स्टोर, पाली 10560 दि. 16-5-78
			20.00	पोपूलर बुक डिपो, पाली 2141 दि. 28-6-78
			20.25	उपर्युक्त 2517 दि. 28-9-78
			7.00	चन्द्रप्रकाश पूरनदास 747 दि. 20-10-78
			19.00	पोपूलर बुक डिपो, पाली 2714 दि. 4-12-78
7. विम	जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 78	16 नं.	20.50	पोपूलर बुक डिपो 2142 दि. 28-6-78
			20.00	उपर्युक्त 2348 दि. 28-8-78
			19.00	उपर्युक्त 2516 दि. 28-9-78
			19.00	उपर्युक्त 2713 दि. 4-12-78
8. टी सैट	जुलाई, 78	1 सैट	80.00	अरोड़ा स्टोर, जोधपुर 8022 दि. 4-7-78
9. फिनाइल	अगस्त, सित., दिसम्बर, 78	3 लीटर	20.00	पोपूलर बुक डिपो 2797 दि. 28-8-78
			19.00	उपर्युक्त 2519 दि. 28-9-78
			20.00	उपर्युक्त 2712 दि. 4-12-78
10. जग	सितम्बर,		20.25	उपर्युक्त 2517 दि. 28-9-78
	दिसम्बर, 78		29.96	भगवती एण्ड कं. 958 दि. 3-12-78
11. मग	दिसम्बर, 78	5 नं.	20.00	पोपूलर बुक डिपो 2713 दि. 4-12-78
12. कपूर की गोलियां	दिसम्बर, 78	4 पैकिट	19.00	पोपूलर बुक डिपो 2713 दि. 4-12-78

210

1	2	3	4	5
13. मैट्रेस के लिए कपड़ा	दिसम्बर, 78	11 मीटर	80.85 56.00 —— 136.85 ——	राजस्थान खादी संघ, पाली 1126 एवं 1127 दि. 16–12–78
14. साबुन	सितम्बर 78	7 नं.	3.00	इन्साफ भ्रलो, पाली 275 दि. 7-9-78
			2.00	पोपूलर बुक डिपो 2516 दि. 28–9–78
		कुल योग	1,652.17	

अतारांकित प्रश्न सं. 77 सा. नि. मं. द्वारा श्री रतन लाल वर्मा

टेलीफोन बिलों की सूची "स"

टेलीफोन बिल की सूची :—कापी

पी. डब्ल्यू. आर./6406 दिनांक 11-5-78

2.	ए.जे.	20957	6–00 एच.
5.	जे. पी. आर.	22016	34–00 यू. पी.
5.	आर. एम. आई.	35	2–00
16.	जे. पी. आर.	20510	2–00 एच.
16.	एम. आर. टी.	9	6–00

सी. बी. वाऊचर नं. ए. ई. पी. 23 दिनांक 16-5-78

राजस्थान सरकार

डाक बंगला, पाली मारवाड़ रजिस्टर प्रति सूची 'अ' दि. 2-4-78, 5-4-78, 16-4-78, 1-12-77 से

क्र. सं.	कमरा नं.	नाम	पद व पूरा पता	राजपत्रित या अराजपत्रित	राजकीय कार्यवश निजी कार्यवश	आने का दि. व समय	हस्ताक्षर	कमरा रिक्त करने का दि. व समय	कमरे का किराया	पानी व बिजली खर्चा	हस्ताक्षर व विशेष विवरण
1.	..	..	..	..	..	2-4-78	..	..	..	..	..
2.	..	..	..	..	..	5-4-78	..	..	..	..	..
3.	1	श्री कैलाश रूप राय	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग	हां	हां	15-4-78	ह. ए.ई.एच. पाली	16-4-78 5.30 पीएम	1/-	चुकाया	ह. ए.ई.एच. पाली 16-4-78
4.	1	श्री आर.पी. कासीयप्प	डी.ई. (एस.पी. एस.एस. आर.आई. एम. डी. सी.)	हां	हां	16-4-78		17-4-78 7.30 ए.एम.	5/-	..	..
5.	2	श्री एफ. एन. अग्रवाल	डी. ई. (छोर) आर.आई.एम.डी.सी.	..	..	..	..	..	5/-	....	..

टोटल 1027.50 डिपोजिटेड ऑन 1-4-78

ह.

राधा किशन जोशी, एस. डी. सी., पाली ।

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न सं. 175 की सूची

पंचायत समिति रोहट में कार्यरत ग्रुप सचिवों के पंचायतों की सूची

क्र. सं.	ग्रुप सचिव का नाम	नियुक्ति तिथि	वेतन श्रृंखला	ग्रुप सचिव मुख्यालय	पंचायतें	अतिरिक्त पंचायतें
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री भागीरथ शर्मा	14-7-77	370-590	रोहट	1.रोहट 2.कलाली 3.खाण्डी	1–भीतड़ा 2–भाकरीवाला 3–ढावर 4–नीम्बलीउरा
2.	श्री सोनाराम	14-7-77	370-590	माण्डावास	1.माण्डा वास 2.वायद 3.दिवांदी	1–चेण्डा 2–गेलावास 3–कुलथाना
3.	श्री गुलाबसिंह	14-7-77	370-590	गठवाड़ा	1.गठवाड़ा 2.चोटीला 3.बिठु 4.सेदरिया	नहीं है।

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न सं. 189 की अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1(6)(3)गृह(ग्रुप-5)/77

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-5) विभाग

जयपुर, दिनांक 2 फरवरी, 1979

अधिसूचना

राजस्थान भूगृहादि (किराया एवं बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1950 (राजस्थान का अधिनियम संख्या 17 सन् 1950) की धारा 2(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान सरकार एतद्द्वारा उपरोक्त अधिनियम की शेष धाराओं को निम्न नगरपालिकाओं/कस्बों में इस अधिसूचना के राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू करती है :—

नाम जिला 1	स्थान जहां अधिनियम लागू किया जाना है 2
1. बून्दी	1. नैनवा
2. बाड़मेर	1. सिवाना
3. भरतपुर	1. राजाखेड़ा 2. रूपवास 3. नगर 4. वसेड़ी
4. सिरोही	1. पिंडवाड़ा
5. भीलवाड़ा	1. आसीन्द 2. गंगापुर 3. माण्डल 4. जहाजपुर
6. अजमेर	1. सरवाड़

1	2
7. जयपुर	1. सांगानेर
	2. चाकसू
	3. मनोहरपुरा
	4. लालसोट
	5. नेरवा
	6. विराटनगर
8. पाली	1. सोजतसिटी
9. गंगानगर	1. पदमपुर
	2. गजसिंहपुर
	3. केसरीसिंहपुर
	4. पीलीबंगा
10. जैसलमेर	1. पोकरण

राज्यपाल की आज्ञा से,

एल. एम. गुप्ता,

गृह आयुक्त एवं शासन सचिव ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. जिला दण्डनायक, बून्दी/बाड़मेर/भरतपुर/सिरोही/भीलवाड़ा/अजमेर/जयपुर/पाली/गंगानगर/सीकर।
2. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान के राज-पत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु ।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. सम्बन्धित नगरपालिका ।
5. विधि विभाग ।
6. रक्षि. पत्रिका ।

मूंगालाल सुरेका,

उप शासन सचिव ।

(215)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 213 की सूची)

तहसील पिड़ावा में धारा 91 के तहत विचाराधीन
मामले दिनांक 19-3-79 तक

क्रमांक 1	उनवान 2		ग्राम 3	ख.नं. 4	रकबा 5	विशेष विवरण 6
1.	सरकार बनाम श्री प्रदुम्न कुमार पुत्र विरदी चन्द्र जैन पिड़ावा		पिड़ावा	1312	1)2	पुराना
2.	,,	जलदाय विभाग पिड़ावा	,,	200 202	1)2 11)1	
3.	,,	प्रदुम्न कुमार पुत्र विरदी चन्द्र जैन पिड़ावा	,,	1312	1)2	नया
4.	,,	शिव लाल पुत्र पूरा लाल सुतार	मौलाई	1088	111)	
5.	,,	करणसिंह पुत्र पूरसिंह राजपूत	खारपारखुर्द	427	)3	
6.	,,	उदारामा बांगरी सेमली तहसील पच पहाड़	उदयाखेड़ी	24	212	
7.	,,	दुर्लेसिंह पुत्र बाबरु राजपूत	,,	35	111)	
8.		भंवरलाल पुत्र नन्दा धाकड़ निवासी गादिया	मान्याखेड़ी	78	2)1	
9.	,,	किशन लाल पुत्र हिन्दूसिंह राजपूत निवासी फिरोजपुरा		270/388	811)4	स्थगन आदेश
10.	,,	किशनलाल पुत्र हिन्दूसिंह राजपूत निवासी फिरोजपुरा	प्रसिद्ध	,,	,,	,,

(216)

1		2	3	4	5	6
11.	सरकार बनाम श्री भेरु पुत्र धूला धाकड़ नि.	सलोतिया	सलोतिया	790	9।।।)	स्थगन आदेश
12.	,,	मथुरालाल पुत्र मोहनलाल धाकड़	,,	621 622	8।।।)	
13.	,,	पूरा पुत्र बक्षा चमार	डाबलाखोची	1047	2) 3	
14.	,,	बाघसिंह पुत्र धूलसिंह राजपूत	कानवाडा	84 156 163	10) 6) 4)	
15.	,,	पृथ्वीसिंह पुत्र हीरालाल गूजर	बोखोडी खुर्द	40 42	10।।)	
16.	,,	बालाराम पुत्र मोहनलाल धाकड़ सलोतिया		790	14।।।) 4	स्थगन आदेश
17.	,,	ऊंकार पुत्र गोपाल धाकड़	,,	774 790	5।।।) 3 ।।।)	,,
18.	,,	ग्राम पंचायत मगोसपुर	मगोसपुर	155	।)	
19.	,,	आर.एस.ई.बी. सब स्टेशन	रायपुर	1968	14	
20.		राज.उच्च माध्य.विद्यालय रायपुर	रायपुर	2025	2।।)	
21.	,,	शुजाअत अली खां करोडिया	करोडिया	1702 1630	10) 7)	
22.	,,	नन्दा पुत्र किशना तेली माथनिया	माथनिया	20	3112	स्थगन आदेश
23.	,,	प्यारा पुत्र भवाना लुहार खैरान	निपानियां	109 129	।।) 1 3।।)	
24.	,,	लक्ष्मीनारायण पुत्र शंकर सुनार	हिम्मतगढ़	538	) 3	

1	2	3		4	5
25.	सरकार बनाम	लक्ष्मनसिंह पुत्र तख्तसिंह राजपूत	बोड़ियाबुजुर्ग	372	3ıı)
				728	5ııı) 1
				183	2ııı) 4
26.	,,	तुलसीराम पुत्र जगदीश	धरोनियां	1715	4)
		रामचन्द्र पुत्र धूला कुलमी	,,	1724	ı)
27.	,,	जगन्नाथ पुत्र भैरू कुलमी	,,	1713	5ııı)
28.	,,	भगवानसिंह पुत्र भैरूसिंह सोंध्या	ओसाव	1051	5ıı) 1
29.	,,	बापू पुत्र कंवरलाल गूजर	बानारे	83	5ııı) 1
30.	,,	रामसिंह पुत्र धूला गूजर	पालखथा	242	ıı)
31.	,,	प्रभूलाल पुत्र धूला कुलमी	दीवलखेड़ा	246	) 1
32.	,,	धूला पुत्र भैरू गूजर	चवन्डियां	1	) 3
33.	,,	गोकुल पुत्र दीगी	आगमपुर	49	ı)
				52	12ıı) 4
34.	,,	गोकुल पुत्र छीतर दीगी	,,	194	4) 1
35.	,,	गोकुल पुत्र छीतर दीगी	,,	236	12ıı)
				239	3)
36.	,,	गोपी पुत्र नारायण	रोशन बाड़ी	43	4)
37.	,,	गिरधारीलाल पुत्र बिरधी चन्द सुनार	उन्हेल	1076	2) 3
38.	,,	बाबूलाल पुत्र गिरवरसिंह वगैरह चौहान	सेमली	1104	20ııı) 4
39.	,,	बाबूलाल पुत्र देवजी वगैरह 14 किता	,,	122बीट	62) 2
40.	,,	नानुराम पुत्र देवीलाल गूजर	दुबड़िया	875	10ı) 4

कुल तहसील पिड़ावा में 40 केस विचाराधीन हैं।